

C O N T E N T S**Sixteenth Series, Vol. XXXII, Fifteenth Session, 2018/1940 (Saka)****No. 3, Friday, July 20, 2018/Ashadha 29, 1940 (Saka)****S U B J E C T****P A G E S****WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

Starred Question Nos. 41 to 60

8-76

Unstarred Question Nos. 461 to 690

77-662

PAPERS LAID ON THE TABLE 663-680

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS AMENDED BY RAJYA SABHA** 681-683

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 101st and 105th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2017-18) Demand No.5, pertaining to the Ministry of AYUSH

Shri Shripad Yesso Naik 684

BUSINESS OF THE HOUSE 685-691

**MOTION RE: FIFTY FOURTH REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE** 692

**MOTION OF NO CONFIDENCE IN COUNCIL
OF MINISTERS** 693-1281

Shri Jayadev Galla 698-743

Shri Rakesh Singh 745-775

Shri Rahul Gandhi 776-790,
795-803

Shrimati Nirmala Sitharaman 804-813

Dr. P. Venugopal	814-823
Prof. Saugata Roy	824-833
Shri B. Vinod Kumar	834-847
Shri Mulayam Singh Yadav	848-858
Shri Mohammad Salim	859-869
Shri Rajnath Singh	870-908
Shri Tariq Anwar	910-919
Shri Ram Vilas Paswan	920-936
Shri Mallikarjun Kharge	937-956
Dr. Kambhampati Haribabu	957-969
Dr. J. Jayavardhan	970-972,974-984
Shri Dinesh Trivedi	985-995
Shri Prem Singh Chandumajra	996-1002
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	1003-1005
Shrimati Anupriya Patel	1006-1010
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	1011-1019
Shri Bhagwant Mann	1020-1022
Shri Virendra Singh	1023-1027
Shri Badruddin Ajmal	1027-1031
Shri Upendra Kushwaha	1032-1034
Shrimati Butta Renuka	1035-1038
Shri Dushyant Chautala	1039-1041
Shri P.K. Kunhalikutty	1042-1043

Shri Kaushalendra Kumar	1044-1045
Shri Vijay Kumar Hansdak	1046-1047
Shri Asaduddin Owaisi	1048-1053
Dr. Farooq Abdullah	1054-1058
Dr. Dharam Vira Gandhi	1059-1060
Shri C.N. Jayadevan	1061-1063
Shri Anurag Singh Thakur	1064-1066
Shri Ramdas Athawale	1068-1069
Shri Thota Narasimham	1070-1111
Shri N.K. Premachandran	1112-1113
Shrimati Kothapalli Geetha	1114-1121
Shri Mukesh Rajput	1122
Shri Raju Shetty	1123
Shri Prem Das Rai	1124
Shri Bhairon Prasad Mishra	1125
Shrimati Tabassum Begum	1127-1129
Dr. Ravindra Babu	1130-1156
Prof. Richard Hay	1157-1158
Shrimati Santosh Ahlawat	1159
Shri Konakalla Narayana Rao	1160-1186
Shri Rajesh Ranjan	1187-1204
Shrimati Meenakashi Lekhi	1205-1211
Shri R. Radhakrishnan	1212

Shri Narendra Modi	1213-1246
Shri Kesineni Srinivas	1248-1253
Motion Negatived	1281

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA**

909

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	1282
Member-wise Index to Unstarred Questions	1283-1287

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	1288
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	1289

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 20, 2018/Ashadha 29, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

11 01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

Shrimati Anupriya Patel

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY

WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): On behalf of Shri Jagat Prakash

Nadda, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2016-2017.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9238/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, for the year 2016-2017.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9239/16/18]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2016-2017.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 9240/16/18]

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9241/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2016-2017.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9242/16/18]

- (3) A copy of the Regulation of Persistent Organic Pollutants Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.207(E) in Gazette of India dated 5th March, 2018 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 9243/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/03 in Gazette of India dated 13th March, 2018 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 9244/16/18]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-

- (i) The National Savings Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.31(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.
- (ii) The National Savings (Monthly Income Account) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.32(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.
- (iii) The National Savings Time Deposit (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.34(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9245/16/18]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959:-

- (i) The Kisan Vikas Patra (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.29(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.
- (ii) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.30(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9246/16/18]

(4) A copy of the Notification No. G.S.R.33(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th January, 2018 notifying that the subscriptions made to the Public Provident Fund on or after the 1st day of January, 2018 and the balances at the credit of the subscribers shall bear interest at the rate of 7.6% per annum issued under Section 12 of the Public Provident Fund Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 9247/16/18]

(5) A copy of the Notification No. G.S.R.28(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th January, 2018 notifying that the subscriptions made to the Sukanya Samridhi Account on or after the 1st day of January, 2018 and the balances at the credit of the subscribers shall bear

interest at the rate of 8.1% per annum, issued under sub-rule (1) of Rule 7 of the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 9248/16/18]

(6) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Security Printing and Minting Corporation of India Limited and the Ministry of Finance for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9249/16/18]

(7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

- (1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 5 of 2018) for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 9250/16/18]

- (2) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 6 of 2018)-Performance Audit of National Projects, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation for the year ended March, 2017.

[Placed in the Library, See No. LT 9251/16/18]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो)) पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9252/16/18]

(2) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निर्गम और निकास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निर्गम और निकास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा शर्तों और निबंधन तथा उनके संदेय वेतन और भत्ते) विनियम, 2017 जो 3 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 07(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9253/16/18]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूको बैंक (अधिकारी)सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ईएसटी/2017-18/470 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी)सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 9 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीओआईएल/एमएसएस/आईआर/एचआर/एचओ/-234 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 2 मार्च, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2016 जो 13 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 160/एसडब्ल्यूडीपेंशन/ में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) ओरियेंटल बैंक आफ कामर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 20 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3950 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9254/16/18]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2017, जो 20 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1527(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर (संशोधन) स्कीम, 2018, जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 44(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2018, जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9255/16/18]

(5) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) का.आ. 821(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उसमें उल्लिखित मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में 4-मिथाईलकैथीनॉन, इथाईलोन, पेन्टेड्रोन, इथाइलफैनीडेट, एमपीए एमडीएमबी-सीएचएमआईसीए, 5एफ-एपीआईएनएसीए, एक्सएलआर-11 और कैथा इडुलिस तथा साल्ट और उनकी सामग्रियों को अधिसूचित किया है, ताकि प्रवर्तन एजेंसियां इन पदार्थ के अवैध निर्माणआवागमन/उपयोग/ के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ. 882(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का.आ. 823(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विनिर्मित ओषधि घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9256/16/18]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.नि.का. 273(अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सा.नि.का. 868 (अ) जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) अधिसूचना सं. 18/2018-सी.शु. (एन.टी.) जो 1 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) अधिसूचना सं. 19/2018-सी.शु. (एन.टी.) जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.नि.का. 1144 (अ) जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9257/16/18]

- (7) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत माल और सेवा कर निधियों का समाधान (संशोधन) नियम, 2018 जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 145 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in the Library, See No. LT 9258/16/18]

(8) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 271 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत 30.06.2018 तक कर संदाय से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

[Placed in Library, See No. LT 9259/16/18]

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 270 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत 30.06.2018 तक कर संदाय से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

[Placed in Library, See No. LT 9260/16/18]

(10) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 266(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(दो) सा.नि.का. 267(अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-वे बिल नियम के प्रभावशील होने की तारीख को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(तीन) सा.नि.का. 268(अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल से जून, 2018 महीनों के लिए प्रारूप जीएसटीआर-3 ख भरने के लिए निर्धारित तारीखों को विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (4) के अंतर्गत सा.नि.का. 269 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत 30.06.2018 तक कर संदाय से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

[Placed in Library, See No. LT 9261/16/18]

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्युचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबीएलएडी/-एनआरओ/जीएन/2018/02 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9262/16/18]

(12) राष्ट्रीय आवासन बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उप-धारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवासन बैंक, नई दिल्ली वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9263/16/18]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय दंड चिकित्सक परिषद्, दंत शल्य चिकित्सा में परा-स्नातक पाठ्यक्रम (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी ई-87(1)-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दंड चिकित्सक परिषद् (नये दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नये या उच्चतर अध्ययन के पाठ्यक्रम शुरू करना या प्रशिक्षण और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) (दसवां संशोधन) विनियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22(10)-2018 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9264/16/18]

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दसवां संशोधन विनियम, 2017 जो 19 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या मानकएसपी/ (वाटर एंड बिवरेज)/अधि. (1)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन आफ फूड बिजनेसेज) पहला संशोधन विनियम, 2017 जो 31 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या मानकओ/ एंड एफअधिसूचना/(6)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9265/16/18]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9266/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2016-2017.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9267/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar, for the year 2016-2017.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9268/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI
P.P. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-
- (i) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R. 880(E) in Gazette of India dated 14th July, 2017.

- (ii) The Companies (cost records and audit) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1526(E) in Gazette of India dated 20th December, 2017.
- (iii) The Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.48(E) in Gazette of India dated 22nd January, 2018.
- (iv) The Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.49(E) in Gazette of India dated 22nd January, 2018.
- (v) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.51(E) in Gazette of India dated 22nd January, 2018.
- (vi) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.155(E) in Gazette of India dated 12th February, 2018.
- (vii) The Companies (Authorised to Register) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.173(E) in Gazette of India dated 19th February, 2018.
- (viii) The Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.174(E) in Gazette of India dated 19th February, 2018.

- (ix) The Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.175(E) in Gazette of India dated 19th February, 2018.
- (x) The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.191(E) in Gazette of India dated 28th March, 2018.
- (xi) The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.213(E) in Gazette of India dated 8th March, 2018.
- (xii) S.O.529(E) published in Gazette of India dated 5th February, 2018 regarding exemption to Government Companies under Section 129(6) of Companies Act, 2013 from recognizing Deferred Tax Assets/Deferred Tax Liability under AS-22/Ind AS-12..
- (xiii) S.O.802(E) published in Gazette of India dated 26th February, 2018 together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015.
- (xiv) The Companies (Removal of Difficulties) Order, 2018 published in Notification No. S.O.768(E) in Gazette of India dated 22nd February, 2018.

- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) and (ii) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9269/16/18]

11.02 hrs

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS AMENDED BY RAJYA SABHA ***

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

- (i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 10th August, 2017, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th July, 2018, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, for the word "Sixty-eighth", the word "Sixty-ninth" be substituted.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 5, for the figure "2017", the figure "2018" be substituted.

* Laid on the Table

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

- (ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2018, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th December, 2018, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th July, 2018, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page1, line 1, for the word "Sixty-eighth", the word "Sixty-ninth" be substituted.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, for the figure "2017", the figure "2018" be substituted.

CLAUSE 2

3. That at page 2, line 9, for the figure "2017", the figure "2018" be substituted.

3. That at page 2, line 15, for the figure "2017", the figure "2018" be substituted.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

Madam Speaker, I lay on the Table the State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2018 and the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2018, as returned by Rajya Sabha with amendments.

11 03 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 101st and 105th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2017-18) Demand No.5, pertaining to the Ministry of AYUSH

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 101st and 105th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2017-18) Demand No.5, pertaining to the Ministry of AYUSH.

[Placed in Library, See No. LT 9270/16/18]

11 03 ½ hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 23rd of July, 2018 will consist of:-

1. Consideration and passing of the following Bills:
 - (a) The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2017
 - (b) The Dentists (Amendment) Bill, 2017.
 - (c) The Representation of People (Amendment) Bill, 2017.
 - (d) The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017.
 - (e) The Consumer Protection Bill, 2018.
 - (f) The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018.
 - (g) The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016.
 - (h) The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016.
 - (i) The National Medical Commission Bill, 2017.
 - (j) The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018.
 - (k) The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018

2. Consideration and passing of the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018 as passed by Rajya Sabha.
3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 2 of 2018) and consideration and passing of the Criminal Law (Amendment) Bill, 2018 after introduction.
4. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Ordinance, 2018 (No.3 of 2018) and consideration and passing of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill, 2018 after introduction.
5. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 4 of 2018) and consideration and passing of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018 after introduction.
6. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the National Sports University Ordinance, 2018 (No.5 of 2018) and consideration and passing of the National Sports University Bill, 2017 after introduction.
7. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance, 2018 (No.6 of 2018) and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill, 2018 after introduction.

8. Consideration and passing of the Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2017 as returned by Rajya Sabha with amendment.

9. Consideration and passing of the Micro Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2018 after introduction.

HON. SPEAKER: The submissions by hon. Members may be laid on the Table.

***डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद):** एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में हृदय रोग से मरने वाले मरीजों की संख्या के मुकाबले भारत में इसकी तादात कहीं ज्यादा है। 1990 से 2016 तक जनसँख्या को दृष्टिगत रखते हुए अमेरिका में इस रोग से होने वाली मृत्यु दर 41 प्रतिशत में घटी है जबकि भारत में इस से होने वाली मृत्यु दर 34 प्रतिशत बढ़ी है। जो कि काफी गंभीर विषय है। इसकी रोकथाम के लिए हमारी सरकार को गंभीरता से स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इस पर ठोस स्वास्थ्य योजना बनाकर एवं जनसंख्या वृद्धि दर पर रोकथाम की भी योजना बनानी चाहिए। ऐसी मेरी सरकार से आशा है। वर्तमान में बैंकों के बढ़ते एनपीए के कारण बैंकों के कारण बैंकों में पूर्व कर्मचारियों अर्थात् पेंशनरों पर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, यदि नहीं तो कई पे कमीशन आने के पश्चात भी इनके पेंशन में कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई है। इनके पेंशन का रिविजन कराया जाना अति आवश्यक है। ऐसी मैं सरकार से आशा करता हूँ।

* Laid on the Table.

*SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Crisis in Cashew Industry due to the imposition of customs duty and necessity of a comprehensive package for the revival of the Cashew Industry.

Waiver of Road and infrastructure cess for diesel used by mechanised fishing vessels for fishing.

*श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये-

1. देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती जा रही है। किसान कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। क्योंकि उनको फसल से उतनी आमदनी नहीं होती, जितनी उनकी लागत लगती है। जो फसल तैयार होता है, तो रेट आधे हो जाते हैं और लेने वाला कोई नहीं होता। एमएसपी तो सिर्फ कागजी सूचना बनकर रह गई है। शादी-ब्याह, खेती के औजार, ट्रैक्टर आदि खरीद के लिए उन्हें अपने खेतों को गिरवी रखना पड़ता है। अतः सरकार किसानों को विशेष योजना के तहत पूर्ण कर्ज माफ करे और ब्याज-मुक्त ऋण देने का भी प्रावधान करे। साथ ही विशेषकर छोटे और मझोले किसान, जो साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन्हें भी आर्थिक मदद दिया जाये।
2. पूरे देश में खेती पर आधारित कृषि-श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब है। इनकी संख्या देश भर में 55 से 58 प्रतिशत है। सैसे ही हमारी खेती मौसम पर आधारित है, जिससे कृषि-श्रमिकों को बराबर रोजगार नहीं मिलता है। विशेषकर महिला कृषि-श्रमिक की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके छोटे-छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं। कुछ मदद मनरेगा से हो जाया करता था, परंतु जब तो मनरेगा भी सुचारू रूप से नहीं चलता है। क्योंकि सरकार पूरा फण्ड ही नहीं दे रही है। बिहार जैसे गरीब राज्यों की स्थिति तो और ही खराब है। अतः

* Laid on the Table.

केन्द्र सरकार कृषि-श्रमिकों को पेंशन के तर्ज पर मासिक-भत्ता देने की योजना बनाकर उनके परिवार के निर्वहन की व्यवस्था करे।

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा):** मेरे संसदीय क्षेत्र के निम्न महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करने की कृपा करें-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कम बारिश के कारण जनपद चित्रकूट तथा बाँदा में बहुत ही विषम हालात हैं। कृपया वहाँ पर सूखे की स्थिति पर सदन में चर्चा कराकर राहत के समुचित उपाय किए जाएँ। एवं वहाँ कृत्रिम बारिश करायी जाए और दैवी आपदा वाला क्षेत्र घोषित किया जाए।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद चित्रकूट के ओहन तथा बरुबा बाँधों में सिल्ट जमा होने से पर्याप्त जब नहीं इकट्ठा हो पाता है। अस्तु किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जब नहीं मिलता है। अतः इस गंभीर विषय पर सदन में चर्चा कराकर इन दोनों बाँधों को गहरा कराने के उपाय किए जाएँ।

***श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):** कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ने की कृपा करें

1. मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर के अंतर्गत आने वाली घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा हेतु कोई उपयुक्त साधन न होने के कारण एक केंद्रीय विद्यालय उक्त क्षेत्र में खोले जाने की महती आवश्यकता है।
2. जनपद कानपुर नगर के सेन्ट्रल स्टेशन पर जनदबाव को देखते हुए पनकी स्टेशन में गाड़ी सं0 12307/12308 जोधपुर-हावड़ा का ठहराव किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है एवं जनपद कानपुर देहात के पतरा हाल्ट स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ियों, गाड़ी संख्या 64587/64588 एवं 64159/64162 का ठहराव किया जाए।

* Laid on the Table.

***श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी):** मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूँ :-

संविधान की धारा 21-ए प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब साढ़े चार करोड़ बच्चों को शिक्षा के स्तर को दृष्टिगत करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पर विचार किया जाए।

गृह मंत्रालय ने पूरे देश के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ते हुए क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम कार्यान्वित की है जिससे अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है, परंतु अभियोजन के स्तर पर प्रक्रिया शिथिल होने के कारण बड़ी संख्या में अपराधी न्यायालयों से बच निकलते हैं। अतः अभियोजन न्यायालयों में प्रदर्शन तथा अपराधियों को सजा दिलाने हेतु न्यायालय में पैरोकारी सशक्त किए जाने पर विचार किया जाए।

* Laid on the Table.

11 04 hrs

**MOTION RE: 54th REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंत कुमार) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ:-

“कि यह सभा 19 जुलाई 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 54वें प्रतिवेदन से सहमत है। ”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Fifty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 19th July, 2018.”

The motion was adopted.

11 05 hrs**MOTION OF NO CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS**

माननीय अध्यक्ष : अब हम मोशन ऑफ नो कांफिडेंस चर्चा के लिए लेंगे। साधारणतः हमने इसको 6 बजे समाप्त करना है। आज ही इसको समाप्त करना है। अभी मैं 6 बजे का समय इसकी वोटिंग के लिए डिक्लेअर कर रही हूं और यदि सभा की सहमति हो तो हम लंच भी स्किप करेंगे। आज लंच नहीं करेंगे जो पार्टीज को समय दिया है, वह आप सबको और जैसा कि आपको मालूम है, प्रत्येक को अवगत कराया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम कोशिश करें कि हम उसी लिमिट में अपना भाषण करें। हम लोग दूसरी लिमिट में भी रहेंगे तो मुझे ज्यादा इंटरवीन नहीं करना पड़ेगा और हम अत्यंत शांति से आज की चर्चा कर सकेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : हम सभी लोग मिलकर डेलीगेशन सहित आपके पास आए थे। हमने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि हर पार्टी को आपने जो समय अलॉट किया है, कांग्रेस को 38 मिनट, टीएमसी को 38 मिनट और कम्युनिस्ट्स को 7 मिनट, आरजेडी को 1-2 मिनट दिया है। ... (व्यवधान) We are talking on behalf of you but still you are disturbing.

Madam Speaker, this is a very important Motion. People are looking forward, throughout the country, to what we are going to speak and what would be the response of the Government. Therefore, I would request you not to put a limitation of time. There are so many precedents in this House when the No Confidence Motion had been discussed for one day, for two days and even for three days. Therefore, if you sum up the entire Motion within five hours, it will not be possible to justify the discussion.

माननीय अध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ गई हूं। इतना नहीं बोलते।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Bhartruhari Ji, do you want to speak on this issue?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I am on a different issue.

Madam, the issue is relating to the No Confidence Motion that is under consideration of the House today. During the last 14 years, Biju Janata Dal has witnessed that the UPA Government's rule of ten years and four years of NDA has done injustice to the people of Odisha. So, this discussion will not be in any way fruitful for the people of Odisha. Therefore, we are walking out. We are not participating in this discussion ... (*Interruptions*).

11 08 hrs

At this stage, Shri Bhartruhari Mahtab and some other hon. Members left the House.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, the core of Parliament is the Opposition. This is a well-accepted principle all over the world. In that case, the Opposition should be given more time than the Ruling Party. Therefore, you must allocate more time to the Opposition.

श्री अनंत कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, श्री खड़गे जी एक बहुत अनुभवी सांसद हैं, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं कि हमने एक दिन में चर्चा सम्पन्न की है। मैं सभी आंकड़े पेश नहीं करना चाहता हूँ लेकिन वन डे क्रिकेट के जमाने में 5 दिन का टैस्ट खेलना ठीक नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस पर समय बर्बाद न करें। आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्रिकेट की कोई बात नहीं है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing, other than what I am saying, will go on record.

...(Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष : मैं जो बात बोलूंगी, केवल वही रिकॉर्ड में जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्द्रूमाजरा जी, आप बैठ जाइए, कोई नहीं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने खड़गे जी की बात सुनी, आपकी बात सुनी एवं सभी पार्टियों के माननीय सांसदों की बात सुनी है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपने अपना कोई समय सीमा नहीं बांधा है, वह तो केवल भगवान कह सकता है – अनादि मी, अनन्त मी। हम अनन्त तक नहीं जा सकते हैं। कहीं न कहीं समय-सीमा होनी चाहिए। हम ने आपकी बात ध्यान में रखी है, कैसे आप ज्यादा समय चुरा लेते हैं। हम उसे देख लेंगे। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

* Not recorded

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): I beg to move:

“That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers.”

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers.”

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री केसिनेनी श्रीनिवास जी ने रिक्वेस्ट की है कि उनके बदले श्री जैदेव गल्ला जी इस विषय पर बोलेंगे। I have accepted it.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam Speaker, before moving the motion I would like to thank you for finally admitting the No-Confidence Motion and for taking this motion to its logical conclusion, that is debate and voting. I would also like to thank my leader Nara Chandrababu Naidu garu and my colleague Shri Kesineni Srinivas garu for giving me this opportunity to move this motion and to initiate the debate. I would also like to thank the Aam Admi Party, the AIMIM, the CPI, the CPI(M), the Congress Party, the Kerala Congress Party, the NCP, the RJD, the RSP, the SP and the Trinamool Congress and the other parties which have extended their support to us on this motion.

Madam, I was told that a first time MP has never been given the opportunity to initiate a debate on a No-Confidence Motion. So, I feel it a privilege and honour for a first time Member like me to initiate one of the most important debates in the history of the Sixteenth Lok Sabha of the Indian Parliament.

Madam, the latest Telugu blockbuster "*Bharat ane nenu*", which means '*I Bharat*' is a story about a young NRI who returns to India after his father, who was a CM dies suddenly. Bharat enters politics reluctantly and becomes a young, dynamic and beloved CM. The recurring theme in this movie is about trust and Bharat recalls his mother's advice – a promise is a promise and if a man makes a promise and does not keep it, then he does not have the right to call himself a man. It was a blockbuster because the general mood of the

people reflects well in this film. People are tired of empty assurances and unfulfilled commitments.

The saga of Andhra Pradesh during the Modi and Shah regime is just that -- a saga of empty promises and unfulfilled commitments by the Government of India to the residuary State of Andhra Pradesh, a new State with an old name and a population of five crores.

Madam Speaker, non-implementation of an act of Parliament is a national issue. Non-implementation of assurances given by none other than the then Prime Minister on the floor of the Parliament during the consideration of the AP Re-organisation Bill, without which this Bill would not have been passed, is also a national issue. So, it is not prudent to say that the issues of Andhra Pradesh are not national issues. They are certainly national issues and also emotional issues for the people of Andhra Pradesh and today is the Litmus Test for the Parliament on how it ensures the implementation of these and other similar issues.

Madam Speaker, when the President of BJP met the BJP Core Committee members including MPs, MLAs and MLCs from AP on 17th March at Delhi, he declared to wage a war on the Telugu Desam Party. It is not a war between the BJP and the TDP. It is a war between majority and morality. It is a war between the Modi regime and Andhra Pradesh and the five-crore people of Andhra Pradesh. It is a war against discrimination shown by the Modi regime towards Andhra Pradesh. It is a war to honour an Act of Parliament and an assurance made by a Prime Minister in Parliament. It is a war between

the authoritarian Machiavellian attitude of the Modi regime and the rights of the States that make up the federal republic of India. It is a *Dharma Poratam* or *Dharma Yudh*.

I request the House not to construe my views and observations in the narrow sense but to look at them in a larger perspective of how the relationship should have been between the Centre and States under the federal structure.

Madam Speaker, this No Confidence Motion has been brought by the TDP for four reasons, namely, fairness, trust, priority and bias or rather, lack of fairness, lack of trust, lack of priority and lack of an unbiased approach towards Andhra Pradesh. Lack of fairness is about the unscientific and undemocratic bifurcation and its impact on the people of AP. Lack of trust is about where the Modi regime has used misleading, delaying, denying, deflecting, confusing, collusive and coercion tactics to betray the people of AP. Lack of priority is because AP is getting the least priority and lack of unbiased approach is because funds were given to AP are far less than what is being given to other projects across India.

In my speech which reflects the voice of five crore people of Andhra Pradesh, I will be focussing on these four aspects.

With your permission, I will be focussing on the special category status and the financial related issues of AP Reorganisation Act and my colleague, Shri Ram Mohan Naidu, when he will be giving his speech, will focus on infrastructure and institutions in detail. It has been four years since the Bill has been passed and two new States were formed. One is an old State with a

new name and the other is a new State with an old name. Telangana is not a new State. Andhra Pradesh is the new State. All the challenges and burdens to be faced by a new State are being faced by us. We are the ones who have to build the new capital, an industrial base and an educational base while Telangana has all of them already.

It has been four years since we have been put into that challenge but the uncertainty and difficulties date back to several decades. It intensified in the decade leading up to bifurcation and we continue to struggle even after four years of bifurcation with the same uncertainty. So, we need relief from this uncertainty. Instead of providing us relief, the Modi regime is creating more uncertainties and more challenges for us.

I am not going back in history but I will certainly go back to 2014 when AP was divided. We all know how ...^{*}, undemocratically, inequitably, arbitrarily, irrationally and by bulldozing the entire Parliament, the AP Reorganisation Bill was passed. This becomes clear if you look at the range of issues still languishing for resolution even four years later. ... (*Interruptions*) AP was divided in an undemocratic way. In an undemocratic way the Bill was passed in this Parliament. They know it very well as to how it was done. The doors were closed and cameras were off. ... (*Interruptions*)

* Not recorded

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. You speak to me, Shri Galla.
This is not proper. I am sorry.

*(Interruptions) ... **

HON. SPEAKER: You can answer when your turn comes. Shri Galla, you go on.

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, when AP was divided, AP was burdened with a huge revenue deficit of Rs. 16,000 crores.... *(Interruptions)* An amount of Rs. 1.3 lakh crores of loan burden was put on AP. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: This is not proper.

... (Interruptions)

SHRI JAYADEV GALLA : And Rs. 24,000 crores of the undivided loan was put on AP for which interest is still being paid by the Government of AP which shattered our FRBM limits.

Madam, power allocation was made on consumption basis. Andhra Pradesh is the loser. ... *(Interruptions)* Refund of tax liability was made on the basis of population, at 58 per cent for Andhra Pradesh and at 42 per cent for Telangana. ... *(Interruptions)* Andhra Pradesh is the loser again. ... *(Interruptions)* So, we have very limited revenue generation sources. ... *(Interruptions)* Assets had been given on the basis of their location. ... *(Interruptions)* Andhra Pradesh lost Rs. 3,800 crore because of this. ...

* Not recorded

(Interruptions) Singareni Collieries, a Schedule IX company, was given to Telangana with 51 per cent equity. ... *(Interruptions)*

Madam, can you please get the House in order?

HON. SPEAKER: You please address me.

... *(Interruptions)*

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, how can he speak such words? ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Please do not do that. You will get time.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: I will see what he said. Please take your seat.

... *(Interruptions)*

SHRI JAYADEV GALLA : Madam how can one make a speech in this kind of atmosphere? ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Jitender Reddyji, this is not proper.

... *(Interruptions)*

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): If you have your personal agenda, show it somewhere. ... *(Interruptions)* This is not your personal affair. This is a Debate on the No-Confidence Motion and it is for everyone. ... *(Interruptions)* You have to let us speak. You have to let us explain our position. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: No other statement will go on record, except Shri Jayadev Galla's speech.

...(Interruptions)...*

HON. SPEAKER: You will get time. I will give you sufficient time. Please take your seat.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You will get sufficient time. I will see the record.

... (Interruptions)

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, power allocation was made on consumption basis. Andhra Pradesh is the loser. Refund of tax liability was made on the basis of population, at 58 per cent for Andhra Pradesh and at 42 per cent for Telangana. Andhra Pradesh is the loser. So, we have very limited revenue generation sources. Assets have been given on the basis of their location. Andhra Pradesh lost Rs. 3,800 crore because of this. ... (Interruptions)

11 22 hrs

At this stage, Prof. A.S.R. Naik and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

Madam, Singareni Collieries, a Schedule IX company, was given to Telangana with 51 per cent equity. But similar dispensation towards subsidy to APHMEL, which is also a Schedule IX company, has not been given to Andhra Pradesh. Is it equal justice, Madam? ... (Interruptions)

* Not recorded

Madam, pension liabilities from the combined State, divided on the basis of population, at 58 per cent and 42 per cent, has burdened Andhra Pradesh even further. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Jayadev Gallaji, please wait for a minute.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I request all of you to please go back to your seats. You will get time, I assure you. You can reply at that time, but not like this. Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will see whether he has said anything wrong. So, please go back to your seats. आप अपने झगड़े यहाँ न लाएँ ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपके बोलने की बारी आएगी, तो आपको बोलने का समय मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा क्यों होता है? पहले आप अपने लोगों को वापस ले जाएँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर ये लोग वेल में रहेंगे, तो आप भी नहीं बोल सकेंगे। यह क्या है? Let them go back to their seats.

... (*Interruptions*)

11 23 hrs

At this stage, Prof. A.S.R. Naik and some other hon. Members went back to their seats.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Madam Speaker, we cannot tolerate this.

He cannot use that word at all. ... (*Interruptions*) The word, ...^{*} has to be removed from the record. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay.

SHRI JAYADEV GALLA : Hence Madam, I have no hesitation to say that it was not just the Congress alone, but even the BJP, which had supported the Bill without insisting on the UPA Government to make the Bill scientific and equitable, is equally guilty. Both the national parties have crippled Andhra Pradesh.

Madam Speaker, it has been mentioned that even after bifurcation Andhra Pradesh is still better off than some States in the country. This is the reason given to us by the Government on why we are not eligible for certain support like Special Category Status. However, when we compare ourselves, we have to compare with our neighbours. If we live in a home, our families will tend to compare themselves and their standard of living with their neighbours and their neighbourhood. If they have the worst house on the block and least income on the block, they are not going to be happy that they are better off than families who live on the other side of town.

Andhra Pradesh is a Southern State. It was one of four Southern States and now is one of five. The undivided Andhra Pradesh was competing on all parameters with other Southern neighbours. Most of the wealth generated by

* Not recorded

the State was generated from the economic engine of the Capital City of erstwhile Andhra Pradesh, that is, Hyderabad. The wealth that was generated in Hyderabad was generated by people from all over the undivided State of Andhra Pradesh, who came to Hyderabad to settle in their Capital, and to seek their fortunes.

Now, after the asymmetrical bifurcation, Telangana with less population has been given more resources and AP with more population has been given less resources. ... (*Interruptions*), this has created a situation where the Government of AP and the people of AP do not have the resources to ensure that the quality of life is maintained for its citizens.... (*Interruptions*). We have to compare ourselves with our neighbours and therefore, when we look at its impact on the economy, we have to look at it with this lens. ... (*Interruptions*)

Madam, let me just compare a few things for you. When it comes to agriculture, after bifurcation, AP has been reduced to an agrarian State.... (*Interruptions*). 31.77 per cent of its revenue comes from agriculture, compared to 15.3 per cent in Telangana, 11.39 per cent in Tamil Nadu and 11.68 per cent in Karnataka.... (*Interruptions*). When it comes to industry, after the bifurcation, AP reduced its industrial contribution to less than 20 per cent of our GSDP when compared to Telangana's 22 per cent, Tamil Nadu's 31 per cent and Karnataka's 24 per cent.... (*Interruptions*). The All India figure is much higher than AP, which stand at 29 per cent. ... (*Interruptions*). When it comes to services, AP lags even farther behind. It has just 46 per cent of revenue from services, compared to 63 per cent in Telangana, 57 per cent in Tamil

Nadu and 65 per cent in Karnataka. The national average is also ahead of AP at 54 per cent.... (*Interruptions*). This clearly shows that AP is also languishing in services in spite of having a rich talent base. It is due to lack of industrial base; the services sector has also been impacted.

Madam, when it comes to institutions, about 90 per cent of institutions, after bifurcation, have gone to Telangana. AP has been left in the lurch. There is not even a single national institute of repute left in the residual State of Andhra Pradesh. Of course, now, the Government of India has proposed some institutions, but they are also being developed at a snail's pace. The impact of bifurcation is such that despite growing at the fastest pace among the southern States and in the country, the gap between Andhra Pradesh and other southern States in terms of per capita income is clearly visible and if the same treatment is meted out, it will only widen, based on reports.

Madam, when it comes to per capita income, even though the growth rate of AP is much higher than any other Southern State, it is much less. Let me take you to 2014-15 when the growth rate of AP was 13.07 per cent, but the per capita income was the lowest and it stood at Rs. 93,699 per person. Same is the case in 2015-16 and 2016-17. In 2016-17, the growth rate was 13.14 per cent, whereas the per capita income was Rs. 1.22 lakh when compared to Karnataka's Rs. 1.57 lakh, Telangana's Rs. 1.55 lakh - more than 20 per cent lower than our neighbours.

Madam, the then PM Shri Manmohan Singh ji had given six assurances on the 20th of February, 2014 on the floor of Rajya Sabha. They are – special category status for five years, industrial incentives on the lines of other 11 States, assistance to backward districts on the lines of Bundelkhand and KBK districts, amendment for Polavaram to bring seven Mandals back to AP, distribution of assets and liabilities to be completed satisfactorily and revenue deficit between the appointed day and acceptance of the 14th Finance Commission's recommendations, to be compensated in 2014-15 for a 10 month period from June 2014 to March, 2015.

Madam, I want to focus a little bit on special category status because it is a burning issue in our State. Madam, let me first submit the major demand of the people of AP. It is about getting the special category status. I am neither tinkering, nor twisting nor tweaking the facts. My facts are unadorned and I am ready for any challenge that contests the facts that I am going to present. So, before coming to these facts, let me with your permission start my journey from the day AP was bifurcated. Madam, the Congress Party in 2014 sliced Telugu *Talli* into two pieces in a crude, irrational and unscientific way. ... *(Interruptions)*. Shri Narendra Modi while campaigning in AP has rightly said ... *(Interruptions)*

What it this, Madam? ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: You please continue.

... *(Interruptions)*

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, Shri Narendra Modiji, while campaigning in Andhra Pradesh had rightly said, and I quote: "Congress had killed the mother and saved the child. Had I been there, I would have saved the mother too." The people of Andhra Pradesh fell flat for this statement. We were so thrilled when we heard this, and we were determined in our hearts and soul that come what may, we will be with Mr. Modi. We have waited. People of Andhra Pradesh have waited for four long years that Mr. Modi will save the mother. Instead of saving Andhra Pradesh, Mr. Modi, through the Finance Minister, through his Press Conference on 7th March, 2018, announced that no SCS would be given to Andhra Pradesh. The Finance Minister said that if the demand for SCS of Andhra Pradesh is acceded, other States such as Bihar and Odisha will also demand it.

Madam, it is a baseless, frivolous and trivial argument; and I have no hesitation to say that the Finance Minister should know the fundamental difference between the two.

Let me remind this august House that the Union Cabinet conferred SCS on Andhra Pradesh in its meeting on 1st March, 2014 subsequent to the assurance made by the then Prime Minister mentioned earlier. Other States have not been given an assurance by a Prime Minister on the floor of either House of Parliament and or has a Cabinet decision been made in this regard. This is a very dangerous precedent, Madam.

Mr. Prime Minister, do you have any respect for commitments made by your predecessors? Indeed, should you even have a choice? What value does the word of a Prime Minister given on the floor of the House have? Can we believe that if you give an assurance, it will be fulfilled in the future even if you are not around? How can we function as a nation if the word of our Prime Minister given in Parliament is not respected and fulfilled?

Madam, it is not that the BJP was opposed to the Special Category Status when it was in the Opposition. In fact, the BJP, in its 2014 Manifesto for Assembly Elections in Andhra Pradesh, assured that it would give an additional five years of status, that is, 10 years instead of five years that was proposed by the then Prime Minister.

Mr. Prime Minister, in Guntur, in Nellore, in Tirupati, in front of Lord Balaji, you promised to give SCS for 10 years and you also emphasised and appealed to the people of Andhra Pradesh to decide whether they need a Seemandhra or a scam Andhra; that is, do they want to vote for a clean and honest person like Chandrababu Naidu or do they want to have a scam Andhra by voting for the Opposition rival party?... (*Interruptions*)

Mr. Prime Minister, you also said: "I am a person, who will not eat or allow others to eat." "मैं चुन-चुन कर उनसे हिसाब लूंगा"... (*Interruptions*) But to the utter disappointment of the people, you are protecting people like ...* an A1 and A2 accused in Andhra Pradesh and many others. The country is aware

* Not recorded

how many cases on the family members of ... * were dismissed, and tickets were given in the recent Karnataka Assembly Elections. This reflects how serious you are on corruption and on corrupt people... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No names will go on record.

SHRI JAYADEV GALLA : You raised the expectations of supporting and developing Andhra Pradesh only to share with them. Why should we have confidence and trust in you? Now, you are singing a different tune, which people of Andhra Pradesh are keenly observing; and I have no doubt, they would give a befitting reply in the coming elections. I even go to the extent of saying that the BJP will be decimated in Andhra Pradesh the way Congress was if the people of Andhra Pradesh are deceived and cheated.

Mr. Prime Minister, it is not the threat. This is a *shraap*. These are the words coming out of anguish, pain and frustration from the people of Andhra Pradesh. And, how has a Prime Minister, on whom we had immense faith, deceived and betrayed the people of Andhra Pradesh in such a blatant and rude manner? ... (*Interruptions*)

The third point I wish to make is relating to Article 4 of the Constitution. It says that when any State is bifurcated under Article 3 – Andhra Pradesh is divided under this Article – then, supplemental, incidental and consequential measures can be taken by Parliament ... (*Interruptions*)

Even the Supreme Court in Pradip Chowdhury and Mullaperiar cases repeatedly said this. So, the point I am trying to drive at is that the very bifurcation of the State is predicated upon the assurance of 'Special Category

Status'. Therefore, the SCS is supplemental, incidental and consequential to bifurcation. And to say that the 14th Finance Commission has not recommended is a conceptual blunder of the Union Government. So, when it is clearly said in Article 4 that Parliament can do it, the 14th Finance Commission or its recommendations cannot prevent Parliament from doing it even if they had said so.

Madam, the Finance Minister and almost the entire Cabinet have been categorical that the 14th Finance Commission recommended not to confer SCS on any State. Let me disband, dismantle and dismiss this argument at one go.

Two members of the 14th Finance Commission have refuted the argument of the Finance Minister lock, stock and barrel. Shri Govinda Rao and Shri Abhijit Sen gave it in writing that the Commission did not recommend this. Even the Chairman of the 14th Finance Commission Shri Y.V. Reddy *garu* is on record saying that the Commission did not recommend this. Due to paucity of time, let me quote what Shri Govinda Rao, member of the 14th Finance Commission has said on SCS. He said and I quote:

"The additional terms of reference merely stated that the Commission should take into account the resources available to the successor of reorganised States in accordance with the Andhra Pradesh (Reorganisation) Act and the Ministry of Home Affairs notification. That did not require the Commission to deal with the question of according Special Category Status and it did not, therefore, make any recommendation in that regard.

Therefore, the statement in the notification on the special package that "...following the recommendations of the 14th Finance Commission, the class of SCS ceases to exist" is misleading."

Madam, let me give one more example of how the Government of India has manoeuvred through this and denied SCS to Andhra Pradesh. As I said, ministers and officials in the Government are taking shelter under the 14th Finance Commission to deny SCS to Andhra Pradesh. I would like to assert here that the prospective recommendations of various commissions, even if there are any to that effect, cannot be made applicable retrospectively to the past commitments, assurances and decisions. The 14th Finance Commission recommendations are prospective. How can you implement them retrospectively? Here, in this case, it is the decision of the Union Cabinet and it is not an ordinary decision.

In this context, I would like to recapitulate that the Union Government had created a Sub-Group of CMs to address the issue of continuation of Special Category Status to the North-East and to the hilly states which are enjoying the same in the past. Based on the recommendations of the said Sub-Group, NITI Aayog had issued an Office Memorandum on 17th August, 2016, whereby it was decided to continue Special Category Status benefits to those States that were in that category earlier. Subsequently, it has extended the financial and other benefits to them as well. So, they are getting everything that Special Category Status States used to get without the name. So, when we have been

demanding for Special Category Status, your argument Mr. Finance Minister is that the Planning Commission was dismantled and NITI Aayog has no mandate to give SCS to any State. If that is so, how, on the basis of Office Memorandum dated 17th August, 2016, have you extended SCS benefits to all 11 states that fall under Special Category Status? Is it not discrimination and injustice to Andhra Pradesh? Did you not mislead us about the 14th Finance Commission's recommendations? Did you also not state that it will be unconstitutional to go against these alleged recommendations?

Madam, I have one more irrefutable and undeniable truth and proof to present before this august House. I hope that this will open the eyes of the Finance Minister and the Prime Minister. It was on 15th March, 2018, the Minister of Planning, Shri Rao Inderjit Singh, in reply to an Unstarred Question number 2360, in Rajya Sabha, said and I quote, Madam:

“The 14th Finance Commission, in its recommendations, has not made any specific reference not to confer Special Category Status to any State.”

So, hon. Finance Minister, kindly stop misleading the people by twisting facts because it would not work anymore. All the proof is in front of you. You cannot fool all the people all the time.

HON. SPEAKER: How much time do you need now?

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, I still need a lot more time. I need another half-an-hour.

HON. SPEAKER: No half-an-hour; in five minutes, you have to conclude.

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, in the history of No-Confidence Motion, nobody has initiated a discussion for less than one hour. You please see the records. I looked at the records. Not once, has a No-Confidence Motion been initiated in less than one hour. Please do not discriminate us here also. We are tired of this type of discrimination.

माननीय अध्यक्ष: मैं हिस्ट्री नहीं देखती हूँ, आप वर्तमान में बात करो। अपनी बात पूरी करो।

...(व्यवधान)

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, I have given seven facts and justifications as to why SCS should be conferred on Andhra Pradesh. They are:

1. Assurance by none other than the Prime Ministerial candidate, Modi *ji* during 2014 election campaign.
2. Ours is not a demand; ours is to implement the Cabinet decision.
3. BJP Manifesto said that it will give SCS for 10 years.
4. Article 4 of the Constitution clearly and categorically says that if a State is bifurcated under Article 3 then supplemental, incidental and consequential measures can be taken by Parliament.
5. Written views of Members of the 14th Finance Commission and also views of the Chairman of 14th Finance Commission on the Special Category Status (SCS).
6. NITI Aayog has issued Office Memorandum on 17th August, 2016, wherein it was decided to continue SCS to 11 States.
7. The Minister of Planning clearly said that the 14th Finance Commission has never recommended not to confer SCS on any State.

Even the CMs of Bihar and Puducherry have supported granting SCS to Andhra Pradesh. So, with folded hands, I appeal to the Prime Minister and the Finance Minister to please, at least, now, realize and announce Special Category Status to AP.

Madam Speaker, BJP, YSRCP, Congress and now Jana Sena Party in Andhra Pradesh are saying that our CM has taken a 'U' turn and asking for SCS again instead of package.

Let me please go back to 2016. We were demanding for SCS till September, 2016. In September, 2016, the hon. Finance Minister made a statement that Special Package would be given which will be equal, in all respects, to that of Special Category Status. Since then we have been waiting for Special Package. But, even after presenting his final and full Budget, FM did not give even a single penny under Special Package.

When Government of Andhra Pradesh officials came to Delhi to discuss with the Ministry, did the Ministry not say that the Government of India is not agreeable for 90:10 on Externally Aided Projects, Mr. Finance Minister? Instead, they were told that Central- assistance will be provided by way of repayment of loan for EAP projects in the ratio of 70:30, that too, only till 2020, to the extent of Rs. 15,000 crores. And, this too by putting the FRBM under State head and stressing out our borrowing capacity. See, how many conditions you have put on EAP. At a press conference on 7th March, the Finance Minister came with 90:10 formula since he was cornered with facts and figures. I am giving only one example due to paucity of time. If this is how

you deal with Andhra Pradesh, do you really think that people of AP would pardon you, would have confidence in you and would give you votes?

You deceived us into accepting the Special Package by using 14th Finance Commission as an excuse. You did not even bother to give it legislative backing. To add insult to injury, we have not received a single paisa promised in the package.

Since nothing has been done so far on the Special Package, we are demanding to implement the Cabinet decision on Special Category Status to Andhra Pradesh. So, I wish to clarify the critics of our Chief Minister and TDP that we are treading the right path. It is only you who are changing the goal posts for nefarious political gains.

The hon. Finance Minister said that industrial incentives given to other SCSs will no longer exist post-GST implementation, which is completely a misleading statement. Even then, we insisted that whatever industrial incentives that these States get post-GST implementation should be given to AP as well on the lines of the assurance given by the then Prime Minister. But, what AP is given is 15 per cent additional depreciation on new plant and machinery, and 15 per cent additional investment allowance. But, they are given only to backward areas, not to the entire State.

Secondly, it is not exclusively for seven districts of Andhra Pradesh. It is for all the 150 backward districts in the country and they are saying that it is a special incentive for us. What is special in this for Andhra Pradesh when 150 backward districts across the country are getting the same benefit? There is

nothing special. Even after post GST implementation, the SCS States continue to get industrial incentives in line with what they were getting earlier. As per the notification issued in July, 2017, in pursuance of the budgetary support of Rs. 27,000 crore to the existing 4324 units in SCS till sunset period of March, 2027.

Again on 21st March, 2018, the Ministry of Commerce and Industry approved the North East Industrial Development Scheme with the financial outlay of Rs. 3,000 crore to North East States upto March, 2020. The incentives that are given are for capital investment, to access credit, interest incentive, GST reimbursement, IT reimbursement, transport, employment and other incentives. But when we are asking to extend the same to us, the Finance Minister is silent. He is not saying anything about it. Here again, we have been misled and therefore, this promise remains unfulfilled.

Madam Speaker, Section 46(3) of the AP Reorganisation Act talks about special development package for backward districts of Andhra Pradesh. This emanates from the assurances given by the Prime Minister but this assurance has been diluted in the Act. The assurance was to provide package on the lines of KBK districts in Odisha and Bundelkhand in MP and UP. If you look at all the economic and human development indicators, it reveals all the seven backward districts in Andhra Pradesh are closer to SCS States rather than to other Southern States. But the Modi regime has given just Rs. 1050 crore for seven districts for three years period. It is not in line with what has been given to KBK and Bundelkhand under special package. KBK was given Rs. 5,500

crore and Bundelkhand was given Rs. 7200 crore each to UP and MP. If you calculate per capita allocation, it is mindboggling to tell you.

Madam, under the Bundelkhand package, the per head allocation of Rs. 4,115 was made whereas for Andhra Pradesh, the per head allocation is just Rs. 428. It is one-tenth of what was given to the other regions. So, what the Government of India has given to Andhra Pradesh is a pittance. Why are we being given just one-tenth of what was given in Bundelkhand on a per capita basis?

Secondly, BJP is crying foul that we have not spent even this small amount of money. We have spent Rs. 946 crore out of Rs. 1050 crore which is 92 per cent of the allocation and not 12 per cent as claimed by them. We have the UCs to prove that Madam and will be happy to exhibit all of those.

Thirdly, the Finance Minister proposed additional Rs. 350 crore for the special package for these backward districts. RBI released it and transferred it to the State account on 9th February, 2018 but somehow, the PMO has stopped giving clearance to it on 15th February, 2018. So, the funds have gone back to the Reserve Bank of India.

Now, the Government of India has given defence industrial corridor worth Rs. 20,000 crore for Bundelkhand. But in the case of releasing a paltry sum of Rs. 350 crore to our backward districts, the file is languishing in the PMO for six months. Why is this biased and partisan attitude, Mr. Prime Minister? Is this the way you want to help backward districts in Andhra Pradesh? It is a shame. Therefore, this promise also remains unfulfilled.

Madam, we are even deprived in distribution of assets. If you look Sections 50, 51 and 56, there is a huge discrepancy in right to recover tax arrears and sharing of liability or refund of tax arrears. This has resulted in Rs. 3,820 crore loss to Andhra Pradesh. There is a great delay in apportionment of institutions under Section 68 of the Act and the Andhra Pradesh Bhawan is yet to be divided between the two States. ... (*Interruptions*)

Madam, there is a dispute with regard to the quantum of amount between the Government of Andhra Pradesh and the Government of India. The revenue deficit for 10 months, that is, from 2nd June, 2014 to 31st March, 2015, as per the Government of AP, is Rs.16,078 crore. The Government of India released Rs.3,979 crore. Unilaterally taking 'standardised expenditure', the Government of India qualified it at Rs.4,117 crore making the balance to be paid as Rs.138 crore only. But the bone of contention is this. The CAG put the figure at Rs.16,078 crore and approved it also. The Ministry of Finance made its own valuation and somehow put the figures at Rs.7,500 crore without any justification. The PMO reduced it further to Rs.4,117 crore again without any explanation. So, now the FM says he can only give Rs.138 crore pending for us whereas we are waiting for more than Rs.12,000 crore to settle this account. How is it justified?

Secondly, as I said earlier, the Government of India has increased devolution of funds from 32 per cent to 42 per cent. But you also have to remember there are Cesses such as the Krishi Kalyan Cess, the Swachh Cess, the Higher Education Cess and other Cesses. If you look at how much

the Government of India collected through the above Cesses and other surcharges under direct and indirect taxes in 2016-17, it is quite mindboggling. Madam, Rs.2.35 lakh crore has been collected under Cesses. But there is no share for States in these Cesses. So, effectively, it is not 42 per cent but it is somewhere closely to 36 per cent or 37 per cent of funds were actually going to the States.

Madam, the BJP is saying that Rs.22,113 crore has been given to AP alone as revenue deficit. It is wrong. The Fourteenth Finance Commission has also recommended revenue deficit of Rs.4,519 crore to Kerala and Rs.11,716 crore to West Bengal. They are all statutory allocations. But the tragedy is that even after five years of Award period of the Fourteenth Finance Commission, AP is the only State which will remain revenue deficit, except for the 11 Special Category States. So, it is very clear where we belong financially. So, the BJP wanted to equate AP with the North-Eastern States, not willing to bring it on par with the Southern States. How is it justified? Please tell us how this is justified.

Madam, the Government of India says that Rs.8,800 crore worth of EAP projects were approved for Andhra Pradesh. But the Government of India has not issued any guidelines. When the guidelines are not issued, nothing can be spent. So, the Government of AP is paying the interest of Rs.5 crore on approved loans since the guidelines have not been framed. The Government of AP has asked for routing them through the NABARD. But again, you are putting FRBM limits on to AP.

Finally, the Finance Ministry agreed that they could not issue guidelines for EAP projects. So, we have asked for NABARD. Then, they set up an SPV. Is there any history in the country where SPV has been set up for EAPs? We are not aware; we cannot find any such reference to route funds through SPV, and FRBM also will be borne by the State, which further burdens our financial capability. So, it is totally a delay tactic by the Finance Minister....

(Interruptions)

I am sorry, Madam. Facts and figures are very hard to remember. We definitely do need to use papers. On Rs.13,742 crore given to Andhra Pradesh, the hon. Finance Minister and the President of AP BJP Unit, have been trumpeting through Press Conferences that they have given Rs.13,472 crore to Andhra Pradesh. They have also said that they have never given such a huge amount to any other States. Let me explain in a minute what they have given and under which head they have given it.

Madam, they are saying that they have given Rs.13,472 crore. But, actually out of Rs.16,000 crore revenue deficit, they have given Rs.3900 crore. For Polavaram, the project cost is Rs.58,000 crore but they have given Rs.6764 crore. They have given Rs.576 crore for 11 institutions whereas the required amount is Rs.11,672 crore. For the new capital, we need Rs.43,000 crore but we have been given only Rs.1550 crore. We should get Rs.23,000 crore for the backward districts, if you look at Bundelkhand package, but you have given us just Rs.1050 crore. So, the Government of Andhra Pradesh is asking for Rs.1.54 lakh crore, whereas you have given just Rs.13,472 crore.

Hon. Madam, the Government is saying that it is fulfilling all the promises. Giving just two to three per cent of the required funds, is that fulfilment? I ask you, Madam, is it fulfilment? Two to three per cent of the requirement is not a fulfilment. It is a shame to state that they are all being fulfilled.

Now, let me state under which Head and Section you have given us the money. Madam, the revenue deficit has been given to us as mandated under Section 46(2) of the Andhra Pradesh Reorganisation Act. Money has been given for Polavaram as mandated under Section 90 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act. Money has been given for institutions under Section 93 and Schedule 13 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act. Money has been given for new capital as directed under Section 94(3) of the Andhra Pradesh Reorganisation Act. Money has been given for backward districts as directed under Section 46(3) of the Andhra Pradesh Reorganisation Act.

Madam Speaker, they are saying that they have given Rs.13,472 crore. I agree. But they have given it under compulsion as mandated by the Andhra Pradesh Reorganisation Act. So, to say that they have given this money to Andhra Pradesh without mandate is a ridiculous comment. They have given because they are mandated to give, but it is riddled with deceit and, woefully short of being adequate. It certainly builds no confidence and no trust.

Section 94(3) says that financial support for creation of essential facilities in the new capital of Andhra Pradesh would be provided by the Government of India. The estimates were made. Madam, Rs.43,000 crore is

required over a period of five years to construct essential infrastructure in Amaravati. But, the Government of India has given just Rs.1500 crore and now screaming, instead of releasing more money, that the Government of Andhra Pradesh has not submitted Utilization Certificates (UCs) in spite of submitting the same. Madam, out of Rs.1500 crore given by the Government of India, we have submitted UCs for more than that. We have spent Rs.1583 crore.

Madam, Rs.3500 crore is the cost for Sardar Vallabh Bhai Patel statue in Gujarat. Similarly, Rs.3000 crore is the cost for Chatrapati Shivaji statue in Maharashtra. But you have given us Rs.1500 crore to build an entire capital. I am not saying that you should not give that money. It is fine, whether sources are from the Government or somewhere else. But the fact is that statues are getting more funding than the entire capital city of Andhra Pradesh.

Madam, the Prime Minister is constructing Dholera city in Gujarat. It is 80 km away from Ahmedabad. Dholera would be twice the size of Delhi, which took 1000 years to grow to what it is now. Dholera proposed to be six times bigger than Shanghai. Is it wrong for the enterprising people of Andhra Pradesh to dream of having a world class capital?

Secondly, the Prime Minister is on record saying that if voted to power, he would build us a capital bigger and better than Delhi itself. Madam, he said that in front of Lord Balaji. He himself advised our Chief Minister to visit Asthana, the capital of Kazakhstan. Is it not true, Mr. Prime Minister? Madam, I wish to bring to your notice and to the notice of the House that an amount of 68

billion dollars has been spent in building the capital of Kazakhstan, Asthana. How can Amaravati be built with Rs.1500 crore?

Thirdly, the Government of Andhra Pradesh pooled 33,000 acre of land through pooling method, which is one of its kind in India, the value of which is more than Rs.50,000 crore. More than 30,000 farmers have given up their land and they are counting on our Government and the Government of India to take care of their investment that they have made by giving us their land and protecting their lives and protecting their future.

12 00 hrs

These 30,000 farmers are at risk not only here but in all the projects where land has been taken. They are all suffering because of lack of funding. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, your half-an-hour is also completed. You have to complete within five minutes. I am sorry.

... (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, we did not start until 11 15 hours. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have given you enough time.

SHRI JAYADEV GALLA : We did not start at 11 o'clock. It is only 12 o'clock now. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please listen to me. You asked me to give you half-an-hour more. I have already given it to you. Now, you wrap up.

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, please give me ten minutes.

Thirdly, for Navi Mumbai, they are giving 48,000 acres to ease the pressure on Mumbai. Now, the Opposition Parties are criticising as to why we should have 33,000 acres, but the moot point is: What are you doing to those farmers who sacrificed their land for the Capital.

Madam, Amravati has been given Rs. 2,500 crore, but out of this, Rs. 1,000 crore were given to Vijayawada and Guntur for underground drainage systems. When the underground drainage system in my city of Guntur, which is a small town, itself costs Rs. 1,000 crore, can we build a world-class Capital for Rs. 1,500 crore? It is ridiculous!

Madam, for drainage 32 per cent work has been completed and UCs have been submitted for 32 per cent of the work for the UGD. These are all the copies of the UCs. We will be happy to submit them to whoever wants to take a look at them. It is a four-year work. In one-and-a-half years, we have completed 32 per cent work. We have submitted UCs for works to the tune of Rs. 330 crore for UGD in Guntur. The BJP is saying that only eight per cent has been spent. It is wrong. This can be checked with the Public Finance Management online software in the Finance Ministry. It is there for all to see.

Even for backward districts, out of Rs. 1,050 crore, we have spent so far Rs. 946 crore and submitted UCs. Moreover, AP is listed as the third best State in the country for submitting UCs. We have spent 92 per cent funds. The BJP says that only 12 per cent funds have been spent so far. It is wrong. Raising the bogey of UCs and suspecting and unnecessarily tarnishing the image of our Chief Minister is not acceptable.

Recently, Rs. 350 crore have been recommended afresh by the Finance Ministry and the RBI released it on February 9, 2018, but the PMO stopped giving clearance on 15th February. So, the funds have gone back to the RBI.

As I said earlier, through the AP Reorganisation Bill, both the national parties have played havoc with its provisions and its wording. This was the strategy of the Congress to leave room in the wording to legally back out of the commitments at a later date and the BJP, instead of opposing this, supported these words when the Bill was passed. Now, the BJP is using these flexibilities to claim that they are doing everything legally required – I am sure that this term will come up again and again in their speeches – as in the case of Railway Zone, steel plant and Metro, which will never see the light of day.

The Act uses the ambiguous terms interspersed with words like examine, feasibility, provisional estimate, deliberately to have an escape route without binding them to fulfil the commitments and assurances of the Act. We demand that the provisions of the AP Reorganisation Act should be fulfilled in letter and spirit, without taking shelter under these ambiguous words. The point I am trying to drive at is that whatever has been given, it has been given as mandated by the AP Reorganisation Act or as per the award of the 14th Finance Commission, which has also been given to other States. So, there is nothing special or exclusively given for AP.

In the discussion on last Budget, I made a comment that specifically for AP, we received Rs. 1,800 crore, which is less than the collections of the Bahubali cinema that is famous in India. So, it is not charity; it is mandatory.

You have not shown any magnanimity or showered your blessings on us in the form of additional allocations. It is the mandate given to you by the Act and the Commission. Any Government at the Centre has to do it and you have not given us a single penny as a part of any of the assurances given by the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, on the floor of Rajya Sabha. This is what the people of AP are demanding.

While we are asking to implement the assurances, the FM and ...* former Head of AP BJP, are telling what they have given under AP Reorganisation Act.

HON. SPEAKER: Nobody's name will be taken like this. I am sorry. No, that will not go on record.

SHRI JAYADEV GALLA : When we are asking about assurances, they are talking about AP Reorganisation Act. When we talk about meagre allocations given under various provisions of the AP Reorganisation Act, they say that thousands of crores were proposed under various projects. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, you have to conclude.

... (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : If we ask one thing, they reply another thing. This hit and run won't work anymore. We are not asking them to deposit Rs. 15 lakh in the bank account of every citizen in Andhra Pradesh. We are demanding only our rights.

* Not recorded

I am skipping infrastructure points. They will be taken up by Shri Ram Mohan Reddy. Let me take up the escalation process. The TDP waited for four long years and five Budgets of the Central Government. No justice has been done to the State of Andhra Pradesh. We have been requesting, forcefully requesting, demanding, protesting and finally threatening and walking out of the Government and the NDA. Our two Ministers resigned from the Cabinet.

In order to bring our issues to the attention of Parliament, which decided the fate of Andhra Pradesh in 2014 by bifurcating the State unscientifically and in an undemocratic manner, as a last resort we decided to disrupt Parliament, which is a part of democratic process. ... (*Interruptions*) I am not saying anything undemocratic. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Galla, now conclude.

... (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : It was done in most undemocratic manner. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER : Shri Rakesh Singh.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER : Shri Galla, complete your speech. I have taken the name of Shri Rakesh Singh.

... (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : These decisions were not taken in a hurry. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Jayadev Galla, conclude now by thanking the Chair.

... (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : The 14th Finance Commission is taken as a shield for not giving SCS. The GST is taken as a shield for not giving industrial incentives. Paltry funding will take 20 to 30 years for completing the institutions. The Modi regime has been saying that they are still evaluating the railway zone, studying feasibility of the Integrated Steel Plant at Kadapa, apart from other issues.

While we were protesting against the Government to deliver their promises, the BJP has been delaying, misleading, and colluding with our rival parties in Andhra Pradesh and it has encouraged them to attack the TDP. While the TDP MPs are on the watch list, the YSRCP MPs are on the guest list of the ... * ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have completed. I have taken the name of Shri Rakesh Singh.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Galla, you will speak only one sentence and conclude. Only say 'thank you chair and I am concluding'.

... (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, give me just one minute. ... (*Interruptions*)

* Not recorded

HON. SPEAKER: No, conclude within half a minute.

... (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : Madam, ' from the State of AP', we have become the 'residuary State of AP'. We are not asking to turn the clock back. We are only asking you to do justice to Andhra Pradesh.

In conclusion, I would like to say that it is quite relevant and necessary to quote what Sardar Vallabhbhai Patel said: He said: "It will be a folly to ignore realities; facts take their revenge if they are not faced squarely and well."

This quote exactly suits Andhra Pradesh. And I am sure the Prime Minister, the President of the BJP and the Finance Minister will realise that it will be folly to ignore realities because facts and truth will take their revenge.

Hence, I demand from the Prime Minister to at least give a hand-holding to structurally defective State of Andhra Pradesh by conferring Special Category Status. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Thank you Galla ji.

Shri Jithender Reddy, I will look at the records.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will see to it.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Shri Rakesh Singh.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will go through the records, but not now.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष :आपको बोलने का मौका मिलेगा। ऐसे मत कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI A .P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, kindly give me a minute to speak on this particular issue. ... (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बोलने की अनुमति दी है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रेड्डी जी, मैं आपको बोलने का समय दूंगी, हर कमेंट पर ऐसे नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक सैकिंड में बताएं कि क्या कहना चाहते हैं?

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : In 2009, the TDP has given a letter to the President of India stating that the bifurcation should happen. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अभी वह बात मत करो। आप अपने भाषण में बाद में बोलिये। आप अपने भाषण में हर चीज का उल्लेख कीजिए।

श्री राकेश सिंह।

... (व्यवधान)

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैं बैठ जाऊंगा, आप मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है। आपको समय मिलेगा, तब बात कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Not only that, after 14 years of struggle, even the Congress was satisfied and the BJP was satisfied about it, and the Lok Sabha had passed it. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : हर बात का उत्तर देंगे?

... (व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, हमें गर्व है कि भारत का लोकतंत्र विश्व में एक परिपक्व और अनुकरणीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है।

SHRI NARAMALLI SIVAPRASAD (CHITTOOR): ... * ... (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह : देश का संविधान बनाने वालों ने संविधान की रचना करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा है।... (व्यवधान)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):

Madam Speaker, I object to that statement going on record. ... (*Interruptions*)

He takes the name of the Prime Minister. ... (*Interruptions*) It is not right. ...

(*Interruptions*) I am sorry. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is it about?

... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : You would have to take that statement

back. ... (*Interruptions*) It is not right. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Who has said it?

... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : It should be expunged, Madam. ...

(*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF

PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, he should

apologize. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : How can he speak like that about the

Prime Minister? ... (*Interruptions*) I am sorry, Madam. ... (*Interruptions*) He

used the word ... * (*Interruptions*)

* Not recorded

HON. SPEAKER: I will see to it, and I will expunge it.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड में नहीं है। I do not know about it.

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R .K. SINGH): Madam, he should be expelled from the House. ...

(*Interruptions*) He should be thrown out of the House. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अगर रिकॉर्ड में है तो एक्सपंज कर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : माननीय प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अनापशनाप नहीं बोल सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रिकॉर्ड में कुछ नहीं गया है। अगर है तो तुरंत एक्सपंज कर दूंगा। यह गलत बात है।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आप रिकॉर्ड निकालिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसे देख लूंगी। अगर कुछ है तो एक्सपंज कर दूंगी।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, देश का संविधान बनाने वालों ने संविधान की रचना करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सरकारों के गठन की प्रक्रिया और निरंतरता के साथ देश का लोकतंत्र मजबूत होता रहे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रेड्डी जी, आपको समय दिया था, ऐसे नहीं होता है। मैं देख लूंगी, अगर कुछ गलत बोला है तो एक्सपंज करूंगी।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Madam, it should be expunged. ...

(Interruptions) This is totally unacceptable. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: I will go through everything and expunge it.

... *(Interruptions)*

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : This is the same tone in which that was spoken earlier. ... *(Interruptions)* It is the same type of words that he had used

earlier. ... *(Interruptions)* Kindly give me a minute to speak. ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितेन्द्र जी, क्या हर बात पर बोलेंगे?

...(व्यवधान)

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : माननीय अध्यक्ष जी, 14 साल की विगर्स वेट के बाद, इतने बच्चे मरने के बाद हमने कांग्रेस को कन्विंस किया, बीजेपी को कन्विंस किया, दोनों ने लोक सभा और राज्य सभा में यह बिल पारित किया। How can it become an undemocratic Bill or an unscientific Bill? ... *(Interruptions)* So, those two words have to be removed from the records of the House. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Yes, I will see to it.

... *(Interruptions)*

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Those two words have to be removed from the records. ... *(Interruptions)* Thank you. ... *(Interruptions)*

श्री राकेश सिंह : महोदया, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम चर्चा निर्बाध रूप से कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मैं भी उम्मीद करती हूँ कि कोई अपने शब्दों का यूज करते समय बार-बार ऐसी बात किसी को नहीं कहे, ठीक-ठीक शब्द यूज करे।

श्री राकेश सिंह : महोदया, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर देश में लोकतंत्र की परिपक्वता बनी रहेगी तो देश में विकास की निरंतरता और सुधार की प्रक्रिया भी उसके साथ-साथ चलती रहेगी। हमारे लिए देश में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हमारी सरकार नहीं है, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि किए गए कार्यों के आधार पर और विश्वसनीयता के आधार पर, जनता जिस भी दल की सरकार बनाए, उसको काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए...(व्यवधान) इसलिए हमारे लिए लोकतंत्र के मायने देश में दूसरे राजनीतिक दलों का गला घोटना नहीं है और न ही विकास के कार्यों को अवरुद्ध करना है। इसीलिए जब देश में आपात काल लगा तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया था। यह एक अलग बात है कि इस विरोध के कारण देश में उस समय हमारे साथ-साथ अनेक ऐसे गैर-कांग्रेसी दल हैं, जिनको जेल की यातनाएं भुगतनी पड़ी थीं। हमारे कई कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा और कई परिवार बर्बाद हुए, लेकिन जेल की उन यातनाओं से संघर्षों से हमने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि देश के नवनिर्माण का हमारा हौसला अभी कम नहीं हुआ है, बल्कि तेजी के साथ आगे बढ़ा है।

महोदया, देश में कई बार इसी सदन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव आए, लेकिन इस बार का अविश्वास प्रस्ताव हर बार के अविश्वास प्रस्ताव से एकदम भिन्न है। अभी जब मैं गल्ला जी को सुन रहा था तो मुझे लगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई भी ठोस कारण नहीं है। जिन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है, उस समय पर कांग्रेस की सरकार केन्द्र में थी और आज वह कांग्रेस के साथ खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन और अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि बिना किसी कारण के, देश में अच्छे काम करने वाली सरकार, जिसकी विश्वसनीयता पूरे देश और पूरे विश्व में है, के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अभी गल्ला जी कह रहे थे कि वह श्राप दे रहे हैं। गल्ला जी, आप तो वैसे ही शापित हो गए जैसे ही आप कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो गए। हम कैसे भूल सकते हैं कि अभी-अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी को पूरे देश ने रोते हुए देखा है और उन्होंने कहा कि वे जहर का घूंट पी

रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर नहीं चाहता, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि यह जहर का घूंट अविश्वास प्रस्ताव में साथ खड़े हुए किन-किन राजनीतिक दलों को पीना पड़ेगा।

महोदया, यह कभी नहीं हुआ कि देश में इतने भारी बहुमत के साथ कोई गैर-कांग्रेसी सरकार बनी हो। यह वह सरकार है जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के 282 और एनडीए के कुल 336 सांसदों की संख्या के साथ, देश के करोड़ों लोगों की आशा और विश्वास के साथ बनी है। इसके बाद भी, इतने भारी बहुमत से चुनी हुई और बनी हुई सरकार के खिलाफ देश के कुछ राजनीतिक दलों का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, वह भी ऐसे राजनीतिक दलों का, जो राजनीतिक और वैचारिक रूप से हमेशा से एक-दूसरे का पुरजोर विरोध करते रहे हों।

यह साबित करता है कि कांग्रेस को आज भी एक ही परिवार से बनी हुई सरकार के अलावा देश में कोई भी दूसरी सरकार स्वीकार नहीं है। ... (व्यवधान) महोदया, आज़ादी के बाद के 70 सालों में ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): यह डॉयलॉग तो प्राइम मिनिस्टर साहब का है। ... (व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : यह बिल्कुल ठीक है और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि वास्तव में यह जो अविश्वास प्रस्ताव है, यह देश समझ नहीं पा रहा है कि अलग-अलग राज्यों में अपने खिसकते हुए जनाधार को बचाने की कोशिश है या वर्ष 2019 में देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किये गये कार्यों के आधार पर जो विजय की यात्रा चल रही है, उसको रोकने की असफल कोशिश है। लेकिन इसका जवाब देश की जनता आने वाले समय में देगी। आज़ादी के बाद के इन 70 सालों में से 48 साल तक कांग्रेस के एक ही परिवार का शासन रहा है। ... (व्यवधान) मैं बता रहा हूँ। आप सुनिए। नेहरू जी- 17 साल, इंदिरा जी- 16 साल, स्वर्गीय राजीव जी- 5 साल और उसके बाद मनमोहन सिंह जी जिसका क्रेडिट भी मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी को ही देना चाहूँगा। उनके दस साल हैं। कुल मिलाकर आज़ादी के बाद के 48 साल हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। केवल राकेश सिंह जी का भाषण रिकार्ड में जाएगा।

... (Interruptions)* ...

माननीय अध्यक्ष : राकेश सिंह जी, आप अपनी बात करिए।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, खड़गे जी, क्यों इतना बैचेन हो रहे हैं, मुझे पता नहीं है।

...(व्यवधान) खड़गे जी, आप इतना बैचेन क्यों हो रहे हैं? इसी परिवार के कारण कर्नाटक में आप मुख्य मंत्री का चेहरा नहीं बन पाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बार-बार क्यों खड़े होते हैं? मुझे आपके लिए ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन इस सदन के भीतर खड़े होकर आज हम कह सकते हैं कि इन 48 सालों में कांग्रेस ने स्कैम्स की राजनीति की है और मात्र इन 48 महीनों में देश में हमने स्कीम्स का सुशासन दिया है। ...(व्यवधान) महोदया, ये सारे के सारे स्कैम्स जैसे तो देश के माथे पर एक काले दाग की तरह हैं, फिर चाहे वह कोल स्कैम हो, टूजी स्कैम हो, टैट्रा ट्रक स्कैम हो, कॉमन वैलथ स्कैम हो, आईपीएल स्कैम हो, अगस्तावैस्ट लैंड स्कैम या ऐसे अनेक कभी न समाप्त होने वाले स्कैम्स की एक श्रृंखला है और हमें यह कहते हुए अत्यंत दुख होता है कि ऐसे हर स्कैम के साथ पूरी दुनिया के सामने भारत का सिर शर्म से बार-बार झुका है।

महोदया, भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से की पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस बात का इंतजार करते हुए बीत गई कि विकास की किरण कभी उनके द्वार पर आएगी। पिछले 60-70 सालों में गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लगे लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, देश की मुख्यधारा से गरीब को ही हटना

* Not recorded

पड़ा क्योंकि समाज का भावनात्मक शोषण करने का जो हुनर कांग्रेस को आता है और जो कांग्रेस के मित्रों के पास है, हम ऐसा मानते हैं कि उस हुनर का अनुसरण देश के किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। ... (व्यवधान)

महोदया, इससे बड़ा हुनर और क्या हो सकता है कि जहां एक ओर कांग्रेस देश के संविधान निर्माता, बाबा साहेब अंबेडकर जी का तिरस्कार करती रही, उनको चुनाव हराने का षडयंत्र करती रही, वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब ने जिस शोषित, पीड़ित समाज के लिए सारा जीवन जंग लड़ा, कांग्रेस उनका रहनुमा बन कर उनके वोट बटोरती रही।

अध्यक्ष महोदया, अभी हम ने कहा कि स्कीम्स का सुशासन दिया है। आज हम इस सदन में खड़े हो कर गर्व के साथ कह सकते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में 70 सालों में योजनाएं अगर वास्तविकता के धरातल पर पहली बार उतरी हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो वर्तमान सरकार में, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है।

महोदया, जब आज हम इन योजनाओं की बात करते हैं तो देश में गरीब के चेहरे पर खुशी की एक चमक दिखाई देती है। वह उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जन-धन योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हो, मुद्रा योजना हो या कौशल विकास योजना हो, ये सारी योजनाएं ऐसी हैं, जिनके परिणाम की गूंज आज केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनाई देती है। इसके भी अनेक कारण हैं। कांग्रेस ने अपने शासन काल में देश में जनता को वोट बैंक के रूप में बांट कर रखा था। इसीलिए...* ने उस समय यह वक्तव्य दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, लेकिन मुझे इस सदन में खड़े होकर यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस देश के संसाधनों पर पहला

* Not recorded

हक देश के गरीबों का है। यह कह कर देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के विकास को एक नई दिशा दी है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने बोला है कि किसी का नाम न लें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो यहां उपस्थित नहीं हैं किसी का नाम नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, nothing will go on record.

... (Interruptions)...

श्री राकेश सिंह : महोदया, सारा जीवन वैचारिक धरातल पर विरोध करने के बाद कांग्रेस के साथ इस तरह से आकर खड़ा होना, देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी एनडीए की सरकार और उसकी शासन व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि जाति, समाज और धर्म, इन सबसे ऊपर उठ कर, देश में बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों को सरकार का सहारा मिले, इसके लिए सरकार ने जो मंत्र दिया – ‘सबका साथ – सबका विकास’, यह भी इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है। ... (व्यवधान) इसीलिए आज पूरी दुनिया कहती है कि अब भारत में योजनाएं भेदभाव पर आधारित नहीं हैं, बल्कि जनता की जरूरतों के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनकी पूर्ति हो रही है। इसलिए आज देश कहता है कि पहले की सरकारों के शीर्ष नेतृत्व बेल पर थे, केन्द्रीय मंत्री जेल पर थे। इसलिए देश इस बात को कहता है, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश को दागदार सरकार दी है। हमें यह कहते हुए गर्व है कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश

* Not recorded.

को भारतीय जनता पार्टी ने साफ-सुथरी और दमदार सरकार दी है। यह साफ सुथरी और दमदार सरकार ही है, जिसके कारण प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी योजना का जन्म हुआ है। अभी तक देश में दो करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए आवासों का निर्माण हो चुका है।

आप प्रधान मंत्री जी के संकल्प की ताकत देखिए कि वर्ष 2022 तक इस देश के हर गरीब के सिर पर पक्का मकान और पक्की छत होगी, यह घोषणा भी देश के प्रधान मंत्री ने की है।

अध्यक्ष महोदया, लोकतंत्र में देश की सरकारें इस बात के लिए जिम्मेदार होती हैं कि देश के प्रत्येक राज्य के साथ बराबरी का व्यवहार हो और उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें सुविधाएं मिलें। हम सभी राज्यों के लिए बराबरी का व्यवहार रखते हैं। किसी एक राज्य की मांग के आधार पर, राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर पूरे देश के हित का बलिदान नहीं दिया जा सकता है। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं, हम इस बात का प्रमाण हैं और इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि यूपीए सरकार के समय मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री को सड़कों के गड्ढे भरने के लिए और कोयला लेने के लिए उपवास करना पड़ता था। आज कम से कम देश में इस तरह की परिस्थितियां तो नहीं हैं।

मैंने उज्ज्वला योजना की बात कही है। देश में पहले की सरकारों ने यदि महिलाओं के स्वाभिमान, सम्मान और स्वास्थ्य की थोड़ी-सी चिंता की होती, तो देश की गरीब महिलाओं को चूल्हा फूंककर अपना स्वास्थ्य खराब करते हुए जीवन काटना नहीं पड़ता। देश में हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय किया और उज्ज्वला योजना बनाई। आज देश में आठ करोड़ ऐसी गरीब माँ-बहनों का सम्मान होने जा रहा है, जिनके बारे में पहले कभी विचार नहीं किया गया। 4,78,10,000 से ज्यादा माताओं और बहनों के चेहरों पर हर्ष और उल्लास की चमक दिखाई देती है, जो उज्ज्वला योजना से उत्पन्न हुई है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि देश की आजादी के 70 साल बाद भी देश में 18 हजार से ज्यादा गांव अंधकार में डूबे हुए थे। देश के प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को लाल किला की प्राचीर से ऐलान किया था कि 1000 दिन के भीतर देश के उन सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी, जहां बिजली नहीं है। मुझे यह कहते हुए गर्व है

कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लक्ष्य से 12 दिन पहले ही उन सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई।

महोदया, कांग्रेस के मित्रों को उन गरीबों के बारे में भी विचार करना चाहिए, जिनके घरों में आजादी के 70 साल बाद भी दीपावली के दिन भी बिजली का बल्ब नहीं जला। हमारे प्रधान मंत्री जी के दिल में उन गरीबों के प्रति दर्द था, जिसकी वजह से मात्र चार साल के भीतर देश में सौभाग्य योजना के माध्यम से उन चार करोड़ घरों में से अधिकतम घरों में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया। यह बिजली केवल उनके घरों के लिए ही नहीं है, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की आंखों के लिए है, उनकी चमक के लिए है, उनके भविष्य के लिए है, जिनके बारे में पहले की सरकारों ने कभी विचार नहीं किया और इसीलिए आज उनके भीतर एक नई रोशनी की किरण दिखाई देती है, एक नई उमंग और उत्साह दिखाई देता है। देश के गरीब आदमी को 70 साल तक इस बात की प्रतीक्षा करनी पड़ी कि गरीबी और बीमारी का मुकाबला करने में कभी कोई सरकार उनकी मदद कर पाएगी या नहीं। लेकिन चार साल के भीतर आयुष्मान योजना के माध्यम से हमारी एनडीए की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह साबित कर दिया कि देश के ऐसे हर गरीब को, जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज हमारी सरकार देगी। यह कहते हुए भी हमें हर्ष हो रहा है कि यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जो इस देश के प्रधान मंत्री ने देश के गरीबों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भ की है। हमने तो गरीब को एड़ियाँ रगड़कर सिसक-सिसक कर मरते हुए देखा है और उसके बाद उनके परिवार को बरबाद होते हुए देखा है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के भीतर का दर्द उन गरीबों के लिए था कि मात्र एक रुपये प्रति माह देकर उन्हें दो लाख रुपये का प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसा कवच दिया। मात्र 90 पैसे प्रति दिन में जीवन-ज्योति बीमा योजना जैसा सुरक्षा कवच उन्हें दिया गया। आज हम उन परिवारों से पूछें, जिन्हें चार लाख रुपये की राशि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद मिली है। झोपड़ी में रहने वाले वे गरीब, जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, जब चार लाख रुपये उनके परिवार को मिलता

है तो वे दोनों हाथों से देश के प्रधान मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद देते हैं।

कभी भी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि एक तो गरीबी, ऊपर से बीमारी। जैसे-तैसे इलाज की व्यवस्था हो जाए, तो दवाइयाँ कैसे खरीदें। यह भी माननीय प्रधान मंत्री जी की ही संकल्पना थी कि प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र खोले गए, जिनके माध्यम से आज गरीबों को बहुत कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। 3,000 से ज्यादा जन औषधि केन्द्र देश भर में खोले जा चुके हैं।

कांग्रेस के एक ही परिवार के 48 वर्षों के कार्यकाल में देश को स्वच्छता के मायने कभी समझने नहीं दिया गया। 'शौचालय' शब्द का प्रयोग करने में उनको शर्म महसूस होती थी, जिसका दुष्परिणाम देश की माताएँ-बहनें भुगत रही थीं। लेकिन, आज प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता को एक नया आयाम दिया गया है, जो धीरे-धीरे भारतीयों के स्वाभिमान और अभिमान का हिस्सा बन रहा है। आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिसे आप कभी महसूस नहीं कर सके, वहीं देश के 415 जिलों के लगभग चार लाख गाँव आज खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।

अनेक पत्र-पत्रिकाओं और लेखों में हम सभी को पढ़ने को मिलता है कि कांग्रेस की सरकारों के समय पर फाइलें, पहले अटकती थीं, फिर लटकती थीं, उसके बाद फटकती थीं। इस लटकने, अटकने और भटकाव के पीछे कुछ विशेष कारण हुआ करते थे। उन विशेष कारणों की पूर्ति के बाद ही वे फाइलें आगे बढ़ा करती थीं। मेरे पास इस बात का प्रमाण है। मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर के ब्रॉडगेज लाइन के प्रोजेक्ट की फाइल 20 वर्षों तक केवल पर्यावरण मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच में अटकाव, लटकाव और भटकाव में उलझी रही। लेकिन, जैसे ही केन्द्र में हमारी सरकार बनी, माननीय मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, तो मुझे आज यह कहते हुए गर्व है कि केवल इन चार वर्षों में 20 वर्षों से लटकी हुई वह परियोजना आज पूर्णता की स्थिति में आ चुकी है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): अटल जी के जमाने में भी फाइलें अटकती थीं।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : महोदया, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा तत्काल निर्णय लेने की जो परम्परा बनी है, यही कारण है कि देश में विकास की गति इतनी तीव्र दिखायी दे रही है। इस बात को समझना होगा। पूरा देश आज इस चर्चा को देख रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के क्या मायने हैं? किस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? पहले की सरकार के समय, आपकी सरकार के समय में जहाँ एक दिन में मात्र 12 किलोमीटर सड़कें बनती थीं, आज एक दिन में 27 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। सब कुछ वही है। लोग वही हैं, एजेंसियाँ वही हैं, काम करने वाले लोग वही हैं। लेकिन यदि कुछ बदला है, तो भ्रष्टाचार के स्थान पर प्रामाणिकता के साथ समर्पित भाव से प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का संकल्प बदला है। इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले ही देश ने इस बात को जाना कि भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा। यह मात्र किसी देश की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि पूरी सक्षमता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यह देश भीतर और बाहर दोनों तरफ से विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। इसीलिए आज देश के लोगों की आँखों में एक विश्वास और एक चमक दिखायी देती है।

यह इस बात का प्रमाण है कि विशुद्ध रूप से इस्लामिक देश 'सऊदी अरब' में भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में मंदिर के निर्माण को स्वीकृति मिल रही है। यह भारत के इतिहास की कोई छोटी घटना नहीं है। ... (व्यवधान)

मैं अपनी बात को करेक्ट करना चाहता हूँ। वह देश 'यू.ए.ई.' है। लेकिन, एक इस्लामिक देश में हमें यह मिल रहा है, यह पहली बार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदया, इन सब के बाद भी भारत और चीन के बीच डोकलाम जैसा विवाद होने के बावजूद भी जब सेनाएं पीछे हट जाती हैं, तब भी क्या हमको देश के बदलने का अहसास नहीं होता? सीमाओं पर तैनात हमारे जवान जब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन की सीमाओं के भीतर उन्हें सबक सिखाकर लौटकर आते हैं, तब क्या हमें पहली बार देश की सेनाओं के ऊँचे

मनोबल के कारण का अहसास नहीं होता? विश्व योग दिवस के रूप में जब पूरी दुनिया में भारतीय ज्ञान की पताका और ध्वज लहराता है, तब भी क्या हमें पूरे विश्व में भारत के बढ़ते हुए सम्मान का अहसास नहीं होता?

महोदया, आज देश आश्चर्य में है कि इस सब के बावजूद भी सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों आ रहा है? कल तक जो लोग देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विरुद्ध अमेरिका को पत्र लिखकर भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, आज वही लोग जब अमेरिका के राष्ट्रपति को वहाँ मोदी जी के मित्रवत सम्मान के लिए प्रोटोकॉल तोड़ते हुए देखते हैं, तब उन लोगों की कुँठा और अवसाद का कारण हमें समझ में आता है।

महोदया, लेकिन केवल कुछ लोगों की कुँठा और अवसाद के कारण देश के विकास को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। इस बात को हम सब को समझना होगा। यह अविश्वास प्रस्ताव देश में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के विरोध में नहीं है, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा, भविष्य की इस मजबूत संभावना के कारण है कि देश में 2019 में एक बार फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार बनने जा रही है। इसी हताशा और कुँठा ने इस विश्वास प्रस्ताव की नींव रखी है।

महोदया, हमारे विपक्ष के साथी हैरान और परेशान हैं। आजादी के 70 साल बाद तक देश के अन्नदाता यानी हमारे किसान भाइयों को आश्वासन देकर वोट तो लेते रहे, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं सके। देश के अन्नदाता की आमदनी बढ़े, इस दिशा में कोई भी प्रयास पहले की सरकारों के द्वारा नहीं किए गए। यह पहली बार हुआ है। जब हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई थी, तब यह कहा गया था कि देश के अन्नदाता की आमदनी बढ़े, जिससे किसान समृद्ध हो, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। आज हमें यह कहते हुए गर्व है कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, वह मात्र चार सालों के भीतर इस देश के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हुआ और देश के किसानों को उनकी उपज का डेढ़ गुना दाम मिला। यह सरकार ने फैसला कर के दिखाया है।

महोदया, मुझे याद आता है कि फसल बीमा योजना पर सवाल खड़ा करने वाले हमारे काँग्रेस के साथी आज इस बात को लेकर परेशान हैं कि फसल बीमा के दायरे में आज देश का 40 प्रतिशत किसान आ गया है। इस योजना की आबंटन की राशि नौ हजार करोड़ रुपये को पार कर रही है। हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि देश के जिन पूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेने में हमारे काँग्रेस के साथियों को संकोच होता है, उनके दिए हुए नारे 'जय जवान, जय किसान' को साकार करने का काम आज अगर कोई कर रहा है, तो हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। फिर काँग्रेस हताश क्यों हैं?

महोदया, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का क्या मतलब है, देश ने इस बात को आज भली-भांति समझ लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का मतलब है विकास, देश के गरीबों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान और महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान। जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ प्रदेश और समाज के भीतर जो सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, उसी के कारण एक के बाद एक 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश के भीतर है। नॉर्थ-ईस्ट के बारे में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। आज नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को पहली बार लग रहा है कि वे इस भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वहाँ लगातार विकास की धारा प्रवाहित हो रही है।

महोदया, जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करते हैं, तो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ मैंने अभी 19 राज्यों की बात की है। मैं उनमें से तीन प्रमुख राज्यों की बात जरूर करना चाहूँगा, जो अपना कार्यकाल इस 2018 में पूरा कर रहे हैं। वहाँ विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है।

महोदया, मैं सबसे पहले राजस्थान की बात करना चाहूँगा कि वहाँ नवंबर, 2013 तक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, सड़क और पानी, उसकी स्थिति क्या हुआ करती थी? वर्ष 2013 तक 12820 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वहाँ हुआ करती थी जो बाद के राजस्थान में भारतीय

जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 19500 मेगावाट हो गई है। आज हम कह सकते हैं कि मांग और आपूर्ति का अंतर वहां समाप्त हो चुका है। नवंबर, 2013 तक कुल 87 लाख परिवारों के पास घरेलू कनेक्शन थे। आज बढ़कर 1 करोड़ 12 लाख परिवारों के पास घरेलू कनेक्शन हैं। किसानों को सिंचाई के लिए नवंबर, 2013 तक मात्र 12 लाख कृषि कनेक्शन उपलब्ध थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 14 लाख हो गई है और इस साल दो लाख कृषि के लिए कनेक्शन किसानों को और दिए जा रहे हैं। पिछले चार सालों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिले, इसके लिए किसानों को पम्प सेट पर एक हजार करोड़ रुपये का अनुदान सरकार राजस्थान में दे चुकी है। आज वहां औसतन प्रतिदिन 26 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण हो रहा है। सड़कों के निर्माण पर केवल चार सालों में 24,500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। प्रदेश में सभी जिलों के मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिए गए हैं। आज राजस्थान में लोग गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि पिछले चार सालों में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 25500 किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख 70 हजार किलोमीटर हो गई है। 1685 गांव ऐसे हैं, जिनको सड़कों से पहली बार जोड़ा गया है। पिछले चार सालों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 7500 करोड़ रुपये व्यय करके 57600 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। धौलपुर की लिफ्ट सिंचाई परियोजना की कल्पना 30 साल पहले की गई थी, लेकिन उसको अमलीजामा पहनाने का काम 852 करोड़ रुपये की राशि के साथ वर्तमान की वसुंधरा राजे जी की सरकार के द्वारा किया गया। ऐसे अनेक विषय हैं, जिनके बारे में विस्तार से बात करने में बहुत समय लगेगा।

महोदया, मैं छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश से अलग होने तक और उससे पहले भी लगातार कांग्रेस की सरकार वहां रही है। लेकिन वर्ष 2003 तक का कार्यकाल और उसके बाद वर्ष 2018 तक के कार्यकाल की तुलना भी देश के सामने आना जरूरी है। वर्ष 2003 तक छत्तीसगढ़ का बजट मात्र नौ हजार करोड़ रुपये हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2018 का बजट 83179 करोड़ रुपये का है...(व्यवधान) वर्ष 2003 में

प्रति व्यक्ति आय केवल 13000 रुपये थी...(व्यवधान) महोदया, इनकी बेचैनी का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोगों को क्या हो गया है? बिधूड़ी जी, बैठ जाइए। आप लोग भी बैठ जाइए।

श्री राकेश सिंह : महोदया, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मात्र 13000 रुपये हुआ करती थी, जो आज बढ़कर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 92000 रुपये हो गयी है। वर्ष 2003 तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4732 मेगावाट थी। इन 15 सालों में वर्ष 2018 में उत्पादन क्षमता बढ़कर 22764 मेगावाट हो गई है।

महोदया, मैं कृषि की भी बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में कृषि का कुल उत्पादन वर्ष 2003 में 65 लाख मीट्रिक टन था...(व्यवधान) वर्ष 2018 में बढ़कर 103 लाख मीट्रिक टन हो गया है...(व्यवधान) आपको इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के क्या मायने हैं? ...(व्यवधान) देश में हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है।

इसीलिए आज कृषि राज्यों के आधार पर ही अविश्वास प्रस्ताव की नींव रखी गई है और इसलिए इन राज्यों की चर्चा करते समय जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां होने वाले विकास के बारे में भी आपको सुनना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 2003 में जो कृषि का उत्पादन हुआ करता था, वह 65 लाख मीट्रिक टन था। ...(व्यवधान) सुरेश जी आपको क्या हुआ है, आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हो।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): आप जितनी बार बोलोगे तो आपका नेता बोल नहीं पाएगा, जितनी बार खड़े हो जाओगे तो हम उन्हें बोलने नहीं देंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। अनुराग जी, प्लीज आप बैठिए।

(...व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं यहां बैठी हूं, प्लीज आप दोनों तरफ के लोग बैठिए। राकेश जी, आप बोलिए।

श्री राकेश सिंह : महोदया, छत्तीसगढ़ में 2003 में कृषि का जो कुल उत्पादन होता था, वह 65 लाख मीट्रिक टन था...(व्यवधान) आज हमें यह कहते हुए गर्व है कि 2018 में यह बढ़कर एक करोड़ तीन लाख मीट्रिक टन हो गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी छत्तीसगढ़ में 2003 में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कुल 1072 किलोमीटर सड़कें बनी थीं और आज वहां 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहने के बाद 2018 में 22750 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बन चुकी हैं। वहां 2003 में कुल 29900 किलोमीटर सड़कें थीं और हमें यह कहते हुए गर्व है कि आज वहां 61800 किलोमीटर सड़कें हैं।

यदि हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो वहां स्कूलों की कुल संख्या 21082 थी, वह आज बढ़कर 60726 हो गई है। बात-बात पर अनुसूचित जाति और जनजाति के वोट लेने की बात कांग्रेस के मित्र करते हैं, लेकिन उस समय वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के कुल छात्रावासों की संख्या 1837 थी, जो 14 सालों में बढ़कर 3252 हो गई है। वहां आजादी के बाद के इतने लम्बे समय में कुल मिलाकर 2003 में दो मैडिकल कालेज हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के बाद आज वहां मैडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। ऐसे अनेक विषय हैं, जिन पर विस्तार से बात करने में काफी समय लगेगा।

अब मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश की ओर आता हूं। मध्य प्रदेश में 2003 से ...(व्यवधान) सिंधिया जी हमारे मित्र हैं। मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सदन में खड़े होकर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इन 14 सालों में विकास की जो इबारत लिखी गई है, उसी के कारण मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर तेजी के साथ विकसित होने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। ...(व्यवधान) 2003 के पहले मध्य प्रदेश, जो किसी देश और प्रदेश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो उसमें वह दुर्दशा की सीमा पर जाकर खड़ा था। सड़कों के नाम पर गड्ढे थे, बिजली के नाम पर अंधकार था और सिंचाई के नाम पर सूखा था, यह थी 2003

के मध्य प्रदेश की स्थिति। उसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, आज वे देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय हैं। इस समय आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं? मैं आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर मात्र तीन प्रतिशत हुआ करती थी और आज वह बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है। यह स्थिति लगातार बनी हुई है ... (व्यवधान) आपकी सरकार वह पहली सरकार थी, जिसके समय में मध्य प्रदेश में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था और उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है।

आप अभी और भी सुनने का माद्दा रखिए। ... (व्यवधान) आपकी सरकार के समय पर, सन् 2003 तक, यानी राजा-महाराजाओं के जमाने से ले कर, अंग्रेजों के जमाने से लेकर और कांग्रेस की सरकारों तक कुल मिला कर सात लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित हुआ करता था और इन 14 सालों में शिवराज जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार के कार्यकाल में आज वह 40 लाख हैक्टेयर तक पहुंच गया है। ... (व्यवधान) हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आने वाले चार सालों में इसको हम 80 लाख हैक्टेयर तक पहुंचा कर रहेंगे। ... (व्यवधान) सन् 2003 में मध्य प्रदेश में बिजली का कुल उत्पादन 2900 मेगावॉट था। ... (व्यवधान) जो आज बढ़ कर 18,364 मेगावॉट हो गया है। ... (व्यवधान) सन् 2003 में मध्य प्रदेश में मात्र 44,787 किलोमीटर की सड़कें थीं, जो आज बढ़ कर 1,50,000 किलोमीटर हो गई हैं। ... (व्यवधान) आर्थिक प्रगति का भी पैमाना देखिए कि मध्य प्रदेश में सन् 2003 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 14 हजार रुपये हुआ करती थी। ... (व्यवधान) यह आज बढ़ कर आज 80 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है। ... (व्यवधान) अभी और सुनिए। ... (व्यवधान) सन् 2003 में जहां राज्य का बजट केवल 21,647 करोड़ रुपये हुआ करता था, यह बढ़ कर आज 1,85,464 करोड़ रुपये हो गया है। ... (व्यवधान)

महोदया, केवल 55000 प्राथमिक शालाएं हुआ करती थीं, आज ये 84000 हो गई हैं। ... (व्यवधान) 1700 हाईस्कूल हुआ करते थे, जो कि आज 4700 हो गए हैं। ... (व्यवधान) माध्यमिक शालाएं 12,500 हुआ करती थीं। ... (व्यवधान) आज ये बढ़ कर 30,341 हो गई हैं।

...(व्यवधान) हायर सैकेंड्री स्कूल कुल मिला कर 1,500 हुआ करते थे। ...(व्यवधान) आज ये बढ़कर 3,800 हो गए हैं। हमें यह कहते हुए गर्व है कि बेटियों के भविष्य के निर्माण की दिशा में, मध्य प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, इन्होंने आपको मध्य प्रदेश असेंबली स्पीकर बना दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बस हो गया, बैठिए-बैठिए। राकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो बड़े नेता हो, बैठिए ना।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing would go on record.

..... (Interruptions)*

श्री राकेश सिंह : महोदया, इनको तकलीफ क्यों हो रही है, यह मेरी समझ के परे है।
...(व्यवधान)

कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे ही एक-एक राज्यों को मिला कर अविश्वास प्रस्ताव की नींव आपने रखी है तो अब राज्यों के विकास के बारे में भी तो सुनने का साहस आप रखिए। ...(व्यवधान) मैं कांग्रेस के अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के विकास की बात सुनना क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? ...(व्यवधान) क्या मध्य प्रदेश के साथ आपका कोई दुश्मनी का भाव है? ...(व्यवधान) अरे, कांतिलाल जी आप तो बैठ

* Not recorded

जाइए, आप तो मत बोलिए। ... (व्यवधान) अगर ऐसा करेंगे तो अगली बार आप यहां नहीं आ पाएंगे। ... (व्यवधान)

महोदया, बेटियों के भविष्य के निर्माण की दिशा में मध्य प्रदेश आज देश का अग्रणी राज्य है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी-अभी तो कांतिलाल जी के यहां विकास हुआ है न? आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : यहां पर हमारी बहन-बेटियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ... (व्यवधान) मध्य प्रदेश देश का वह पहला ऐसा राज्य है, जहां अबोध व्यक्तियों के साथ दुराचार करने पर फांसी की सजा मिले, इस आशय का कानून बनाया गया है। ... (व्यवधान) मैं इस सदन में पूरे देश की जनता की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि ऐसे दुराचारियों को फांसी देने का कानून आपने पूरे देश के लिए भी लागू करवाया है। ... (व्यवधान)

13 00 hrs

मध्य प्रदेश की योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन चूँकि आपको तकलीफ हो रही है तो मैं मध्य प्रदेश की जनता से कहूँगा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश की बात सुनना अच्छा नहीं लगता है। मैं संबल योजना के बारे में जरूर कहना चाहूँगा। यह वह योजना है, जिसके लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के किसी भी गरीब आदमी को, माँ के गर्भ में बच्चा आया, वहाँ से लेकर, उसके जन्म से लेकर, उसकी प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उसकी उच्चतम शिक्षा तक अगर उसे एक रुपये से लेकर 40 लाख रुपये तक की फीस भी लगेगी तो उसे देने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ... (व्यवधान) आपके द्वारा शासित किसी भी राज्य में अगर इसके आसपास भी आप हों तो वह हमें बता दीजिएगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, उससे लगता है कि प्रधान मंत्री जी से ज्यादा काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ... (व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : स्वाभाविक रूप से मैंने मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर जन्म लिया है और इसलिए मुझे मध्य प्रदेश से प्यार है।...(व्यवधान) मैं मानता हूँ कि वहाँ बैठे हुए भी जो लोग मध्य प्रदेश में जन्मे हैं, उनको भी मध्य प्रदेश की पवित्र मिट्टी से प्यार होना चाहिए और इसीलिए उन्हें ऐसे विकास के कार्यों में आगे बढ़कर सरकार का साथ देना चाहिए।...(व्यवधान)

महोदया, ये वे तमाम कारण हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के मायने स्थापित करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्षेत्र में काम करते हो तो चिंता मत करो। आप बैठो ।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : कांति लाल जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : आप अपने प्रदेश के बारे में नहीं सुन सकते। आपने एक घंटा आन्ध्र प्रदेश को सुना। आपने अविश्वास की नींव वहाँ रखी है। आपको इन्हें सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राकेश जी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : महोदया, मैं मान लेता हूँ कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विकास के बारे में सुनना नहीं चाहती है। मैं फिर से देश पर आता हूँ।

महोदया, जो कारण मैंने अभी बताए हैं, उन सभी से यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के मायने क्या हैं। आज देश इस बात को जानना चाहता है कि क्या देश और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की इन सरकारों के द्वारा किए गए ये सकारात्मक बदलाव देश के लिए आवश्यक नहीं थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिए हुए अंत्योदय के मंत्र के कारण देश के गरीबों का भला हो रहा है और सरकारें गरीबों की सेवा का माध्यम बन रही हैं। हम कहना चाहते

हैं कि इन सारी स्थितियों में देश के सभी राजनीतिक दलों को एक-साथ खड़े होकर सरकार का समर्थन करना चाहिए। देश का हर राजनीतिक दल, चाहे वह किसी भी प्रदेश से आता हो, वह समाज सेवा के संकल्प के साथ ही राजनीति के क्षेत्र में आता है। आज उस संकल्प की पूर्ति इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार कर रही है तो इस अविश्वास प्रस्ताव का औचित्य क्या है? देश इस बात को जानना चाहता है।

देश में अलग-अलग राजनीतिक दलों का एक-साथ आने का जो विचार प्रारम्भ हो रहा है, उसके पीछे धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाने की कोशिश भी कभी-कभी हमें दिखाई देती है। यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि देश के संवैधानिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो वह सिर्फ इतनी है कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर एक अस्थायी गठबंधन बनाकर सत्ता की प्राप्ति की लालसा ही इसका एकमात्र कारण है। देश की जनता इसे कभी पूरा होने नहीं देगी।

महोदया, देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी सदन में एक बार कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव तब लाये जाते हैं, जब सत्तारूढ़ दल के टूटने की संभावना हो या सरकार को जागरूक रखने के लिए इसको हथियार बनाने की जरूरत हो... (व्यवधान) आज समझ में नहीं आ रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या हैं। आज लगभग जो स्थिति दिखाई दे रही है, वह यह दिखाई दे रही है कि कांग्रेस स्वयं ही अविश्वास के विकार से ग्रस्त है और इसी विकार के कारण यह अविश्वास प्रस्ताव आया है। जिनकी सरकारों के समय देश में घोटालों की चर्चा करते हुए देश पूरी वर्णमाला को याद कर लेता था, वे आज मात्र चार सालों में इतिहास के माथे पर भारत के स्वर्णिम भविष्य की इबारत लिखने वाली सरकार पर आरोप लगाने का दुःस्साहस कर रहे हैं। इसके लिए देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदया, इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं अन्त में इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा -

चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी,
यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का,
चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से,
वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का।

इसी के साथ इसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : राहुल जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप लोग शांत रहें।

...(व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Thank you Madam Speaker for giving me the floor.... (*Interruptions*) मैं हिन्दी में भी बोलूंगा, आप लोग घबराइए मता...(व्यवधान)

Two interesting speeches were made. One speech was made by Shri Galla from the TDP and the other speech was made from the BJP. I heard the speech of Shri Galla very carefully. I listened to everything which he said. In his speech, I sensed a certain anxiety, I sensed a deep feeling of pain and I want to tell him from here that he is the victim of the 21st century political weapon, a very fantastic political weapon. I want to also tell him that he is not alone. There are many victims like him in this country. The political weapon is called the *jumla* strike and the symptoms are the following.

First, there is a great sense of excitement, happiness and then there is a feeling of shock and after that, there are eight hour-long speeches. Now, who else are the victims of the *jumla* strike? They are the kisans of the country, the youngsters of the country, the Dalits, the tribals and the women of the country.

आपने बोला कि प्रधानमंत्री के शब्द का मतलब होना चाहिए और यही सवाल आज पूरा हिन्दुस्तान पूछ रहा है। जुमला स्ट्राइक नं. 1 - 'पन्द्रह लाख रुपये हर बैंक अकाउंट में', जुमला स्ट्राइक नं. 2 - 'दो करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार'।

रोजगार की बात पर चलते हैं। दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): 12 करोड़ को दे दिया।...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : आप कौन-सी दुनिया में हैं?... (व्यवधान) मेरे पास आंकड़े हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, यह क्या है?

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, मैं देख रही हूँ। आपसे पहले उनका नाम लिया है। आप उन्हें डिस्टर्ब मत करिए। आप बैठिए।

खड़गे जी, प्लीज, आप बैठिए। मैं इसकी चिंता कर रही हूँ।

श्री राहुल गांधी : वर्ष 2016 में पूरे हिन्दुस्तान में चार लाख युवाओं को रोजगार मिला। ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं, मेरे नहीं हैं। ये इनके आंकड़े हैं।

हिन्दुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया था। हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं दो करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूँगा। यह सच्चाई है कि सिर्फ चार लाख युवाओं को रोजगार मिला है। मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, जो काम चाइना पचास हजार युवाओं को 24 घंटे में करने के लिए देता है, उसी काम को आप लोग चार सौ युवाओं को 24 घंटे में करने के लिए देते हैं। इनके खोखलेपन की यह सच्चाई है। इनके शब्दों की यह सच्चाई है। प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं, रोजगार की बात करते हैं। कभी कहते हैं, पकौड़े बनाओ; कभी कहते हैं, दुकान खोलो।

...(व्यवधान) रोजगार कौन लाएगा, रोजगार स्मॉल एंड मिडियम बिजनेस वाले लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। आपने क्या किया? पता नहीं, क्या हुआ, कहाँ से मैसेज मिला? आठ बजे रात को कालेधन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया।...(व्यवधान) शायद समझ नहीं थी कि किसान, मजदूर, गरीब आदमी अपना धंधा कैश में चलाते हैं। ...(व्यवधान) मैं सूरत गया और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने हमें सबसे जबरदस्त चोट मारी है।...(व्यवधान) मैंने नहीं बोला, बल्कि उन्होंने बोला।...(व्यवधान)

आज हिन्दुस्तान में बेरोजगारी सात साल से सबसे ज्यादा है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों का सच है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठे हुए लोगों का मत सुनिए।

श्री राहुल गांधी: मगर वहाँ ही नहीं रुके। जी.एस.टी. कांग्रेस पार्टी लाई थी। ...(व्यवधान) आपने विरोध किया था। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक

जी.एस.टी. हो, पेट्रोल-डीजल उस जी.एस.टी. में हो, हिन्दुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरपशन हो...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी की जी.एस.टी., पाँच अलग-अलग जी.एस.टी. और आपने छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया। आपने करोड़ों-करोड़ों लोगों को बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, ...(व्यवधान) नहीं; हर जाते हैं, बाहर जाने का मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी एवं ट्रंप जी के पास जाते हैं...(व्यवधान) मगर अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं।

प्रधानमंत्री जी की छोटे दुकानदारों (स्मॉल बिजनेसमैन) से बातें नहीं होती हैं। प्रधानमंत्री जी की बात सिर्फ सूट-बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है...(व्यवधान) जो छोटे दुकानदारों के दिल में है, जो किसानों के दिल में है, जो गरीबों के दिल में है, वह प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँचता है। रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने जबरदस्त ठोकर मारी, अन-इम्प्लायमेंट फैलाया।

जैसा मैंने कहा कि जो पहले छोटी दुकान चलाकर, छोटा बिजनेस चलाकर, मिडियम साइज बिजनेस चलाकर पैसा कमाते थे, उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया। ...(व्यवधान) इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है।

आपने बिल्कुल सही कहा, जियो के इशतहार पर प्रधान मंत्री का फोटो आ सकता है। वे शक्तियां जो इनकी मदद करती हैं, वे 10-20 बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सब कुछ करते हैं। ...(व्यवधान) मगर बाकी हिंदुस्तान के लिए, गरीबों, कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। ...(व्यवधान)

प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ। मैं चौकीदारी करूँगा। मैं प्रधान मंत्री नहीं हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ। मगर जब ... * ...(व्यवधान)

* Not recorded

HON. SPEAKER: No name will go on record.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : किसी का भी नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम निकाल दिया है, बोल दिया है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No name will go on record.

... (Interruptions)

श्री राहुल गांधी : जब ...* (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम नहीं जाएगा। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, किसी ने हमारा नाम लिया

(व्यवधान) किसी ने इंदिरा जी का नाम लिया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, रिकार्ड में नाम नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बोल दिया है कि नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : जब प्रधान मंत्री के मित्र का पुत्र 16 हजार बार अपनी आमदनी को बढ़ाता है तीन

महीने में... (व्यवधान) तब प्रधान मंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। ... (व्यवधान)

राफेल हवाई जहाज, हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपये प्रति हवाई जहाज था। ... (व्यवधान) पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई?... (व्यवधान) प्रधान मंत्री

* Not recorded.

जी फ्रांस गए। वहां पर किसके साथ गए, पूरा देश जानता है। जादू से हवाई जहाज का दाम 1,600 करोड़ रुपये प्रति हवाई जहाज हो गया। ... (व्यवधान) डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हुई हैं। ... (व्यवधान) उन्होंने पहले पब्लिक में कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी। ... (व्यवधान) उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं यह आंकड़ा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला। ... (व्यवधान) मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा कि क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। ... (व्यवधान)

यह सच्चाई है, उन्होंने मुझे बताया। मुझे यह कहने में कोई ऐतराज नहीं है, आप इस बात को पूरे हिन्दुस्तान को बताइए।

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):

Madam, I object to it ... (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI : I am not yielding.

HON. SPEAKER: Nirmalaji, he is not yielding.

... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Madam, he is not yielding ...

(*Interruptions*)

श्री राहुल गांधी : हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश से ...* बोला है। किसकी मदद हो रही है, क्यों मदद हो रही है, निर्मला जी, प्रधान मंत्री जी, आप देश को बताइए। आपने असत्य बोला है।

* Not recorded

HON. SPEAKER: He is not yielding.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, he is misleading the House ...

(*Interruptions*) Unfortunately, he has referred to my name ... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Madam, he is not yielding ...

(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वे सदन में उपस्थित हैं, शायद डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया गया है।

...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : But Madam, he is not yielding.

HON. SPEAKER: Nirmalaji, I will allow you also after he concludes.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: That agreement was there during their

time. I am doing something, which they had agreed then ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Madam, he is not yielding.

HON. SPEAKER: I know that.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी। अभी वह यील्ड नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI : The Defence Minister has clearly spoken an * . The fact of the matter is that the French President personally has told me that there is no secret pact... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : डिफेंस मिनिस्टर का नाम बार-बार नाम लिया जा रहा है इसलिए इसके बाद आपको बोलने का मौका दूंगी। She is present in the House. 'Defence Minister spoke ...*' you said

...(व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI : The fact of the matter is this ... (*Interruptions*) I met the gentleman in Delhi. You can check the records. And, the gentleman clearly said that there is no secret pact between the Indian Government and the French Government.

So, the Defence Minister has clearly spoken an ...* .

माननीय अध्यक्ष : यह ... * शब्द नहीं जाएगा because she will clear her position.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, ... * is a parliamentary word ... (*Interruptions*)

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): It is not an unparliamentary word ... (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI : Now, everybody understands the relationship the Prime Minister has with certain business people. Everybody knows it. Everybody understands and everybody can see the amount of money that

* Not recorded

goes into the marketing of India's Prime Minister; and everybody understands where it comes from. One of those people was given the Rafale contract and he benefited thousands and thousands and thousands of crores. That contract was taken away from HAL.

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, he cannot make an unsubstantiated statement ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please. मैं एक-एक शब्द को देख रही हूँ।

...(व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI : And, the gentleman benefited ...* . This is the truth. Now, the Prime Minister must explain. He must answer in this House whether the Cabinet Committee on Security took this decision or not.

The Prime Minister must also explain as to why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt of Rs. 35,000 crore and who has never ever built an aeroplane in his life. ... (*Interruptions*) Now these are the things that the Prime Minister of India must explain. He must explain why a businessman has been favoured. I know, I can see he is smiling but there is a touch of nervousness in the gentleman. ... (*Interruptions*) There is a touch of nervousness in the gentleman and he is looking away from me. ... (*Interruptions*) I can understand that.... (*Interruptions*) Now, he cannot look into my eyes. I can see that. ... (*Interruptions*) It is because the Prime Minister has not been truthful. ...

* Expunged as ordered by the Chair.

(Interruptions) That is the fact.... *(Interruptions)* Now, let me move on....

(Interruptions) Let me go down the lists. ... *(Interruptions)* The idea of demonetisation was to damage and reduce... ... *(Interruptions)*

SHRI ANANTHKUMAR : Madam, I am on point of order.... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: What point of order do you have?

... *(Interruptions)*

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, I am quoting the rule.... *(Interruptions)* I am, drawing your attention to Rule 353.... *(Interruptions)* It very specifically says:

“No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned, that includes, Prime Minister also, so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply:” ... *(Interruptions)*

Provided that the Speaker may at any time prohibit any Member from making any such allegation if the Speaker is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation.” ... *(Interruptions)*

Madam, what Shri Rahul Gandhi is doing, he is throwing the Rules of the Procedure to four winds and speaking.... *(Interruptions)* Everything he is speaking is baseless, without any substance or far from the truth. ... *(Interruptions)* There is no document or anything else to support these frivolous charges. ... *(Interruptions)* I know the entire family does not care for the Constitution. ... *(Interruptions)* They do not care for the Rules of the

Procedure also. ... (*Interruptions*) They do not care for the Parliament also. ...

(*Interruptions*)

श्री राहुल गांधी : पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में साफ-साफ बोला है, माननीय प्रधानमंत्री अपनी आंखें मेरी आंखों में नहीं डाल सकते हैं। ... (व्यवधान) यह सच्चाई है। वह कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे। ... (व्यवधान) यह सच्चाई है। ... (व्यवधान) आप जितना भी चिल्लाएं, वह क्षण देश ने देख लिया है। देश को बात समझ में आ गई है। ... (व्यवधान) चौकीदार नहीं हैं, भागीदार हैं।

अब फॉरेन पॉलिसी पर चलते हैं, थोड़ा फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में नदी के किनारे झूला झूला था। ... (व्यवधान) उसी समय चीन के हजार सैनिक हिंदुस्तान की टैरिटरी के अंदर थे। ... (व्यवधान) उसके बाद चीन के राष्ट्रपति वापस गए। चाइना का राष्ट्रपति वापस जाता है और अपनी सेना को डोकलाम में भेजता है। ... (व्यवधान) हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई। ... (व्यवधान) हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई और वे चाइना के सामने खड़े हुए, मगर उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं और बिना एजेंडा के वुहान में चाइना के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, डोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे। ... (व्यवधान) यह बिना एजेंडा नहीं था, ... (व्यवधान) यह चाइना का एजेंडा था। ... (व्यवधान) चाइना के सामने जो हमारे सैनिक खड़े हुए, वह काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। ... (व्यवधान) और सैनिकों को प्रधानमंत्री ने ... * दिया। ... (व्यवधान) यह सच्चाई है, इस पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता है। ... (व्यवधान) किसान कहता है कि प्रधानमंत्री जी आपने हिन्दुस्तान के सबसे अमीर बीस-पच्चीस उद्योगपतियों का ढाई लाख करोड़ रुपये कर्ज माफ किया। ... (व्यवधान) हिन्दुस्तान का किसान कहता है कि आपने उनका कर्ज माफ किया। ... (व्यवधान) वह हाथ जोड़कर आपसे कहता है कि हमारा भी थोड़ा सा कर्ज माफ कर

* Not recorded

दीजिए,...(व्यवधान) और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं – नहीं, नहीं, नहीं। किसान का कर्ज माफ नहीं होगा। ... (व्यवधान) सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा, किसान का नहीं होगा। ... (व्यवधान) क्योंकि तुम लोगों में शक्ति नहीं है। ... (व्यवधान) तुम लोगों में दम नहीं है। ... (व्यवधान) तुम लोग सूट नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते। ... (व्यवधान) किसान का बेटा स्कूटर-मोटरसाइकिल चलाता है। ... (व्यवधान) पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे गिर रहे हैं और हिन्दुस्तान में ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि नरेन्द्र मोदी अपने मित्रों की जेब में पैसा डालना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप लोग बैठिए। आप लोग भी सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : किसान कहता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को अपना वोट दिया था। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप सभी लोग बैठिए। राहुल जी, आप भी बैठिए। मैं आप सभी से निवेदन कर रही हूँ, बोलने वालों से भी मैंने हमेशा निवेदन किया है कि बोलते समय कोई ऐसी बात न बोलें। यह आम सभा भी तो नहीं है। यहां जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप रख सकते हैं, बिल्कुल रखिए। शब्द भी ऐसे यूज किए जाने चाहिए कि चाहे आप किसान के लिए बोलें, चाहे प्रधानमंत्री के लिए बोलें। मैं यह निवेदन आप सभी से करना चाहती हूँ। आरोप भी लगाएं, अगर हमारे पास ऐसा प्रमाण है तो जरूर लगाओ। सभी लोग कृपा करके थोड़ा संयम रखें और भाषा भी ठीक रखें।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : ये हर बात में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। ऐसी कोई बात नहीं आई है।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ... (व्यवधान) अगर वह हर बार रूल्स का उल्लंघन करेंगे और उनके पास कोई सबूत नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : डरो मता...(व्यवधान) डरो मत । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, ठीक है, जवाब भी तो आएगा।

...(व्यवधान)

श्री अनन्त कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, वह जो कह रहे हैं, यदि उनके पास कोई सबूत है तो उन्हें सदन के सामने पेश करना चाहिए नहीं तो अनाप-शनाप बात के लिए क्षमा-याचना करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं किसी को भी सुनने की स्थिति में नहीं हूँ।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 13 45 hours

13 37 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Forty Five Minutes past Thirteen of
the Clock.*

13 45 hrs

*The Lok Sabha reassembled at Forty Five Minutes
past Thirteen of the Clock*

(Hon. Speaker in the Chair)

MOTION OF NO CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS....Contd.

माननीय अध्यक्ष : सभी लोग शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आप सभी से निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए आज हम प्रश्न काल एवं अन्य सभी काम स्थगित करके, पूरे दिन के लिए यह चर्चा ले रहे हैं। मैं मानती हूँ कि यह नो-कॉन्फिडेंस मोशन है लेकिन नो-कॉन्फिडेंस मोशन में भी डायरेक्ट आरोप भी साधारणतया नहीं लगाए जाते हैं। अगर कोई डायरेक्ट आरोप लगाते हैं तो यह बात भी सही है कि सबूत होना चाहिए।

आपको नियम भी मालूम है कि किसी व्यक्ति या किसी मंत्री पर आप डायरेक्ट नाम ले कर आरोप लगाते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप मुझे भी तय करेंगे, अगर मेरी बात ठीक नहीं लगे तब बोलिए।

मंत्री जी को भी बात एक्सप्लेन करने का समय मिलेगा, उन्हें समय देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि उस समय भी यील्डिंग कर दें। वास्तव में वह उचित नहीं है। फिर भी, मैंने आपकी बात मान ली।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी यही कर रही हैं, आप भी यही कर रहे हैं तो आप लोग यहां आ जाइए, कोई भी यह करो। I am ready. कृपया ऐसा न करें।

मैं चाहती हूँ कि यह डिबेट अच्छी तरह से हो जाए। इसलिए मेरा कहना है कि अगर हमें यह नहीं मालूम है कि पहले भी यह हुआ है, जैसे राहुल जी मैं आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए जब आपने डिफेंस मिनिस्टर का नाम ले कर दो बार कुछ आरोप लगा दिए तो उनको भी वहीं पर एक्सप्लानेशन का अधिकार मिलता है। उस समय हम यह कहें कि हम यील्ड नहीं कर रहे थे। आप यील्ड नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। इनके भाषण के बाद मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं भी क्या करूँ।

साधारणतया यील्ड किया जाता है। मैं भी कई सालों से इस लोक सभा में हूँ। मैंने कई बड़े-बड़े लोगों के भाषण देखे हैं, डिबेट देखा है, आरोप-प्रत्यारोप सब कुछ देखा है। अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ आरोप लगता है, सामने वाला कुछ कहना चाहता है तो मैंने बहुत बड़े लोगों को भी यील्ड करते हुए देखा है। I am sorry. आप मेरी बात मानें। मैंने देखा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं केवल जनरल बात कर रही हूँ। मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं बोल रही हूँ।

मैंने यह देखा है कि यील्ड किया जाता रहा है। अगर आरोप लगाएं और सामने वाला खड़ा हो, जिस पर आरोप है, वह कुछ बोलना चाहता है तो यील्ड करना कोई अपमान की बात नहीं है। जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को भी बोलने का, एक दूसरे का आदर होता है। लेकिन यहां पर मुझे यह सब कुछ इसलिए करना पड़ा, अगर नहीं यील्ड करते तो सभा का यह भी नियम है कि भाषण देने वाला जिसका मैंने नाम लिया, अगर वह यील्ड नहीं करता तो मैं दूसरे को मौका नहीं दे सकती। ऐसा भी कई बार होता आया है। इसलिए मैंने कहा कि चूंकि डिफेंस मिनिस्टर पर कुछ आरोप डायरेक्ट लग रहा है तो मैं आपके बाद तुरंत उनको बोलने का मौका दूँगी। अगर यह ग्रेसफुली होता, वह यील्ड करते तो तुरंत मौका भी मिल जाता। वह नहीं हो रहा है तो मुझे बोलना पड़ा कि मैं बाद में बोलने का मौका दूँगी। मेरा इतना ही कहना है।

दूसरी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल पर है। आप प्रधान मंत्री को टारगेट करो, मुझे कुछ नहीं करना है लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि भाषा ठीक रखें। अगर हम डायरेक्ट आरोप रकम को लेकर लगाते हैं तो कुछ न कुछ प्रूफ भी हमें देना पड़ता है। ... (व्यवधान) आप इतने भी उत्तेजित मत होइए। जैसा मैंने श्री जैदेव गल्ला के भाषण के समय भी कहा कि कई बार होता है कि आप सभी के हल्ले-गुल्ले में कोई बात छूट जाती है, जो रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए। मैं बाद में भाषण को जरूर देखूंगी और यदि कोई गलत बात रिकार्ड में आती है, तो उसे एक्सपंज करने का अधिकार भी स्पीकर को होता है। यदि कोई गलत बात रिकार्ड में गई है, तो उसे रिकार्ड से हटाया जाएगा। बिना प्रूफ के यदि कोई गलत आरोप लगा है और वह सही नहीं है, तो उसे भी एक्सपंज करने का अधिकार मेरे पास है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपनी भाषा ठीक रखें और डेकोरम मेनटेन रखें। आप एक-दूसरे की बात को सहन करें। एक-दूसरे के लिए यील्ड भी करें, तो उसमें किसी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। यह ऑब्जेक्शन आ रहा है कि प्रधान मंत्री पर आरोप करते समय कुछ आंकड़े दिए गए हैं और यदि इन आंकड़ों का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वे आंकड़े रिकार्ड में नहीं जाने चाहिए। सदन में फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम लिया गया। यह भी उचित नहीं है, क्योंकि वे सदन में बोलने के लिए उपस्थित नहीं हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): कंट्री का नाम तो लिया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : कंट्री की बात अलग है, लेकिन किसी की आपस में क्या बात हुई है, वह बात नहीं कही जाती है। हम कई बातों का डेकोरम मेनटेन करें, तो अच्छा रहेगा, यही मेरा निवेदन है। मैं बाद में भाषण देखूंगी और एक्सपंज के बारे में निर्णय करूंगी। ... (व्यवधान) आप अभी युवा हैं और बहुत सालों तक काम करना है। हमें चीजों को समझना चाहिए।

श्री राहुल गांधी (अमेठी): डरो मत, सच्चाई से डरो मता ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, किसानों की बात हो रही थी। किसानों ने प्रधान मंत्री से हाथ जोड़ कर कहा था कि आप हमारा भी कर्जा माफ कीजिए। देश के 15-20 सबसे अमीर लोगों के ढाई लाख करोड़ रुपये माफ किए, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माफ किया नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक एमएसपी का आया। मैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के किसानों को बताना चाहता हूँ कि एमएसपी में प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में किसानों को 10 हजार करोड़ रुपयों का फायदा दिया है, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने सिर्फ एक प्रदेश में 34 हजार करोड़ रुपये अपने किसानों को देने का काम किया है। ...(व्यवधान)

महोदया, अब मैं देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में बोलने जा रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। ...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : It is shame. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप 'शेम' शब्द बोल रहे हैं, यह सबके लिए 'शेम' हो जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : बाहरी देशों का ओपीनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, हजारों साल पहले नहीं हुआ, मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है।...(व्यवधान) गैंग रेप होता है।...(व्यवधान) महिलाओं पर अत्याचार होता है।...(व्यवधान)

मैंने कहा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हिन्दुस्तान की ऐसी रेप्यूटेशन बन रही है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) जहाँ भी देखो, ...(व्यवधान) महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है।...(व्यवधान) पूरे देश में आदिवासियों और माइनोरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं।...(व्यवधान) लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं।...(व्यवधान) लेकिन,

प्रधान मंत्री के मुँह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। ... (व्यवधान) क्या दलित, माइनोरिटीज और आदिवासी हिन्दुस्तान के नहीं हैं? ... (व्यवधान) क्या ये लोग किसी और देश के हैं? ... (व्यवधान) क्या ये महिलाएँ हमारे देश की नहीं हैं? ... (व्यवधान) जब ऐसा होता है, तो प्रधान मंत्री के मुँह से एक भी शब्द क्यों नहीं निकलता है? यह मेरा सवाल है। ... (व्यवधान) आप अपने भाषण में इसका जवाब दें। ... (व्यवधान) उलटा, उनके मंत्री जाकर उनको हार डालते हैं। ... (व्यवधान) इससे हिन्दुस्तान के कानून का क्या होगा? ... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I want to clarify. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए। दोनों तरफ से शोर हो रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लिया गया है।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : जहाँ भी देखो, कहीं न कहीं, किसी न किसी हिन्दुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। ... (व्यवधान) और उस पर प्रधान मंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। ... (व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा : राहुल गांधी, मेरी आँखों में देखकर बोलो। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम, आपको क्या हो गया है?

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : जहाँ भी देखो, कहीं न कहीं, किसी न किसी हिन्दुस्तानी की हत्या हो रही है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ... (व्यवधान) यह देश को शोभा नहीं देता है। ... (व्यवधान) जब ऐसी बातें होती हैं, तो प्रधान मंत्री का फर्ज बनता है कि वह देश को बताएँ, अपने दिल में देखें और देश को बताएँ। ... (व्यवधान)

मैंने काफी लम्बा भाषण दिया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। आप बोलते रहिए।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : जब भी किसी को मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, पीटा जाता है, तो यह सिर्फ उस व्यक्ति पर हमला नहीं हो रहा है, ... (व्यवधान) बल्कि अम्बेडकर जी के संविधान पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है। ... (व्यवधान)

14 00 hrs

... (व्यवधान) जब आपके मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं, तो वे अम्बेडकर जी और पूरे हिन्दुस्तान पर आक्रमण करते हैं। ... (व्यवधान) हम इस बात को नहीं सहेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, क्या कर रहे हैं? आप बैठिए।

... (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI : This is an important part of my speech. If you let me say it is interesting. You will like it. You will enjoy this one. The Prime Minister and the President of the BJP are two very different types of politicians.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कारण न मैं इधर की बात सुन पा रही हूँ, न उधर की बात सुन पा रही हूँ।

... (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI : They are not like any of us. They are different than all of us. The difference between all of us and the Prime Minister and the President of the BJP is whereas we are okay to lose power, we can see ourselves being in power and out of power, for reasons that everybody knows here, the Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power because the moment they lose power other processes will start against them. So, the Prime Minister and the President of the BJP act out of fear. This fear generates anger. It is this anger that the whole of India is feeling. It is this anger that is being transmitted down India, that is attempting to crush every voice in India. That is the truth. ...(व्यवधान) अभी जब मैं अंदर गया, तो विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी। ...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बोले, मगर मैं इस बात पर हैरान हुआ कि जब मैं वहाँ गया, तब आपके ही मेंबर्स ने मुझसे हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले। ...(व्यवधान) इन्होंने नहीं, आपके मेंबर्स ने यह बोला, क्योंकि यह आवाज आपके अंदर भी है। ...(व्यवधान) यह आवाज सिर्फ इधर ही नहीं है, यह आवाज आपके अंदर बी.जे.पी. में भी है। ...(व्यवधान) ये अकाली दल की नेता मुस्कुराकर मुझे देख रही थीं। ...(व्यवधान) आपने मुझे देखकर मुस्कुराया। ...(व्यवधान) यह जो फीलिंग है, यह पूरे देश में है। ...(व्यवधान) हमारा काम इस फीलिंग को जोड़ने का है। ...(व्यवधान) मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधान मंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं। ...(व्यवधान) अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, यह ...* की पराकाष्ठा है। ...(व्यवधान)

* Not recorded as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : आप सोचेंगे कि मेरे दिल में प्रधान मंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, ... (व्यवधान) मगर मैं आपसे दिल से कहता हूँ कि मैं प्रधान मंत्री, बी.जे.पी. और ... * का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ... * वगैरह का नाम डालने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। ... (व्यवधान) हिंदुस्तानी होने का मतलब है कि चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे या लाठी मारे, लेकिन तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ... (व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जी और बी.जे.पी., ... * यह आपने मुझे सिखाया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ... * का नाम नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया। आपने मुझे शिवजी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिन्दू होने का मतलब समझाया। ... (व्यवधान) इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। ... (व्यवधान) इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ... (व्यवधान) यह हमारे देश का इतिहास है। ... (व्यवधान) आपके अंदर मेरे लिए नफरत है। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। आप मुझे अलग-अलग गाली दे सकते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं। कांग्रेस ने और इस

* Not recorded.

भावना ने इस देश को बनाया है।... (व्यवधान) इस बात को आप कभी मत भूलिए। यह भावना आप सब के अंदर है और इस भावना को मैं आप सब के अंदर से निकालूंगा।... (व्यवधान) एक-एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है, उसको निकालूंगा और आप सब को कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद। नमस्कार ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, this is not necessary.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shrimati Nirmala Sitharaman wants to say something.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह हाउस है, इसको आप ... * मत बनाइए।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : प्रधान मंत्री जी, हिन्दू होने का यह मतलब होता है कि आप चाहे मेरे ऊपर जो भी फेंकों, जितना भी फेंकों... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राहुल जी, यह हाउस है और हाउस के कुछ नियम होते हैं। आपका भाषण कम्प्लीट हो गया है, इसलिए आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, निर्मला जी बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : हिन्दू होने का मतलब है कि पूरी दुनिया को गले लगाना... (व्यवधान) पूरी दुनिया आपको गाली दे, पूरी दुनिया आपको पप्पू बोले, लेकिन आपके दिल में फिर भी प्यार होना चाहिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्लीज़ बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : यह है इस देश का इतिहास, यह है इस देश का भविष्य ।...(व्यवधान)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : मैडम, इन्होंने मेरे बारे में बोला है।...(व्यवधान) मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप मुस्कुरा रही थीं, तो आपको भी मुस्कुराने का अधिकार है। क्या हर कोई एक्सप्लेनेशन देगा? उन्होंने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने निर्मला जी का नाम बोलने के लिए लिया है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए और इनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए और इनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : You have given me this opportunity because Shri Rahul Gandhi, the hon. Member from Congress, mentioning the Defence Minister's statements referred to me. ... (*Interruptions*) I thank you for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*)

On the Secrecy Clause, I would like to show it before you and I have submitted it for your consideration. It is an Agreement, which was signed during the previous Government on 25 January 2008. The Agreement of

Secrecy is an umbrella agreement, which was signed by the then hon. Defence Minister, Shri A. K. Antony. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप पहले पूरा सुन तो लीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : This Agreement clearly mentions, and I am reading it, which states : “As per the Article 10 of the inter-Governmental Agreement between Government of India and Government of France on the purchase of Rafale Aircraft, the protection of the classified information and materials exchanged under the IGA shall be governed by the provisions of Security Agreement signed on 25 January 2008.”.

That is the agreement I am showing before you. ... (*Interruptions*) Let me finish. ... (*Interruptions*) That is the agreement I am showing you with the signature of the then hon. *Raksha Mantri*, Shri A.K. Antony. It is that which we are following. The hon. Member also referred to a conversation with him and the President of the Republic of France. We don't know what transpired between the two but permit me without naming the media house, I would like to say that in one of his interviews he has said this. ... (*Interruptions*) Madam, please allow me to say it because it is a serious reference made to me. It is a conversation between the hon. Member and the President of France about which I am not privy. However, I am referring here – and this can be verified, just now I had given you a copy of the agreement – to a particular interview in which the hon. Member has said to an Indian media house. I am not naming the media house. When the French President was asked, if commercial details about Rafael could be revealed. ... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I am referring to Rule 368. ...
(Interruptions)

HON. SPEAKER: Please listen to her. Let her explain fully now.

... (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Member could say about the conversation. ... (Interruptions) You are a very senior Member. ... (Interruptions) Madam Speaker, you have called me. I will refer to it. My name has been taken here. I am referring. ... (Interruptions) When a question was asked to the French President, if commercial details about Rafael could be revealed; the French President in that interview to an Indian media house has said this. This is what I have been clearly taking from the inputs received from my people. He said, you have these commercial agreements – this can be double-checked with the media – and obviously you have competitors, and we can't let them know the details of the deal. These are the words of the French President. This is what the French President has said to an Indian media house. What he said to the hon. Member is immaterial here. There is no record; there is no proof. He has just thrown it at me. It is absolutely wrong. Thank you, Madam. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आपका नाम नहीं लिया था, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो बैठ जाइए, आपका कोई संबंध नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने उनका क्लेरिफिकेशन दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए, वह केवल क्लेरिफिकेशन है, उन पर कोई आरोप नहीं है, उस पर अगेन कोई बात नहीं हो सकती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)...

माननीय अध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं लिया था, क्यों आप बार-बार बोल रहे हैं? आप अलग से भाषण कर सकते हैं, आपके पास समय है।

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : हरसिमरत जी, आप क्या बोलेंगी? आप केवल मुस्करा रही थीं, बोला तो वह भी नहीं बोलना।

... (Interruptions)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, देखिए यहां पर मेरा नाम बोल कर कहा गया है, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। ... (Interruptions) मैडम, यह संसद है, यह मुन्नाभाई का पप्पी-झप्पी एरिया नहीं है। ... (Interruptions)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: यह आप भी मत बोलो।

...(Interruptions)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, इन्होंने बहुत लंबा-चौड़ा भाषण दिया। पंजाब में जा कर 70 फीसदी ...(Interruptions) कौन सा नशा कर के आए, सदन यह जानना चाहता है।
...(Interruptions) इनकी सरकार ने ...(Interruptions) जहां हजारों सिखों के कत्ले आम हो गए।

माननीय अध्यक्ष: आपको भाषण नहीं देने को कहा है। बाकी बातें बाद में करना।

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगा।

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: दोनों की बातें रिकॉर्ड में गई हैं। उनका क्लैरिफिकेशन गया है और आपका भी भाषण गया है। अब इस पर और क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता है।

...(Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA) : The Minister is misleading the House.

माननीय अध्यक्ष : कोई मिसलीड नहीं किया है।

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप अपने भाषण में अपनी बात बोलिएगा।

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL : I am on a point of order.... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : क्लैरिफिकेशन पर क्लैरिफिकेशन नहीं होता है।

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ बैठ जाइए। जब आपको भाषण करने का मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने केवल पहली डील की बात कही है। किसी पर कोई गलत आरोप नहीं लगाया है। कोई बात गलत नहीं कही गई है।

SHRI KALYAN BANERJEE(SREERAMPUR) : I am on a point of order under Rule 368. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माफ कीजिए, हर कोई चिल्लाएगा तो मैं किसी की नहीं सुन पाऊंगी। आपका क्या है? हरेक का पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। आप बैठिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मैं जानना चाहता हूँ, हमने अखबारों में पढ़ा है कि राहुल गांधी जी ने कहा था। ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I have not allowed you. You sit down.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: चन्दूमाजरा जी, बैठ जाइए।

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: I will not go ahead.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आपको बैठना पड़ेगा। जब आपकी बारी आएगी, तब आप सभी बातें बोलिएगा।
पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। पहले आप बैठिए।

...(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : Why should I not get the chance?...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: क्या है, क्या नंबर है, वह बोलिए।

...(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : Rule 368 says:

“If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, the Minister shall lay the relevant paper on the Table:

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest:

Provided further that where a Minister gives in one's own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table.”...

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: मैंने पढ़ लिया है। आप अपना गला मत सुखाइए।

...(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, a confidential document between the Governments cannot be presented by the Defence Minister. They cannot present before the Parliament itself.

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। पहले एक व्यक्ति का उत्तर आ जाने दीजिए। पहले एक प्वाइंट ऑफ आर्डर तो हो जाने दीजिए। बस वही काम करोगे कि रात को आठ बजे तक बैठना है।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, what do you want to say?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I want to answer that there are no documents of State secrecy here.... (*Interruptions*) It is an inter-governmental agreement to which the Member referred. I have showed you the proof...

(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)...*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Madam, the hon. Member raised a Point of Objection.... (*Interruptions*) I am telling you that there are no documents of State secrecy here. It was an agreement which was signed by the Former Minister with the date. I am giving it to you. There are no more State documents... (*Interruptions*)

* Not recorded

HON. SPEAKER: No, I would not allow any Point of Order now. अब इस विषय पर कुछ नहीं होगा। इस विषय पर उचित बात हो गई है।

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, अभी राहुल जी की बात रह गई है, उन्हें बोलने दिया जाये। ...

(*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): The Central Government is like a mother and all the States are like children.... (*Interruptions*) It is the duty of the mother to take care of all her children with nourishment and impartiality.... (*Interruptions*) But very sadly, now there is a feeling among the children i.e. the States, including Andhra Pradesh, that the Centre is not treating her children impartially. Some States are feeling that step-motherly treatment being meted out to them. Again, it is the responsibility of the mother to reverse such an impression.

With the hope that the Centre would pay attention to this, I proceed to list out why Tamil Nadu is feeling that it is getting neglected and getting step-motherly treatment at the hands of the Centre.

Madam Speaker, I want to share my views with the hon. Members about the World Bank Report. The latest World Bank Report has said that the Indian Economy has become world's sixth biggest economy pushing France to the seventh position. It is stated that new calculations were arrived at on the basis of performance of the Indian economy during 2017.

What is the real position of the Indian economy? Who are contributing to India's growth in real terms? India's GDP is dependent mainly on five to six States which contribute in a big way. I will talk about the major contributors to the National GDP. Maharashtra is leading with 14 per cent of the share to the GDP followed by Tamil Nadu, U.P., Gujarat and Andhra Pradesh. Each one is contributing 8 per cent to the GDP followed by West Bengal and Karnataka with 7 per cent and 6 per cent respectively. All other States are contributing a

very meagre share. That being so, what are we getting in return? In poultry, we are gasping for breath in terms of our share of money from the Centre upon which I will narrate now.

Let me first take up the unpaid claims. There are long-pending requests of the State of Tamil Nadu to get the due amount released by various Union Ministers under several Centrally Sponsored Schemes. It is observed that many Ministers have gone back from their commitments on unconvincing grounds. Due to this, there is a total unpaid claim of Rs. 6,066.5 crore which is adversely affecting the resources of the State Government leaving the State with high revenue deficit. One of the claims amounting to Rs. 522 crore which relates to the grants given during the 13th Finance Commission.

The Ministry-wise pending claims had been listed by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu in his letter dated 11-4-2018 to the hon. Prime Minister. Hon. Chief Minister had written two more letters on 14-6-2018. In one letter he described the plight of both SC and ST students who are admitted under Management Quota in higher and technical institutions in the State. Since the Centre has revised the guidelines for the Post Matric Scholarship Scheme since April 2018, several students belonging to the communities have been severely affected. I would like to proudly say that Tamil Nadu has the highest enrolment ratio in the higher education in the country of more than 45 per cent solely because of the scholarship provided to them.

The Government of Tamil Nadu is effectively implementing the Centrally-sponsored scheme for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled

Tribes. Due to committee liability the finances of the State Government have been to put to a lot stress. The State is yet to receive an amount of Rs.1,803.4 crore arrears up to 2017-18 from the Government of India. I request the Centre to immediately release the Central Assistance to Tamil Nadu.

Through the second letter on the same day the hon. Chief Minister brought to the notice of the hon. Prime Minister the serious financial constraints the urban and rural local bodies are facing due to the non-release of second instalment of 14th Finance Commission's Basic Grant. Due to the court case regarding elections to the local bodies, the second instalment is not released by the Centre. This is depriving the urban and rural local bodies from discharging their basic civic functions. It is pertinent to point out here that the 14th Finance Commission did not say that the funds should be released only if the elections are held for urban and rural local bodies. Madam Speaker, hence I request the Government to immediately release the second instalment of Basic Grant of Rs.1,390 crore and Performance Grant of Rs.560 crore to the urban and rural local bodies for the year 2017-18 and also the first instalment of Basic Grant of Rs.1,608 crore for the year 2018-19.

In the case of grants-in-aid for implementing various Centrally-sponsored schemes, Tamil Nadu witnessed a huge downturn which is not the case with other similarly placed States. Without going to how much other States have got, I would like to say that Tamil Nadu had a shortfall of Rs.570 crore this year as grants-in-aid from the Centre. Though the Union Finance Minister claims that the share in devolution of the Central taxes has been

increased to 42 per cent, in reality the effect has been neutralised by the reduction in the horizontal devolutionary share of Central taxes from 4.969 per cent 4.023 per cent. This is the highest erosion of share among all the States. Yet, the combined effect of Tamil Nadu's overall share in Central taxes has increased only marginally from 1.59 per cent to 1.69 per cent.

The 14th Finance Commission had announced an unfair and unscientific formula which singles out the welfare State Tamil Nadu. We feel that Tamil Nadu has been penalised for the State's achievement in economic development and population control.

The Government of Tamil Nadu requested the Centre to provide an annual special grant of Rs.2,000 crore each year for the remaining period of the 14th Finance Commission which is acceded to so far. I request the Government to kindly consider and accede to this demand.

Madam Speaker, due to the repeated punishment and unfair treatment meted out to Tamil Nadu by successive Finance Commissions for achieving higher growth, we requested a change in the Terms of Reference of the 15th Finance Commission so that due weightage is given to performing States like Tamil Nadu.

Coming to the GST, it has been implemented more than a year ago. The country has to understand the impact of implementation of the GST in India over the last one year.

I would like to point out that Tamil Nadu has been one of the best performing States after introduction of GST. But there is going to be a significant shortfall in settlement amounts due to Tamil Nadu under the new GST regime. I request the Government to consider and rectify the aberrations.

Coming to Bills, we hear that the Ministry of Human Resource Development has proposed a draft bill for setting up a higher education commission replacing the age-old University Grants Commission. The Government of Tamil Nadu is of the view that the existing institutional arrangement of the University Grants Commission with regulatory and financial powers is functioning quite well. So, there is no need to disband the University Grants Commission by replacing it with a higher education commission. In the proposed Bill, the financial powers are supposed to be transferred to the Ministry of Human Resource Development. All of us have apprehensions in this regard. So, we oppose the proposed Bill and plea that the present framework of the University Grants Commission should be allowed to continue.

We also hear from the Government that it proposes to bring Dam Safety Bill which was approved by the Union Cabinet on 13.06.2018. This House may recall that a similar bill was introduced during the UPA regime in 2010. That Bill was objected to by then Chief Minister of Tamil Nadu, hon. Dr. Jayalalitha. Fortunately, it did not see the light of the day. Now, the present Dam Safety Bill is violating the rights of Tamil Nadu. In this regard, the Tamil Nadu had adopted a unanimous resolution on 26.06.2018 that urged the Central Government to take up the legislation only after consulting the States. The

Resolution also urged that till the time there is a consensus, this should be kept in abeyance. In view of the above, I request the Government not to bring forward this Bill. This Bill is not going to affect only Tamil Nadu, but other States as well. Firstly, the Centre must resolve all the inter-State river water disputes before bringing this Dam Safety Bill.

Hon. Speaker, women's safety, mob lynching etc. are very important issues that plague the nation. A global report in one of its surveys mentioned that India is the world's most dangerous country for women. The reason for this is illiteracy, unemployment and drugs. Drug addiction is the major problem. The Centre cannot wish away by saying that it is a State subject and it is the responsibility of States to take care of the menace. I would like to point out that States do not procure or produce drugs; drugs are being illegally smuggled into the country through porous international borders. Safeguarding the international borders is the responsibility of the Centre and the Centre should seal the porous borders so that drugs are not smuggled in. Mob lynching is another issue which needs to be paid sufficient attention so that it does not take place in any part of the country.

14 33 hrs

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Women's Reservation Bill has been pending for a long time and this is the right time that we take up the Bill for consideration and passing with consensus. We are thankful to the Government of India led by Prime Minister Shri Narendra Modi and the Indian judiciary for having constituted the Cauvery Management Board. Former Chief Minister *purutchi thalaivi amma* made a lot

of efforts and sacrificed a lot for constitution of Cauvery Management Board. At the same time, I request the Government to see that the monthly release of water from Karnataka is properly monitored as mandated by the Supreme Court without any hitches for the sake of farmers of Tamil Nadu.

Hon. Deputy Speaker Sir, if the Government does not pay immediate attention to the aspects that I raised, people of the country and specially the people of Tamil Nadu may lose their confidence in the Central Government. So, I would like to iterate that there must be cordial relations between the Centre and States. The present AIADMK Government in Tamil Nadu has been following in the footsteps of earlier Governments headed by Dr. M.G. Ramachandran and *purutchi thalaivi amma* and functioning effectively for the cause of the people of Tamil Nadu. We are going to face the people in less than a year.

The AIADMK feels that the people who are the real masters will decide and give their verdict in 2019.

With these words, I conclude and thank you for the opportunity.

Thank you.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the No-Confidence Motion brought by TDP. The fact that TDP has brought a No-Confidence Motion is a sign of no confidence because TDP was an ally of BJP in 2014.

Now, I see another 'no confidence' in the Treasury Benches. Shiv Sena which is still an ally of the BJP and got a Minister in the Central Government has boycotted the House today. Apart from that BJD, which was neutral has also walked out. So, the 'no confidence' is already taking place.

The 'no confidence' is not a matter of number crunching. As our Chief Minister says, 'no confidence' is a matter of principles. 'Among the people', our chief Minister says, 'already there is no confidence in the Government'.

Wherever there is a bye-election held, the BJP has lost. They have lost in Uluberia in West Bengal by five lakh votes. In Gorakhpur, Phulpur and Kairana in Uttar Pradesh, they have lost. They have lost in Araria in Bihar. They have lost in Bhandara and Gondia in Maharashtra. They have lost in Ajmer and Alwar in Rajasthan. They have also lost in Karnataka Assembly elections. जहां भी चुनाव हो रहा है, बीजेपी हार रही है। यह याद रखिए। वर्ष 2019 में विरोधी लोग वन इज टू वन करेंगे और 2019 में भी बीजेपी हार जाएगी। ... (व्यवधान)

I want to mention that the Prime Minister of our country has become a travelling ... * Like a ... *he went to West Bengal and addressed a meeting without any reason. He did not announce any new project; he did not praise

* Expunged as ordered by the Chair.

the State Government for its success in Kanyashree Scheme for looking after the girl children. He did not mention that in West Bengal the rate of growth is 12 per cent, higher than any other State in the Country. What did he talk about? He talked about two things. He said if Trinamool Congress is there, there will be no Durga Puja. He tried to polarise the State, which is absolute bunkum. The other thing he talked about was the Trinamool syndicate. प्राइम मिनिस्टर डिसकोर्स को कितना गिराएंगे? देश के प्रधान मंत्री सारे देश के बारे में बताएं, विजन बताएं, फॉरेन पालिसी के बारे में बताएं। वे तृणमूल के सिंडीकेट के बारे में बता रहे हैं। ... (व्यवधान) उसे इतना गिराया कि बोलने के समय पंडाल भी गिर गया और 90 लोग घायल हो गए। ... (व्यवधान) उन्होंने सिंडीकेट के बारे में बताया। मैं मोदी सिंडीकेट के बारे में बताऊं। ... (व्यवधान) एक ललित मोदी, एक नीरव मोदी और एक बड़ा मोदी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) तीनों मिला कर एक सिंडीकेट है, जो देश को ... * प्राइम मिनिस्टर को अगर पॉलिटिकल स्पीच ... (व्यवधान) मैंने किसी का नाम नहीं बोला। ... (व्यवधान)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, he is talking about the Prime Minister. ... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : I am not yielding. ... (*Interruptions*) What is he talking about?

SHRI ANANTHKUMAR: It should be expunged. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, I will go through the record.

... (*Interruptions*)

* Expunged as ordered by the Chair.

PROF. SAUGATA ROY : I was speaking about the Modi syndicate. I will repeat it again. यही देश को लूट रहा है। ... (व्यवधान) Modi is not an unparliamentary word unless they make it unparliamentary. दूसरी बात, अगर प्राइम मिनिस्टर को पॉलिटिकल मीटिंग एड्रेस करनी है, तृणमूल के खिलाफ जीतना है, तो उनका जो मोटा भाई गुजरात से है, उसको भेजते। वे वहां भाषण दें। प्रधान मंत्री कोई काम करेंगे या घूम-घूम कर ट्रैवेलिंग सेल्समैन जैसा भाषण देंगे। यह शर्म की बात है। प्राइम मिनिस्टर की घूमने की यह आदत पड़ गई है। He has got a habit of travelling. He has made 41 trips to 52 countries, taking 165 days. The total cost of the trips is Rs. 355 crore; not only this, Rs. 1,088 crore is the cost of maintenance of aircraft; and Rs. 387 crore is the cost for chartering flights.

So, the cost of Prime Minister's foreign travel comes to Rs.1,800 crore. What have we achieved after Prime Minister's globetrotting except that he used to say, "Barack is my friend"? ऐसे कोई फ्रेंड नहीं बनता है। हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हुआ होगा तो ऐसे ही उसकी इज्जत होगी। प्राइम मिनिस्टर को इतना पैसा खर्च करके फेरी लगाने वाले जैसे घूमना नहीं है।

HON. DEPUTY SPEAKER: You, please address the Chair.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I will speak to you only.

The Prime Minister says that he has done something for the *kisans*. He is calling his rallies as '*Kisan Sankalp*' rallies. The farmers' suicide continues unabated. Sir, 2016-17 figures are not available but the total number of farmers' deaths in 2015 was 8,007. In 2015, 8,007 farmers committed suicides and 4,595 labourers committed suicides in 2015. In 2014, 5,650 farmers and 6,700 farm labourers committed suicides. The Prime Minister is spending

Rs.1,800 crore for globetrotting and poor farmers are committing suicides for lack of little money. When farmers protested, as they did in Mandsaur, Madhya Pradesh, the police fired on them killing five farmers. This is the friendliness.

The Prime Minister has tom-tommed that he has given a huge relief to farmers on 4th July. He had announced that MSP for *kharif* was increased by 150 per cent over production cost. This is all an eyewash. The Swaminathan Commission had recommended that 'C2', which is a comprehensive measure of cultivation cost that includes interest and the rental value, should be the basis of fixing the MSP. What the Prime Minister has cleverly done is, he has announced the MSP on the basis of 'A2' plus 'FL'. FL is Family Labour. This is much below the production cost and the whole exercise of announcing this rate for the farm labourers is a total eyewash.

In Maharashtra, the price recommended by the State Government for paddy is Rs.3,251 and MSP approved by the Central Government is only Rs.1750, which is almost the half. So, this whole thing of announcing MSP and addressing *Kisan Sankalp* rallies in West Bengal where his tent collapsed is all bogus, bunkum and an eyewash.

Sir, I want to mention a few things about the NaMo's DeMo. Arun Shourie describes demonetization as economic suicide. It has costed us Rs.3 lakh crore in GDP growth and wiped out 25 lakh jobs.

This is Modi's contribution to the country. Around 25 lakh jobs were wiped out only due to demonetisation. Then, what happened? Sir, you know that the total money which was involved in demonetisation was Rs. 15,44,000 crore. They were demonetised. How much money came back? About 15,28,000 crore came back. So, after causing so many deaths and so much harassment to the common people, only Rs. 16,000 crore was detected as black money. So, this is another *jhumla*, like he said that he will all the black money from foreign banks ... (*Interruptions*). He could not do so. The demonetisation proved to be a total *jhumla*. ... (*Interruptions*). One ...* man is shouting. I would not listen to him. ... (*Interruptions*) When demonetisation was announced on 8th November, 2016, then what happened? That was the time when the Rabi wheat sowing season was underway and Kharif marketing season was on. It had an adverse impact on the farmers' income – whether in the purchase of inputs or marketing of produce. These activities are in the hands of intermediaries who deal in cash. Farmer suicides happen because of this. It is because they were deprived of their income. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please let him speak. ...

(*Interruptions*)

* Not recorded.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, economically, GDP growth has fallen to 6.6 per cent in 2017-18 from 8.2 per cent in 2015-16. Modi has throttled the country's economy. Only people who gained was one ... *. He has around Rs.700 crores in a cooperative bank in Ahmedabad. These are the only people who gained. ... (*Interruptions*)

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): He is taking the name of a person who is a Member of another House. That should be expunged. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The name will be expunged. Please continue. The name will be expunged.

PROF. SAUGATA ROY : I have not named anyone. ... (*Interruptions*)

I will now slowly come to the conclusion. What is the conclusion? The BJP's economic policy has caused a disaster in the country, brought down the rate of GDP growth, caused unemployment among lakhs of people and it has led to scam.... (*Interruptions*) नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, इन सब स्कैम्स के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है...(व्यवधान) Their names are linked to the BJP. The banks are in a horrible condition. Do you know that the total NPA of banks today is Rs. 9 lakh crore? The Reserve Bank has asked certain banks not to lend any money. Like Dena Bank is not allowed to lend any money. So, where will the country's economy grow?

Lastly, I want to say that the BJP was very rattled when Shri Rahul Gandhi mentioned about 'Rafael'. The hon. Defence Minister did not reply as to why the price of Rafael was hiked. She presented a secret and confidential document to the Parliament without any authentication, which is totally unparliamentary. She should not have done that. She has failed in her duties.

Finally, what is happening in India? We are living in an atmosphere of fear. Thirty-one people across more than ten States were murdered from May 10 to July 1, 2018. Five members of a nomadic community were lynched in Phule, Maharashtra on July 1, 2018. One Minister garlanded a group of convicts who were found guilty of lynching a Muslim trader in June 2017 in Jharkhand. On July 17, the Supreme Court has asked Parliament to pass a law establishing lynching as a separate offence with punishment.

Earlier Muslims were lynched in the name of cow protection. In 2015, Mohammad Akhlaq was lynched in Dadri village of Uttar Pradesh. In April 2017, Pehlu Khan, a trader, was killed in Alwar, Rajasthan. In June 2017, a juvenile was trapped to death on a train near Faridabad Station. In Una, Gujarat, dalits were flogged. Many such other cases have happened apart from killing of nationalists like Dabholkar, Punsare, Kalburgi and Gauri Lankesh by Hindu zealots.

The BJP wants Congress Mukht Bharat. But in fact they want Muslim Mukht Bharat. We want a *bhaya mukt* Bharat. Trinamool Congress wants to follow Tagore's dictum. We want a society where the mind is free and the head is held high. We want India to rise to that level and not to this communal BJP level.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the No Confidence Motion.

First of all, let us thank the hon. Speaker, Madam, for allowing a discussion on the No Confidence Motion in this Monsoon Session. There were many disruptions in the Budget Session on the same issue. Normally, the No Confidence Motion is discussed on the performance and non-performance of the Government. After four years, we are debating the performance and non-performance of the Government. The speaker who spoke just before me made observations with regard to the performance and non-performance of the Government also.

Sir, I can say that people expectation from this Government across the nation have not been fulfilled. They are not fulfilled by Modi Ji's Government. In particular, the people of Telangana were annoyed on the first day of the governance of this Government. Sir, you are well aware, the first Cabinet of the Modi Government took a decision for promulgating an ordinance which was against the spirit of the Constitution. That ordinance took away seven Mandals from Khammam District, Telangana ... (*Interruptions*). Mr. Jayadev, you are not having the correct information. Till 1952, Khammam was part of Warangal District. Khammam became a district in 1952 in the Hyderabad State. This is a fact which you are not aware of.

HON. DEPUTY SPEAKER: You please address the Chair.

SHRI B. VINOD KUMAR : Sir, those seven Mandals were snatched away from the new born State of Telangana. When the Bill was introduced in this House

to replace that Ordinance, we, the Members of the *Telangana Rashtra Samiti*, took serious objection. I think all the Members of the House should recollect that day. On the first day of this 16th Lok Sabha, we discussed that Bill at length which was regarding the merger of those seven Mandals in the State of Andhra Pradesh.

Sir, this decision was taken by the hon. Prime Minister Modiji and the Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Chandrababu Naidu during their honeymoon period. ... (*Interruptions*) Shri Chandrababu Naidu said many times to the Press that he did not take oath as Chief Minister till these Mandals were merged into the State of Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*) Shri Chandrababu Naidu himself expressed: 'I told the Prime Minister that until and unless these Mandals are merged into the State of Andhra Pradesh, I am not going to take oath as Chief Minister of Andhra Pradesh. Those were the days.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Vinod Kumar, please come to the point.

SHRI B. VINOD KUMAR : Sir, whatever it may be, the first decision of Modiji's Government annoyed us and the people of Telangana will never forgive this Government. So, we demand here that a new Bill should be brought before this House to amend the Andhra Pradesh State Re-Organisation Act to ensure that those seven Mandals are, once again, merged into the State of Telangana. The reason why I am asking this is because a hydel project, Sileru Hydel Project, which is located in these seven Mandals, was snatched away from Telangana. Telangana was a new born State and so, immediately there

was dearth of power in our State. But this hydel project was snatched from the State of Telangana.

Moreover, the Chief Minister of Andhra Pradesh took a decision against Section 92 of the Andhra Pradesh State Re-Organisation Act. Section 92 of this Act ensured the State of Telangana that power should be supplied from the Government of Andhra Pradesh till we construct our own power projects. But unfortunately, their Government took that decision. In spite of this, our Chief Minister Shri K. Chandrashekhara Rao, who is popularly known as 'KCR', took a decision immediately, he went into neighbouring States, entered into Power Purchase Agreements with Chhattisgarh and other States to purchase power and today we ensured the people of Telangana, particularly the farming community 24x7 power supply. That is free power and full supply of power without any interruption.

Sir, our Government opposed that Ordinance. Today, Shri Jayadev Galla requested to allocate some money for the Polavaram Project which they are constructing now. We are not concerned with their request with regard to allocation of funds. We are not coming in the way. Let them have whatever amount they want. What happened to the Polavaram Project?

15 00 hrs

Regarding Polavaram project, at the time of enacting the Act, the Congress Government also never thought of Telangana State. It ensured the allocation of Central Government funds to the Polavaram project in Andhra State. Sir, Telangana State has a few demands. The first demand is

regarding allocation of water. We have two rivers – the Godavari and the Krishna. As you know Sir, Telangana is on the Deccan plateau. We have to lift water from both the rivers, that is from the Godavari and the Krishna. Sir, immediately after formation of the State of Telangana, our Chief Minister Mr. KCR went to the neighbouring State of Maharashtra. He made a request for constructing a dam at Tummidi Hatti. They refused. So, immediately we re-engineered the Pranahita-Chevella project. We are constructing three barrages on river Godavari i.e. at Medigadda, Sundilla and Annaram.

Sir, we could convince the Maharashtra Government and later on we all the Members of Parliament in Delhi approached different Ministries. The Minister of Environment and Forest is also here and we could ensure that the permissions were given to all these projects. Sir, now the Congress Party in our State is making a hue and cry and they are approaching different forums and court and trying to stall these projects. The Congress Party, the UPA Government failed to ensure financial assistance to these projects either on River Godavari or River Krishna. So, now we request hon. Prime Minister to make an announcement today for Telangana people. Four crore Telangana people are watching or going to hear and they feel that hon. Prime Minister should make an announcement today in this House for allocation of funds for the projects we are constructing on Rivers Krishna and Godavari. They can choose whichever project they want to, but such a project should be declared as a national project and we should be given some amount as they are giving it to the Polavaram project.

The Congress Party in its enactment failed to make a clause in the Section. Had it been there, today we would have asked the Government to implement the Act. But unfortunately, that was not ensured. However, after our Chief Minister got all these permissions - these projects required statutory permissions - we have approached many financial institutions and now we could get some amount through borrowings and we are constructing those projects.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please try to be brief.

SHRI B. VINOD KUMAR : Sir, nobody is speaking on this Act. All these parties are speaking on issues other than what is there in this Act.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You please address the Chair. Do not divert your attention. Please come to your point.

SHRI B. VINOD KUMAR : They are not serious on our subject. ... (*Interruptions*). So, you should give some time. The motion moved is on the subject of AP Reorganization Act. So, you should give some time to us.

Regarding the other provisions in the Act, the most important issue is with regard to the assurances given to us. They have assured to give us a Tribal university. Sir, day before yesterday, the Government of India had enacted a law to give a Central university to the State of Andhra Pradesh. Sir, there is an assurance in the Act for a Tribal university to be established in the State of Telangana and our Government has shown 180 acres of land for construction of such a university. But to this date, they have not come forward and I hope today the hon. Prime Minister will also answer this issue.

Sir, there is another assurance regarding the construction of a steel factory at Bayyaram by SAIL which was categorically mentioned in the Act. But to this date, nothing has happened. They have not taken any steps to see that such a factory is constructed in the State of Telangana. Regarding other assurances, some have been fulfilled to some extent. Regarding the national thermal power project, we were assured of 4000 MW, but now they have already taken steps to construct 1600 MW project at Ramagundam.

The hon. Minister, Shri Gadkari has already given his consent for all these projects.

Sir, with regard to railways, there was a demand during the Telangana agitation itself for construction of a rail coach factory at Kazipet. This was also assured in the Act, but to this day, the Government has not taken any step for construction of a rail coach factory at Kazipet.

Sir, the other railway lines and projects which we had asked for, are under consideration, and I am not going to say anything more on them. Now, the land acquisition is also under process. We hope that these projects would come up shortly.

Sir, now, I am coming to the most important point, which is regarding setting up of a separate High Court. It was under Section 31 of the AP State Reorganisation Act. This Act specifically mentioned about having two separate High Courts for the two successor States, one each for Telangana and Andhra Pradesh. The former hon. Law Minister, Shri Sadananda Gowda is very much

here. He had made a statement in this House that it would be considered as early as possible in the year 2016. But to this day, nothing has happened.

Sir, it is only because of their Chief Minister ... (*Interruptions*) They have constructed a Secretariat and they have constructed a city ... (*Interruptions*) They have constructed a State Secretariat... (*Interruptions*) They have constructed their State Assembly in a record time but they have not taken any step to construct a High Court ... (*Interruptions*) This is only with ill motive. I want to say that it is their ill motive because in the present High Court at Hyderabad, which serves both these States, the majority of the Judges are not from our region ... (*Interruptions*)

Sir, I do not want to attribute anything. But unfortunately, they have ill intentions for not having their own High Court. Why are they not coming forward to have their own High Court? That is the issue. That is why I want to know from them ... (*Interruptions*)

Sir, in spite of all these hurdles, our Chief Minister has taken steps. There are two flagship programmes, particularly with regard to the rural community. One is restoration of water bodies. It is called 'Mission Kakatiya'. We are restoring around 46,000 water bodies in the State of Telangana. The NITI Aayog, which is the brainchild of the hon. Prime Minister, had proposed Rs. 5,000 crore for this flagship programme. Many a time, under the leadership of our leader, Shri Jithender Reddy, we approached the Finance Minister on this issue. In spite of the recommendations made by the NITI

Aayog, they have not come forward to allocate these Rs. 5,000 crore for 'Mission Kakatiya'.

Sir, there is another flagship programme called as 'Mission Bhagiratha'. Our Chief Minister, Mr. K. Chandrashekhar Rao has taken a decision that each household in the State of Telangana, right from a tribal hamlet to the city of Hyderabad, should have a tap connection with filter water. For this programme, an allocation of Rs. 40,000 crore was made, and it is in progress. Here also, the NITI Aayog had proposed Rs. 19,000 crore as grants to the State of Telangana. Many a time, our hon. Chief Minister KCR had met the hon. Prime Minister and requested him to release this fund, which was proposed by the NITI Aayog, his own brainchild. Seeing all these projects, the NITI Aayog had recommended these allocations. But unfortunately, not even a rupee was allocated.

Now, on this day, we are requesting the hon. Prime Minister that while replying to the No-Confidence Motion, he should answer all our points and he should also ensure that these allocations are made to the State of Telangana.

Sir, there are many other issues in the AP State Reorganisation Act with regard to the bifurcation.

Today, they made a request that they want tax incentives. Yes, the other Special Status States have this tax incentive. We are not coming in their way as far as the allocation of funds and allotment of some scheme to them is concerned. We do not have any objection also. In the year 2014, when there was a discussion on tax incentives, Congress Party Chief Minister from

Karnataka and the senior MP Mr. Veerappa Moily also opposed it. The former Chief Minister of Tamil Nadu, Madam Jayalalithaa also opposed it and had written a letter to the Government of India regarding the tax incentives. I want to ask one thing from Mr. Rahul Gandhi today. Very recently, there was a statement in the Press that if they come to power in 2019, they will ensure Special Status to the State of Andhra Pradesh. Do they mean that they are also going to give tax incentives? That is what we want to know or the people of Telangana want to know. It is because neither they nor we want to hear false promises. What is special status? That should be defined or you redefine it.... (*Interruptions*) There is no Act for Special Status.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

... (*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR : There is no Act for Special Status. It is a decision of the National Development Council regarding giving Special Status to any State.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

... (*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR : Sir, I want to know from Bharatiya Janta Party leadership and also Congress Party leader Mr. Rahul Gandhiji – they should specify – as to what is Special Status. What they want to ensure?

HON. DEPUTY SPEAKER: No, forget about it. Tell us what you want.

... (*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR : Sir, this is very important. This fighting should not continue even after 2019.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, that is a different issue. Whatever points you want to make, you may do so.

... (*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR : It should come to a logical conclusion. My contention is that the assurances given in Andhra Pradesh Reorganisation Act for my State, Telangana, should be fulfilled. The hon. Prime Minister, while replying to the debate, should answer us. I would also like to request Mr. Rahul Gandhiji to respond to my query. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: He cannot respond here.

... (*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR : No, their Party should answer as to how they will ensure Special Status to the State of Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Mulayam Singhji.

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज की बहस महत्वपूर्ण है। इसे महत्वपूर्ण बनाना सरकार के अधिकार में है। यदि सरकार ने केवल चुनावी वादे ही पूरे किये होते, तो देश सम्पन्न हो जाता। क्या कहा गया था? कहा गया था कि साधारण परिवार के लोगों को 15 लाख रुपये देंगे। दो करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरियाँ देंगे। उसके बाद भी कई बार यह कहा गया। इस बात से ये सहमत हैं, लेकिन आज बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जब अकेले बात होती है, तो ये इसे स्वीकार करते हैं।

आज मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। दो-तीन साल पहले मैं इस बात को कह चुका हूँ। केवल किसान, व्यापारी और नौजवानों को सुविधाएँ दे दी जाएँ, तो वे सम्पन्न हो जाएंगे, वे मजबूत हो जाएंगे। किसानों के पैदावार की जितनी लागत होती है, उनको कहाँ तक पैदावार के दाम देंगे, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे धंधे, सारे व्यापार में मुनाफा है और केवल किसान को घाटा है।

किसान की सिंचाई, खाद आदि सारी चीजें महंगी हो गईं। किसान की पैदावार का जो लागत मूल्य है, उसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने फिर कहा है कि वे उसका ब्यौरा देंगे। मुझे खुशी होगी कि यदि वे उसके बारे में आज अनाउंस कर दें। यह सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी इसके बारे में कहता रहे, लेकिन इसके कई उदाहरण हैं। शुरुआत में अमेरिका बहुत गरीब देश था। सबसे पहले उसने अपने किसानों को अवसर दिया और किसान को उसकी पैदावार का घाटा नहीं होने दिया। अगर वहाँ गेहूँ की पैदावार ज्यादा हो गई, तो उसे समुद्र में फिंकवा दिया गया, लेकिन किसान को घाटा नहीं होने दिया। हमारे यहाँ सारा घाटा किसान को ही है। खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है और पानी भी महंगा है। अब सिंचाई महंगी हो गई है। ट्यूबवैल की सिंचाई भी आज महंगी हो गई है।

15 17 hrs

(Shri Kalraj Mishra *in the Chair*)

यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये लोग किसानों के परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। जब किसान संपन्न होगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जब उन्हें मौका मिलेगा तब ही तो देश संपन्न होगा। इसके साथ-साथ मैं देख रहा हूँ कि अब यह खबर

आई है कि दो करोड़ पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। आप बताइए कि जब हमारे देश में दो करोड़ बेरोजगार हैं, तो देश कैसे संपन्न होगा? अगर हम सभी कोशिश करें, तो उन सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। मैंने ऐसा कर के दिखाया। जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तब वहाँ सचिवालय के अधिकारी अपने लोगों को ही वहाँ रखते थे। मैंने इस पर सख्ती की और कम से कम तीन हजार से लेकर पांच हजार, फोर्थ क्लास से लेकर बड़े पदों पर लोगों को रोजगार दिया, उन्हें नौकरी दी। आप लोगों को इस बारे में सब पता होगा।

इसके अलावा किसान की खेती के लागत मूल्य के बारे में भी काम किया। मैंने सभी व्यापारियों को बुलाया और उनसे कहा कि अगर हम व्यापारी, किसान और बेरोजगार नौजवानों की समस्या को हल कर दें, तो यह देश संपन्न हो जाएगा। आज व्यापारी परेशान हैं, किसान परेशान हैं। सरकार ने बेरोजगारों को कोई नौकरी ही नहीं दी। पता नहीं क्या हो गया? हमने पी.ए.सी., पुलिस, होम गार्ड आदि सब मिलाकर छह लाख बेरोजगारों को नौकरी दी थी। आज वे सब अपनी जगह लगे हुए हैं, कोई सचिवालय में है, कोई कहीं और है। सब प्रमोशन पा गए हैं। इसके बाद हमारी सरकार चली गई। आपकी यहाँ भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। आप पता लगाइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? आज सब परेशान हैं, किसान भी, नौजवान भी और हमारी व्यापारी भी।

हम देश को संपन्न बनाना चाहते हैं। मैं इस बात को इस सदन में काफी दिन पहले रख चुका था। हमने कुछ करने की कोशिश की। उस समय की उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, भले ही वह बी.जे.पी. की सरकार थी, उसने थोड़ी-बहुत हमारी बात मानी और कुछ काम भी किया। अब ऐसी सरकार आ गई है, जिसके बारे में आप सबको पता ही चल रहा होगा, अच्छी तरह पता चल रहा होगा। कोई ऐसा नहीं है, जो दुखी न हो। बी.जे.पी. के लोग दुखी हैं। हम उनका नाम नहीं लेंगे, उनके बारे में अकेले में बता देंगे। वे लोग इतने दुखी हैं कि वे रो पड़े और उन्होंने कहा कि हम तो बर्बाद हो गए। ये बी.जे.पी. के लोग हैं। हम तो विपक्ष के लोग हैं, चलो ठीक है, लेकिन आप लोग तो सत्ता में हैं, आपने सत्ता बनाई है और वादे भी किए हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वे साधारण

नागरिक को 15 लाख रुपये देंगे, दो करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हम क्या-क्या गिनाएं कि उन्होंने क्या-क्या कहा था। उन्होंने उसमें से एक भी काम नहीं किया। जब सरकार सत्ता में जाएगी, तो लोग उससे निश्चित रूप से पूछेंगे।

किसान, नौजवान और व्यापारी जागरूक हो चुका है। आज सबसे ज्यादा घाटे में व्यापारी और किसान है। किसान और व्यापारी बर्बाद हो चुका है। मैं अपने साथियों को फिर दोहराना चाहता हूं कि आप प्रधान मंत्री जी पर दबाव डालिए। हम तो उनसे मिलकर कह चुके हैं। उन्होंने न नहीं कहा है, लेकिन किया भी नहीं है। यह सरकार न करती नहीं है और न ही काम करती है। इसका क्या इलाज है? अगर न कर दें तो हम कह सकते हैं कि हम उनसे मिलकर आए और उन्होंने न कर दी है। हम आपसे आज कहना चाहते हैं कि जो भी हमने कहा था, वह लागू नहीं किया। हमारे साथी बृजभूषण शरण सिंह जी बैठे हैं, वह हमारे साथ थे। हमने दवाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, बीमार को अगर विदेश जाना पड़ा तो उसको खर्च दिया, क्योंकि पैसे के अभाव में बीमार की जान चली जाए, यह हम नहीं सोच सकते थे। जो हम करके आए, वह अब भी मुफ्त तो है, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इसलिए चल रहा है। लेकिन और सुविधाएं नहीं बढ़ायी गयी हैं, बल्कि उनमें कटौती की गयी है और चतुराई से की गयी है। जनता समझ नहीं पाए और थोड़ी-थोड़ी करके कम कर दो। कौन सा तरीका अपनाया है, उसको आप जानते हैं? यह सही है कि अभाव है और हम मानते हैं कि यूपी में पैसे का अभाव है। मुख्यमंत्री इसमें क्या कर सकता है? उत्तर प्रदेश देश का 1/6 भाग है। अगर वह सम्पन्न हो जाता है तो हिन्दुस्तान तो सम्पन्न हो ही जाएगा। इसलिए वहां सुविधा देनी चाहिए। किसान और बेरोजगारों को पूरे देश में सुविधा दी जानी चाहिए। ये दो काम कर दीजिए। किसानों की उपज बेचने का इंतजाम कर दीजिए। व्यापारी लोग समझते थे कि हमें फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन हमने लखनऊ में बैठकर पता लगा लिया है। सभापति जी, आप व्यापारियों को बुलाकर पूछ लीजिए। कुछ लोग तो रोने लग जाते हैं। व्यापारियों की इतनी हालत खराब हो चुकी है। जब व्यापारियों की यह हालत है तो किसानों की खरीद वे कैसे करेंगे? मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा किसानों को सुविधा दी थी। वहां किसानों की पैदावार बढ़ायी गयी।

जब खरीद नहीं हुई तो उन्होंने उनकी उपज को समुद्र में फिंकवा दिया, लेकिन किसान को घाटा नहीं होने दिया। इसीलिए आज अमेरिका आगे है। अमेरिका ने किसान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। उनकी बदौलत ही वह दुनिया में सबसे ज्यादा सम्पन्न हो पाया। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, प्रधान मंत्री जी से तो हम कह ही चुके हैं और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम कह चुके हैं और हम से उन्होंने न नहीं कहा है, हां कहा है। अब वायदा किया है कि करेंगे। अब करना है तो कीजिए। हम उनको बधाई भी देंगे, जब वे करेंगे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसान और बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए।

आज पूरे देश में कुछ नहीं हो रहा है। हमने सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, 16500 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। इसी की वजह से लोगों की जमीन नीलाम हो जाती थी। ये लोग कर्ज नहीं लौटा पाते थे और उस पर ब्याज पर ब्याज लगता जाता था और उसके बाद जमीन नीलाम हो जाती थी। हमारी सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, मथुरा का किसान हमारे पास आया और बोला कि हमारी जमीन नीलाम हो गयी है। मैंने पूछा कि कितना कर्जा था, उसने बताया कि पांच हजार रुपये था, मैंने पूछा कितना कर दिया, उसने बताया कि 27 हजार रुपये कर दिया और जमीन नीलाम कर दी, भूमि विकास बैंक का कर्जा था।

महोदय, आपको पता होगा, हमने वह रुपया किसानों के लिए कर्ज लेकर भूमि विकास बैंक को दे दिया, लेकिन किसान की जमीन नीलाम नहीं होने दी। हम एक सभा में सादाबाद में गए, पीछे से एक व्यक्ति खड़ा होकर चिल्लाने लगा। वह हमारे माफिक बोल रहा था, मैंने कहा कि इसे निकालो, यह हमारी सभा में गड़बड़ी कर रहा है। मुझे बताया गया कि आप ऐसा मत कहिये, यह आपकी तारीफ कर रहा है कि भगवान आ गए, मेरी जमीन बचा दी। आपको किसान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, व्यापारी को सुविधा देनी पड़ेगी और नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग और क्या बोलें। हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, यह हमें मिर्जापुर में बोलकर आए थे, हमें अखबार के माध्यम से जवाब दिया था कि पढ़ाई कैसे मुफ्त कर देंगे, दवाई कैसे मुफ्त कर देंगे, सिंचाई कैसे मुफ्त कर देंगे। लेकिन जब मैंने कर दिया तो हमने सोचा कि पूछने आएंगे, लेकिन

पूछने नहीं आए, लेकिन इनका व्यवहार सही था। किसान धन के अभाव में कर्ज चुका नहीं पा रहे होंगे, लेकिन किसान ने समर्थन वहां पर भी दिया। अब इसके बाद किसानों का क्या हुआ। आपके मुख्यमंत्री हैं, उनकी हम कोई आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन वह क्या कर रहे हैं, बता दो, कुछ पता नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री क्या कर रहे हैं? आज ऐसी हालत है। मैं बार-बार नहीं बोलना चाहता, मैं बता चुका हूं कि सरकार किसी तरह से किसानों और नौजवानों को रोजगार दे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, आप ही कुछ करिए, कैबिनेट मिनिस्टर कहे कि इतने नौजवानों को रोजगार देंगे। आज नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। दो करोड़ से ज्यादा नौजवानों के रजिस्ट्रेशन हैं, जो बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं। जब दो करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं तो देश कैसे सम्पन्न हो जाएगा, यह सम्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन यह सही है कि हिंदुस्तान का किसान सबसे ज्यादा मेहनती है और विशेषकर उत्तर प्रदेश का किसान बहुत मेहनती है, उसने अपनी हालत को अपनी मेहनत से और हमारे तथा आपके सहयोग से कुछ सुधारा है।

हम यह नहीं कहेंगे कि आपने नहीं किया, आपने भी उनका सहयोग किया। हमने आपसे आग्रह किया और आपने उनका सहयोग किया। इसलिए यहां जो बहस हो रही है, इस बहस में किसान के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है, फिर बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करेंगे? आप कुछ तो वायदा कीजिए। किसानों, बेरोजगारों और नौजवानों के लिए कुछ कहिए और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के मामले में प्राथमिकता दीजिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा है और देश का नागरिक शिक्षित है तो वही देश सम्पन्न है, जैसे अमेरिका है। अमेरिका का उदाहरण लीजिए, अमेरिका ने एक बार गेहूं समुद्र में फिकवाया था, लेकिन किसानों को घाटा नहीं होने दिया। अमेरिका ने किसान और शिक्षित नौजवानों को प्राथमिकता दी थी। उसी वजह से वह सबसे आगे निकल गया। हमारे यहां सबसे मेहनती किसान हैं और हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी उपजाऊ जमीन है, इतनी उपजाऊ जमीन अन्य देशों में नहीं है। हमारे देश में बहुत उपजाऊ जमीन है, उर्वरा जमीन है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी किसान और नौजवान बहुत परेशान हैं। अब आपने यू.पी. में किसानों

को सुविधा नहीं दी, नौजवानों को सुविधा नहीं दी और व्यापारियों को सुविधा नहीं दी। मेरा कहना यह है कि आप नौजवान, व्यापारी और किसानों को सुविधा दो और जिस किसी की जो भी जरूरत है, उन सबको दो।

उनको प्राथमिकता के आधार पर सुविधा देनी चाहिए, तब यह सब बंद हो जाएगा। ये सब जो बैठे हैं, ये किसानों के घरों से ही तो आए हैं। संसद के 80 पर्सेंट सदस्य तो किसानों के घरों से संबंधित होंगे। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मुलायम सिंह जी, अभी आप और कितना समय लेंगे?

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप उन किसानों को क्यों भूल गए हैं। आपसे तो हमारी बात होती रहती है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैंने कहा कि आपका भाषण समय सीमा से ज्यादा हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय राजनाथ सिंह जी ने, जो आज गृह मंत्री हैं, उस समय मेरी अपील पर कुछ सुविधा दी थी और हमारी बात को मान लिया था। लेकिन आपने विरोध कभी नहीं किया, हाँ किया, लेकिन किया कुछ नहीं था। यह सही है, आपने तो कुछ किया है। हम गलत नहीं कहेंगे, किसानों के लिए काम तो किया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : वे मुख्य मंत्री थे, इसलिए किया था।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हो रहा है, ठीक है। यह देश को संपन्न बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए हो रहा है तो तीन बातें ही मान लो, ज्यादा न मानों तो किसान, व्यापारी और बेराजगार नाजवानों को सुविधा दे दीजिए। इनको सुविधा देने से देश संपन्न हो जाएगा। इतना मेहनती किसान कहीं का नहीं है, जितना मेहनती यहां पर है। यहां पर भाई-चारा बहुत है। कुछ लोगों ने इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की है, हम नाम नहीं लेंगे, आप जानते हैं वे

यह बैठे होंगे! लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने जाता-पात और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं रखा। अभी तक बहुत कोशिश की गई, लेकिन यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चल नहीं पाया। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। लोहिया जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पिछड़े सौ में से 60 पाएं। क्या लोहिया जी बैकवर्ड के थे? नहीं थे, वे तो ऊँची जात के थे, उनके पिता जी अग्रवाल थे। लोहिया जी ने कभी अपनी जात नहीं बताई, लेकिन वे ऊँची जात के थे। आज भी मुझे खुशी है कि लोहिया जी का नाम सदन में और बाहर प्रधान मंत्री जी ने लिया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मुलायम सिंह जी, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें, अब समय काफी हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिए आज आपको समझ में तो कुछ आया है और आपकी इच्छा भी है। अब इस इच्छा में रुकावट कौन-कौन है, उसको आप लोग सोचिए। यह सच है कि इच्छा तो है। गृह मंत्री जी की इच्छा है, आपकी भी हो सकती है। आपने हमारा विरोध कभी नहीं किया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब समय हो गया है। आपने अपनी बात रख ली है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : इस बात से काफी लोग हैं चिंतित, और चुनाव आ रहा है, उसकी वजह से ज्यादा चिंतित हैं। उसका उदाहरण आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में लोक सभा की तीन सीटों के लिए उप-चुनाव हुआ था। एक था मुख्य मंत्री का क्षेत्र गोरखपुर, दूसरा था उप-मुख्यमंत्री का क्षेत्र फूलपुर यानी इलाहबाद और तीसरा कैराना लोक सभा क्षेत्र था। यहां तो आपका सब कुछ था, लेकिन फिर भी ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत गईं। ... (व्यवधान) इससे आपकी पार्टी को सीखना चाहिए कि हमारा सत्ता पक्ष होते हुए, सब कुछ होते हुए भी तीनों सीटें समाजवादी पार्टी कैसे जीत ले गईं। ये पुरानी बातें उनको याद आई हैं और सोचा कि यह सरकार आती, मज़बूत पार्टी

होती, तो हमें समर्थन देती। यह तो है संदेश, लेकिन दिक्कत है कि कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर गड़बड़ करते हैं। आपके कुछ लोग बड़े होशियार हैं, इसमें आप बुरा मत मानिए। वे मामला थोड़ा खराब कर देते हैं...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मुलायम सिंह जी, ज्यादा समय हो गया है, इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, यदि समय हो गया है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी से मिल कर कुछ कीजिए। हम उसमें साथ हैं। सारे नेताओं की मीटिंग बुला लो। माननीय गृह मंत्री जी तय कीजिए कि किसान, नौजवान और व्यापारियों के बारे में आपकी क्या राय है। आज व्यापारी कितना परेशान है, यह आप पता लगाइए। आज व्यापारी रो रहा है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह आप कई बार कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : व्यापारी रो रहा है। अगर आपको राय चाहिए, हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। हम ऐसी राय दे सकते हैं, जो आप मनेंगे भी और उस पर चलेंगे भी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

सभापति जी, अगर आपकी और ज्यादा इजाजत नहीं है, तो मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं विषय पर आता हूँ और विषय यह है “कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करती है।” जब सुबह यह चर्चा शुरू हुई तो यह अभाव और ज्यादा प्रकट हो गया। इसका कारण यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जब पहले वक्ता बोलने उठे तो वे मध्य प्रदेश चले गए। यहाँ केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के प्रति जो अभाव प्रकट हो रहा है, उसको डिफेंड करने की जरूरत थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इनके लिए कुशल कामना करता हूँ। वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक चार साल की यह सरकार है। आपकी सरकार बने, इसके लिए आपने एक मैनिफेस्टो निकाला था। मैंने आपका जिक्र इसलिए किया, क्योंकि इसके ऊपर बाकी जो तीन तस्वीरें थीं, वे मार्गदर्शक मंडली में चली गयीं। वाजपेयी जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी मार्गदर्शक मंडली में चले गये हैं। इसमें उस समय आपका नाम तीसरे नम्बर पर था। आप बरकरार हैं, बरकरार रहें, मैं ऐसी कामना करता हूँ।

सरकार को कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, सत्ता की जो पार्टी है, उनकी मार्गदर्शक मंडली को भी कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। आखिर कोई मार्ग आपको सूझे तभी तो आप मार्गदर्शक मंडली की बैठक बुलायेंगे। कहीं न कहीं दिशा इसलिए खो गई कि जो वायदे किए थे, यह आज का जो प्रस्ताव है, उसमें सीधे-सीधे सरकार से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा? चूँकि अभी एक साल बाकी है, तो जो वादा किया वह निभाना पड़ेगा। इसमें किसी क्रोध, राग, गुस्से की जरूरत नहीं है। मैं मैनिफेस्टो को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं इसे शुरू करता हूँ। काले धन के बारे में जो वाक्य था, यह अंग्रेजी में पेज संख्या पाँच पर लिखा था। “The process of bringing black money to India, what belongs to India, will be put in motion on priority.”

पिछले एक साल में विदेश से काला धन लाना तो छोड़ दीजिए, हमारे देश से जो डिपॉजिट सिर्फ स्विस् बैंक में गया है, अन्य भी बहुत से विदेशी बैंक हैं, उसमें 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जो सत्ताधारी लोग विरोधी पक्ष को यह कहते थे कि काला धन विदेश में जा रहा है, अब वे कहते हैं

कि जो धन विदेश में गया है, वह सादा है और जो देश में धन है, वह काला है, इसीलिए हमने नोटबंदी की है। वे कहे कि हमने ऐसा इसलिए किया कि सबको अपना-अपना रुपया जमा करना पड़ेगा। आप स्वदेशी लोग विदेशी बंधु हो गए। पहले आप कहते थे कि भारत से भागा हुआ भारतीय, (भा.भा.भा.) और अभी आप चार साल बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून ला रहे हैं। कल ही इस विधेयक का जिक्र हुआ है। उसके बारे में कुछ सोचा जाये। मैं दिशा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने लोगों से वादा किया था कि साल में दो करोड़ बेराजगारों को नौकरी देंगे। जो लेबर का स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है, वह टांय-टांय फिस्स कह रहा है। आपकी अजीब मंशा है, आप विज्ञापन देते हैं, आप डिजिटल इंडिया का पब्लिसिटी इवेंट मनाते हैं। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमने नौकरी दी है, लेकिन हमारे पास आंकड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है। वित्त मंत्री कहते हैं कि काला धन मिला है, लेकिन आंकड़ा अभी तक नहीं मिला है। आपने नोटबंदी की है, लेकिन कितने नोट जमा हुए, कितने नोट इश्यू किए हैं, हमारे पास यह आंकड़ा नहीं है। डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ मन की बात और वीडियो कान्फ्रेंसिंग करना नहीं है। हम सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड पावर अपने को कहते हैं। आप डिजिटल इंडिया के विज्ञापन दे रहे हैं और जियो-जियो करके पुकार रहे हैं। नोटबंदी के समय कह रहे थे कि सब कुछ कैशलेस होगा।

नोटबंदी के समय आप कह रहे थे कि अब सब कुछ कैशलेस होगा। नोटबंदी से पहले जितने हजार लाख करोड़ रुपये बाजार में थे, आज उससे ज्यादा है। उस वक्त अखबार में भी कुछ छप रहा था, आप भी बोल रहे थे कि अब पान दुकान, हमारे पार्लियामेंट का कॉफी शॉप, सब डिजिटल हो गया और अब सब मशीन के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है। फलॉ गांव डिजिटल हो गया, कैशलेस हो गया। आपको बोलना चाहिए कि आखिर हमने तीन सालों में, चार सालों में क्या प्रगति की है?

अभी वर्ल्ड कप हुआ। हमारे भारत के एक बड़े मैग्जीन के कवर पेज पर प्रधान मंत्री जी को दिखाया गया कि वे उसमें गोल स्कोर कर रहे हैं। मैं फ्रांस को लेकर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, अभी मैं राफेल डील की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भाषण दे रहे हैं कि इतने गोल्स हुए। चूंकि आप

सबको प्लेयर्स की हैसियत से मैदान पर नहीं उतारा गया, बल्कि सब के हाथों में गोल पोस्ट्स तमा दिए गए। जिधर प्रधान मंत्री जी शॉट मारेंगे, वहां ले जाकर गोल पोस्ट बैठा दें। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रहे हों तो कहें कि यह देखो, हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, विदेश को एकदम सबक सिखा दिया। जब नोटबंदी हुई तो आप कहें कि अब काला धन खत्म हो गया, फर्जी नोट्स खत्म हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आपके हाथों में तो वह डंडा पकड़ा दिया गया है, जैसे बचपन में खेलते थे और पूरा गोलपोस्ट नहीं होता था। उस समय हम ईंट रखकर, कपड़ा रखकर पोस्ट बना लेते थे। हमारे जो भाजपा के सांसद हैं, उनकी हालत यही हो गयी है। यही सबसे बड़ी परेशानी है। इसी के कारण जब हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं, चाहे वह नोटबंदी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे डोकलाम वाला मामला हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का विषय हो, जब हम इनके बारे में आंकड़े मांगते हैं तो हंगामा खड़ा हो जाता है। आज सुबह हमने यह देखा जब यह 'आस्था' वाला प्रस्ताव हम पिछले दो सत्रों से लाना चाह रहे थे। जब हम कार्य-स्थगन प्रस्ताव चाह रहे थे तो उसके न होने का क्या कारण था? उसमें बाधा कहां से आ रही थी? उस समय एडजर्नमेंट्स किसलिए हो गया था? अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप उसे सामने लाकर रखेंगे, 'हाथ कंगन को आरसी क्या?' इसलिए हम चाह रहे थे कि इसमें सीधा-सीधा 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो।

सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार यह कहती है कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ, वह हमने कर दिखाया। यह सही है। लेकिन, दूसरे ही क्षण कहती है कि 70 सालों में देश बर्बाद हो गया। 70 सालों में जितना सत्यानाश और बर्बादी हुई, आपने वह चार सालों में करके दिखा दिया। आप कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के 40-48 सालों में कुछ नहीं हुआ, आपके विरोधियों के जमाने में कुछ नहीं हुआ, और फिर आप कहते हैं कि उन्होंने जो किया, वह हमने चार सालों में ही कर दिया। अगर वे सत्यानाश के रास्ते पर ले जा रहे थे तो आप सत्यानाश के रास्ते से देश को वापस लाते। लेकिन, आप भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जब इस पर तर्क होता है और आपसे यह कहा जाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया तो आप कहते हैं कि नहीं, आपके

जमाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। आपसे कहा जाता है कि आपने हवाई जहाज खरीदने में यह किया तो आप कहते हैं कि आपने इतनी कीमत पर खरीदा और हमने इतनी कीमत में खरीदा। जब आप अपने कपड़े सड़कों पर धोते हैं तो इससे यह अच्छा होता है कि हम जैसे आम जन को यह सच्चाई मालूम हो जाती है क्योंकि उससे जो गंदगी निकलती है, वह सब बाहर आ जाती है, नहीं तो यह सब कुछ चोरी-छिपे होता है।

इस सरकार ने नोटबंदी के मामले में एक biggest economic gamble किया। उससे हमारे हाथों में कुछ नहीं आया। जब आप से हम आंकड़ों के बारे में पूछते हैं तो आप कहते हैं कि इसके आंकड़े नहीं हैं। पब्लिक के पास मई, 2018 में जो करेंसी थी, वह थी - 18,578 बिलियन। नोटबंदी से पहले नवम्बर, 2016 में वह 17,564 बिलियन थी। आप जो विज्ञापन देकर कैशलेस की बात कर रहे थे और यह कह रहे थे कि अब नोट के सहारे नहीं होगा तो उसकी जगह पर ऑलरेडी एक हजार बिलियन के करेंसी नोट आपने बाजार में बढ़ा दिए । आप घोषित कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। मुँह में कुछ, घोषणा में कुछ, विज्ञापन में कुछ और हकीकत में कुछ और है। अपने विज्ञापन को देखकर, पी.आई.बी. के हैंडनोट्स को देखकर आप समझा रहे हैं कि आपने यह कर दिया, वह कर दिया, पर हकीकत का सामना करने के लिए आपको किसानों के पास जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के किसानों के पैरों से खून निकल रहा है और फिर भी वे सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं, उसे आप आँख मूंद कर मत देखो।

किसान तो आपके क्षेत्र में भी है। आज किसान की आमदनी की क्या हालत है? जो खेतिहर मजदूर है, उनकी क्या हालत है? आज खेती की जो हालत है, चाहे वह सिंचाई के अभाव से हो, कुदरती आफत से हो, पूरे साल का जो काम है वह कम रहा है। अधिकतर लोग जो खेती का काम करते हैं, उनके पास अपना जमीन नहीं है, इसलिए उनको इन-फार्मल सेक्टर में जाकर काम करना पड़ा है, मजदूरी करनी पड़ती है। आज जी.एस.टी. तथा नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशानी इस क्षेत्र के हुई है। महोदय, आप पुराने जानकार हैं, आपको अनुभव है, आप खुद इस सरकार में स्मॉल-मिडियम स्केल की इंडस्ट्री संभाले हैं।

सभापति महोदय, आपको मालूम होगा कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है? वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक चाहे मनरेगा के कारण हो या कोई अन्य कारण हो, इन मजदूरों की आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक इनके आमदनी में कोई इज़ाफा नहीं हुआ। आज महँगाई बढ़ रही है। हो सकता है कि जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी आज नहीं बढ़ रही है; लेकिन वे जिस सामान का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत ज्यादा बढ़ी है। जो सामान खाने का है, पहनने का है, दवाई का है, शिक्षा का है; अब वह महँगा हो रहा है। आप खुश हो सकते हैं कि जियो मॉडल का सेन्टर ऑफ एमिनेन्स बढ़ेगा। सरकार कहती है कि बहुत इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन है, इसलिए एक हजार करोड़ रुपये दे देंगे। जब हम एक स्कूल बनाते हैं तो हमें अपने क्षेत्र में जमीन दिखानी पड़ती है, बिल्डिंग दिखानी पड़ती है, टीचर की संख्या दिखानी पड़ती है, तब उसके मान्यता मिलती है। आज सरकार किसके लिए काम कर रही है? आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक गाँव में एक स्कूल बनाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हम बिना कुछ दिखाए सरकार से हजार करोड़ रुपये नहीं ले सकते हैं। हम सेन्टर ऑफ एमिनेन्स बिट्स पिलानी के साथ और दिल्ली, मुम्बई आईआईटी के साथ उसकी मान्यता मान लेते हैं। मेरे ख्याल से विज्ञापन तो यही हुआ। आपने एक हजार करोड़ रुपये का तो बैंड बना दिया। हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, आपने उसके नाम का स्वरूप दे दिया। इस तरह से रूल ब्रेक हो रहा है।

मैं कहता हूँ कि आज सरकार किसके लिए काम कर रही है? शिक्षा तथा रोजगार की जो स्थिति है, मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा अभी से हुआ। मैं यह कह रहा हूँ कि आम जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस देश में जो उदार नीति लगायी गई थी, उसमें आप अपने जमाने में ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। आपके प्रति यही हमारा अनुभव है। आप स्वदेशी के नाम पर आए थे, लेकिन आप एक के बाद एक सरकारी क्षेत्र, डिफेंस प्रोडक्शन, रेल इन सभी में प्राइवेटाइजेशन और हंड्रेड परसेंट एफडीआई कर रहे हैं। पहले आप सड़क पर उतर कर इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इतना यू-टर्न करना आपको शोभा नहीं देता है।

मैं इसी तरह से कह सकता हूँ कि आपको किसानों की आत्महत्या को रोकना था। आपको गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दबे-कुचले और जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उनकी सुरक्षा, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या शैक्षणिक हो, उन तमाम सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। आज जो बूढ़े तथा रिटायर्ड लोग हैं, जिनका पेंशन का मामला है, वे भी आज परेशान हैं। उनके पेंशन की नीतियाँ बदल दी गई हैं, कंट्रिब्यूटी कर दिया गया है। उससे आप लोगों को बाहर कर रहे हैं। उनके पेंशन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेन्सीज़ बढ़ रही है, लेकिन उनकी जिंदगी को संवारने और चलाने के लिए जो जरूरत है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं?

आज एक साल में इंक्रीमेंटल 73 प्रतिशत, जो वेल्थ हमारे देश में क्रिएट हुआ है, वह एक प्रतिशत के पास गया है। आप उस एक प्रतिशत को बचाने के लिए बाकी 99 प्रतिशत को बोल रहे हैं कि तुम्हारा दुश्मन यह है, तुम्हारा दुश्मन वह है। यह तुम्हारे जैसा नहीं खाता, वह तुम्हारे जैसी बोली नहीं बोलता। वह तुम्हारे जैसी भाषा नहीं बोलता, तुम्हारे जैसे कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारे जैसी इबादत नहीं करता, तुम्हारे जैसे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में नहीं जाता। वे सभी एक-दूसरे के दुश्मन हैं। आज आप कौन-सा राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं? राष्ट्रवाद देश प्रेम की पहली पहचान होती है। आजादी की लड़ाई के समय हमने देखा है कि जो एकता की बात करेगा, वह देश प्रेमी है और जो एकता को तोड़ने की हिमाकत करेगा, वह देशद्रोही है।

आप कह रहे हैं कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ढूँढना पड़ेगा कि कौन देशद्रोही है, कौन राष्ट्रद्रोही है। आज आतंकवाद का हमला बढ़ रहा है। सीमा पर जवान मर रहे हैं। आपने कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई। ... (व्यवधान) मैं कुछ काम की बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ... (व्यवधान)

कुछ बातें आपकी समझ से परे हैं, आप उनको समझने की कोशिश मत करिए। बात सीधी है, उन्हें घमंड है सत्ता की अपनी, लेकिन तुम खड़े रहना, वे फर्जी मुद्दे लाते रहेंगे, लेकिन तुम असली मुद्दे पर अड़े रहना, यह हमारा फैसला है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त करिए।

श्री मोहम्मद सलीम : उन्हें शर्म नहीं आती, हमें आती है।

माननीय सभापति : आसन की ओर देख कर बोलिए। उनकी बातों का उत्तर न दें।

श्री मोहम्मद सलीम : जब विदेशी मैगजीन में कहा जाता है कि हमारे देश में औरतें सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, तो इससे हमारी परेशानी बढ़ती है। क्या आपकी नहीं बढ़ती है?...(व्यवधान) जो समाज, राजनीति, डेमोक्रेसी, मुल्क, चाहे विश्व का कोई भी मुल्क हो, अपने यहां महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित नहीं रख सकता, अपने दलितों को सुरक्षित नहीं रख सकता, उसे सभ्य कहलाने का हक नहीं है।...(व्यवधान)

कश्मीर का मामला कहते ही आप भड़क गए। आप कश्मीर के पंडितों को वहां पर ले जाएंगे, यह वादा करके चुनाव जीते थे। आप पंडितों को भूल गए। पीडीपी के साथ सरकार बना ली। अब चुनाव से पहले फिर एक बार उधर से इधर आ गए। अब उनको दोषारोपण कर रहे हैं। इस तरह से त्रिपुरा से लेकर कश्मीर तक अलगाववादी तत्व, देश विरोधी तत्व, लोकतंत्र विरोधी तत्व को अपने राजनीतिक हित और स्वार्थ के लिए आपने पिछले चार साल में बढ़ावा दिया है। असल प्रस्तावक, पहले प्रस्तावक ने आंध्र प्रदेश के सवाल पर यह बात कही। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप यहां आपस में बात मत कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : मैं उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में किए गए वादे के बारे में कहा। आप वादाखिलाफी कर रहे हैं। यह वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि उनको धोखा खाने और समझने में चार साल लग गए। टीडीपी आपके साथ थी। इस देश के लोग चार साल पहले ही समझ चुके थे कि एक बहुत बड़े जुमलेबाज के हाथ में पड़ गए, जादूगर के हाथ में पड़ गए।

कोआपरेटिव बैंक में करप्शन के बारे में मैंने खुद अरुण जेटली जी को लिखा था। उन्होंने उसे लेकर राजनीति करनी शुरू कर दी। जो ...* उनके कोआपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : आपने जांच नहीं की। हिम्मत है तो जांच करिए। सच को आंच क्या है? मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ।

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मोहम्मद सलीम : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

माननीय सभापति : आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करिए।

श्री मोहम्मद सलीम : जब इस सदन में इन्टॉलरेंस पर बहस हुई, मॉब लिंगिंग पर बहस हुई, उस वक्त भी हम सरकार से कह रहे थे। जिस दिन मोहसिन शेख को पूना में मारा गया, सरकार की चुप्पी ने उनको हिम्मत दी। आज हम देखें, जो लातेहर में हुआ, जो झारखंड में हुआ, कौन साया दे रहा है, पता नहीं चलता है। आपको शर्म नहीं आती, आपके साथ बैठे हुए लोग, जो मॉब लिंगर हैं, उनको माला पहनाते हैं।

माननीय सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद सलीम : हमें तो शर्म आती है इस सदन में बैठने के लिए, उन ...* के साथ जो क्रिमिनल्स का साथ देते हैं, कानून का साथ नहीं देते हैं। इस देश को अगर बचाना है, तो कानून का शासन लगाना है। ...(व्यवधान)

* Not recorded

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत इसी संसद की एक घटना से करना चाहता हूँ। आज से तीस वर्ष पहले इसी संसद में उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी हुआ करते थे। राजीव गांधी जी ने उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हम दो और हमारे दो, क्योंकि उस समय संसद में भारतीय जनता पार्टी के केवल दो सदस्य थे। हम दो कहने का तात्पर्य उनका था कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी और हमारे दो कहने का मतलब यह था कि संसद में भारतीय जनता पार्टी के दो सदस्य। आज 30-32 वर्षों के बाद जब इस संसद में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इस समय स्पष्ट बहुमत हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है।

जो लोग हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने चाहते हैं, एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो हमारे सामने बैठी है, उनके पास भी वह संख्या बल नहीं है कि वह सीधे अपने दमखम के पर हमारी पार्टी के विरुद्ध-अविश्वास प्रस्ताव ला सके, इसलिए कई राजनीतिक पार्टियों को मिला कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, आज ऐसे हालात हैं। यह कालचक्र का करिश्मा है, इस कालचक्र के करिश्मे को समझना चाहिए। कभी कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति के मन में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। आज वही भारतीय जनता पार्टी जो कभी संसद के दो सदस्यों की राजनीतिक पार्टी थी, आज देश के अधिकांश राज्यों में जनसामान्य का विश्वास हासिल करती चली जा रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ, केरल जैसे राज्य के लिए यह माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उस राज्य को भेद पाना अथवा कहीं पांव रखने की भी जगह बना पाना सर्वथा असंभव है। केरल के तिरुअनंतपुरम में जब लोकल बॉडी का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक तिहाई से अधिक सदस्यों को लोकल बॉडी में पहुंचने में कामयाबी हासिल की।

15 56 hrs*(Hon. Speaker in the Chair)*

आज हम देखें, लद्दाख और कारगिल जैसे छोटे-छोटे स्थानों पर जहां काउंसिल हैं, आज से पच्चीस-तीस वर्ष पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुमत मिलेगा। हमने काउन्सिल्स में भी विशेष स्थान प्राप्त किया है। ... (व्यवधान) त्रिपुरा में लंबे समय तक साम्यवादी सरकार थी। लोग यह कल्पना नहीं करते थे कि भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में पैठ बना पाएगी। वहां दो-तिहाई बहुमत से हमने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। ... (व्यवधान)

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हमारे मित्र हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, वे जनता के विश्वास के प्रस्तावों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इसीलिए हमारी पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही हैं। पन्द्रह वर्षों के बाद किसी राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पन्द्रह वर्ष पहले जब आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। पिछले दस वर्षों तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, लेकिन हम लोगों ने यह कभी कोशिश नहीं की कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि हम हकीकत को समझते थे कि कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, उनके पास संख्या बल है। यदि सरकार चल रही है तो सरकार चलने देना चाहिए। सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त है इसीलिए हम लोगों ने कभी भी डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश नहीं की। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहमियत होती है, विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। उसकी भावना की इज्जत करनी चाहिए। बहुत लोगों का विचार था कि अनावश्यक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि यह सरकार बहुमत सिद्ध करने में कामयाब होगी, हमारा अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी के साथ बैठ कर फैसला किया कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की अहमियत होती है। यदि विपक्ष की इच्छा है कि अविश्वास

प्रस्ताव लाया जाए तो हमें अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है। प्रतिपक्ष के लोग दिल से भले ही स्वीकार करें लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जनसामान्य के सामने इस हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे। दुनिया का हर व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि विगत चार-साढ़े चार वर्षों से हमारी सरकार चल रही है। प्रधान मंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचाई दिलाने में कामयाबी हासिल की है।

16 00 hrs

उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचाई दिलाने में कामयाबी हासिल की है। आज हम संसद में खड़े हैं, यदि हम पिछले 30 वर्षों के राजनैतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, या तो 34 वर्ष पहले किसी राजनैतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था या फिर अब चार वर्ष पहले किसी राजनैतिक पार्टी को इसी भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। बीच में, किसी भी राजनैतिक पार्टी को संसद में कभी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी एक ऐतिहासिक पक्ष है, इस हकीकत को हमें समझना चाहिए कि कभी भी किसी गैर कांग्रेस राजनैतिक पार्टी को भारत की संसद में, आजाद भारत के इतिहास में कभी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अगर पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी गैर राजनैतिक कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले मित्रों को इस हकीकत को समझना चाहिए कि आप किस नेतृत्व के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? जिस नेता पर सारे देश का विश्वास है? जिस देश के माननीय प्रधान मंत्री की अपील पर गिव इट अप योजना के अंतर्गत देश के हजारों, करोड़ों लोगों ने एलपीजी पर प्राप्त होने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से छोड़ दिया, उस नेता के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए यहां बैठे हैं? इतना ही नहीं, सीनियर सिटिजन्स को एसी में चलने की सुविधा प्राप्त थी, इसमें लाखों की संख्या में ऐसे सीनियर सिटिजन्स हैं, जिन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी की अपील पर एसी की यात्रा को फोरगो कर दिया, परित्याग कर दिया। ऐसा नेता जिसकी अपील जनसामान्य में इतनी बड़ी है, उसके विरुद्ध आप यहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं?

यहां नोटबंदी की बात कही गई और बताया गया कि नोटबंदी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में केओस पैदा हो गया, कितनी बड़ी अराजकता पैदा हो गई और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं इस देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, भले ही तात्कालिक स्तर पर जनता को कष्ट क्यों न उठाना पड़ा हो, लेकिन नोटबंदी के बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने नोटबंदी के फैसले के कारण थोड़ा-बहुत कष्ट उठाया

था लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देकर हमारी सरकार बनवाई।
...(व्यवधान)

16 03 hrs

At this stage, Shri Naramalli Sivaprasad and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

इस संबंध में उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधान मंत्री जी के फैसले पर विश्वास व्यक्त किया। मैं कहना चाहता हूँ कि इसे लाने वाले लोगों में जनता का विश्वास नहीं है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seat. This is not the way. You have to listen. It is not only for Andhra Pradesh.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Go to your seat.

... (Interruptions)

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहां जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसे लाने वाले लोगों पर जनता का विश्वास कितना है, सहज में ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। ...(व्यवधान)

16 04 hrs

At this stage, Shri Naramalli Sivaprasad and some other hon. Members went back to their seats.

मैं देख रहा हूँ कि कई राजनीतिक दलों ने मिलकर हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ कि जिन राजनीतिक दलों ने मिलकर हमारी सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की है, उनका भी एक-दूसरे पर विश्वास नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, जहां तक नेतृत्व का सवाल है, जिस गठबंधन की चर्चा हो रही है, बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन की चर्चा हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि इस

गठबंधन में नेतृत्व की चर्चा हो जाए तो आप मान लीजिए कि गई 'भैंस पानी में' जैसे हालात पैदा हो जाएंगे... (व्यवधान) सारा का सारा गठबंधन पूरी तरह से टूट जाएगा। ... (व्यवधान) मैं मानता हूँ, आप सभी जानते हैं कि जिन लोगों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसको लेकर भी हमारे मित्रों के मन में पूरी तरह से विश्वास नहीं है। वे इस हकीकत को जानते हैं कि उनके द्वारा लाया गया यह अविश्वास प्रस्ताव इस सदन का विश्वास किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदया, मैं दूसरे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि संसद के प्रमुख लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। जो कुछ भी है, वह आइने की तरह बिल्कुल साफ है, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के अर्थशास्त्री ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी इस सच्चाई को स्वीकार कर रही हैं कि इस समय विश्व में यदि किसी देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनोमी है तो वह हमारे देश की है, भारत की है। जीडीपी की ग्रोथ रेट का जहां तक प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन्स की एक एजेंसी ने कहा है और आईएमएफ ने भी कहा है कि इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भारत की इकोनोमी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि 2019 और 2020 के इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत से भी ऊपर जा सकती है। यह बात देश के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने कही है और इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी इस सच्चाई को कहा है।

हमारे कई मित्रों ने कहा कि चार वर्ष पहले हमारा देश दुनिया की टॉप 10 इकोनोमीज में था, 9वां नम्बर था। हमारा देश अर्थव्यवस्था की साइज के हिसाब से 9वें स्थान पर था। इन चार वर्षों में, पहले जो भारत 9वें स्थान पर था, आज विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में वह छठें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जी और इस सरकार को बधाई नहीं दी जानी चाहिए?

अध्यक्ष महोदया, मैं साइंस का छात्र हूँ और जो थोड़ी-बहुत इकोनोमिक्स जानता हूँ, उसके आधार पर मैं यह बात कह सकता हूँ कि इस हकीकत को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जो हमारा भारत देश आज दुनिया की टॉप 6 इकोनोमीज में है, वर्ष 2030 आते-आते वह दुनिया की

टॉप 3 इकोनोमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, बहुत सारे मेजर रिफार्म्स हमारी सरकार ने किए हैं। बहुत से स्ट्रक्चरल रिफार्म्स और प्रोसीजरल रिफार्म्स भी हमारी सरकार ने किए हैं, जिनके परिणामस्वरूप मैं यह कह सकता हूं कि आज विश्व के इन्वेस्टर्स के लिए दुनिया में यदि कोई मोस्ट अट्रैक्टिव देश है तो आपका और हमारा यह देश, भारत है। आज देश में ऐसे हालात बने हैं।

आज हमारे सामने कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मित्र बैठे हैं, लम्बे समय तक आप लोगों ने सरकार चलाई है। मैं आपकी सरकार के ऊपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। आंकड़े बोलते हैं, आंकड़ों को देखकर हकीकत समझी जा सकती है। क्या यह सच नहीं है कि आपकी पिछली सरकार लगातार दस वर्षों तक चली है। जीडीपी ग्रोथ रेट के बराबर रेट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ करता था। आज क्या हो गया है। आज वे सारे इंडिकेटर्स बदल गए हैं। आज जीडीपी की ग्रोथ रेट ऊपर है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन उससे कम है और कभी-कभी ऐसे भी हालात पैदा हो गए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ रेट से हाफ पर था। मैं कह सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे इकोनोमिक इंडिकेटर्स, जिनके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है, वे सारे इकोनोमिक इंडिकेटर्स इस समय पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हैं। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।

सारी दुनिया के लिए इस समय कोई भी कंट्री एक प्राइड स्पॉट के रूप में इन्वेस्टर्स के लिए है तो वह भारत है, यह मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं।

जहां तक फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है, हमारे एक नौजवान मित्र जो असम से हैं, श्री गौरव गोगोई जी यहां बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं कि वह अध्ययन करते हैं और ये इकोनॉमिक्स के बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं।

जहां तक फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 150 बिलियन डॉलर इस समय हमारे देश में हुआ है। छोड़िए। यदि मैं चर्चा करूंगा तो बात बहुत आगे तक जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां पर दो-तीन बातों की और चर्चा अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से करना चाहता हूं। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सवाल है, मोबाइल फैक्ट्री को ले लीजिए। चार वर्ष पहले मुश्किल इस देश में दो हुआ करती थीं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे देश में चार वर्ष के अंदर ही 120 से अधिक मोबाइल फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री जो सैमसंग है, आपने देखा होगा। ... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय अध्यक्ष जी, यह समाजवादी सरकार की लाई हुई है। ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : चलो मान लिया। समाजवादी पार्टी लेकर आई, मान लिया कांग्रेस पार्टी लाई, सब लाये, लेकिन आपने देखा कि वहां के प्रेज़िडेंट को बुलाकर उसकी कैपेसिटी को एनहांस कराने का काम यदि किसी ने किया है तो वह हमारी सरकार ने किया है। इस सच्चाई से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि इन्वैस्टर्स के लिए भारत अट्रैक्टिव डैस्टिनेशन क्यों बना है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में धांधली हो रही थी और विशेष रूप से रीयल एस्टेट को भी पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए रीयल एस्टेट रेगुलेट्री ऑथोरिटी भी हम लोगों ने बनाई है। इतना ही नहीं, जो भगोड़ों के बारे में चर्चा होती थी और पहले भी यहां का धन लूटकर लोग बाहर चले जाते थे, जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते थे, उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई करने का बिल पहली बार यदि किसी सरकार ने पास कराने की कोशिश की है तो वह हमारी सरकार ने की है। अभी कल ही लोक सभा में पास हुआ है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे 30 वर्ष पहले के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जब हम 100 पैसे विकास के लिए भेजते हैं तो धरातल पर पहुंचते-पहुंचते 16 पैसे रह जाते हैं। ... (व्यवधान) उन्होंने पहले 16 पैसे कहा था, बाद में 15 पैसे हुआ था। लेकिन आज हमारी सरकार ने डाइरेक्ट बेंनेफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से जिन लोगों तक जो

सब्सिडी जितनी पहुंचनी चाहिए, वह पूरी सब्सिडी लोगों तक पहुंचे, इसलिए डाइरेक्ट बेंनेफिट ट्रांसफर स्कीम का जो सहारा लिया है, उसका भी पूरा लाभ मिल रहा है।

इतना ही नहीं, भारत की प्रतिष्ठा की बात मैंने कही है। मैं जानता हूं, कुछ लोगों को यह लगा होगा कि भारत की प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ गई है, यह दावा मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने तथ्य तो कई दिये हैं लेकिन एक तथ्य और देना चाहता हूं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की बात मैं यहां पर करना चाहता हूं। चीन जो विश्व की इतनी बड़ी अर्थ-व्यवस्था है, चीन भी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मैम्बर नहीं है, बल्कि चार वर्षों के अंदर इस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की मैम्बरशिप पाने में यदि किसी देश ने कामयाबी हासिल की है तो वह हमारे और आपके देश भारत ने कामयाबी हासिल की है। इसीलिए भारत की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारे विपक्ष के मित्र कुछ संशय की स्थिति में हैं। गठबंधन को लेकर भी संशय बना हुआ है, यदि गठबंधन हो गया तो आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। इसका नेता कौन होगा, इसको भी लेकर संशय बना हुआ है और नीतियों को लेकर तो संशय बना हुआ है।

लेकिन कभी-कभी वह कम्प्रमाइज कर लेते हैं। अपने मन को ... (व्यवधान) मैं आ रहा हूं ... (व्यवधान) I am coming to that. ... (Interruptions) आप बैठ जाइए, मैं आ रहा हूं। ... (व्यवधान) आपको संशय ... (व्यवधान) मैं आ रहा हूं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please take your seats. This is not the way.

... (Interruptions)

16 15 hrs

At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: This is not the way. He is the Home Minister of India.

... (*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह : मैं बोलूंगा ।...(व्यवधान) आप ऐसा करेंगे, तो कैसे होगा। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is the Home Minister of India. He is not the Minister only for Andhra Pradesh.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way. I am sorry. He will have to speak for the whole of India. Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please listen to me for a minute. What is happening?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Thota Narasimham, please go back to your seat.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All of you, please go to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 4.30 p.m.

16 18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Sixteen of the Clock.

16 30 hrs

*The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes
past Sixteen of the Clock*

(Hon. Speaker in the Chair)

MOTION OF NO CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS... Contd.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं चर्चा कर रहा था कि इस समय गठबंधन को लेकर भी संशय है, नेता को लेकर भी संशय है, नीतियों को लेकर भी संशय है। नेताओं में कैसा संशय है, उसकी चर्चा मैं यहां करना चाहता हूं। नेताओं में किस प्रकार का संशय है, किस प्रकार का उनका अपने अंदर विश्वास है कि संसद के अंदर यहीं पर उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: But, actually it was not proper to have done that.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाउस में ऐसा नहीं होता है। यह हाउस के डेकोरम में नहीं है, ऑफ्टरआल पद की भी गरिमा होती है। उस समय मुझे भी अच्छा नहीं लगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव बेटा, बैठ जाओ। अभी जिंदगी में बहुत कुछ समझना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पद की अपनी गरिमा होती है। जो कुछ भी हुआ, वह मुझे भी अच्छा नहीं लगा।

...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What is wrong in that, Madam? ...

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को इसे ध्यान में रखना चाहिए। हाउस का डेकोरम होता है। वे प्रधान मंत्री हैं। At that time, he was sitting in the Prime Minister's seat. प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठते हुए अपना एक डेकोरम होता है और हमारा भी डेकोरम होता है। संसद सदस्य के अपने व्यवहार का भी डेकोरम होता है। Everybody must keep this in mind. डेकोरम का आप सभी को भी पालन करना है, मुझे अकेले ही डेकोरम का पालन नहीं करना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप भी जीवन में ऐसा कभी नहीं करोगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रधान मंत्री जी अपनी सीट पर बैठे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अच्छा लगा होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपने पूरा इंसीडेंट नहीं देखा होगा। आप पूरी बात समझ लीजिए। मैं किसी को गले लगाने के लिए मना नहीं करूंगी। मैं भी माँ हूँ। मुझमें सब प्रकार के प्रेम के भाव हैं, लेकिन भाषण के बाद जिस तरीके से आना, यह ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री अपनी सीट पर बैठे हैं। वे पद पर बैठे हैं, वे नरेन्द्र मोदी नहीं हैं, वे प्रधान मंत्री हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक बात यह भी है कि वापस आ कर यहां आंख चमकाना, all that behaviour is not proper.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सभी के लिए यह बात कह रही हूँ। आप चिल्लाएं मत, मैं आप सभी के लिए यह बात कह रही हूँ कि आप समझ लो, इस सदन की गरिमा हमें ही रखनी है। कोई बाहर से आकर सदन की गरिमा नहीं रखेगा। कोई बाहर से आ कर किसी के पद की गरिमा नहीं रखेगा। हमें

सांसद होने के नाते अपनी तथा पद की गरिमा रखनी है। आप एक-दूसरे पर चिल्लाओ मत। कभी स्वयं से भी गलती हो सकती है। आप गंभीरता से बात को लिया करो। मैंने इतना कहा कि जिस तरीके से हुआ, वह ठीक नहीं है। आप एक-दूसरे को मिलते हैं तो क्या मैं कोई ऑब्जेक्शन उठाऊंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आप एक-दूसरे से प्रेम से रहो, लेकिन बाद में आकर जिस तरह से भाषण शुरू किया, वह क्या था।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, राहुल जी मेरे दुश्मन नहीं हैं, वे मुझे बेटे जैसे ही लगते हैं। उन्हें बहुत जिंदगी यहां गुजारनी है और उन्हें बहुत नेतृत्व करना है, मगर उनके जो कंगूरे हैं, माँ के नाते उन्हें घिसना भी मेरा काम है। मैं स्पीकर की चेयर पर बैठी हूँ। वे विपक्ष में हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हाउस का अपना भी डेकोरम होता है। मेरी भी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उस समय मैंने सोचा कि यह क्या ...* हो रहा है। फिर मैंने कहा भी कि यह ठीक नहीं है। मेरा यही कहना है कि आप कुछ मत बोलो और जो भावना है, उस भावना का आदर करना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप कुछ मत बोलिए। आप वैसे नरेन्द्र मोदी जी के घर जाओ।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सदन से बाहर निकलने के बाद श्री खड़गे जी और हम भी, आपस में गले मिलने वाले हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, राजनाथ जी।

श्री राजनाथ सिंह : मैं यह चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे धर्म-शास्त्रों में कहा गया है- “संशयात्माः विनश्यतिः।” यानी जो व्यक्ति संशय में होता है, जिसके अंदर विश्वास नहीं होता, अविश्वास होता है, उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। हमारे यहाँ धर्म-शास्त्रों में यह भी कहा

* Not recorded

गया है, यह बात क्षणभर के लिए लोगों को दार्शनिक लग सकती है, लेकिन धर्म-शास्त्र की हकीकत है, इसलिए इसे मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब आत्मा संशय के साथ घिर जाती है, तब मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा होता है। प्रतिपक्ष के मेरे कुछ मित्रों के अंदर कुछ ऐसा ही मुझे देखने को मिला है कि कैसे किसी व्यक्ति अथवा किसी दल अथवा किसी संगठन में अहंकार पैदा हो जाता है। कांग्रेस के ही मेरे एक अभिन्न मित्र ने कहा कि यदि लोकतंत्र भारत में है, तो वह कांग्रेस के कारण है। यदि कांग्रेस नहीं चाहती, तो भारत में लोकतंत्र रहता ही नहीं। ... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें कम से कम भारत के इतिहास को पढ़ लेना चाहिए था और जिन्होंने ऐसा कहा था, वे कर्नाटक के ही रहने वाले हैं। कांग्रेस के ही नेता ने यह बात कही। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। आपने भले ही भारत का इतिहास न पढ़ा हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कर्नाटक में भगवान बसवण्णा के 'अनुभव मंटप' के बारे में आपको जानकारी होगी। 12वीं शताब्दी में वह 'अनुभव मंटप' था, जो ब्रिटेन के 'मैग्ना कार्टा' से भी पुराना माना जाता है। उस 'अनुभव मंटप' में क्या होता था? उसमें चर्चा होती थी। जिस बात पर सहमति बनती थी, उसी आधार पर पूरा समाज आगे बढ़ता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी।

माननीय अध्यक्ष : इतिहास सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोक सभा टी.वी. पर 'सुराज्य संहिता' कार्यक्रम लाने जा रहे हैं ताकि जानकारी मिल सके कि भारत में किस-किस प्रकार से राजनीति होती थी।

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, यहाँ पर मैं चोल साम्राज्य की चर्चा भी करना चाहता हूँ क्योंकि आप भी इतिहास की जानकार हैं। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर थी, जो आज की तमिलनाडु है। चोल साम्राज्य में उस समय भी वहाँ पर छोटी-छोटी समितियों के चुनाव होते थे, ग्राम सभाओं के चुनाव होते थे, मतदान द्वारा ग्रामवासी अपने जनप्रतिनिधि को चुनते थे। यानी उस समय भी लोकतांत्रिक परम्परा थी।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय गये थे, तो उन्होंने भी कहा था, उन्होंने 600 ई. पू. से चर्चा प्रारम्भ की थी और कहा था कि यदि कोई विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र है, तो उस राष्ट्र का नाम 'भारत' है। 600 ई.पू. में ही वैशाली गणराज्य था, जिसे विश्व का प्राचीनतम गणराज्य माना जाता है। वहाँ पर किस प्रकार से चुनाव होते थे, किस प्रकार से समितियाँ बनती थीं, वीथि बनती थी, इसके बारे में भी अच्छी जानकारी हमारे बहुत-से मित्रों को होगी।

इतना ही नहीं, भारत का जो भी लिखित इतिहास है, यदि उसे देखें, तो प्रायः राजवंश के लोग ही राजा बना करते थे। लेकिन, यदि पहली बार राजवंश से बाहर का कोई राजा बना है, तो उसका नाम है- चन्द्रगुप्त मौर्य। वे एक साधारण परिवार के थे। वे किसी बहुत ऊँची जाति के व्यक्ति नहीं थे। वे राजवंश के थे। ... (व्यवधान) अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक उनका बहुत लंबा-चौड़ा साम्राज्य था। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, चंद्रगुप्त ने एक वैदिक ब्राह्मण चाणक्य के मार्गदर्शन में सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन उनका राज्याभिषेक जैन पद्धति से हुआ था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे राजपाठ छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जाकर संन्यासी बन गए। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खड़गे जी यहाँ बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष : वे संन्यासी नहीं हैं।

श्री राजनाथ सिंह : पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इस बात को लिखा है कि किस प्रकार सेक्युलरिज्म भारत के अतीत में भी भारत में रहा है। चूँकि इसका उल्लेख डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, इसलिए मैं यहाँ इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) चंद्रगुप्त मौर्य गाँव में भेड़-बकरी चराने वाले व्यक्ति थे। भारत की सारी व्यवस्थाओं में ही लोकतंत्र रचा-बसा हुआ था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जैसा भेड़-बकरी चराने वाला साधारण गाँव का व्यक्ति देश का राजा बन गया। मैं समझता हूँ कि इस देश में चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधान मंत्री बन गया। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, भारत की अति प्राचीन और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ है। भारत के लोगों की रग-रग में जो रचा-बसा है, यह उसके कारण हुआ है। ... (व्यवधान) लोकतंत्र का सबसे पहले यदि कभी गला घोंटा गया है, तो वह आज से 43 साल पहले सन् 1975 में देश में आपातकाल लगाकर घोंटा गया। ... (व्यवधान) महोदया, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उन पर चर्चा नहीं करूँगा। चूँकि मेरे पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन इसके बारे में कहते हुए मुझे संतोष हो रहा है और मैं उसकी अभिव्यक्ति भी यहाँ करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, नॉर्थ-ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है। प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्र भी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। नॉर्थ-ईस्ट में रहने वाले श्री गौरव गोगोई इस बात को स्वीकार करेंगे। ... (व्यवधान) पहले के कंपैरिजन में इंसरजैसी में 85 परसेंट की गिरावट आई है। ... (व्यवधान) जहाँ तक नक्सलिज्म का सवाल है, पहले सिक्योरिटी फोर्सेज की किलिंग्स ज्यादा होती थीं और इंसरजैट्स या जिन्हें नक्सलाइट्स भी कहते हैं, उनकी किलिंग्स बहुत कम होती थीं। आज यह सब कुछ रिवर्स हो चुका है। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : सर, आप नागा पीस अकॉर्ड पर बोल दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आप आश्वस्त रहिए। नागा इश्यू को लेकर जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ है, वह फ्रेमवर्क अग्रीमेंट निश्चित रूप से मैच्योर होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, सब से बड़ी बात यह है कि इन चार वर्षों के अंदर इस देश में कोई भी बड़ी आतंकवाद की घटना नहीं हो पाई है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि चाहे दिल्ली, जयपुर, नागपुर, बंगलूरु और हैदराबाद जैसे बड़े-बड़े शहरों में जो बड़ी-बड़ी आतंकवादी वारदातें पहले हुई हैं, उन्हीं वारदातों की चपेट में यह सारा देश रहा है। ... (व्यवधान) मैं गुरदासपुर और पठानकोट की घटनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा। ... (व्यवधान) यहाँ हमारे बहादुर सुरक्षा के जवानों ने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देने में कामयाबी हासिल की थी। पठानकोट जैसे बहुत बड़े

स्ट्रैटेजिक एसेट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। ... (व्यवधान) मैं हमारी सेना के जवानों और सी.आर.पी.एफ एवं अन्य सुरक्षा बलों के जवाब तथा राज्य पुलिस के जवानों के साहस, शौर्य और क्षमता की यहाँ प्रशंसा करना चाहता हूँ

अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपनी सेना, अपने सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों के हाथ बांधकर नहीं रखे हैं। इसी कारण सुरक्षा के मोर्चे पर आज इस प्रकार की कामयाबी हमें हासिल हो रही है।

महोदया, मॉब लिंगिंग की चर्चा यहां की गयी। कल भी मॉब लिंगिंग की चर्चा की गयी थी। आज एक वरिष्ठ नेता ने बोलते हुए मॉब लिंगिंग की चर्चा की। एक-दो हमारे मित्रों ने भी अपने भाषण में मॉब लिंगिंग की चर्चा की है। कल इस संबंध में मैं बोल चुका हूँ। मैंने कहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इस पर पूरी कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी मैंने कहा है। केन्द्र सरकार से जिस भी प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी, मॉब लिंगिंग को रोकने के लिए हम पूरा सहयोग देंगे, यह विश्वास भी मैं यहां देना चाहता हूँ। राज्य सरकारों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि मॉब लिंगिंग को रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून यदि अलग से बनाने की जरूरत है तो कानून बनाया जाए और मॉब लिंगिंग को रोका जाना चाहिए।

मॉब लिंगिंग पर बोलने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि मॉब लिंगिंग की स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी घटना यदि कभी हुई है तो वह वर्ष 1984 में हुई है। इस देश के नेता द्वारा यह कहा जाना कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। आज वे लोग मॉब लिंगिंग को लेकर हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि मॉब लिंगिंग को कैसे रोका जाए? सिख समुदाय के परिवारों की क्या हालत है, वह मैं देखता हूँ, जब लोग मुझ से यहां मिलने आते हैं। मैं उनको यह भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम उनको पूरी तरह से जस्टिस दिलाकर ही दम लेंगे। हमने एसआईटी बनायी है, जो अपना काम कर रही है और सिख समुदाय को हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, कुछ नेता और सांसद कभी-कभी बोलते समय अनाप-शनाप बातें बोल देते हैं। कभी हिन्दू तालिबान की बात बोलते हैं, कभी हिन्दू पाकिस्तान की बात बोलते हैं। अध्यक्ष महोदया, वे भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? वे भारत को क्या बनाना चाहते हैं? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके दौर-ए-हुकुमत में क्या हुआ था। केरल के एक अध्यापक जोसफ का हाथ सरेआम विद्यालय के बच्चों के सामने काट दिया गया था, तब क्या उन्हें तालिबान याद नहीं आया था? इतना ही नहीं, कश्मीर में सैनिकों की हत्या पर जब जश्न मनाया जाता है, तब उन्हें तालिबान की याद नहीं आती है और यहां हिन्दू तालिबान की बात की जा रही है? संसद पर हमला करने वालों के प्रति जब सहानुभूति व्यक्त की गयी, उस समय तालिबान की याद नहीं आयी? आप भारत में क्या करना चाहते हैं? आज आप हिन्दू तालिबान की बात कर रहे हैं। मैं अपने विपक्ष के मित्रों को कहना चाहता हूं कि भारत की परम्परा को समझिए, न हो तो अतीत के पन्नों को पलटकर देखिए। भारत का कैसा इतिहास और परम्परा रही है? रावण को हमारे यहां शैतान माना गया, लेकिन जब वह मृत्यु शैय्या पर था तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि जाओ और रावण के पांव के पास बैठकर उनसे शिक्षा प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। उनका सम्मान करने की परम्परा भारत में रही है। महाभारत के युद्ध में कौरवों का नाश पाण्डवों ने किया, लेकिन जिन कौरवों का नाश पाण्डवों ने किया, उन कौरवों का श्राद्ध कर्म करने का काम भी पाण्डवों ने ही किया, हमारे यहां यह सहनशीलता थी। इतना ही नहीं, मोहम्मद गौरी को कई बार पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। लेकिन 25 बार मोहम्मद गौरी को माफ करने का काम भी उन्होंने ही किया था। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करना चाहता हूं। कल्याण के किले पर कब्जा करने के बाद कल्याण के किलेदार की बहू गौहर बानो को सम्मान सहित वापस करने का काम यदि किसी ने किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। यह भारत की परम्परा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस हकीकत को समझना चाहिए। भारत में हिन्दू, सिख, ईसाई, मुसलमान सभी मिल-जुलकर एक-दूसरे के साथ भाई-भाई की तरह रहते हैं। भारत में ऐसे हालात पैदा मत करो। पाकिस्तान देश नहीं, जहनियत है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1916 में लखनऊ में, जो मेरा निवार्यन क्षेत्र है,

कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसी समय मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा था।

वहीं से पाकिस्तान की जहनियत ने काम करना प्रारंभ कर दिया और 1947 आते-आते भारत माता के दो टुकड़े हो गए, भारत बन गया और पाकिस्तान बन गया। क्या हम चाहते हैं, वह पाकिस्तान रूपी जहनियत आज भी भारत में जिंदा रहे, क्या हम ऐसी जहनियत को भारत में बनाकर रखना चाहते हैं? हम तालिबान हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं। जिस पाकिस्तान में आज अल्पसंख्यक निरंतर कम होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं और जिस हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक पूरी तरह से सही-सलामत हैं और फल-फूल रहे हैं, हम एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं या हम पाकिस्तान चाहते हैं? आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं? इन्हें याद नहीं आता, पश्चिम बंगाल में ही एक मंत्री ने कह दिया कि हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मिनी पाकिस्तान है। क्या इसको कंडेम नहीं करना चाहिए था? भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आई.एस.आई. के झंडे लगे, मैं समझता हूँ कि सारी संसद को ही नहीं, बल्कि सारे देश द्वारा जुटकर इस प्रकार की जो ताकतें हैं, इनका मुकाबला किया जाना चाहिए और इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, यहां पर गरीबों और किसानों की भी चर्चा हुई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि किसानों के संबंध में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है। कम से कम आज इस बात पर बहस हो सकती है कि उनकी आमदनी 2022 तक दोगुनी होगी कि नहीं होगी, यदि होगी तो कैसे होगी, क्या उपाय किए जाएंगे? इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी की नीयत और ईमान पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। जब से आजादी मिली है, इस देश के किसान अपने हक के लिए तड़प रहे हैं, हाथ फैलाए तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता आज हमारे प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पैडी, खरीफ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एकाएक दो सौ रुपये प्रति क्विंटल पर जाएगा? ज्वार की कीमत 75 परसेंट बढ़ जाएगी? कई सारे आइटम्स की मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता। यह काम यदि कोई

कर सकता है तो गरीब माता की कोख से पैदा हुआ कोई मां का लाल ही कर सकता है और वह लाल है, हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। वे किसानों की चिंता नहीं कर सकते। उनके लिए गरीबी ए मैटर ऑफ हियरिंग है, मैटर ऑफ सफरिंग उनके लिए नहीं हो सकता है।

जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, राकेश सिंह जी, जो हमारे पहले वक्ता थे, उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक आयुष्मान योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना आदि योजनाओं की जानकारी दी है। यहां कर्जदारी पर बहस हो रही थी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 12 करोड़ लोगों ने ऋण लिया, जिनमें से 3.25 करोड़ लोगों ने फर्स्ट टाइम आंत्रप्रिन्योर्स के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं।

इतना ही नहीं जब हमारे सांसद, राकेश सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि हमारे बहुत सारे भाजपा शासित ऐसे राज्य हैं, जिनका एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 20 परसेंट तक है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश की एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट यदि 4 परसेंट से ऊपर पहुंच जाए तो हम मानते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी मिसाल हमारी कई राज्य सरकारों ने कायम की है।

पूर्व सैनिकों को वन रैंक, वन पेंशन देने का काम किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। तीस वर्षों से उनकी मांगे लम्बित थीं। इस काम को किया तो हमारी सरकार ने किया। उचित मूल्य, फसल बीमा योजना और यूरिया, यूरिया को लेकर लोग लाइन में खड़े होते थे, लाठीचार्ज होता था। यूरिया की कीमत भी कम की गई है और यूरिया लोगों को बहुत ही सहजतापूर्वक उपलब्ध भी हो पा रहा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के लगभग सवा चार साल हो रहे हैं, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने सवा चार साल में सवा चार मिनट की भी छुट्टी कभी लेने की जहमत नहीं उठाई है, उन्होंने इतना निरंतर प्रयत्न किया है, अहर्निश अपनी कर्मठता का परिचय दिया है।

इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि - मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शमा जलाई है, हवाओं के खिलाफ, इस हकीकत को समझो। यही मैं कहना चाहता हूँ ... (व्यवधान) मैं उस पर भी आ रहा हूँ ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. He is speaking about you, now.

... (Interruptions)

श्री राजनाथ सिंह: तेलगू देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश को ले कर चिंता व्यक्त की है। बहुत सारे इश्युज हमारे सम्मानित सदस्य ने उठाए हैं और चन्द्र बाबू नायडु जी आज भी हम लोगों के मित्र हैं। पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन आज भी चन्द्र बाबू नायडु जी के साथ हमारे मित्रता के ही रिश्ते हैं और रहेंगे, ये रिश्ते कभी टूटने वाले नहीं हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2014 का जहां तक सवाल है, काफी हद तक इसे लागू किया गया है। कुछ चीजें शेष रह गई हैं। चूंकि यह दो राज्यों के विवाद का प्रश्न है, जब तक उसमें सहमति नहीं बनती है, तब तक उसे हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह पड़ा हुआ है ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, listen to him. He has not completed yet.

... (Interruptions)

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा हुआ, तब हमने उसे एडिशनल टूरिस्ट पुलिस फोर्स और रिज़र्व बटालियन की भी मंजूरी दी। उस समय चार रिज़र्व बटालियन तेलंगाना के लिए मंजूर की गई थी, लेकिन उस समय तेलंगाना को आठ दी गई थी। स्टेट कैडर और आईएएस अफसरों की और ज्यादा सुविधा जल्द से जल्द देंगे ... (व्यवधान) मैं ए.पी. रीऑर्गनाइजेशन एक्ट की बात कर रहा हूँ। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बैठ जाइए, उसके बाद यदि आप एग्री न करें तो उसके बाद वॉक-आउट कीजिएगा, विरोध कीजिएगा, नारे लगाइएगा, सब कुछ मुझे मंजूर है, लोकतंत्र में सब चलता है।

महोदया, 1500 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए हम लोगों ने दिए हैं, जिस पर माननीय सदस्य ने आपत्ति की है कि यह बहुत कम है। जबकि गुंटूर और विजयवाड़ा के लिए एक हजार करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं। कोलावरम् इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 7,158 करोड़ रुपये में से 6,764 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए गए हैं और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट-रिवीजन पर भी इस समय हमारे यहां विचार चल रहा है। जल्द ही इस संबंध में फाइनल निर्णय किया जाएगा। बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए 1050 करोड़ रुपये हमारी सरकार के द्वारा अलग से दिए गए हैं। इसके बावजूद और भी जरूरत होगी तो और करेंगे। चूंकि डिजीजन के समय रिसोर्सिस बंट गए थे, उसको समाप्त करने के लिए 4,117 करोड़ रुपये में से 3,979 करोड़ रुपये रिलीज किए गए। महोदया, आंध्र प्रदेश पर हमारी सरकार ने कितना ध्यान रखा है, यह इसी बात से पता चलता है कि 14वें वित्त आयोग ने 2015-20 तक 22,113 करोड़ रुपये रेवन्यु डेफिसिट ग्रांट के रूप में आंध्र प्रदेश को रिकमेंड किए थे। हमने 2015 और 2018 के बीच 15,969 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज कर दी है। हमने यह भी किया है। आंध्र प्रदेश को अलग से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक ट्राइबल विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैट्रोलियम एण्ड एनर्जी, अमरावती के लिए 100 किलोमीटर लंबी रिंग रोड, एम्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से 135 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं वाइजैक-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई है। यह सब आंध्र प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस के तहत दिया गया है। जब कि टीडीपी बराबर स्पेशल स्टेटस की मांग करती रही है, इस सवाल को ले कर बराबर अपना आग्रह बनाए हुए है कि इसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए, जिसे एससीएफ कहते हैं। लेकिन उसमें कुछ मजबूरियां हैं। 14वें वित्त आयोग की चर्चा उन्होंने स्वयं ही की है। लेकिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, जिस प्रकार के सहयोग की भी जरूरत होगी, हम लोग सहयोग देंगे। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्यों को 32 प्रतिशत की जगह 42 प्रतिशत शेयर बढ़ा कर दिया जा रहा है। सन् 2015-20 तक आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार से 2,06,910 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होगी।

यानी इन बिटवीन 2015 टू 2020. इतना ही नहीं, एलोकेशन होने के बावजूद सितम्बर 2016 में एक स्पेशल असिस्टेंस पैकेज भी दिया गया। इसके तहत 8,140 करोड़ रुपये एक्स्टर्नली ऐडिड प्रोजेक्ट्स को एप्रूव करके दिया गया है, जबकि 24,037 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट इस समय पाइपलाइन में है और उस पर भी जल्दी फैसला हो जायेगा।

महोदया, आन्ध्र प्रदेश सरकार को इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अब वे स्पेशल स्टेट्स की बात की बहुत चर्चा न करके इन सब प्रोजेक्ट्स को लागू करें। जो भी असिस्टेंस प्राप्त हुआ है, उस आधार पर आन्ध्र प्रदेश का डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। मैं इस सदन के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश समेत पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि 14वें वित्त आयोग ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और जनरल कैटेगरी स्टेट्स जैसे किसी डिस्टिंगक्शन का प्रावधान नहीं किया है। उसने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया है कि कोई जनरल कैटेगरी स्टेट होगा या कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा। 14वें वित्त आयोग का यह मानना था कि जो रिसोर्स गैप राज्यों में होगा, उसे टैक्स डेवल्यूशन के तहत भरा जायेगा। यदि तब भी यह गैप नहीं भरता है तो उस राज्य को पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी दी जायेगी। यह बहुत दो टूक शब्दों में कहा गया है। रिसोर्स गैप को भरने के लिए 02 जून, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक एक स्पेशल ग्रांट के तहत 4,117 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई और इसमें से 3,900 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आन्ध्र प्रदेश इस देश का ही एक हिस्सा है। मैं जानता हूँ कि बंटवारे के बाद कुछ राज्य ऐसे होते हैं, जिन्हे सफर करना होता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझती है। आन्ध्र प्रदेश स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जितनी भी मैक्सिमम असिस्टेंस की जरूरत होगी, जो भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, वह हम दिल खोलकर आन्ध्र प्रदेश के लिए करने को तैयार रहेंगे। यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Ram Mohan Naiduji is yet to speak. He can raise it at that time.

Now, Secretary General.

... (*Interruptions*)

17 00 hrs

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA***

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report following message received from the Secretary General of Rajya Sabha: -

“In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th July, 2018.”

2. Madam Speaker, I lay on the Table the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018 as passed by Rajya Sabha on the 19th July, 2018.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Ram Mohan Naiduji will get the chance to speak. At that time, whatever issues he wants to raise, he can do so.

Now, Tariq Anwarji.

... (*Interruptions*)

* Laid on the Table.

17 04 hrs

MOTION OF NO CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS – Contd.

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : महोदया, केन्द्र सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी बात उर्दू की दो पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। यह उर्दू का एक शेर है।

“बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का ।
जो चीरा तो एक कतरा खून भी न निकला ॥ ”

यह सरकार इसी तरह की है। जो बातें इन्होंने कीं, जो वादा इन्होंने किया, जो देश को सपना दिखाया, आज चार साल बीत चुके हैं और इन चार सालों के बाद जब हम उसकी समीक्षा करते हैं तो लगता है कि देशवासियों को कुछ भी नहीं मिला है। इस सरकार की विफलता की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, मैं किन-किन बातों को गिनाऊँ।

मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले बेरोजगारी की परेशानी, उसके बाद किसानों की बदहाली, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्गों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसकी बात की जाए। बढ़ती हुई महंगाई से देश परेशान है। फिर पेट्रोल, डीजल की कीमत, विदेश नीति की विफलता, कश्मीर पॉलिसी की नाकामी है।

अध्यक्ष महोदया, चार साल बीत गए, पर अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। यहां हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं। उस विषय पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, कुछ बताया नहीं। बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के घोटाले हैं। अभी मॉब-लिंगिंग की बात कही गई। रुपये की कीमत, हमारे रुपये की साख दिन-प्रतिदिन घटती चली जा रही है।

अध्यक्ष महोदया, यह सरकार जब आई थी तब विकास के नाम पर आई थी, ‘अच्छे दिन’ के नारे देकर आई थी। अभी इन्होंने इसका जिक्र किया कि हम पूर्ण बहुमत लेकर आए हैं। लोगों ने यही विश्वास किया था, लोगों को ऐसा लगा था कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर

बदलेगी, चित्र बदलेगा और भारत की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा। नारा दिया गया - 'सबका साथ, सबका विकास।' यह बहुत ही लुभावना नारा था। लेकिन, अगर आज हम उसकी समीक्षा करते हैं तो सबका साथ भी नहीं है और सबका विकास भी नहीं है। यह हो सकता है कि ...* के कुछ लोगों का विकास हो गया हो। लेकिन, आम जनता आज निराश है, परेशान है और हताश है।

माननीय अध्यक्ष: यह ...* क्यों आता है? इसमें* का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदया, ऐसी हालत में आज समाज का हर वर्ग दुःखी है। नौजवान अपनी बेरोजगारी और अपने भविष्य को लेकर परेशान है। किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज उसकी बदहाली क्या है, यह हम सब जानते हैं। उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है।

उसी तरह, आज देश में सबसे बड़ी चिंता, जिसके बारे में कई लोगों ने चर्चा की कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज भारत की बदनामी हो रही है, हमारी छवि इससे धूमिल हो रही है। उस पर इस सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है।

आज देश के अन्दर बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, सभी सहमे हुए हैं। कोई अपनी बात कहने से डरता है, कुछ लिखने से डरता है क्योंकि कल उसके साथ क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

फिर महंगाई की बात है। जैसा मैंने कहा कि महंगाई के बोझ से आज आम आदमी दबा हुआ है। उसके सामने एक प्रकार से इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा है।

मैं बैंक घोटालों की बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा और यह भी कहा था कि हम देश की रखवाली करेंगे। लेकिन, जिस प्रकार से दिन-दहाड़े बैंकों के पैसे को लूट कर, जो हमारे देश के गरीब, किसान, मजदूर, आम लोगों के पैसे थे, उसे लेकर लोग विदेश चले गए। एक-दो लोग नहीं गए, बल्कि ऐसे 31 लोग हैं, जो यहां से

* Not recorded

बैंकों से पैसे लेकर विदेश चले गए और हम उन्हें देखते रह गए, सरकार देखती रह गयी और कुछ भी नहीं कर पाई। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि जो देश के रखवाले थे, वे उस समय क्या कर रहे थे?

प्रधान मंत्री जी फरमाते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और देश में राम राज आ रहा है। अगर यही राम राज है, जिसका मैंने जिक्र किया तो फिर रावण राज क्या होगा, यह कहना मुश्किल है।

राजनाथ सिंह जी ने भी बहुत सारी बातें कहीं। बहुत गम्भीरता से हम लोगों ने उनकी बात सुनी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वे दिल से बोल रहे हैं। उसका कारण यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अन्दर एक अजीब-सी स्थिति है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दो लोगों में सिमट कर रह गया है। हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी यहां नहीं हैं। उनका एक ट्वीट हमने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वन-मैन शो, टू-मैन आर्मी हो गयी है, यानी दो आदमी की यह पार्टी हो गई है।

श्री राजनाथ सिंह जैसे जो वरिष्ठ मंत्री है उनकी भी सलाह नहीं ली जाती है, उनकी भी बात नहीं सुनी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था जिसमें श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी है और पता नहीं आगे कौन-कौन लोग उसमें होंगे। यह जो मार्गदर्शक मंडल है, उससे कोई भी मार्गदर्शन नहीं लिया जाता है, उससे कोई भी बात नहीं पूछी जाती है, उससे कोई भी राय नहीं ली जाती है, वह सिर्फ नाम के लिए मार्गदर्शक मंडल है। यही कारण है कि आज इनके जो सहयोगी दल है, वे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं।

अभी तेलगुदेशम पार्टी की बात हुई। कल तक यह पार्टी एनडीए के गठबंधन में शामिल थी, लेकिन आज वह एनडीए छोड़ चुकी है। शिवसेना जो इनके गठबंधन में मौजूद है, आज इस मौके पर नजर नहीं आ रही है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी समय-समय पर आँखे दिखाते हैं। यह सब क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि एनडीए गठबंधन के जो साथी है, उनको यह महसूस हो रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यह एक

डूबती हुई नाव है और इस डूबती हुई नाव पर चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। धीरे-धीरे लोग उससे अलग होते चले जा रहे हैं। आज इस बात को समझने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री जी को हम यही कहेंगे, हालांकि वह हम लोगों यानी विपक्ष की सलाह नहीं मानते हैं, लेकिन इनके जो सीनियर्स लीडर्स हैं, श्री आडवाणी जी है, श्री जोशी जी है, ऐसे लोगों से वह सलाह लें तो हमको लगता है कि अभी भी यह हालात सुधर सकती है, उसको बदला जा सकता है।

अध्यक्षा महोदया, बीजेपी के बहुत सारे सांसद साथी हमारे मित्र हैं। हमने उनसे कहा कि आज जो यह अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर आप अंतरात्मा की बात सुनिए और जो सही लगे, उसके लिए वोट दीजिए तो हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी अंतरात्मा तो गिरवी हो गई है, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। हम कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी अंतरात्मा गिरवी रखी हुई है।

मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अपने सांसदों पर भी विश्वास नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मिली है कि आने वाले चुनाव में 150 से ज्यादा सांसदों के नाम काटे जाएंगे, उनकी टिकट काटी जाएगी। उनकी जगह नए लोग लाए जाएंगे। इस तरीके की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के कैंप में चल रही है। आज उनको डराकर रखा जा रहा है। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद सदस्य हैं, उनके अंदर जो असंतोष है, जाहिर है कि वह आज नहीं तो कल निकलेगा। आज क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए श्री लाइन व्हिप जारी करना पड़ा। अगर आपको विश्वास था तो उनको छोड़ देते और फिर देखते कि क्या परिणाम आता है। लेकिन आपको अपने सांसदों पर विश्वास नहीं है। उनको श्री लाइन व्हिप दिया गया है कि आपको इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में वोट देना है।

अध्यक्षा महोदया, मैं असली बात यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार की लोकप्रियता का जो मापदंड होता है, जिसको हम थर्मामीटर कह सकते हैं, वह उप-चुनाव होता है। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने गिनवा दिया कि हम कहाँ-कहाँ जीते हैं, किन-किन राज्यों में हमें कामयाबी मिली है और इतने राज्यों में हमारी सरकार बन गई। लेकिन अभी दो सालों के अंदर जितने भी उप-चुनाव हुए, वे लोक सभा के चुनाव हुए। मैं विधान सभा के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। उन लोक सभा के उप-चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का मुँह देखना पड़ा।

अध्यक्षा महोदया, इससे अच्छा कोई मापदण्ड नहीं हो सकता है। यह उपचुनाव इस बात को साबित करता है कि जो वर्तमान सरकार है, वह किस तरह से चल रही है। वह अपने कार्यक्रम को किस तरह से लेकर चल रही है और जन-कल्याण के लिए क्या काम कर रही है। उपचुनाव का जो परिणाम है, वह साबित करता है कि लोग इस सरकार के कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं हैं।

अध्यक्षा महोदया, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने अपना समय गंवाया है। चार साल बीत चुके हैं। अब मात्र 10-11 महीने बचे हैं। हमने देखा, हमने महसूस किया कि चार साल में हमारे प्रधान मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके तमाम साथियों का ज्यादातर समय इस बात में गुजरा कि गांधी, नेहरू परिवार को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उनकी छवि धूमिल की जाए। इसी बात में वे लगे रहे। अगर इसकी जगह वे देश के लिए कुछ काम करते, समाज के कमजोर वर्गों के लिए करते, किसान के लिए करते, नौजवानों के लिए करते, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहता। आज भी अगर आप प्रधान मंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, तो पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उसी बात को वे दोहराते हैं, अतीत की बात करते हैं। चार साल में आपकी क्या उपलब्धि है, इसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसको बताइए कि चार साल में हमारी यह उपलब्धि है। वह आप नहीं बता रहे हैं। आप पिछली सरकार को कोस रहे हैं, पिछली सरकार की निंदा कर रहे हैं। आपको लोगों ने मत किसलिए दिया। लोगों ने परिवर्तन क्यों लाया? इसके पीछे यही उद्देश्य था कि देश में परिवर्तन आए, लेकिन आपका सारा समय इसी में निकला कि विपक्ष की छवि को

कैसे धूमिल किया जाए। जो मशीनरी है, चाहे वह सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो या जितनी इस प्रकार की एजेंसियां हैं, उनका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। इतना खुल कर दुरुपयोग कभी नहीं हुआ, जिस तरह से आज यह सरकार दुरुपयोग कर रही है।

महोदया, यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। मैं इस सरकार को यही सलाह दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को देखे। जिस घोषणा पत्र को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो उन्होंने तमाम बातें कही थीं, जो वादे किए थे, उन सब को कह दिया कि वह जुमलेबाजी थी, लेकिन इस देश की जनता इस बात को बरदाश्त करने वाली नहीं है। आने वाला चुनाव इस बात को साबित करेगा। मैं यह समझता हूँ कि सरकार को इन चीजों पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है।

जहां तक लिंगिंग की बात है, हमारे गृह मंत्री ने लिंगिंग पर अपनी सफाई दी। जिस तरह से उन्होंने सफाई दी, हमको लगता है कि उसको एक प्रकार से साइलेंट सपोर्ट है। प्रधान मंत्री का खामोश समर्थन है। अगर मॉब लिंगिंग को समर्थन नहीं होता तो इस देश में 200 मॉब लिंगिंग की घटनाएं नहीं होतीं। मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। यह क्यों करना पड़ा? ... (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि इस चीज को रोकना चाहिए, यह अनार्की है और इसको रोकना चाहिए। उन्होंने इस सरकार को निर्देश दिया है कि इसके लिए कानून बनना चाहिए। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसने कहा है कि लगभग 200 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, उनके बारे में आज देश प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आब्जर्वेशन है, उसमें उसने कहा है कि देश के अंदर क्योस और अनार्की जैसी परिस्थिति है। इसको दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।

हमारे आंध्र प्रदेश के साथी ने जिस मुद्दे को उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार की भी वही स्थिति है, ओडीशा की भी वही स्थिति है। जो राज्य पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे इसका कुछ भी कारण रहा हो, उसकी भी वही स्थिति है, बिहार का बंटवारा हुआ, उस समय जितने भी कल-कारखाने थे, खनिज थे, जिससे आमदनी होती थी, वे सब झारखंड में चले गए। आज बिहार के पास किसी तरह की सुविधा नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात की मांग कर रहे थे, फिर उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र में यूपीए की सरकार है, इसलिए यूपीए सरकार सहयोग नहीं दे रही है। आज खुशकिस्मती की बात है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केन्द्र में भी तो इससे अच्छा अवसर क्या होगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए ताकि उसको इंसाफ मिल सके। उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसे दूर किया जा सके। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया।

महोदया, जुमलेबाजी की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आपके पास बहुमत है, आप सदन के अंदर यह साबित कर दीजिएगा कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन सदन के बाहर जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि आने वाले चुनाव में जुमलेबाजी की सरकार को परास्त किया जाए। एक नई सरकार और नया नेतृत्व उभर का सामने आए, यह देश की जनता चाहती है। देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वह मान रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है इसलिए वह बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही है कि आने वाले चुनाव में भाजपा की एनडीए सरकार को सबक सिखाए।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदया, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। मैं वर्ष 1977 से सांसद हूँ। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अविश्वास का प्रस्ताव दिया है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, वह मुद्दा नहीं है, टीडीपी पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हुआ है। मुख्य वक्ता जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को मूव किया, उन्होंने एक राज्य के अलावा किसी मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। आंध्र प्रदेश का मामला आज का नहीं है। वहां वर्ष 1947 से लेकर 1977 तक तीस वर्षों तक वहां कांग्रेस का एकछत्र राज्य था, वर्ष 1980 से 1989 तक कांग्रेस का एकछत्र राज्य था, वर्ष 1991 से 1996 तक एकछत्र राज्य था, वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक एकछत्र राज्य था, इन सभी को अगर जोड़ दें तो 55 वर्ष होता है। एक तरफ 55 वर्षों की कांग्रेस सरकार और दूसरी तरफ हमारी पचास महीने की सरकार है। इसके बीच-बीच में सरकारें बनीं, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार को तोड़ा गया, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधान मंत्री बने।

उस प्रधानमंत्री को भी कांग्रेस सरकार ने समर्थन नहीं दिया, तीन महीने के अंदर वह सरकार चली गई। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर जी की सरकार बनी, उसको भी समर्थन नहीं दिया और तीन महीने के अंदर वह सरकार भी चली गई। हमारे साथी हैं, नेता हैं, 1996 में देवगौड़ा जी की सरकार बनी, हम उस सरकार में मंत्री थे, लीडर आफ द हाउस भी थे, रेल मंत्री भी थे। सोनिया जी यहां हैं, देवगौड़ा जी की सरकार में सोनिया जी से पूछे बिना कुछ नहीं होता था, लेकिन उस सरकार को भी खत्म कर दिया। उसके बाद गुजराल जी की सरकार बनी, उस सरकार को नौ महीने में खत्म कर दिया। मैंने इसलिए कहा कि चाहे आंध्र प्रदेश का मामला है या कोई और मुद्दा है, सिर्फ दोष देना कि इस सरकार की देन है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ और सबको इस बात को समझना चाहिए।

मैं अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत इसलिए करता हूँ क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव वर्षा की तरह होता है। जब बारिश होती है तो मिट्टी का बर्तन गल जाता है और मैटल चमकने लगता है। हम गांव से आए हैं, गरीब घर से आए हैं, यहां गरीब के संबंध में भी बात होनी चाहिए, लेकिन गरीब के बारे में कोई बात नहीं सुनी। हमारे साथी राकेश सिंह जी ने कई मुद्दे उठाये। हमारा मुख्य लक्ष्य पावर टू द पुअर है, गरीब का राज कैसे कायम हो। उन्होंने जन-धन योजना के बारे में कहा कि 32 करोड़ लोगों का खाता जीरो बैलेंस पर खुला है। बैंक में 87,000 करोड़ रुपया जीरो बैंक बैलेंस एकाउंट्स में जमा हुआ है। बीपीएल परिवार के साढ़े चार करोड़ लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया।

अब आजादी को 70 साल हो गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आज जो जूता बनाता है उसके पैर में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो घर बनाता है उसके पास रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है, जो गंदगी साफ करता है वह सबसे गंदी बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। आप गांव में चले जाइए, गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता है और दूध के लिए चिल्लाता रह जाता है। वह रात में मां से खाना मांगता है तो मां उसे थप्पड़ मार देती है। बच्चा रोते हुए सो जाता है और सुबह उठता है तो मां से पूछता है कि हमने तो रात को रोटी मांगी थी, तुमने थप्पड़ क्यों मारा? उस समय मां के पास कोई जवाब नहीं होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना, 70 साल के बाद भी लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, सिर के ऊपर छत नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम नारा सुनते थे लेकिन रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। वर्ष 2022 तक हमने टारगेट बनाया है।

जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लालकिले से शौचालय की बात कही तो लोगों ने मजाक बनाया कि प्रधानमंत्री लालकिले से शौचालय की बात कह रहे हैं। हम गांव से आए हैं, कौन नहीं जानता है कि जब दिन में लोग गाड़ी या कार से जाते थे तो दिन में महिलाएं गायब रहती थीं और शाम को लाइन लगाकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती थीं। जब गाड़ी को आते देखती थीं, खड़ी

हो जाती थीं और गाड़ी निकलने के बाद फिर से बैठ जाती थीं। हम रेल से जाते थे, सुबह रेल लाइन पर गरीब लोग बैठ कर शौच कर रहे होते।

यह हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। 18 हजार गांवों में बिजली नहीं थी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लक्ष्य से पहले यह टारगेट पूरा हुआ। अब हमारा टारगेट है कि दिसम्बर तक हर घर में हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे।

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वर्ष 2013 में बनाया गया था, यह सोनिया जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, खाद्य सुरक्षा कानून था। उसमें कहा गया था कि तीन साल के अंदर उसका संशोधन होगा, लेकिन हमारी सरकार को पांच साल होने वाले हैं, हमने उसमें एक रुपये किलोग्राम मोटा अनाज, दो रुपये किलोग्राम गेहूं और तीन रुपये किलोग्राम चावल दे रहे हैं। वर्ष 2013 में जो रेट था, हम आज भी उसी रेट पर अनाज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने छः महीने पहले आदेश दिया कि वर्ष 2019 तक यही चलेगा, अर्थात् उसमें छः साल में हमने एक नया पैसा बढ़ोतरी नहीं करेंगे। वर्ष 2014 में जहां खाद्य सब्सिडी एक लाख 23 हजार करोड़ रुपये थे, वह आज बढ़कर एक लाख 40 हजार रुपये हो गई है।

हेल्थ का मामला है, क्या आयुष्मान योजना कोई मामूली चीज है? दस करोड़ परिवारों को, यानि 50 करोड़ लोगों को एक साल में पांच लाख रुपये हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं। जब बच्चा मां के पेट में रहता है, वहीं से उसकी ग्रोथ होती है। जिस मां को अच्छा खाना नहीं मिलता है, वह बच्चा कमजोर होता है और जीवन भर कमजोर रह जाता है। अधिकांश बच्चे, 80-90 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कुछेक चीजें जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों के पास हैं। जब बच्चा पैदा हो, उसके पैदा होने के एक महीने के अंदर आप उसका मेडिकल टेस्ट करवा दीजिए। उसे जो बीमारी हो, उसका इलाज हो जाए और उसे एक हेल्थ कार्ड मिल जाए। खून का गुण तो बदलता नहीं है। इसमें कितना खर्च लगता है?

इसी तरह से शिक्षा का मामला है। हमने बार-बार कहा है और हम लोग नारा लगाते थे :

“राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संताना
बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा हो एक समाना।”

जब तक हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, अगर राम विलास पासवान का बेटा कार में चलेगा और हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला बच्चा पैदल जाएगा या साइकिल से जाएगा और फिर हम दोनों की बराबर मेरिट की बात करेंगे तो यह संभव नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बीस नए एम्स खोल रही है। आप आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में चले जाइए, बिहार के कम से कम 50 से 60 प्रतिशत मरीज कार्ड बनवाने के लिए एक-एक किलोमीटर तक लाइन लगाए रहते हैं। उसे कौन देखने वाला है? मुझे खुशी है कि सरकार ने पूरे देश में बीस नए एम्स खोलने का निर्णय लिया है, जिनमें से छः एम्स खुल भी गए हैं।

स्टैंड-अप योजना है। माननीय सदस्य ने रोजगार की बात कही है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहिए। स्टैंड-अप योजना क्या है। डिक्की के लोग आए थे, दलित इंडियन चेम्बर के लोग आए थे, बैंकों को कहा गया कि हर बैंक एक दलित और एक महिला को इंटरप्रिन्योर बनाएं और उनको बिजनेसमैन बनाएंगे, जिससे वह नौकरी लेने की बजाय, नौकरी देने के काबिल बन जाए।

हम लोग गांव में जाकर देखते थे कि खोमचे वाला, ठेले वाला, चाय की दुकान वाला, पान की दुकान वाला, ये सभी लोग बेचारे रोड पर रहते थे। मुद्रा योजना में क्या है? मुद्रा योजना में उसे 10 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक लोन दिया जाएगा, जो सूद फ्री होगा। आंकड़ों के मुताबिक इससे अभी तक आठ करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है।

मैडम, जो सामाजिक न्याय का मामला है, मैं दलित परिवार से आया हूँ। पिछड़ी जाति के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। दलित, आदिवासी लोगों को लेकर बार-बार इस सरकार के संबंध में सवाल उठता है और उठना भी चाहिए। हमें इस बात की खुशी है।

दो जनरेशंस हैं। दो जनरेशन में बुनियादी फर्क है। एक राम विलास पासवान की जनरेशन है जिसने जुल्म को सह लिया। दूसरी जनरेशन चिराग पासवान की है जो इज्जत के साथ जीना चाहती है। आप उसके बारे में यदि नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन बाधा कहां आ रही है? बाधा यहां नहीं है। यह पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 90 प्रतिशत लोग गांवों से आते हैं, गरीब घर से आते हैं। हम कानून बनाते हैं लेकिन यह कानून कहां जाकर अटकता है? न्यायपालिका में जाकर न्यायालय में अटक जाता है। जब तक न्यायपालिका में हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई भी क्रान्तिकारी फैसला सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए संविधान की धारा 312 के मुताबिक ... (व्यवधान) यदि हम इसे लाएंगे तो उसमें दो तिहाई बहुमत भी चाहिए। यहां सब नेता बैठे हुए हैं। आप तैयार तो होइए। जब वहां थे, तब भी हम यहीं मांग करते थे। संविधान की धारा 312 के मुताबिक जो इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस है, उसको लाना चाहिए। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें बाधा पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है, चूंकि उनका कॉलेजियम है। हम पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, बाहर बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। कौन जज बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन आई.ए.एस. आई.पी.एस. अफसर में तो पारदर्शिता है। कोई यह नहीं कह सकता है कि दलित और पिछड़ी जाति के आई.ए.एस. अफसर, आई.पी.एस. अफसर एफिशिएंट नहीं हैं। एफिशिएंट हैं। जब वहां आई.ए.एस. और आई.पी.एस. का हो सकता है तो इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस में क्यों नहीं हो सकता? जब इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस होगी, तब जो आप कानून बनाते हैं, वह धड़ाधड़ निकलने शुरू हो जाएंगे।

अभी हमारे सामने तीन मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि जो बाहर हंगामा हुआ, दलित एक्ट का हुआ। एससीएसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून है। 1989 में हम मंत्री थे। हमने उसे बनाया था। हमने उसमें 22 क्लॉज जोड़े थे। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जब हमारी सरकार 2014 में आई, उसमें 25 क्लॉज और जोड़े गये और कुल मिलाकर 47 क्लॉज हो गये। कुछ लोग कोर्ट में चले गये। जब कोर्ट में गये तो

कोर्ट ने उसका जो मूल तत्व था, उसी को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वह जो एक्ट बना था, वह संविधान की धारा 16(4) के अन्तर्गत बना था। वह स्पेशल कानून था। सीआरपीसी से उसका कोई मतलब नहीं था। सीआरपीसी में है कि जब कोई अपराध करेगा तो उसके पहले सत्यापन होगा, तब वह गिरफ्तार होगा। इसमें कहा गया है कि नहीं, जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होगी, उसको पहले गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट फैसला बाद में करेगी। जज ने क्या फैसला दे दिया, जज ने फैसला दे दिया कि नहीं, ...(व्यवधान) अरे, आप कम से कम सुनिये तो सही। जो चीज है, उसे सुनिये। जज ने फैसला दिया और जज ने कहा कि नहीं, एंटीसिपेटरी बेल कोई भी ले सकता है। 20 मार्च को जजमेंट दिया गया और 2 अप्रैल को सरकार ने उसके खिलाफ रिव्यू पेटिशन डाल दी। अभी भी रिव्यू पेटिशन पड़ी है। लोक जन शक्ति पार्टी की तरफ से हमने भी रिव्यू पेटिशन दायर की है और मंत्री की हैसियत से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कमिटेड है। यदि कोर्ट ने इसमें फैसला उल्टा-सुल्टा दे दिया और कहा कि इस ओरिजिनल लॉ में हम चेंज करेंगे तो फिर हम उसके लिए आप लोगों के सामने आएंगे, चाहे ऑर्डिनेंस लेकर आना पड़े या बिल लेकर आना पड़े। लेकिन उसमें कौमा, फुलस्टॉप चेंज नहीं होगा और इसके लिए हम लोग आप लोगों से कहना चाहते हैं कि उस समय अगर-मगर नहीं होना चाहिए।

उसी तरीके से प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है। प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले का क्या हुआ? मैंने कोर्ट की बात को क्यों कहा? जो मंडल कमीशन है, 1952 में काका कालेलकर का कमीशन आया 1978 में चौधरी साहब होम मिनिस्टर थे। जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी 1978 में मंडल कमीशन लाया गया। आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट पड़ी हुई थी। श्री वी.पी.सिंह की सरकार जब 1989 में बनी तो उसने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। कुछ लोग कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ठीक है, पिछड़ी जाति के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन 27 प्रतिशत तो रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा।

प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूलड ट्राइब के लिए था, पिछड़ी जाति के लिए नहीं था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की जड़ में हथौड़ा मारने का काम किया। उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग मिले और पहला संविधान संशोधन आया। वर्ष 1995 के संविधान संशोधन में कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जारी रहेगा। फिर कुछ आदमी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। अटल जी की सरकार आ गई। संविधान में फिर संशोधन हुआ कि सीनियरिटी भी रहेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियरिटी तो रहेगी, लेकिन रिलैक्सेशन नहीं होगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। हम सभी लोगों ने संविधान में संशोधन किया कि उसमें रिलैक्सेशन भी रहेगा। फिर कोर्ट ने कहा कि रिलैक्सेशन तो रहेगा लेकिन न 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। एनडीए की सरकार में तीसरी बार संविधान में संशोधन किया गया कि यह 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा लेकिन हम स्पेशल रिक्लूटमेंट ड्राइव करके 100 प्रतिशत कर सकते हैं। उसके बाद नागराज सुप्रीम कोर्ट में चला गया और कहा कि जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं, सभी असंवैधानिक हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। यूपीए के समय में संविधान संशोधन संबंधी बिल लाया गया। वह एक सदन में पास हो गया और दूसरे सदन में पास नहीं हो पाया। उसको कुछ कारण है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं कि वह पास क्यों नहीं हुआ। ... (व्यवधान) उसके बाद हम लोग बैठे और एटॉर्नी जनरल से विचार-विमर्श किया। उसमें मामला यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन ठीक है लेकिन तीन शर्तें रखीं। पहला शर्त यह रखा कि इसमें आपको बैकवर्डनेस दिखलाना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बैकवर्डनेस क्या होता है, वे अनटचेबल रहे हैं। फिर कहा कि एफिशिएंसी दिखलानी पड़ेगी। क्या एफिशिएंसी दिखेंगे। कोई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास से है तो क्या वे अनएफिशिएंट हैं? फिर कहा कि आपको रिप्रजेंटेशन दिखलाना पड़ेगा। रिप्रजेंटेशन कहां है? तीर-चार प्रतिशत

यह क्लास वन में शेड्यूल ट्राइब का है, तीन-चार प्रतिशत शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज का है। फिर, हम लोग कोर्ट में गए और हम लोगों ने कोर्ट में जाने के बाद कहा कि आपने जो शर्त रखी है, वह गलत है, आप इसे हटाइए। कोर्ट में मामला पेंडिंग है। कोर्ट ने थोड़ा अच्छा जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम सब चीजों पर बाद में विचार करेंगे, लेकिन अभी तक जैसे चल रहा है, वैसे चलते रहना चाहिए। डीओपीटी ने सभी राज्यों को तुरंत चिट्ठी लिखी कि जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन चलता था, वैसे ही प्रमोशन में रिजर्वेशन जारी रखने का काम करें।

महिला आरक्षण का मामला है। आज से तीन दिन पहले हम ने राहुल जी का स्टेटमेंट पढ़ा था। आपने कहा था कि हम बिना शर्त महिला आरक्षण के लिए सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आप इस संबंध में अपने सहयोगियों से बात कर लीजिए। मुलायम सिंह जी से बात कर लीजिए, आरजेडी से बात कर लीजिए। यहां देवगौड़ा जी बैठे हुए हैं। वर्ष 1996 में प्रधान मंत्री थे और हम लीडर ऑफ द हाउस थे। उसके बाद चारों तरफ से मांग हुई कि महिला आरक्षण बिल पास हो, महिला आरक्षण बिल पास हो। वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे अंडर में ही था। हम दौड़ कर उनके पास गए कि हाउस में हल्ला हो रहा है। उसके बाद यहां आए और पूछा कि brother, what is happening? हम ने कहा कि यह मामला है। इन्होंने कहा कि what do you want? Mahila Reservation Bill should be passed without discussion. सभी ने हां कहा। यह तय हो गया कि वह पास हो जाएगा। उसके बाद सेक्रेट्री जनरल ने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन टेस्ट करने दीजिए।

उसके लिए आधा घंटे का समय बढ़ा दिया गया। उसी आधे घंटे में खेल खत्म हो गया और कुछ पार्टी के कुछ लोग मिल गए कि इसमें भी बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी और माइनोरिटी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद यह मामला लटक गया। मेरा कहना है कि आप सभी पहले इस विषय पर एक मत हो जाएं। ... (व्यवधान) मुलायम सिंह जी हम लोगों के नेता रहे हैं, हमारे सोशलिस्ट मूवमेंट के साथी रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि बिना शर्त इसके लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रामविलास जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैं यही बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि बिना शर्त इसका समर्थन करते हैं। क्या बिना शर्त समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसके लिए तैयार है? ... (व्यवधान) हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी से पूछो कि क्या वे इसके लिए तैयार हैं? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को देखिए और आपस में चर्चा मत कीजिए। आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : महोदया, मैं आपकी तरफ ही देखकर बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग बीच में बोलने लग जाते हैं। मुलायम सिंह जी सदन में बैठे हैं, मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हो गया होता, लेकिन इनकी पार्टी के विरोध के कारण नहीं हो पाया। इनमें और सुश्री मायावती के बीच में झगड़ा हो गया। ... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि यह अच्छी बात है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक हो गई है। जब आरक्षण और दलित एक्ट का आन्दोलन हुआ, तो बी.एस.पी. सहित कुछ दलों ने समर्थन किया। वर्ष 2007 में मायावती की सरकार बनी तथा वह पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जो राज्यादेश 20 मई, 2007 को जारी किया, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ – “ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम के क्रियान्वयन में पर्याप्त सावधानी बरती जाए। इस अधिनियम का सहारा लेकर कतिपय लोग सरकार को बदनाम करेंगे। कभी-कभी दबंग व्यक्ति आपसी विद्वेष के कारण प्रतिशोध की भावना से ग्रसित हो कर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मोहरा बनाकर गलत मुकदमा दर्ज कराते हैं। ऐसे मामलों में अविलम्ब सत्यता की पुष्टि करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। ” ... (व्यवधान)

वही तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि पहले सत्यता की जाँच एसएसपी से कराओ। आप दोनों बातें कहते हैं। ... (व्यवधान) आप मायावती जी को समझाओ। ... (व्यवधान) इतना ही नहीं, और क्या कहा, सुनिए। ... (व्यवधान) मायावती जी ने आदेश में कहा कि बलात्कार के मामले में

चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट के परिणामस्वरूप प्रथमदृष्टया अपराध की पुष्टि होने पर ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। यानि यदि किसी एससी या एसटी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, तो पहले उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, मायावती आंदोलन में भाग लेने वाले लड़कों को सपोर्ट करती है वह क्यों सपोर्ट करती है? पहले तो उन्होंने वर्ष 2007 में कहा, वही बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब कही जा रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रामविलास जी, कृपया अब समाप्त करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस प्रकार से यहाँ चर्चा नहीं होती है।

...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : श्री मुलायम सिंह जी को सारी बात पता है, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप बैठिए। ... (व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नेता को दो तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। ... (व्यवधान) भीतर में कुछ, बाहर में कुछ, सरकार बनने से पहले, सरकार बनने के बाद कुछ। हमको नहीं मालूम है, श्री मुलायम सिंह जी को मालूम है। आज सुश्री मायावती बीएसपी नेता बनती हैं। उस समय नारा लगता था-

ठाकुर-बनिया-ब्राह्मण चोर,
बाकी सब हैं डीएस-फोर,
तिलक, तराजू और तलवार
इनको मारो जूते चारा।

जब ये सरकार में चले गये, तो इनका नारा बदल गया।

हाथी नहीं, गणेश है,
ब्रह्मा-विष्णु-महेश है,
ब्राह्मण शंख बजाएगा,
हाथी बढ़ता जाएगा।

देखिए, ये दो तरह की नीति नहीं चलेगी।

माननीय अध्यक्ष : रामविलास जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री रामविलास पासवान: हमारी सरकार है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, तो हम मंत्री बने थे। संसद के सेन्ट्रल हॉल में 42 साल के बाद 1990 में उनकी तस्वीर लगायी गयी, उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गयी, उनको 'भारत रत्न' दिया गया। अभी श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी से संबंधित चार स्थान हैं। एक मऊ है। मऊ में उनका राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। ... (व्यवधान) दूसरा, 26 अलीपुर रोड है, जिसे नेशनल म्यूजियम बनाया गया। तीसरा, मुम्बई में इन्दू मिल की जमीन खरीदकर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा है। चौथा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी लंदन में रहकर जहाँ पढ़े थे, वहाँ पर उनके मकान को खरीदा गया और उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। नागपुर में 'दीक्षा भूमि' है। यह 'दीक्षा भूमि' पहले से ही स्मारक के रूप में बनी हुई है। गवली साहेब वगैरह वहाँ थे। लेकिन, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गयी। पिछली बार इससे संबंधित बिल लाया गया था वह अभी नहीं आ पाया है। हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से पास कर दिया जाए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): पहले वाला भी खत्म हो गया और इसको भी अभी नहीं लाया गया है।

श्री रामविलास पासवान : आप बैठिए।

इसके लिए संविधान में संशोधन होगा। अगर आप गायब हो जाएंगे, तो कैसे संविधान में संशोधन होगा? ... (व्यवधान) बहुत-से पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनमें अति पिछड़ी जाति के लोग भी हैं। कई छोटी-छोटी जातियाँ हैं- नाई, तेली, तमोली, लोहार, कुम्हार, बढई, मल्लाह, निषाद, बिन्द, बनिया, चौरसिया, तत्मा, ताँती, कानू, धानुक, पाल, चन्द्रवंशी आदि जातियों को भी अधिकार मिलना चाहिए।

इसके लिए हमारी सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। उस आयोग की रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को भी पास करने का काम किया जाएगा। ... (व्यवधान) जो लोग हमेशा माइनोरिटी की बात बोलते हैं, उनको समझना चाहिए कि जो मंडल कमीशन है, उसमें 80 परसेंट मुसलमान हैं। उसमें एक-दो नहीं, बल्कि 80 परसेंट मुसलमान हैं। इसी तरह मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी लोक जन शक्ति पार्टी है। हम क्या बोलते हैं या अन्य क्या बोलता है, उसके बजाए सब से बड़ी बात है कि सरकार क्या बोलती है। ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। क्या नरेन्द्र मोदी जी ने कभी कहा कि राम जन्म भूमि में राम मंदिर बनना चाहिए या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला है, उसे होने दो। अनुच्छेद 370 है, कॉमन सिविल कोड है। यह सरकार भारत की सरकार है। आपको याद होगा जब मोदी जी यहाँ प्रधान मंत्री के रूप में आए थे और जब वे यहाँ पार्लियामेंट में आ रहे थे, तब उन्होंने झुक कर प्रणाम किया था। और कहा था कि हम न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, हमारा धर्म भारत का संविधान है। ... (व्यवधान) मैं आप से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे जैसे लोग यह समझेंगे कि सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। ... (व्यवधान) आप ही अकेले आंदोलन थोड़े न करेंगे, लेकिन यह सरकार संविधान के मुताबिक काम कर रही है। ... (व्यवधान) आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? ... (व्यवधान) आप मुझे आज तक प्रधान मंत्री जी या एन.डी.ए. की इस सरकार का कोई काम बतलाइए, जो माइनोरिटी के हित के खिलाफ हो? ... (व्यवधान) इसलिए मैं काँग्रेस पार्टी और राहुल जी से कहना चाहूँगा कि आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ चिंतन भी करना चाहिए। जैसे अँग्रेजों का सूर्यास्त नहीं होता था, वैसे ही आपका भी सूर्यास्त नहीं होता था। हर राज्य में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। आज क्या कारण है कि सिर्फ पॉन्डिचेरी, मिज़ोरम और पंजाब में ही आपकी सरकार रह गई है? ... (व्यवधान) लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए ... (व्यवधान) इमरजेंसी में तो बहुत असत्य बोला गया था, उस पर लोगों ने कहा विश्वास किया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि

जहाँ तक वर्ष 2019 तक का मामला है, तो वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री की कोई वेकेंसी नहीं है ... (व्यवधान) बिना मतलब ये लोग प्रयास न करें और वर्ष 2024 को देखें। यहाँ मैं समाप्त करता हूँ,

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : मल्लिकार्जुन खड़गे जी ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं लोक सभा के नियम 198 के मुताबिक लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान के अनुच्छेद-75 के सब-क्लॉज-3 में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्री परिषद लोक सभा के प्रति जवाबदेह हो। आज हमने यहां बहुत से भाषण सुने हैं। होम मिनिस्टर साहब, पासवान साहब एवं अन्य मंत्रीगण ने इसमें हिस्सा लिया।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपके भाषण का फ्लो न टूटे, जबकि अभी एक मिनट है, इसलिए मैं अभी प्रस्ताव रखती हूँ, क्योंकि एक मिनट में तो आपका भाषण पूरा नहीं होगा। हम सात बजे तक सदन को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह सब पूरा करना है। उसके बाद आप सब की सहमति से आगे देख लेंगे।

18 00 hrs

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैंने दोनों नेताओं का भाषण भी सुना और दूसरे सदस्यों का भी सुना। मैंने यह समझने की कोशिश की कि इन 4 साल 3 महीनों में इन्होंने क्या हासिल किया, लोगों को क्या उपलब्धियां इन्होंने दी हैं, पिछली सरकार से वे किन-किन कार्यक्रमों में आगे हैं, यह सब वह यहां बताने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी उनसे आशा थी। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने हमें देश का इतिहास पढ़ाया। उन्होंने कल्याण का जिक्र किया, संत बसवेश्वर जी के नाम का भी जिक्र किया और अनुभव मंडप के बारे में भी बताया तो हमारे दोस्त मेजें थपथपा रहे थे। अनुभव मंडप के बारे में कर्नाटक के हर व्यक्ति को पता है और हमें ही उसके बारे में पाठ पढ़ा रहे थे। उसके अध्यक्ष श्री अल्लम प्रभु पिछड़े समाज से थे। वे डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लिया करते थे। महात्मा गौतम बुद्ध के संघ लिच्छवी और दूसरे छोटे-छोटे संघ में जो निर्णय होते थे, उसका पूरा अनुष्ठान होता था। यह कोई नई बात नहीं है। आप हमें पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतिहास को देख लीजिए। आप इन बातों को यहां कह कर अपनी स्मृति को मत बढ़ाइए। आपको यहां यह बताना चाहिए कि आपने इन 4 साल 4 महीनों में क्या किया? इसका ज्यादा महत्व है। यहां अपने भाषण में रामायण

और महाभारत तक भी गए, लेकिन उनको शम्भू याद नहीं आया, एकलव्य याद नहीं आया, सिर्फ राम, कृष्ण और महाभारत के भीम और अर्जुन याद आए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बीच में टोका-टोकी मत कीजिए। हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। इसमें समय बर्बाद होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यह पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को उनकी याद क्यों नहीं आती है? आप राम जप करते हैं, लेकिन आपके मुख में राम और बगल में छुरी है। आप उस बात को छोड़िए कोई भी बात सत्य से दूर नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश में 18 हजार गांवों के पास बिजली कनेक्शन नहीं था। ठीक है, मानेंगे। लेकिन क्या पिछले 70 साल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हुआ था? भाखड़ा-नांगल से बिजली का उत्पादन नहीं हुआ? इस तरह की कई चीजें हैं। इस देश में 6 लाख 23 हजार गांव हैं। इनमें से 6 लाख 10 हजार गांवों को बिजली कनेक्शन किसने दिया? क्या कांग्रेस ने दिया या मोदी जी ने दिया? 4 साल में आप 18 हजार गांवों को कनेक्शन देते हैं, लेकिन हम 6 लाख से ज्यादा गांवों को बिजली कनेक्शन देते हैं। क्या यह देश के लिए उपलब्धि नहीं है? क्या 70 साल में काम नहीं हुआ? यह भी कहा कि डेमोक्रेसी की ठेकेदार केवल कांग्रेस पार्टी है। कर्नाटक के किसी नेता ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा कहा।

डेमोक्रेसी की वजह से जो डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी ने बचाई, इसीलिए आज मोदी जी प्रधान मंत्री बने, यह उन्होंने कहा। ... (व्यवधान) होम मिनिस्टर ही कहा, लेकिन होम मिनिस्टर को मैं बताना चाहता हूँ, यह सच है, आप मानिए। अगर हम आपके जैसा चलते तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती। आप आज जिस तरीके से चल रहे हैं, आज जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, सारे समाज को तोड़ने को जो कोशिश कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो आप हाथ डाल रहे हैं और हर एक को असमानता के तत्वों में ढकेलने की जो कोशिश हो रही है, इनइक्वेलिटी की तरफ लोगों को ढकेलने की जो आपकी कोशिश है, वह इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचा पाएगी। इसीलिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस ने कोशिश की, यह आपको एप्रिशिएट करना पड़ेगा। जैसे कदम

आप उठा रहे हो, आज मैं खासकर यह भी कहूंगा कि बीजेपी और... * किन्तु तत्वों पर आप विश्वास रखते हैं, यह आप मुझे बताइये। ... (व्यवधान) पासवान जी की भी मैं इज्जत करता हूँ, वह सीनियर हैं... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): ... * का नाम क्यों ले रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष: मैंने बोला हुआ है, यह अंडरस्टूड है, बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है कि नाम मत लीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वे आपके गुरु हैं।

श्री निशिकान्त दुबे : आप ... * का नाम क्यों ले रहे हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्यों नहीं लेंगे।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये, मैंने आलरेडी बोला हुआ है कि ये सब नाम रिकार्ड पर नहीं जायेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : देखिए, क्योंकि उनके तत्वों पर आपका विश्वास है। शुरू-शुरू में जब यहां भाषण होते थे, पहली बार जब आपकी सरकार बनी, हर मिनिस्टर, हर एम.पी. यह कहता था कि मैं ... * का स्वयंसेवक हूँ। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : हां हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ... * में जो भर्ती हो गए थे, आप लोगों की सरकार का यह उसूल डा. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ है, यह बुद्ध के खिलाफ है। राजनाथ साहब, आप सुनिये, यह ... * के तत्व के खिलाफ है और ... * के साथ आप आरएसएस के उसूल को कम्पेयर करते हो।

श्री निशिकान्त दुबे : मैडम, यह ... * पर डिस्कशन हो रहा है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह डिस्कशन पूरा करना है या नहीं, हर बात पर टोका-टोकी मत कीजिए।

* Not recorded.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जब आपकी पोल खुलती है तो आप उछलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास का पाठ मत पढ़ाइये। जब आप असत्य बात कहते हैं तो उसके बारे में हमने समझाना है।

इसके अलावा मुझे यहां बार-बार यह कहा गया कि यहां अपोजीशन पार्टी को ऑपरेट नहीं करती और अपोजीशन पार्टी डेमोक्रेसी में मदद नहीं करती, डेमोक्रेसी के तत्वों को ऊपर उठने में मदद नहीं करती। आप लोकपाल एक्ट लाए, लेकिन उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आप नहीं कर पाए। एक-दो साल में छः से लेकर बारह आर्डिनंस अब तक आए हैं, लेकिन लोकपाल एक्ट में अपोजीशन पार्टी के लीडर हो या लाजेंस्ट पार्टी को मैम्बर बनाने का एक अमेंडमेंट आज तक नहीं लाए, फिर आपको डेमोक्रेसी के बारे में बात करने का क्या अधिकार है। मैं लाजेंस्ट सिंगल पार्टी का मैम्बर हूँ, यदि सीबीआई को हो तो वह सीबीआई में मैम्बर बनकर बैठता है, विजिलेंस कमेटी में बैठता है। वहां पर सर्कुलर में अमेंडमेंट किया गया है, वहां पर नया जी.ओ. निकाला गया है, लेकिन यहां पर क्या किया? आधे घंटे के अंदर आप उसे अमेंड कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया।

श्री निशिकान्त दुबे : आपको बुलाया था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : स्पेशल इनवाइटी बोलकर बुलायें तो क्या आप आ जाएंगे? कल मैं आपको कहीं भी स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाऊं तो क्या आप आएंगे? क्या आप कहीं भी चले जाते हैं? आप उसूल की बात करो। मैडम, आपमें दया बहुत है। इनको दया बहुत है।

मैडम, दूसरी बात यह है कि लोक सभा के पहले स्पीकर माननीय मावलंकर जी थे, उनकी बात हमेशा आती है। उन्होंने ही एक प्रिसिडेंस डाला है कि चुने हुए सदस्यों में से 10 प्रतिशत की मैजोरिटी नेता विपक्ष के लिए होनी चाहिए। लेकिन यह आपके और सरकार के हाथ में है कि इसको बदल सकते हैं। यह तो संविधान नहीं है न? यह तो बिज़नस ट्रांस्ज़ैक्शन रूल्स हैं। उसमें मुझे जगह देने के लिए आपके हृदय में जगह नहीं है। आप बातें तो बड़ी-बड़ी बातें करते हो, प्रजातंत्र की बातें करते हो, ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं।

मैडम, यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया, उसके लिए इतने विषय हमारे पास हैं। खास कर इस सरकार में उनका इम्प्लिमेंटेशन नहीं हो रहा है। टीडीपी के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव यहां पर रखा है, हमने भी रखा है, लैफ्ट पार्टीज ने भी रखा है और दूसरी सभी पार्टियों ने रखा है। उस पर बहस करने के लिए आपने अनुमति दी है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पहली बार सबसे ज्यादा वक्त हर सदस्य को मिल रहा है, नहीं तो हमेशा टाइम कट हो जाता था, लेकिन इस बार आपने ज्यादा समय दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: तीन-चार साल में कम से कम कभी तो मुझे धन्यवाद मिला।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, अब जो यह आंध्र प्रदेश की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए पिछली यूपीए सरकार ने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट के तहत निर्णय कर के कम से कम पांच विषय पर सहमति बनी थी। वे पांच विषय ये हैं कि:-

1. Special Category Status to Andhra Pradesh for five years.
2. Fiscal measures and tax incentives as has been given to Himachal Pradesh.
3. Special Development Package for Backward Regions of Andhra Pradesh, Rayalaseema and North Coast on the lines of Koraput, Balangir, Kalahandi Special Plan and Bundelkhand Special Package.
4. Transfer of seven Mandals of Polavaram Project region to Andhra Pradesh for smooth and full rehabilitation and resettlement.
5. To augment and compensate the revenues lost to the State of Andhra Pradesh as they will be deprived of revenues of Hyderabad.

इसके समर्थन में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने राज्य सभा में 20 फरवरी, 2014 को अपने भाषण में कहा था कि :-

“First, for the purpose of Central assistance, Special Category Status will be extended to the successor State of Andhra Pradesh comprising 13 districts, including the four districts of Rayalaseema and three districts of North Coastal Andhra for a period of five years. This will put the State’s finances on a firmer footing.”

यह वादा उन्होंने किया था। लेकिन वे वादा नहीं निभा सके, इसलिए जब यह समस्या फिर से उठी और जो ये पांच बिंदु लागू नहीं हुए थे, तो उस वक्त फिर राज्य सभा में मनमोहन सिंह जी ने उसी बात को दोहराते हुए, 05 अगस्त, 2016 को कहा था कि:-

On 5th August, 2016, the former Prime Minister, Shri Manmohan Singh in Rajya Sabha said

“I as then Prime Minister made six promises on the floor of this august House. The then Leader of the Opposition and now the Leader of the House, Shri Arun Jaitley, satisfied with these promises, withdrew all amendments he had proposed. Sir, in light of these promises, I urge the Union Government to implement and thereby protect the honour of the august House.”

यह उन्होंने कहा था। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। पिछली बार आप हमेशा यहाँ आते थे और उनकी बात सुनकर गड़बड़ कर देते थे। ऐसा हमेशा होता था।

माननीय अध्यक्ष : आप उन्हें भड़का रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : पिछली बार ऐसा ही होता था। सरकार वाले उस समय उनको उठाते थे और सरकार नहीं चाहती थी कि इस पर डिस्कशन हो। सरकार नहीं चाहती थी कि उनको यह हक मिले। यह सरकार इन्स्टिगेट करने में एक्स्पर्ट है और इन्स्टिगेट करते-करते सबको तोड़ रहे हैं। किसी को बाहर भेज रहे हैं। अभी थोड़े लोगों को बाहर भेज दिया है। किसी से बोला कि तुम अनुपस्थित रहो। किसी से बोला कि तुम गड़बड़ करते रहो, हम देखते रहेंगे। ये सारी चीजें करते हैं। अगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसी के पास है तो वह बीजेपी सरकार के पास है और मोदी जी

के पास है। मैं आन्ध्र प्रदेश के लोगों के साथ हूँ, मेरी पूरी पार्टी उनके साथ है। आन्ध्र प्रदेश के लोगों की हिफाजत के लिए हमारी पार्टी हर संभव कोशिश करेगी। हमारी यह बात पार्टी के लिए नहीं है। आन्ध्र प्रदेश के लोगों के हित में हमने यह कदम उठाया है। उनका संख्या बल न रहते हुए भी हमारे सभी 48 मेंबर्स, टीएमसी के मेंबर्स, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने मिलकर उनको सपोर्ट किया है। यह काम हमने वहाँ की जनता के हित में किया है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस प्वाइंट को मुझे रखना था। अब मैं तीसरी बात करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात हो गई है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, अभी तो मेरे पास बीस पेज हैं।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, इतना समय नहीं है। इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जायेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मुझे बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : इतना समय नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बीच में बोलेंगे तो वे डिस्टर्ब हो जायेंगे। हम दोनों बात कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि यदि मोदी सरकार सत्ता में आयेगी तो किसानों को एम.एस. स्वामीनाथन की सिफारिश के हिसाब से कॉस्ट प्लस 50 प्रतिशत की एमएसपी देंगे। इसके बाद एक और झांसा दिया कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी। मंत्री जी, आपने भी इसका जिक्र किया है। आपने दिया क्या, एमएसपी खरीफ क्रॉप्स के लिए, स्वामीनाथन जी ने उस वक्त तो यह कहा था, मैं आपकी सूचना के लिए सिर्फ दो-तीन आइटम्स को ही पढ़ता हूँ। नॉलेज के लिए नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज है। आपने इतिहास से लेकर साइंस और साइंस से लेकर सारी चीजें हमें बताई हैं, हमें अवगत कराया है। पैडी का cost price production per quintal 1,484 रुपये है and cost+50 per cent as per CACP recommendations is 2,226. आपने 1,750

रुपये दिया है तो Rs. 476 less and you are claiming कि इस तरह से किसानों को किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। यह सिर्फ हमने किया है। मैं हर आइटम को पढ़ सकता हूँ। ज्वार, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लॉवर, सोयाबीन, कॉटन आदि सभी का इसी तरह से है। आप इन सभी को देख लीजिए कि सभी में कितना अंतर है? इसके साथ-साथ मैं आपको और कुछ भी याद दिलाता हूँ। आपने कहा है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया है।

मैडम, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब वर्ष 2010-11 में पैडी का एम.एस.पी. एक हजार रुपये था तो यूपीए सरकार ने वर्ष 2012-13 में उसे बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया था। उसके बाद ज्वार, बाजरा हर चीज की एम.एस.पी. बढ़ाई गई थी। किसी की एम.एस.पी. दस रुपये ज्यादा बढ़ाई गई, किसी की कम बढ़ाई गई। पिछले जमाने में उड़द दाल की एम.एस.पी. कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ती थी, हमेशा मूंग और दूसरी चीजों की बढ़ती थी। इसके बारे में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाकर कहा। मूंग एक शॉर्ट-टर्म क्रॉप है। वह 100 दिनों में होता है। लेकिन, तूर दाल लॉन्ग-टर्म क्रॉप है। कई जगहों पर उसमें पाँच से छः महीने लगते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप मूंग की एम.एस.पी. ज्यादा दे रहे हैं तो पहली बार यूपीए सरकार ने उसमें 150 रुपये की बढ़ोतरी की। आप वह नहीं बोलते हैं। आप सिर्फ अपनी बातों को जोर से बोलते हैं। चूंकि आज मीडिया आपके फेवर में है या आपकी बातों को ज्यादा महत्व देती है और कॉरपोरेट आपके साथ हैं। उन्हें एडवर्टीजमेंट मिलता है तो हर जगह वे 'मोदी, मोदी, मोदी' बोलते रहते हैं... (व्यवधान)

यह तो आपकी एम.एस.पी. की पोल है। इसे खोल कर देखिए तो आपको इसके बारे में मालूम होगा।

किसानों की आत्महत्या की बात है तो मैं एक आंकड़ा देता हूँ। एक आंकड़े के अनुसार देश में हमारे किसानों द्वारा हर रोज लगभग तीन आत्महत्याएं होती हैं... (व्यवधान)

मैडम, अतारांकित प्रश्न सं. 41111, दिनांक 28 मार्च, 2018, के उत्तर में यह बताया गया था कि वर्ष 2014-15 में 12,360 किसानों की आत्महत्या हुई, वर्ष 2015-16 में 12,602, वर्ष 2016-17 में 11,458 और वर्ष 2017-18 में 14,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। मैं इस विषय के

बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरफ तो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप किसानों के लिए बहुत कुछ करते, आप उन्हें रिलीफ देते तो यह नहीं होता। आपने एम.एस.पी. को अब बढ़ाया है क्योंकि चुनाव होने में सात महीने हैं। अब जबकि सात महीने बाद चुनाव हो रहे हैं तो आपने जनता के पास जाने के लिए एक रास्ता ढूँढ़ा। उस एम.एस.पी. को थोड़ा-सा बढ़ाकर आप उसे इतना महत्व दे रहे हैं।

किसान किसी एक पार्टी का नहीं होता। आपको बहुत-से किसानों ने भी वोट दिया है, लेकिन आपने उनकी बात कभी नहीं की। आज तक अगर आप किसी की बात करते रहे तो आप अडानी और अम्बानी की बात करते रहे, लेकिन किसानों की बात नहीं की।...(व्यवधान)

इस संदर्भ में मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि एक आँसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। आज जो किसान आँसू बहा रहे हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं, वे मर रहे हैं। तुमने देखा नहीं आँखों का समन्दर होना।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब हो गया। आधे घंटे का समय समाप्त हो गया।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सरकार को ...* (व्यवधान) यह टेलिफोन में रिकॉर्ड है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं चलेगा। यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बाहर जैसा भी चलता रहे, लेकिन यहाँ सदन में ऐसा नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने आपको काफी समय दिया। श्री खड़गे जी, बस हो गया। अब आधे घंटे हो गया। अब आपके मुद्दे समाप्त हो गए।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह देखिए, इसकी टेलिफोन रिकॉर्डिंग है। ...(व्यवधान) सरकार को गिराने के लिए ऐसा किया गया...(व्यवधान) फसल बीमा योजना की बहुत तारीफ हुई है।

माननीय अध्यक्ष: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए, नहीं तो मुझे अगला नाम लेना पड़ेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वर्ष 2016-17 में रबी फसल के दौरान 20478 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ और किसानों को 5650 करोड़ रुपये मिला। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के जेब में 14828 करोड़ रुपये गया और आप किसानों की बात करते हैं। ...(व्यवधान) मैंने आपके निर्देश के अनुसार 'दिशा' मीटिंग रिव्यू किया। मेरे कर्नाटक में ही किसानों का जो प्रीमियम जमा हुआ है, वह 8 करोड़ 33 लाख रुपये है और किसानों को 3 लाख 35 हजार करोड़ रुपये मिला है। ...(व्यवधान) फिर भी आप किसानों की भलाई के लिए सोचते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिए, मैं दूसरा नाम ले रही हूँ आपको आधे घंटे का समय दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, अभी मुझे बोलने के लिए और आधे घंटे का समय दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आधे घंटे नहीं मिलेगा। अभी आपके पास इतना समय ही नहीं है। खड़गे जी, आप फिर खड़े हो गए हैं। मैंने बहुत ज्यादा समय दिया है। उन्होंने खुद कुबूल किया है। अब आप कुछ मत बोलिए। अपनी बात समाप्त कीजिए। खड़गे जी, आप ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे मालूम है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, स्टार्ड और अन-स्टार्ड क्वेश्चन में जो फैक्ट्स आए हैं, वही दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक साढ़े छह बजे मैं दूसरा नाम ले लूँगी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं इधर-उधर की बात तो नहीं कर रहा हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: फिर भी समापन करना पड़ेगा। आपके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके बारे में बोलिए, क्योंकि आपके पास समय कम है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, ठीक है। मैं एक-एक बात बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए।...(व्यवधान) मुझे इस सरकार में विश्वास नहीं है, यह क्यों कह रहा हूँ क्योंकि उनके ही एक केन्द्रीय मंत्री ने क्या कहा है- उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है।...(व्यवधान) लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द से इसलिए सहमत हैं, क्योंकि यह संविधान में लिखा है। उन्होंने कहा कि इसे बहुत पहले ही बदल दिया जाना चाहिए था।...(व्यवधान) अब हम इसे बदलने जा रहे हैं। आप लोग इसे चेक-अप कर लीजिए। अगर यह इस तरह की बात कहते हैं तो क्या हम इस सरकार में विश्वास रखें?

माननीय अध्यक्ष: ऐसा कैसे हो सकता है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप मेरे ऊपर प्रिविलेज लाइए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपके ऊपर प्रिविलेज क्यों लाऊँ?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह बहुत सत्य है।

दूसरी चीज, ...* ...ने कहा है, उनका कहना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनका नाम नहीं लेंगे। उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ...* के मुख्य ने यह कहा कि 'Addressing the concluding ceremony of the silver jubilee celebrations of the Akhil Bharatiya Adhivakta

* Not recorded.

(Advocates) Parishad in Hyderabad, ... * ... said though the new Constitution was drafted after Independence, some old laws were taken from foreign sources.' यह उनका कहना है। संविधान को बदलने की इनकी नीयत है और आगे उन्होंने कहा है कि "Our Constitution was written based on the understanding of the 'Bharatiya' ethos" ...(व्यवधान) मैं अपनी बात रख रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: आपके पाइंट्स तो सौ होंगे, लेकिन आपको समय पर कनक्लूड करना पड़ेगा। खड़गे जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अब आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं ... * ... तो नहीं बोल रहा हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सच ... * का सवाल नहीं है। सवाल समय का है। आपके पास समय इतना नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज कनक्लूड, नहीं तो मैं दूसरा नाम ले लूंगी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : दो मिनट दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : मैडम, मेरे प्वाइंट ऑफ आर्डर को सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको आखिरी का पढ़ना है।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, आज जनता यह जानना चाहती है कि 80 लाख करोड़ का काला धन विदेश से वापस कब आएगा?... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : मैडम, प्वाइंट ऑफ आर्डर सुन लीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है?

... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : मैडम, 356, आप इसे एक बार सुन तो लीजिए। ये बार-बार ... * का नाम ले रहे हैं, बार-बार मंत्री का नाम ले रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है कि न ... * का नाम जाएगा और न किसी का नाम जाएगा। बार-बार बोला है और बोल भी रही हूं। मैंने अभी बोला है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अरे, माफी भी मांगी है इस हाउस में, आप बैठिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप समापन करिए, नहीं तो मैं दूसरा नाम ले लूंगी। प्लीज, मैं प्लीज बोल रही हूं, फिर घंटी बजाकर नाम ले लूंगी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इस देश की जनता यह जानना चाहती है कि 80 लाख करोड़ का काला धन विदेश से वापस कब आएगा? 15-15 लाख रुपये खातों में कब जमा किए जाएंगे? ... (व्यवधान) सालाना दो करोड़ रोजगार कब मिलेंगे? डीजल और पेट्रोल के दाम कब होंगे? किसान को न्याय कब मिलेगा? दलित पर अत्याचार कब थमेगा? ... (व्यवधान) नारी पर वार कब रुकेगा? ... (व्यवधान) बैंक का पैसा लेकर भागने वाले को कब बंद करेंगे? ... (व्यवधान) एससी, एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कब मजबूत बनेगा? ... (व्यवधान) बैंक का पैसा लेकर भागने वाले कब वापस आएंगे? ... (व्यवधान) एससी, एसटी रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक्ट कब मिलेगा?

* Not recorded.

...(व्यवधान) विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण कब मिलेगा? ...(व्यवधान) सीमा पर प्रहार कब रुकेगा? ...(व्यवधान) अच्छे दिन कब आएंगे? ...(व्यवधान) अब लगता है कि अच्छे दिन तब आएंगे, जब मोदी जी सत्ता से जाएंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपसे दस बार रिक्वैस्ट की थी। आप अब कुछ मत बोलिए। स्पीकर का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने बोला था कि मैं अगले वक्ता का नाम ले रही हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या होता है? आप बात को मानेंगे ही नहीं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका कंप्लीट हो गया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बहुत समय दिया ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट खड़गे जी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी रिक्वैस्ट नहीं करे। आपने शुरू किया, आपको आधा घंटा दिया। फिर मैं आपसे बार-बार रिक्वैस्ट कर रही हूँ कि अब कंकलूड करिए। आपका समय था भी नहीं, फिर भी समय दे रही हूँ।

ऐसा नहीं होता है, आपने अपनी मांगें पूरी की तभी मैंने दूसरा नाम लिया था, ऐसा बार-बार नहीं होता है। अगर वाक्य बोलना हो तो ही एलाऊ करूंगी, नहीं तो नहीं। I will allow only one sentence. That's all. Yes Kharge ji.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए देशवासियों को केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा कर देशवासियों के साथ धोखा किया है। वर्तमान सरकार को जनता का भरोसा हासिल नहीं है। मैं आपके माध्यम से देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ

“ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे,
लूटा है तुम्हें रहजनों ने, रहबर के इशारों पर”

इसीलिए इन पर विश्वास नहीं है। आप मंजूर कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU (VISAKHAPATNAM): Thank you Madam for giving me this opportunity. I rise to oppose the No Confidence Motion against Narendra Modi Government. ... (*Interruptions*). Today I was really amused to see Telugu Desam Party joining hands with Congress. ... (*Interruptions*). Telugu Desam Party was founded by the late Shri N.T. Rama Rao to oppose Congress politics. ... (*Interruptions*). He fought against Congress. He put the Telugu Desam Party against Congress throughout his life. Now, today you have joined hands with Congress. ... (*Interruptions*). You have a right to join. You have a right to choose your line. ... (*Interruptions*). You can do politics on your own. There is no problem at all. ... (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: Hari Babu ji, please address the Chair.

... (*Interruptions*)

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU : ... (*Interruptions*) But Shri N.T. Ram Rao's soul will be affected by what you are doing now in the House today. ... (*Interruptions*). I really saw Telugu Desam Party's leader going to the Congress leaders to have Floor coordination. ... (*Interruptions*). I really have seen that. ... (*Interruptions*). I think, after so many years of politics, Telugu Desam Party taking a stand today is not really good for the State of Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: Hari Babu, please address the Chair.

... (*Interruptions*)

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU : ... (*Interruptions*) Congress Party leaders shed the crocodile tears on Andhra Pradesh.... (*Interruptions*). Madam, when

the Act was prepared, when the Act was passed in the Parliament – Lok Sabha and Rajya Sabha – in Rajya Sabha, BJP leaders Shri Venkaiah Naidu and Arjun Jaitley Ji stood for the welfare/development of divided Andhra Pradesh.... (*Interruptions*). Kharge Ji read out the Manmohan Ji's statement and he is very much interested to extend special category status to the State of Andhra Pradesh ... (*Interruptions*). If they were really interested, if they were really sincere, I am asking one question – why had you not included special category status in the Act itself? Why had you not done it? ... (*Interruptions*). Why have you not done that? ... (*Interruptions*). At that time, where were you? ... (*Interruptions*). At that time, when the Bifurcation Act was being passed, Telugu Desam Party did not ask what they want for the divided Andhra Pradesh. They were shouting justice for Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*). They were shouting equal justice. ... (*Interruptions*). They have given letter for the division of Telangana and Andhra. At the same time, they criticized the division. ... (*Interruptions*). I proudly say today Madam, I believe, BJP believes, if the State is divided, the present residual State of Andhra Pradesh will be developed at a faster rate. ... (*Interruptions*) and we supported it. ... (*Interruptions*). I will give details ... (*Interruptions*). I will give details ... (*Interruptions*).

Madam, as far as the special status is concerned, Prime Minister's statement clearly says that 'people are not clear about the special status; special status does not contain industrial incentive; special status provides Central assistance; special status to the successor State of Andhra Pradesh is

comprising of 13 Districts including the four Districts of Rayalaseema and three Districts of north coastal Andhra Pradesh for a period of five years so as to put the State's finances on a firmer footing.' ... (*Interruptions*) Go to your seats.

You have nothing to do with me ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, this is not fair. Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Haribabu, please address the Chair.

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU : The divided State will have financial problems. Therefore, to bring it out of the financial problems, to give it the financial assistance, the Special Category Status was mentioned ...

(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, do not stand there. Please go to your seats.

... (*Interruptions*)

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU : The 14th Finance Commission gave its Report to the Government. It was adopted by the Parliament. It was a Constitutional body.

The 14th Finance Commission said:'

"We did not make a distinction between special and general category States in determining our norms and recommendations..... In our assessment of State resources, we have taken into account the disabilities arising from constraints unique to each State to arrive at the expenditure requirements. In this regard, we have observed that the North-Eastern and Hill States have several unique features that have a bearing on their fiscal resources and expenditure needs, such as low level of economic activity, remoteness and international borders. Our

objective has been to fill the resource gaps of each State to the extent possible through tax devolution. However, we have provided post-devolution revenue deficit grants for States where devolution alone could not cover the assessed gap.....

We are of the view that intra-state inequality is within the policy jurisdiction of the States and provisioning of adequate resources through tax devolution should enable them to address intra-State inequalities in an effective manner.”

After 42 per cent devolution to the State, because Andhra Pradesh is going to have revenue deficit, they have assessed the revenue deficit from the Financial Years starting from 2015 to 2020, for five years. They have estimated an extent of 22,120 plus crores of rupees to be paid by the Government of India to the Government of Andhra Pradesh. That recommendation was accepted. Five years' deficit finance is to be given to the State of Andhra Pradesh. Therefore, in addition to the devolution, whatever the revenue deficit is there, that is being provided which is to the extent of Rs. 22,120 plus crore.

18 45hrs

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

Not only the revenue deficit provided through the budgetary support but the Special Category Status is also being promised by BJP. I am not denying it. Therefore, what we are trying to do is that if the name is not to be given or if there is any problem because of the 14th Finance Commission for declaring it a Special Category State, instead of giving the name, whatever benefits a

Special Category State will get, that financial benefit, we are willing to provide to the State of Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*) I will tell you.... (*Interruptions*) If a State is declared as Special Category State, they will get 90 per cent of the Central grant in the Centrally sponsored schemes. If the Special Category Status is not given, the Central Government will only give 60 per cent of the grants. ... (*Interruptions*) Therefore, even if the Special Status is declared to Andhra Pradesh, the difference of the Financial benefit or the grant – from 90 per cent to 60 per cent – that is, 30 per cent is calculated approximately at Rs. 3,500 crore for five years as mentioned in the then Prime Minister's statement. ... (*Interruptions*) About Rs. 17,500 crore were accepted by the Government of India to extend as a special financial package for the State of Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*)

Sir, the State Government of Andhra Pradesh has accepted this special assistance. They requested the Government of India: "You finance this Rs. 17,500 crore as externally aided loan. That loan is to be repaid by the Government of India." That is the agreement in that special assistance package.... (*Interruptions*)

When the Government of India had accepted to extend that assistance through externally aided projects, the Government of Andhra Pradesh took one-and-a-half years' time. ... (*Interruptions*) They thought getting externally aided assistance is time taking. There are certain problems. Therefore, it is not possible to get externally aided assistance. Please consider extending this assistance through the domestic financial agencies like NABARD and HUDCO.

This letter was written by the hon. Chief Minister to the Government of India on 3rd January, 2018. ... (*Interruptions*) That was also accepted by the Government of India and by the hon. Finance Minister. Then, the issue came that if this assistance is to be taken as loan by the Central Government, the FRBM problem will arise for the Central Government. ... (*Interruptions*) If the loan is to be taken by the State Government, the FRBM problem will come to State Government. ... (*Interruptions*) Therefore, to avoid the problem of FRBM limits, both, for Central Government and the State Government, the Finance Minister has suggested a via-media, a way out: "You form special purpose vehicles. That loan will be given to PVs and then the FRBM problem will be avoided for both, Centre and State. Please avail it." ... (*Interruptions*) But the State Government has not come forward even till today with the announced via media model of SPVs. I am really sorry. When the Government of India is ready to extend the financial assistance to the tune of Rs. 17,500 crore, the State Government is not ready to accept the assistance. It is a loss to the State of Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*)

Therefore, please do not blame the Government of India saying that they have not given any assistance to us. An assistance of Rs. 17,500 crore is being offered to the State of Andhra Pradesh.... (*Interruptions*)

Apart from the Special Category Status, I categorically state that the Government of India is ready to give all possible assistance except the name. Today, you form an SPV; give the account number; the Government of India will deposit the money which is required by you and which is accepted by you.

Today, you form an SPV and give the account number. To that account number, tomorrow, Saturday morning, at 11 o'clock, the money will be transferred. Please give the account number. ... (*Interruptions*)

Therefore, I would like to ask whether you are interested in financial assistance or you are interested only in the name. Whatever financial benefit will accrue through the Special Category Status, if that money comes, I will be happy to develop the State in a different form. Therefore, I would request the Government of Andhra Pradesh to think about it. ... (*Interruptions*)

Regarding Polavaram Project, the Congress Party made the Act. They have put all the areas which are going to be submerged under Polavaram Project in the State of Telangana. Polavaram Project is in the State of Andhra Pradesh. Then, how will the project work go ahead? In the very first Cabinet Meeting, after Narendra Modi *ji* assumed office as the Prime Minister, it was decided to approve an ordinance. In the immediate next Session, it was passed as an Act. All the submerged areas are being transferred from Telangana State to Andhra Pradesh so as to remove all the hurdles in the construction of Polavaram Project. Polavaram Project was taken up as a national project. So far, Rs. 6,734 has been released to the Project, to a single project, by the Government of India. Within two years, Nitin Gadkari *ji*, the hon. Minister, visited the Polavaram site. He assured that it is his personal responsibility to see to it that the project will be completed in right time. I do not know whether you have confidence or not; he has the capability to

complete it. Polavaram Project is the lifeline project of Andhra Pradesh. We will complete it at any cost. ...(*Interruptions*)

I will just mention about some projects which have been sanctioned to Andhra Pradesh. The Government of India has sanctioned 85 per cent of the projects mentioned in the Act to the State of Andhra Pradesh.... (*Interruptions*) Even though Section 93 of the Act says that these projects should be established in a period of 10 years, Narendra Modi *ji* Government took only four years to start 10 institutions out of 11 that have to be started in the State of Andhra Pradesh. Only one institute, namely, Girijan University is due. The hon. Minister, Prakash Javadekar *ji*, is here. He will take steps to start Girijan University and to complete the projects cent percent that are to be given to Andhra Pradesh. Two days back, he has taken steps to a start a Central University in Anantapur. Even though the Act is not passed in Parliament, classes are going to commence in Anantapur. That is the project we have done.

Sir, five issues are pending. One is the Girijan University, which is a tribal University. That is to be started by the hon. Minister, Javadekar *ji*. Another issue is regarding establishment of Kadapa Steel Plant. The Congress Party made an Act saying that for all these institutions, we have to examine their feasibility, examine their possibility and to set up Committees.

The Committee's report was not positive. But the Government of India set up a task force to see how to make it viable and the Government is in the process of announcing it in Kadapa district. Vizag Railway Zone is more

important to me. Vizag Railway Zone is to be established and Visakhapatnam has to be its headquarters. A Committee was set up. The Committee gave a negative report but the hon. Minister is taking steps as to how to make Vizag Railway Zone feasible and possible. I am sure Shri Piyush Goyal Ji will announce that Railway Zone shortly. He will take a positive decision in this regard.

Sir, with regard to Dugarajapatnam port, the hon. Minister Nitin Gadkari Ji informed the State Government that the Dugarajapatnam port is not feasible and also sought suggestions for an alternative site. About six months back, he wrote the letter to the State Government. So far, the State Government has not responded. You come out with an alternative site. Tomorrow, this Government will announce a major port construction in the suggested site. Therefore, I want to ask some questions to Telugu Desam Party friends. You have moved the No Confidence Motion. Is it because Modi Government has brought the seven submerged mandals of Polavaram project into the State of Andhra Pradesh? Are you moving the No Confidence Motion for that reason? Modi Ji has agreed to extend special financial assistance to the tune of Rs. 17,500 crore. Is that the reason you are moving the No Confidence Motion?

The Government of India has to start the projects within a period of 10 years. They have started 10 projects within a period of 2-3 years. Are you moving No Confidence Motion for that reason? Please introspect yourselves. You may take your stand for political reasons. We are together for four years. We worked together for the development of Andhra Pradesh. For the political

reason, you took a different stand. Even though Narendra Modi's Government has given the commitment, not to Telugu Desam but to the Telugu People of Andhra Pradesh. We continue our support to the State of Andhra Pradesh whehter you are with us or you are not with us. Therefore, even without your political support, we will continue to support the cause of Andhra Pradesh.

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Deputy Speaker Sir, this is a first ever Motion of No Confidence in the Council of Ministers being brought in the 16th Lok Sabha. I take this opportunity to express several issues with regard to the State of Tamil Nadu whereby in certain cases, intervention was required by the Central Government where it had not intervened to solve the problems of our State and in some cases where it was not necessary for the Centre to intervene or exercise its unwarranted excess rights on the State Government.

My first part of speech is on the issue of Central Government's use of its excess power over the State Governments. I wish to State about the National Eligibility cum Entrance Test. The introduction of NEET is a direct infringement on the rights of the States and has caused grave injustice to the students of Tamil Nadu who are already covered by a fair and transparent admission policy laid down by the Government of Tamil Nadu. Tamil Nadu admission system protects the interest of the students particularly from the weaker sections and rural areas, as such students cannot compete with the urban elite students in common entrance examination. A large number of social and economically backward meritorious students have benefited by the Government of Tamil Nadu decision to abolish common entrance examination. For admission to post graduate courses, the Government of Tamil Nadu gives preference to those who have served in rural areas with special weightage for those working in hilly and tribal areas. The introduction of NEET has nullified

such policy initiatives intended to further the socio-economic objectives of the State.

19 00 hrs

Is this not a direct infringement on the rights of the State by the Central Government?

Sir, with regard to the draft Dam Safety Bill, 2018, the proposed Bill contains clauses which violate the rights of Tamil Nadu, especially with respect to the dams constructed by the Government of Tamil Nadu in the neighbouring States, which will lead to various problems in their maintenance and operation.

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Jayavardhan, please wait a minute.

Now, it is seven o' clock. If the House agrees, we can extend the time by one more hour, up to eight o' clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): माननीय उपाध्यक्ष जी, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा देर शाम तक चलने की संभावना है, इसलिए माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा रात्रि भोजन की व्यवस्था की जा रही है। माननीय सांसदगण 8 बजे के बाद कमरा संख्या-70, प्रथम तल, संसद भवन में भोजन कर सकते हैं। मीडिया के बंधुओं के लिए कमरा संख्या-73 तथा संसद के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कमरा संख्या-74 में भोजन की व्यवस्था की गई है।

कृपया सभी भोजन ग्रहण करें।

19 01 hrs

MOTION OF NO CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS—Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Jayavardhan, you can continue.

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): I urge the Central Government to take up the legislation on dam safety only after consulting the States and till then keep in abeyance the process of legislation on dam safety.

With regard to the proposed move by the Central Government, which will affect the fiscal health of the State, I would like to mention here about the Central Government's decision to dismantle the University Grants Commission which has both regulatory and fund sanctioning functions and replace it with Higher Education Commission of India which will have only the regulating function. So, it has a direct consequence on the fiscal health of the States. At present, the UGC gives 100 per cent grants for proposals but it has been our experience that when the schemes of the UGC are subsumed under the scheme of Higher Education Department of the Ministry of Human Resource Development, the Government of India's funds for the schemes are shared between the Centre and the State Governments in the ratio of 60:40 respectively. For example, the schemes of the UGC, like university with potential of excellence and college with potential for excellence, have now been subsumed under the RUSA. Further, funds are granted in the ratio of 60:40 which has caused additional financial burden on the States. In the

interest of the States' fiscal health, the UGC should not be replaced by the Higher Education Commission of India.

Secondly, with regard to the levy of surcharge of two per cent on the superrich that has replaced the wealth-tax, I would like to mention here that this decision of the Union Government has shifted the fiscal resource from the State to the Centre. It is a direct encroachment by the Union Government to reduce the fiscal capacity of the State. We have, time and again, asked the Central Government to include the surcharge on the superrich and other surcharges in the divisible pool of resources to the States. However, no decision has been taken by the Central Government in this regard.

With regard to the action of the Central Government, which is against the will of the people of Tamil Nadu as well as an incorrect decision of the Central Government, I would like to mention here about the Steel Authority of India's decision to privatise Salem Steel Plant. The Public Sector Undertakings are capable of performing better, provided they are given the right support and direction in a dynamic economic scenario. Rather than the Central Government examining and studying thoroughly the reasons for the Salem Steel Plant's recent losses, the Central Government's act of resorting to privatisation is totally against the will of the Government and the people of Tamil Nadu.

Second part of my speech is on the issues where the Central Government should have intervened in the issues of the States but it had not done so. In this regard, I would like to mention here about the shortage in the

disbursements of share from the central tax from 1996-97 to 2014-15. In the Report of Comptroller and Auditor-General on Compliance of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, it has been indicated that during the certification of the net proceeds by the C&AG based on recommendations of the successive Finance Commissions, it was noticed that during the period from 1996-97 to 2014-15, an aggregated amount of Rs.81,647.70 crore was short devolved to the States.

It is estimated that Tamil Nadu is eligible to get around Rs.4500 crore as a shortfall in the share of the Central taxes devolved by the Government of India during that period. A pertinent question that arises here is, whether it is not obligatory on the part of the Union Government to devolve shortfalls in the share of the Central taxes devolved to the State. However, no action has been made in this regard by the Central Government.

Now, on the issue of the 14th Finance Commission, I would like to mention here that the 14th Finance Commission had recommended an increase of 10 per cent in the vertical devolution from 32 per cent to 42 per cent to the States. However, this effect has been neutralized by reduction in the horizontal devolutionary share of the Central taxes to Tamil Nadu from 4.969 per cent to 4.023 per cent. This reduction in the *inter-se* share to Tamil Nadu is 19.04 per cent, which is the highest erosion among all the States. Further, year after year, the actual release of share in the Central tax to Tamil Nadu fell short of the estimates in the 14th Finance Commission recommendation. This, coupled along with the unscientific formula adopted by

the Commission, has penalised the State of Tamil Nadu for its achievement in better economic development and population control. The Government of Tamil Nadu has urged the Central Government to provide an annual special grant of Rs.2000 crore in each of the remaining years of the 14th Finance Commission period to Tamil Nadu either as a grant available through NITI Aayog or as a special allocation. However, Sir, no progress has been made in this regard by the Union Government.

With regard to the 15th Finance Commission, the terms of reference contains certain clauses that are likely to have an adverse impact on the fiscal transfer to the State of Tamil Nadu. There is a growing discontent among the people of Tamil Nadu on the unfair treatment meted out by successive Finance Commissions to Tamil Nadu. Concerns are now being raised by people of all political and academic hues in the mainstream as well as the social media that the resources from the State of Tamil Nadu are unjustly being transferred to other States through the mechanism of Finance Commission causing a drag on the ability to grow further and impeding the efforts of the State Government towards fulfilling the growing aspirations of the people. The growing disparity in the fiscal transfer does not augur well for the country and could in fact undermine the strength of the Indian Union.

With regard to the grant-in-aid released to the State Governments by the Union Government, I would like to mention here that the grant-in-aid released to Tamil Nadu by the Union Government in 2017-18 compared to 2016-17 has witnessed a 3 per cent negative growth. On the contrary, the Union

Government has provided a substantial grant-in-aid to other States, that is, 56 per cent for Maharashtra, 119 per cent for Uttar Pradesh. We are unable to understand the disparity meted out against us.

Coming to the issue of GST, Tamil Nadu had concerns about the impact of GST on the fiscal autonomy of the States and the huge permanent revenue losses it is likely to cause to a manufacturing and net exporting State like Tamil Nadu. As feared by us, there is a significant shortfall in settlement of the amount due to Tamil Nadu in the new Goods and Service Tax system. A large amount of IGST remains unsettled even after the second provisional settlement of Rs.50,000 crore made on 27th June, 2018. I wish to state that by a rough estimate, our State will receive over Rs.5604 crore of additional revenue if the unsettled IGST credit is apportioned to the State. It has been urged that an on account payment may be made for the entire balance of unsettled IGST by using a formula such as the protected revenue of each State or the GST collection. Otherwise, the amount of unsettled IGST will continue to increase and will undermine the whole structure of the GST.

With regard to disaster management by the Central Government, it has always fallen short in providing a helping-hand to the State. Take for instance, the severe flood in Tamil Nadu during November 2015. A special assistance of Rs.25,914 crore was sought as disaster relief assistance from the Centre. However, the fund allocated was only a few hundred crores by the Central Government.

During December 2016, a severe cyclonic storm 'Vardah' hit the northern district of Tamil Nadu leaving unprecedented damage to infrastructure and property and the disaster assistance sought was Rs.22,573 crore. However, only a few hundred crores were allocated by the Central Government. For the severe drought situation that prevailed in Tamil Nadu during 2016, an amount of Rs.39,565 crore was sought from the National Disaster Relief Fund, but only a few hundred crores were released by the Central Government.

In 2017, when severe cyclonic storm 'Ockhi' caused an extensive damage to Kanyakumari and adjoining districts, a sum of Rs.9302 crore as a disaster relief was sought by the State Government. However, again only a few hundred crores were released by the Centre.

Sir, this clearly shows the state of response and the helping-hand provided by the Central Government to the State Governments in times of distress.

Sir, with regard to the Central Government's affairs with the nations worldwide, I would like to mention here that our hon. Prime Minister has travelled to several nations worldwide, establishing friendly ties with far-flung nations. Even our hon. External Affairs Minister had quoted, and I also quote:

"In the last four years, the prestige of India in the eyes of the world has reached such heights that today when India speaks, the world listens."

But the Central Government has not taken cognizance of the pathetic situation right here in our Indian Ocean. There is a deep concern in our entire country about the unabated apprehension and killing of our innocent Indian fishermen from Tamil Nadu by the Sri Lankan Navy while they carry out fishing in the Palk Bay area. It has been the repeated request by the Government of Tamil Nadu, and several Members of Parliament, to send a firm, unequivocal and unambiguous message to the Sri Lankan Government that such inhuman and hostile activities should be stopped henceforth.

Has the Central Government taken measures to restore the Katchatheevu Island which was unilaterally ceded to Sri Lanka as part of the ill-advised Indo-Sri Lankan Agreements of 1974 and 1976, which lack constitutional and legal sanctity. Has the Central Government taken measures to redraw the international boundary line? The answer is 'no'.

What about the Sri Lankan Tamils issue. The entire world is aware that during the final stages of the war, an ethnic pogrom and genocide was perpetuated on the Tamil minorities of Sri Lanka. We have repeatedly asked the Central Government to sponsor a resolution in the UN condemning the genocide of Tamils in Sri Lanka and hold all those responsible for it accountable. Further, the resolution should also demand a referendum among the Tamils in Sri Lanka for the formation of a separate Tamil Eelam. Did the Government take any steps in this regard?

Finally, the Government of Tamil Nadu has always been the harbinger of cooperative federalism, working in tandem with the Government of India

towards the progress of our nation. One of the fundamental principles of this cooperative federalism is timely fulfilment of the commitments it made, and fulfilling the financial commitments forms its bedrock. If the Central Government falters in fulfilling this commitment, it will severely deter the socio-economic development of the State and the entire country.

We, in Tamil Nadu, under the leadership of *Perignar Perundagai Anna*, *Puratchi Thalaivar MGR* and *Puratchi Thalaivi Amma*, have always pleaded for an increased role of the States in the development and nation-building process, and for a greater fiscal autonomy of the States. It is our belief that a strong Union can emerge only out of strong States, and India's governance structure has to reflect more and more federal features.

Thank you.

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Sir, to begin with, I would like to thank the Chair and also my Party for giving me this opportunity to participate in this very important debate and discussion.

At the outset, let me say that we sing the song 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा'. For the benefit of our friends from Andhra Pradesh, I will speak a little in English. Today, they have moved a very important Motion and from my Party, and from our leader, Mamata Banerjee, we want to tell them that we are totally with them in this matter. What is India? जब हम चमन की बात करते हैं, तो हम हर स्टेट के गुल हैं। उस गुल के बगैर यह गुलिस्तां जिस प्रकार आज आबाद है, वह आबाद नहीं रह सकता। आप देखिए कि आज आलम क्या है। Who has moved this Motion, and rightly so? They have moved it because they feel aggrieved and they have explained at great length 'why'. They were with the BJP and the ruling Government, but if they feel aggrieved, can you imagine what the rest must be feeling? I am talking about the rest of the States as well. Obviously, whether it is Shiv Sena, whether it is TDP, कहते हैं कि एक के बाद एक बिछड़े सभी बारी-बारी। अब आपकी बारी भी आ रही है।

डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमने हाथ जोड़कर आप से और सरकार से अपील की थी। चेयरमैन और ऑनरेबल स्पीकर का उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन सरकार से हमने अपील की थी कि 21 जुलाई हमारा शहीद दिवस हो, जिसके इस साल 25 साल पूरे हो रहे हैं। 21 जुलाई को हमारा शहीद दिवस है और इस साल उसे 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। We mark 21st July as Martyrs Day. मैं उन सब शहीदों को, आपका तो शायद शहीदों से उतना नाता नहीं रहा है। आपका सीना तो बढ़ा हो सकता है, लेकिन उसमें दिल भी बढ़ा होना चाहिए। गांधी जी का सीना बढ़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बढ़ा था। यदि आप इस डिबेट को आज न करके सोमवार या

किसी और दिन कर देते तो मुझे नहीं लगता है कि आसमान गिर पड़ता, पिछला सत्र पूरा वॉशआउट हो गया और सभी को पता है कि क्यों वॉशआउट हुआ? हम उस तर्क में नहीं जाना चाहते हैं। आप यदि ऐसा करते तो शायद शहीदों के लिए अच्छा होता। मैं शहीदों को सेल्यूट करके, उनको नमन करके अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा।

सर, यह लड़ाई उसूलों की है। अच्छे दिन की बात की गयी तो अच्छे दिन से ही शुरूआत करते हैं।

“गजब किया तेरे वादे पर एतबार किया,
चार साल तक अच्छे दिनों का इंतजार किया।”
“यह तय है कि उसूलों की लड़ाई में
अंधेरे साथ नहीं देंगे, चिरागों की सफाई में।”

They were asking as to why a No Confidence Motion has been moved. If you still do not realise as to what is the situation, I think, it is a very difficult thing which I cannot explain you. It is like the ostriches. They choose to hide their head under the sand and they do not want to see the reality. Why do I say this? This was a very important time to set the house in order as far as the BJP Government is concerned. The democracy is in danger. This very temple of democracy is in danger. Mobocracy cannot be the new normal. I am not saying that. I believe in whoever said it. Who has said this? The four senior most judges of the Supreme Court – one of them retired now – said this. They have gone on record in a Press Conference saying that democracy is in danger. It is only the other day the hon. Supreme Court mentioned that mobocracy cannot be the new normal. It was said by the top Court. It said the horrendous act of mobocracy cannot be permitted. All your institutions are crumbling. Judiciary

has said whatever it has to say. If you look at our friends in media, if you look at the industrialists, if you look at the general public, there is an atmosphere of some kind of fear and fear is not in our *fitrat*. We are independent. It has taken a long time to get this Independence. Again these are the words of senior most Judges of the hon. Supreme Court. आप धर्म की बात करते हैं। लेकिन-

“उससे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं कि वफा क्या है।”

वे लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म की दुहाई देते हैं, जो जानते नहीं हैं कि धर्म क्या है? मुझ से किसी ने पूछा कि क्या आपके पास नंबर है या नहीं? हम इस बारे में बहुत साफ कहना चाहते हैं। यह अच्छी बात है कि आप रामायण और महाभारत की बात करते हैं। उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत की लड़ाई पर बोलते हुए मैं माफी चाहूंगा, आप इसको अलग ढंग से मत लीजिएगा, हम पोलिटिकल लड़ाई की बात कर रहे हैं। वह लड़ाई कौरव और पांडवों में थी। पांडवों के पास संख्या नहीं थी, परंतु कौरवों के पास बहुत बड़ी संख्या थी। पांडवों के पास सत्य था और सत्यमेव जयते यह हमारा नारा है। सत्य की हमेशा जीत होती है। यह हो सकता है कि आज वोटिंग के दौरान शायद आंकड़े न हों, मगर यह हमारा धर्म बनता है कि हम इस डेमोक्रेसी को बचाएं और उस धर्म के लगते ही आज नो कांफिडेंस मोशन पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस पर हम अपनी पूरी स्वीकृति दे रहे हैं।

सर, मुझे भी अच्छा लगा, जब पहली बार प्रधान मंत्री आए, उन्होंने सीढ़ियों पर नमन किया। हमने भी सोचा था कि यहां रामराज्य जैसा कोई वातावरण होगा, लेकिन रामराज्य तो बहुत दूर की बात है, यदि आप राम का करैक्टर ले लें तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने अपने लोगों की रक्षा करने के लिए राज छोड़ा था। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए वह राजपाठ छोड़कर जंगल चले गए थे। आपकी दुविधा यह है कि आप राम के नाम से राज करना चाहते थे और राम खुद राज छोड़कर चले गए। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि राम अयोध्या में जरूर हैं, मगर आपके लिए वह सिर्फ अयोध्या में हैं। आप हमें एक ऐसा कण बताइये, जहां राम नहीं हैं, हमें एक

ऐसा हवा का झोंका बताइये, जहां राम नहीं है, हमें पानी की ऐसी बूंद बताइये, जहां राम नहीं है और हमें कोई ऐसा व्यक्ति बताइये, जिसके सीने में राम नहीं है। आप राम को भी कब्जे में लेना चाहते हैं, उस पर भी अपनी मोनोपोली करना चाहते हैं। हमारी शिक्षा यह है कि हम सबमें राम देखते हैं। मगर जब हम आपसे कुछ सवाल करते हैं तो आपका एक ही जवाब ही होता है और वह जवाब क्या मिलता है, वह जवाब एक ही है – हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान, श्मशान-कब्रिस्तान। यही आपका नेरेटिव रह गया है, आंकड़े तो बहुत आए हैं, मगर हम चंद आंकड़ों में बात कहेंगे। अभी रीसेंटली हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, वे ये हैं कि आज रुपये की वैल्यू सबसे कम है। हिस्टोरिकली रुपये की वैल्यू सबसे कम है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है और हमें यह समझना पड़ेगा कि यह बहुत ही सीरियस बात है। यदि इसे आप गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है।

जैसा महेश व्यास द्वारा बताया गया कि 2012 तक जितना निवेश होना था, उतना निवेश हो चुका। वह चीफ ऑफ सीएमईआई है। इनवैस्टमेंट क्लाइमेट बहुत कम हो गया है, जितना इनवैस्टमेंट करने की जरूरत थी, आज उससे बहुत कम हो रहा है।

“... manufacturing has shrunk to 15 percent of the GDP from a peak of 18.6 percent in 1995. The value of stalled projects climbed to Rs. 7.63 trillion from Rs. 5.29 trillion. The RBI's bulletin shows that corporate capital expenditures have fallen since Modi Government has come to power...”.

ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े आप सबको मिल जाएंगे, यो ऑफिशियल आंकड़े हैं। यही हम कह रहे थे कि जहां भी जाएं, वहां एक ही चीज मिलती है। आप जीडीपी का जो फोरकास्ट 7.73 परसेंट बताते हैं, असल में वह 5 परसेंट है। क्योंकि आपने यह फोरकास्ट का तरीका बदल दिया है। उससे दो प्रतिशत का घाटा वहीं हो गया है। रोजगार नहीं बढ़ा, लेकिन बेराजगारी जरूर बढ़ी है। फ्रेश एफडीआई बिल्कुल नहीं बढ़ा है। एक्सपोर्ट गिरा है और गिर रहा है। बैंक बर्बाद हो गए

हैं। न तो वे कर्ज दे रहे हैं और न ही कोई कर्ज ले रहा है। बैंकों से जब बात करते हैं तब वे कहते हैं कि हमारे ऊपर तो एक ही ताकत है, सिर्फ अपनी जो स्कीम्स हैं, उनको टारगेट करो। बैंक का पूरा वातावरण बदल गया है। आज ट्रेड वॉर, तेल के दाम के कारण हमारी ताकतों और हमारी फाइनेंस नीतियों में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं और अभी भी मुश्किल है। जब हम आपसे यह सवाल पूछते हैं तो जवाब क्या मिलता है? एक ही जवाब मिलता है – हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान, शमशान-कब्रिस्तान। बस यही एक ही जवाब मिलता है, जो भी सवाल करो एक ही जवाब मिलता है। आपके अंदर यह अविश्वास क्यों है? अविश्वास इसीलिए है कि आपका जो डाटा है, उस पर लोगों का भरोसा उठ गया है। मैथेडॉलजी के बल पर आप जीडीपी पर पीट-पीट कर ताली बजाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से पुराना हिसाब यदि मिलाते हैं, तो आप उसको मिलाने के लिए कतराते हैं।

19 26 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

उज्ज्वला योजना का ढोल पीटते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं। यह बहुत अहम बात है कि दूसरा ओर तीसरा सिलेंडर लेने के लिए कितने लोग आए। क्योंकि यह बताने पर आपकी पोल खुल जाएगी। मुद्रा देने वाला कोई और है और पीठ आप थपथपाते हैं। लोन देने वाला कोई और पीठ आप थपथपाते हैं। आर्थिक गवर्नेंस में न आपको दिलचस्पी है और न ही समझ है। ...

(Interruptions)

HON. SPEAKER: Please conclude now. I am sorry.

... (Interruptions)

SHRI DINESH TRIVEDI : I have got about 15-20 minutes to conclude. That is not possible. ... (Interruptions) I have got 20 minutes, Madam. You have given everybody enough time. Everybody has spoken. It is not fair. If you want, I will sit down. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Within five minutes, you please conclude your speech.

... (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI : Madam, I need at least 12 minutes. I guarantee you that I would complete my speech in 12 minutes. ... (*Interruptions*) I will obey you and I will finish my speech in 12 minutes. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Trivedi ji, no. You complete your speech in five minutes.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I can't help it.

... (*Interruptions*)

श्री दिनेश त्रिवेदी : मैडम, देखिए दो मिनट्स तो यहीं बर्बाद हो गए हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चलिए अब आप बोलिए आपको पांच मिनट ही और मिलेंगे।

... (व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी : प्लीज़, हमको बोलने दीजिए। डिस्टर्ब मत कीजिए। I am sitting, Madam.

I am not talking. This is not fair. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आप बोलिए। अनंत कुमार जी, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी : मैडम, आर्थिक गवर्नेंस में न तो आपको दिलचस्पी नहीं है, न ही समझ है। ऐसा है तो यह बताइए कि भारत के चीफ स्टैटिस्टीशियन कौन हैं? छह महीने से यह पद खाली पड़ा है। लेकिन आपके लिए यह बहुत मामूली बात है क्योंकि आंकड़े के फेर में आप जाएंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी। आपको यह अच्छा लगता है कि कोई अच्छे आंकड़े न आएँ। जब हम यह सवाल पूछते हैं कि स्टैटिस्टीशियन को क्यों नहीं लाते हो तो आपका जवाब वही होता है कि – हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान, शमशान-कब्रिस्तान। रोज़ किसानों की बात की गई, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंट की जो बात आप करते हैं, वह डेमोग्राफी

आज डिज़ास्टर बनने वाला है, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। देश में महिला बहुत असुरक्षित है। ये सब बातें आ गई हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। कमज़ोर वर्ग के लोग, जो दलित हैं, शोषित हैं, महिला हैं, आज उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। हम उनके बारे में पूछते हैं तो जवाब यही आता है कि हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान, शमशान-कब्रिस्तान।

मैडम, पोलराइज़ेशन का खेल खतरनाक खेल है। चेंज का वोट, उसके साथ धोखा, नफरत और खुदगर्ज़ी, सत्ता का लोभ, यह देश के लिए बहुत ही खतरा है।

ब्रुटैलिटी वाला हमारा भारत नहीं हो सकता, लिंगवादा वाला हमारा भारत नहीं हो सकता है। अच्छा हिन्दू, सच्चा हिन्दू, असली देशभक्त आज दुखी है, वह आज बहुत ही नाराज है। असली मुद्दा दूसरा है। एक मुद्दा काले धन का है, जिसके बारे में आपने कहा था कि हम इसे बंद कर देंगे। उस विषय पर अब हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारा ज्यादा समय नहीं बचा है। डीमोनेटाइज़ेशन में आपके जो तीन-चार लक्ष्य थे, उनमें से एक भी लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सके हैं। आज क्या हो रहा है? प्रधान मंत्री जी को इस बारे में जरूर बताना चाहिए कि आपका जो सीबीआई का चीफ है, वह अपने डिप्टी चीफ से क्यों लड़ रहा है? आपका रेवेन्यू सेक्रेटरी, ई.डी. के एक अधिकारी से क्यों लड़ रहा है? ई.डी. का चीफ उस अधिकारी को बचाने के लिए आप ही के बॉस रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात पब्लिक में क्यों जाहिर कर रहा है? आप इस बारे में जरूर बताइएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। आरबीआई की बात आई तो नोटबंदी की बात हमने कही कि आज भी नोटों की गिनती चालू है। दो साल हो गए, लेकिन आज भी पता नहीं चला है कि कितनी रकम वापस आई है। इस सरकार के चार साल में लोकतंत्र और सभी संस्थानों को खतरा पहुँचा है। यह हमने पहले कहा है। अभी हमारा दो मिनट का समय बचा होगा और इस समय में मैं अपनी बात को पूरी करूँगा।

एक गजब का नशा बाहर चल रहा है कि सबको मारो, सबको पीटो, एग्रेसिवनेस दिखाओ और जब लिंगवादा होती है तो पुलिस वहाँ मूकदर्शक बनी खड़ी रहती है। जिसको मारा जाता है,

जिसको पीटा जाता है, उसके पास एक ही शेर है, एक ही कविता है। इसे पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज जिसकी लिंगिंग हो रही है, जो दलित है, शोषित है, वह कहता है,

जिन्दगी से बड़ी कोई सजा नहीं,
और क्या जुर्म है, यह पता ही नहीं।

उसे पीटा जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसका क्या जुर्म है।

कितने हिस्सों में बंट गया हूँ मैं,
मेरे हिस्से में अब कुछ बचा ही नहीं।

यह नूर का शेर है।

ऐ जिन्दगी बता अब कहाँ जायें,
जहर बाजार में मिलता ही नहीं।
धन के हाथों बिक गए हैं सब,
अब किसी जुर्म की सजा नहीं।

आखिर में वे कहते हैं,

लोग टूट जाते हैं एक छोटा सा घर बनाने में,
और तुम तरस नहीं करते हो बस्तियाँ जलाने में।

जिसके कारण ये फसाद होते हैं, उसका कोई अता-पता भी नहीं होता है। वर्ष 2019 में यही रहा तो माफ कीजिएगा, आपका भी कोई अता-पता कहीं नहीं रहेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): महोदया, टीडीपी की ओर से जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, जहाँ तक आन्ध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की बात है और उनके साथ जो वादा किया गया था, उसे पूरा करने की बात है तो मैं शिरोमणि अकाली दली की ओर से तथा अपनी पार्टी प्रधान श्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल जी की ओर से कहना चाहता हूँ कि हम इस पक्ष में हैं कि आन्ध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए।

महोदया, इसका एक कारण है, क्योंकि हमने यह पीड़ा झेली है और हमें इसके दर्द का पता है। जब पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बना तो पंजाब के पास कटरोदा हाइपर्स भाखड़ा डैम था, उसे हटाकर सेंटर को दे दिया। हमारी राजधानी के लिए कहा गया था कि चंडीगढ़ को कुछ समय के लिए यू.टी. बनाया जायेगा, लेकिन अभी तक पंजाब को उसे नहीं दिया है। हमारे नेता बादल साहब, तोहरा साहब, हम सब और ये ब्रह्मप्रकाश आदि सभी जेलों में बंद थे। पीछे से हमारा पानी छीन लिया गया। हमें सजा दी गई। देश के सब नेता जेलों में बंद थे, उन्हें छुड़ाने के लिए हमने मोर्चा निकाला। इसके पीछे हमारा पानी छीन लिया गया।

कानून, विधान और परम्परा को छींके पर टांग पर हमें अभी तक वह पानी नहीं दिया जा रहा है। पंजाबी स्पीकिंग एरिया, जिसके लिए हमने पंजाबी सूबा बनाया, वे बाहर रख दिए गए। इसलिए हम इस दर्द को जानते हैं। मगर, हम टी.डी.पी. के अपने मित्रों को यह सलाह जरूर देना चाहेंगे कि आप जिनकी मदद लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, वे विश्वास योग्य नहीं हैं। ये विश्वासघात कर जाते हैं। ये सीढ़ी लगाकर बाद में खींच लेते हैं। इन्होंने देवगौड़ा जी, चन्द्रशेखर जी, गुजराल जी के साथ विश्वासघात किया। ये तो कह देते हैं कि बच्चा चढ़ सूली, भगवान भली करेगा। ये तो किसी के भी कंधे पर बन्दूक रख कर उसे चलाने में माहिर हैं।

मैडम, मुझे एक बात याद आ गई। कोई माई गांव की एक गली में जा रही थी। किसी ने बोला कि माई बच कर रहना, आगे बैल मार देगा। उसने कहा कि भाई, इसी ने तो हमें विधवा बनाया है। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, कांग्रेस ने ही हमें विधवा किया हुआ है।

आप यह देखिए कि मास्टर तारा सिंह जैसा नेता था। जब रावी के किनारे कांग्रेस का सेशन नहीं होने दिया जा रहा था तो मास्टर तारा सिंह ने एक हजार वॉलुन्टियर्स को लेकर वहां पर कांग्रेस का सेशन करवाया। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इन्होंने उसे ही हथकड़ी लगाई।

टी.एम.सी. के नेता ने महात्मा गाँधी के बड़े ही गुण गाए। जब एस.जी.पी.सी. बनी तो महात्मा गाँधी जी ने अकाली नेताओं को पत्र लिखा कि आपको बधाई हो, आपने देश की आज़ादी की पहली जंग जीत ली। जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने हमारी एस.जी.पी.सी. को ही बाँट दिया। हरियाणा में अलग बनाने की बात की। इन पर कौन विश्वास कर सकता है?

मैडम, मैं टी.डी.पी. के मित्रों से यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें भी बहुत सारी अपेक्षाएँ थीं। माननीय गृह मंत्री जी बोल कर गए हैं। हम सबसे पहले यह कहते थे, हमें अपेक्षा थी कि वर्ष 1984 के कत्ले-आम के कातिलों को हमारी सरकार कठघरे में खड़े करके उन्हें सजा देगी। जगदीश टाइलर, सज्जन कुमार जैसे लोगों को हथकड़ी लगाई जाएगी, जिन्हें कमीशंस ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उन्हें हथकड़ी लगेगी। मगर, हमें दुःख है कि वह नहीं लगा। हम चाहते थे कि पंजाब का पानी और पंजाबी बोलने वाले इलाके हमें मिले, पर वे अभी नहीं मिले। हमें अपेक्षा है कि वे हमें मिलेंगे। कांग्रेस के वक्त के जो लोग कथित रूप से दोषी थे, उनको छुड़ाने के लिए कांग्रेस ने सी.बी.आई. की मदद से उनके खिलाफ केसेज को बंद कर दिया था। मगर, हम इस बात के आभारी हैं कि जब यह सरकार आई तो उसने सबसे पहले उन्हें कठघरे में खड़ा कर दिया। इस सरकार ने एस.आई.टी. बनाई और पाँच-पाँच लाख रुपये विधवाओं को दिए। जोधपुर के लोग, जो जेल काट कर आए थे, उन्हें अभी दो-दो लाख रुपये दिए। हम भी यह अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो शिकवा-शिकायतें इन लोगों के साथ रहे हैं, उसे यह सरकार पूरी करेगी।

मैडम, जब मोदी सरकार आई, वह देश में विकास का एक नया मॉडल लेकर आई। इन सबको उसे स्वीकार करना चाहिए। पहले का विकास मॉडल केवल दस प्रतिशत लोगों और परिवारों के लिए था। इससे अमीर और ज्यादा अमीर हो गये और गरीब ज्यादा गरीब हो गये। लेकिन, अब 90 प्रतिशत लोगों के लिए विकास मॉडल आया। प्रधान मंत्री जन-धन योजना आई,

उज्ज्वला योजना आई। चार करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शंस मिले। पहले हमारी माँ, हमारी बहन तीलियों और लकड़ी से रोटी पकाती थीं। वे धुएँ से अंधी हो जाती थीं। अमीर लोग और जो होटल वाले लोग थे, वे गैस की सब्सिडी ले जाते थे। पर, मोदी सरकार के आने से सबसे पहले अमीरों से वह सब्सिडी लेकर गरीबों को बाँटी गई। देश में समानता लाने के लिए, गरीब-अमीर का पहाड़ा खत्म करने के लिए गांवों और गरीबों को प्राथमिकता दी गई। सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था की गई और सबसे बड़ी बात तो किसानों के लिए की गई।

मैडम, ये सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर आए। नीम-कोटेड एरिया लेकर आए। चार वर्ष पहले कौन-सा ऐसा किसान था जो ब्लैक में यूरिया नहीं लेता था। पर, इन चार वर्षों में किसी को ब्लैक में यूरिया का एक दाना भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सरकार नीम-कोटेड यूरिया लेकर आई। ऐसे ही सॉइल हेल्थ कार्ड है।

किसानों ने जब टी.वी. चलाया तो उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस सरकार ने अभी एम.एस.पी. में जो वृद्धि की है, वह तो कमाल की बात है। अब हमारे पंजाब के लोग कहते हैं कि वे जो धान लगाते हैं, उसमें धान की लगाई का खर्च, डीजल और धान में जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, उन सबका खर्च केन्द्र सरकार ने अपने सिर पर झेल लिया।

ऐसे ही मक्के की फसल के लिए 8000 रुपये प्रति एकड़ देकर केंद्र सरकार ने काम किया है। मुझे दुख है कि ये लोग इसे जुमला कह रहे हैं। किसानों को दिया ही है, उनसे कुछ लिया तो नहीं है। इन्होंने तो पंजाब में डीजल और पेट्रोल पर भी टैक्स लगाया हुआ है। ये लोगों से छीन रहे हैं और जो सरकार लोगों को दे रही है, उसे ये जुमला कह रहे हैं।

महोदया, अब मैं कोओपरेटिव फेडरेशन्स की बात पर आता हूँ। हमें इस बात की खुशी है कि देश में सबसे पहले फेडरलिज्म की बात और डीसेंट्रलाइजेशन आफ पावर की बात अकाली दल ने वर्ष 1973 में श्री आनंदपुर में कही थी। मोदी सरकार ने हमारी बात मानी और सेंट्रल फंड का शेयर 29 परसेंट से बढ़ाकर 42 परसेंट किया। हमारे बादल साहब से किसी ने पूछा कि आपकी सरकार की क्या प्राप्ति है? उन्होंने कहा कि हमारी प्राप्ति तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी प्राप्ति मेरी

सरकार की कम्युनल हारमनी है। हमारा देश 'जियो और जीने दो' के उसूल पर चलता है। गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी और कहा कि 'जियो और जीने दो'। हमारा देश एकता में अनेकता की बात करता है। डॉ. राधाकृष्णन जी वर्ष 1948 में रशिया गए। उनसे किसी ने पूछा कि आप इस देश को कैसे चलाएंगे, क्योंकि यहां अलग धर्म है, भाषाएं अलग हैं और अलग पहनावे हैं। उन्होंने यार अल्लाह खां की एक लाइन पढ़ी – है हिंद में एक तीर्थ जहां बाप ने धर्म के लिए बेटे कटवाए। चमकौर साहब की, सरहंद की दीवारों की बात बताकर उन्होंने रशिया के लोगों को कहा था कि हमारे पास गुरु अर्जुन देव जी की शहादत का इतिहास है। वे गर्म तवे पर बैठे थे, उन पर गर्म रेत डाली जा रही थी मगर वे कह रहे थे कि तेरा भाणा मीठा माना। ऐसा इतिहास हमारा रहा है। यदि इस देश को कोई सुई के नक्के से भी निकालना चाहेगा, तो निकाल सकता है। देश में बहुकौमी, जो अलग-अलग धर्म, भाषा है उसको प्रफुल्लित होने की हम जरूर अपेक्षा करते हैं और ऐसा होना चाहिए।

मैडम, जहाँ तक भीड़ तंत्र की बात है, नॉर्थ-ईस्ट की घटना की बात है, उसको सिक्थोर करने के लिए देश में अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। ये जम्हूरियत की बात करते हैं। आर्टिकल 356 सबसे पहले अकाली सरकार में ज्ञान सिंह राणेवाल और दूसरी बार 1957 में नमूंदरीपाल जी की सरकार पर लगा। गैर कांग्रेसी सरकारों को तोड़ने का काम किया गया। सबसे ज्यादा देश में अकाली सरकारें तोड़ी गईं। यहां जम्मू-कश्मीर से हमारे भाई बैठे हैं। इनके बहनोई को इनके मुकाबले में खड़ा किया। जम्मू-कश्मीर की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब इनके बहनोई को मुकाबले में खड़ा किया गया और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सरकार गिरा दी गई, उस समय के बाद से जम्मू-कश्मीर में आग लगनी शुरू हो गई। राहुल गांधी जी आज सदन में मोदी जी को गले लगाने के लिए चले गए, लेकिन जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके घरों में क्यों नहीं जाते हैं? वर्ष 1984 के समय की जो विधवाएं हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए इनकी तरफ से कोई नहीं गया।

माननीय अध्यक्ष: श्री जय प्रकाश नारायण यादव, आप बोलिए। आप बोलना नहीं चाहते? आप बोलिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजारा : महोदया, मैं थोड़ा ही समय लूँगा। ये आप ही आग लगाते हैं और बाद में उस बुझाने का काम करते हैं। आप पंजाब में बरगारी में जाकर देखिए। पंजाब सरकार वहां टायलेट बनाकर, टेंट लगाकर पंजाब का माहौल खराब कर रही है। गृह मंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं। यह चिंता की बात है। पंजाब में आग लगाकर ये राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। सबसे ज्यादा 'डिवाइड एंड रूल' को यदि किसी ने इस देश में यूज किया है, तो कांग्रेस ने किया है।

मैडम, इससे बुरी बात क्या होगी कि सत्ता हासिल करने के लिए किसी गुरुद्वारे पर टैंक चलाने पड़े, फौज भेजनी पड़े और हमारे गुरु को गोलियां मारनी पड़े। इन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हमें जम्हूरियत का पाठ पढ़ाते हैं। ... (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि यह अविश्वास मत नहीं है। कोई इसको नौटंकी मत भी कहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस गाड़ी में पीछे बैठकर जा रही है। सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली, आज इसको बैठने के लिए, चलाने के लिए अपनी गाड़ी भी नहीं मिली। ये टीडीपी की गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं। इसलिए ऐसी पार्टी जो देश के लोगों के साथ विश्वासघात करे, टीडीपी वालो मित्रो, इस पर विश्वास कभी मत करना। हमारे तजुर्बे से सीखना। ये आपको भी डुबो देंगे। हमारे जैसे लोगों का साथ बहुत अच्छा है, जो हमेशा सिद्धांत पर काम करते हैं। मैं अविश्वास मत का विरोध करता हूँ।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): अध्यक्ष महोदया, सदन में मंत्रिमंडल के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। साढ़े चार साल तक वादा किया। 'वादा तेरा वादा, तेरे वादे पर मारा गया मतदाता सीधा-सादा'। आपने यह काम करने का काम कि या। आंध्र प्रदेश के सभी माननीय सदस्यों ने, आंध्र प्रदेश के नेताओं ने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, हम उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं कि उनको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। आंध्र को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। हम बिहार पर फिर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सच्चाई अगर बयां नहीं करेंगे, सच्चाई अगर नहीं बोलेंगे, तो देश हमें माफ नहीं करेगा। 'चुप रहेगी जबान ए खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का' कि सच्चाई आपने बयां क्यों नहीं की, इसीलिए इसको हमें बोलना पड़ेगा।

आदरणीय राहुल गांधी जी अपनी बात रख रहे थे। वह युवा शक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने धारदार प्रहार किया है। एक-एक का जवाब चुन-चुन कर देना पड़ेगा। आईने में आपका चेहरा काला हो गया है। उन्होंने दिल की बात कही। लोकतंत्र में सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। लोकतंत्र की आपकी चादर मैली हो गई है। लोकतंत्र की गंगा आपने मैली कर दी है। यहां सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, लेकिन अगर देश में कोई असत्यमेव जयते की सरकार है, तो वर्तमान बीजेपी की सरकार है। असत्यमेव जयते की सरकार है। कहावत है कि रोपा पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए। बबूल का पेड़ आप लोग हैं। संविधान के साथ धोखा, आरक्षण के साथ धोखा, एससी, एसटी ओबीसी के अधिकार को छीनना, बाबा साहेब के सपनों को धोखा देना, चारों तरफ से हमला हो रहा है। बिहार में जनादेश की चोरी की। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय लालू जी, जिनको जनादेश मिला था, बिहार में भाजपा भगाओ, देश बचाओ, बिहार बचाओ, लेकिन जनादेश का अपमान करके, जनादेश की चोरी करके सरकार बनाई है। वर्ष 2019 में देश में खटिया खड़ी होगी और बिहार में भी आपकी खटिया खड़ी होने वाली है। आप इसको याद रखिए। मंडल कमीशन

लागू हुआ था, जिसकी चर्चा आदरणीय रामविलास जी कर रहे थे। आदरणीय लालू जी ने कहा, सुनो-सुनो, एससी, एसटी, ओबीसी, मंडल कमीशन के खिलाफ कमेंडल आया है।

लालू यादव को सत्ता और कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन दलित और पिछड़ों को, ... (व्यवधान) मैं अभी खड़े हुए हैं। मेरी विनती है कि दो मिनट का समय दीजिए। सत्तर सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। अगर हवाई जहाज नहीं बनता तो नीरव मोदी विदेश नहीं भागता। मैं अपने क्षेत्र की कुछ बात करना चाहता हूँ। बिहार को स्पेशल पैकेज देने की बात की गई। कितना लेना है, लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला। बिहार में गैंगरेप हो रहा है। रामनवमी में दंगा दिवस मनाया जा रहा है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ है। नेपाल में हाईडैम बने। माननीय लालू जी ने जो रेल प्रोजेक्ट दिया है, उसे चालू नहीं किया गया। शौचालय और शराबबंदी के नाम पर गरीबों को बंद किया गया। बांका में मेगा प्रोजेक्ट दिया जाए, सात एम्स अस्पताल दिए जाएं। जमालपुर में एशिया का प्रसिद्ध कारखाना है, उसे बनाया जाए।

सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप शिकारी हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन वर्ष 2019 में कोई फंसने वाला नहीं है।

चंदा मामा आरे आओ, पारे आओ नदिया किनारे आओ,

झूठे, बबुआ के दूध-भात घुटुस

यह होने वाला नहीं है। आपके जुल्म का सूरज ढहेगा। समाजिक, राजनीतिक और भाईचारा, अमन-शांति है।

रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए,

टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।

हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई-भाई, गंगा-यमुना हमारी संस्कृति है। इसे हमें बनाकर रखना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मुझे यह पूरी घटना ही आश्चर्यजनक और हास्यास्पद लग रही है। आज सदन के अंदर ऐसे यशस्वी प्रधान मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। जिनके नाम और नेतृत्व के चलते देश में आधे से ज्यादा राज्यों में सरकारें बनी हैं। जिनके नेतृत्व में आज हर भारतीय को विश्वास है, जो हर भारतीय के दिल पर राज करते हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार के ऊपर अविश्वास व्यक्त किया गया, इसलिए मुझे पूरी घटना ही हास्यास्पद लगती है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं जिसे मैं जरूर कहना चाहूंगी।

जहां सच हैं वहां हम खड़े हैं
इस खातिर आपकी आंखों में गड़े हैं

माननीय प्रधान मंत्री जी की लोकप्रियता विपक्ष की आंखों में इस कदर चुभ रही है कि हमें यह कह कर आरोपित किया जा रहा है कि हम जुमलों की सरकार हैं। हकीकत में इस सरकार ने हर वादे को पूरा करने का काम किया है। यह हमारी सरकार की खासियत है कि जब हम किसी परियोजना का शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी स्वयं करते हैं। यहां तक की पूर्ववर्ती सरकारों की तमाम लटकी, अटकी परियोजनाओं को भी हमने ढूंढ-ढूंढ कर पूरा करके उद्घाटन करके जनता को सौंपने का काम किया है। यह हमारी सरकार की विशेषता है इसलिए शायद हमारा गुनाह यही है कि यह जुमलों की सरकार नहीं हैं बल्कि जुमलो को हकीकत में तब्दील करने का काम सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं हर योजना को विस्तार में नहीं रखूंगी क्योंकि उसके आंकड़ों को पूर्व वक्तओं ने रखा है। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमने गरीबी हटाओ का जुमला नहीं दिया, बल्कि हर योजना को गरीबों पर केन्द्रित करके काम किया है। उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधान

मंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधान मंत्री जन औषधि योजना और डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाएं आदि हैं। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं, जिससे सीधे तौर पर गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, इसलिए यह जरूर जिक्र करूंगी कि हमने गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के तहत चौदह हजार करोड़ की दवाइयां निःशुल्क रूप से देश की गरीब जनता को उपलब्ध कराई हैं। हमने घुटने के प्रत्यारोपण में लगने वाले इम्प्लांट्स और कार्डिक एसटेंट्स का दाम घटाने का काम किया है।

देश भर में अमृत फार्मसी स्टोर खोलकर कार्डियो वस्कुलर डिजीजिस की जीवन रक्षक दवाओं को 70-80 परसेंट तक मार्केट प्राइस से कम दामों पर गरीब जनता को उपलब्ध कराने का काम किया है। हमारी सबसे बड़ी घोषणा और जनता से वादा है जिसके तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए गरीब जनता को डेढ़ लाख सब सेंटर यानी वैलनैस सेंटर देने का काम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने देश के 50 करोड़ लोगों को सालाना पांच लाख रुपए का बीमा टर्निरी और सैकेंड्री हेल्थ केयर उपलब्ध कराने के नाम पर देने का काम किया है। हमने इन सभी योजनाओं के माध्यम से सिर्फ गरीब और गरीब के जीवन में परिवर्तन किया है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। हमारा गुनाह शायद इतना ही है कि हम फ्रांस जैसे देश को पछाड़कर भारत की अर्थव्यवस्था को नौवें नंबर से उठाकर छठे नंबर पर ले आए हैं। अगर हम इसी गति से चलेंगे तो 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था पहले तीन नंबर पर आ जाएगी। शायद यह हमारा गुनाह है जो विपक्ष के साथियों को पसंद नहीं आ रहा है।

हमें यह कहकर आरोपित किया जा रहा है कि हमारी सरकार में दलितों और पिछड़ों की चिंता नहीं की जा रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि वर्षों से सदन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग होती रही है, लेकिन तत्कालीन सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यह माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ही है जिसने संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की पहल की है।

अभी हाल ही का उदाहरण हमारी आंखों के सामने है कि यूजीसी द्वारा किस तरह से विभागवार रोस्टर लागू करके नियुक्तियां यूनिवर्सिटीज़ में की जा रही थीं। जब इस बात को एनडीए की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया, तब एक दिन भी नहीं लगा और इस पर तुरंत रोक लगाने का काम किया गया। यह इस बात को दिखाता है कि वह स्वयं और सरकार दलितों और पिछड़ों के हक और अधिकार को लेकर किस तरह संवेदनशील हैं।

यहां किसानों को लेकर बहुत सी बातें की गई हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि एक बच्चे को अगर पोलियो की वैक्सीन न दो और उसके पैर खराब हो जाएं और उसके बाद उसे बैसाखी देकर अहसान जता दो कि हमने तुम्हारा बड़ा भला कर दिया, तो यह उसी तरह से है कि किसान की दुर्दशा कर दो और फिर उसका कर्ज माफ करके अहसान जता दो। लेकिन हम किसानों पर अहसान जताना नहीं चाहते हैं, बल्कि किसान को सशक्त बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने किसानों से वादा किया था कि कॉस्ट आफ प्रोडक्शन का डेढ़ गुना मिलेगा, यह काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने आम जन मानस और किसानों को सशक्त करने के लिए ई-मंडी, जैविक खेती से लेकर नीम कोटिंग तक तमाम प्रयास लगातार किए हैं।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहती हूं कि आम जन मानस के मन में एनडीए सरकार की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज विपक्ष में बौखलाहट, छटपटाहट और बेचैनी है जिसके चलते यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसे लाकर इन्होंने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि आज यह चर्चा पूरा देश देख रहा है और पूरे देश के सामने विपक्ष स्वयं बेनकाब हो रहा है। हमें तो एक और अवसर मिला है कि चार साल में अपनी उपलब्धियों को पूरे देश के सामने रख सकें। हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस देने का काम किया है और पूरा देश इसे देख रहा है। मैं अपनी पार्टी और अपने दल की ओर से सरकार में विश्वास करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं अपनी पार्टी, माननीय चन्द्रबाबू नायडू, जिन्होंने इसका समर्थन किया है, को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत सारे क्लेरिफिकेशन देने पड़ेंगे क्योंकि बीच में हरिबाबू जी और गृह मंत्री जी भी बोल चुके हैं, इसलिए मुझे बोलने का थोड़ा समय दीजिएगा।

मैं सबसे पहले रेलवे जोन के बारे में कहना चाहता हूँ, एक्ट में विशाखापट्टनम में जोन दिया गया था। चार साल हो गए हैं, अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया। हरिबाबू जी विशाखापट्टनम से आते हैं, वे दिल्ली का कम और अपनी कांस्टीट्यूएन्सी की बात ज्यादा सुनते तो उनको पता चलता कि लोगों की राय क्या है। चार साल हो गए हैं। वर्ष 2002 में जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब देश में सात नए जोन्स बनाए गए थे।

20 00hrs

आज एक और नया जोन बनाने की बात हो रही है। विशाखापट्टनम की बात करते हैं, जहां रेलवे की 250 एकड़ जमीन उपलब्ध है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राममोहन जी, एक मिनट रुकिए।

हमने आठ बजे तक के लिए कहा था, आप सबकी सहमति से समय एक घण्टा और बढ़ा देते हैं।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : बढ़ा दीजिए, मैडम। जब तक डिसकशन खत्म नहीं होता है, तब तक के लिए बढ़ा दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं समय सीमा तो रहती है। अभी समय एक घण्टा बढ़ा देते हैं।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : मैडम, हमने इसी उद्देश्य के साथ नो-कांफिडेंस मोशन दिया है, जिससे इस पर पूरी तरह से चर्चा हो। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूरी तरीके से ही चर्चा हो रही है। आप अपनी बात कहिए, इधर-उधर की बातें मत कहिए।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : मैडम, विशाखापत्तनम की बात हो रही है, जहां लैण्ड अवेलिबिल्टी है, जहां पोर्ट्स हैं, जहां नाल्को, एनएमडीसी, एचपीसीएल, एनटीपीसी, वायजैंग स्टील प्लांट, डीजल लोको शेड, इलेक्ट्रिक लोको शेड है। वहां इतनी सारी चीजें हैं, जो रेलवे जोन एस्टैबलिश करने के लिए सहायता करेंगी। फिर भी अभी तक निर्णय नहीं लिया गया, चार साल हो गए। हम यही सवाल पूछ रहे हैं, फिर भी एक टूटे रिकॉर्ड की तरह चल रहा है। जैसे उपराष्ट्रपति ... *जी बोलते हैं, एक टूटे रिकॉर्ड की तरह बजता है – 'ओ चन्दा मामा, ओ चन्दा मामा, ओ चन्दा मामा।' कोई भी मंत्री यहां पर बोले, वही बात बार-बार दोहराई जाती है। जो बात वर्ष 2014 में बोली गई थी, उससे अभी तक एक भी चीज नहीं बदली है। रेलवे जोन का मामला ऐसे ही रह गया है। तब से अब तक एक कारण देकर उसे छोड़ दिया गया है। अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहे थे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रस्ताव क्यों आया? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उपराष्ट्रपति जी का नाम नहीं लिखा जाएगा।

... (Interruptions)*

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : मैडम, जब आन्ध्र प्रदेश का विभाजन हो रहा था, तब पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने सोचा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना है। तब इसे किसने मांगा था? तब ... *जी ने मांगा। तब अरुण जेटली जी राज्य सभा में बैठे थे, उन्होंने कहा कि आन्ध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पांच साल के लिए नहीं, दस साल के लिए देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में भी दिया हुआ है कि दस साल तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए। आप लोग सरकार में आ गए, सरकार में आने के बाद पोलावरम में जो सात मण्डल हैं, जिस तरह से आपने एक नया एक्ट लाकर अमेंडमेंट की, उसी

* Not recorded

तरह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए अमेंडमेंट क्यों नहीं की गई? आज आप बोलते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक्ट में नहीं है। जब सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपका है तो इसे क्यों नहीं कि या गया? आप दो साल बाद बोलते हैं कि एसि स्टेंस देंगे, दो साल बाद बोलते हैं कि इतने पैसे मिलेंगे, चार साल बाद बोलते हैं कि एसपीवी बनाओ, तब पैसे देंगे। जब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का नाम आपने वर्ष 2017 में बन्द कर दिया और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए आप जिस तरह से राशि बढ़ा रहे हैं, उसी तरह हमारे लिए क्यों नहीं बढ़ाते हैं? हमें अलग से क्यों देख रहे हैं? जब उनका भी नेगेटिव डेफिसिट बजट स्टेट है और हमारा भी नेगेटिव डेफिसिट बजट स्टेट है तो हमें दूसरी तरह से क्यों देखा जा रहा है? मैं यह पूछना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे एक्ट में दी हुई हैं। गृह मंत्री जी जो स्टेटमेंट दे चुके हैं, उसके बारे में बोलने से पहले, मैं गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से सीधे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक्ट बनाए को हुए चार साल हो गए, यह एक्ट इसी सदन में बना है, इन सबके सामने बना है, इसलिए आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि केन्द्र सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। अब केन्द्र सरकार उससे पीछे हट रही है। हमारे मुख्यमंत्री 29 बार दिल्ली आते हैं कि ऐसा कीजिए, जबकि जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन चार सालों में गृह मंत्री, जो इसके नोडल मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री जी, जिनकी यह जिम्मेदारी बनती है, क्या आपने कभी एक बार भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दि एक्ट के लिए रिव्यू मीटिंग रखी है? आज तक नहीं रखी है। अगर रखी होती तो उन सबको सच्चाई पता चलती। गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में यहां जो बोला है, वे सारी चीजें गलत हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए गलत जवाब देते हैं, रेलवे जोन के लिए गलत जवाब देते हैं। नेगेटिव डेफिसिट बजट के लिए जो पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए गलत जवाब देते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट बजट के लिए कैंग ने निर्धारित किया था कि 16 हजार करोड़ रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उसके लिए चार हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं। बाकी 12 हजार करोड़ रुपये का क्या होगा, उसका समाधान नहीं दिया गया है। एक्ट के तहत आन्ध्र प्रदेश को 11 इंस्टीट्यूशन्स मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक आठ ही मिले हैं। वे आठ भी इसलिए मिले क्योंकि हमने, हमारे किसानों ने अपनी भूमि त्याग दी है, उन्होंने सोचा कि

अगर हम भूमि देंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा, कुछ नए इंस्टीट्यूशन्स आएंगे। इन आठ इंस्टीट्यूशन्स के बनने के लिए हमें 11 हजार करोड़ रुपये चाहिए, जबकि हमें 6 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। हमें पांच प्रतिशत पैसा दिया गया है, अगर इसी तरह पांच प्रतिशत पैसा चार साल में देंगे तो 100 प्रतिशत पैसा आने में 80 साल लगेंगे। जब 80 साल में ये सब बनेगा तो उसे कौन देखेगा, वहां कौन बच्चा ग्रेजुएशन करेगा? मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। बीजेपी का हेडक्वार्टर, जो यहां से पांच किलोमीटर दूर है, उसे आपने डेढ़ साल में बनाया। आपने वहां 70 कमरों का ऑफिस बनाया, सात स्टोरी बिल्डिंग, तीन ब्लॉक, डिजिटल लाइब्रेरी और सारी नई फेसिलिटीज के साथ उसे डेढ़ साल में बनाया। क्या आप हमारे यहां एक आईआईटी, एक एम्स चार साल में नहीं बना सकते हैं? मैं इसका समाधान प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ... (व्यवधान) मैंने अभी शुरू किया है, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए।

मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में कहना चाहता हूँ। वर्ष 2002 का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हरि बाबू जी ने मिसलीड किया है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में टैक्स इंसेंटिव्स नहीं हैं। मैं उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। The new industry policy and other concessions for the State of Uttaranchal and the State of Himachal Pradesh-the hon. Prime Minister during the visit to Uttaranchal on 29th of March, 2002 had made an announcement that tax and central excise concessions to attract investments in the industrial sector will be worked out for the Special Category States including Uttaranchal. इसी बात से हम पूछ रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में टैक्स इंसेंटिव्स भी हैं, जिसकी वह बात ही नहीं करते हैं। आज वह बोलते हैं कि इतने पैसे आएंगे, एसपीवी से लो। आज बोलते हैं कि अभी तैयार है, क्या गाइडलाइन बनाई है? किसने हरिबाबू जी को ऐसा बोलने के लिए अप्रूव किया कि वह बोलते हैं कि एसपीवी का पैसा ले लो। वह बोलते हैं कि कल ले लो। यह किस तरह का मजाक है। वह अन्दर कुछ और बोलते हैं। वह बोलते हैं कि एसपीवी को ऐसा बनाओ, लिमिट के बारे में कुछ नहीं बोलते

हैं, एफआरबीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। गलत तरीके से हाउस को मिसलीड करना, It is not good for the House and State of Andhra Pradesh also.

A couple of issues and I will conclude. This is a very important point. When it comes to Visakhapatnam and Chennai Industrial Corridor, they promised that they are going to give money. अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। जबकि मुंबई-दिल्ली कॉरिडोर के लिए 17,500 करोड़ रुपये दिए गए। उसी पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लैक्स जो आंध्र प्रदेश को एक्ट के तहत मिलना चाहिए था, उसको अभी शुरू भी नहीं किया है। लेकिन गुजरात में जीएसपीसी को ओएनजीसी लेने के लिए एक सिक यूनिट लेने के लिए, उन्होंने आठ हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उसका बोझ 24,500 करोड़ रुपये का है। जब ओएनजीसी, एक पीएसयू इतना बड़ा बोझ उठा सकता है तो आंध्र प्रदेश में एक पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लैक्स बनाने के लिए क्या वह वायबिलिटी गैप नहीं दे सकता है? कडप्पा स्टील प्लांट की बात करें तो उसका कोई और कारण निकाला जाता है। आज मैं साफ-साफ बताना चाहता हूँ कि एक भी हिस्सा पूरी तरह से नहीं किया है। बारबार ऐसा मिसलीड किया जाता है कि ये सब कर दिया गया है। हमारी पार्टी में 15 लोग हैं। आज 15 लोग मिल कर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमें यह नहीं पता था कि काँग्रेस हमारी सपोर्ट करेगी, ये सभी हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन हम 15 लोगों ने साहस किया। हम यहां बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? यह लोकतंत्र का मंदिर है। यहीं पर यह बिल बना है, यहीं पर यह एक्ट बना है। एक प्रधान मंत्री दूसरे प्रधान मंत्री का आदर नहीं करता, उस व्यवस्था को आदर नहीं करते तो कहां पर जाएं? हम कोर्ट के पास जाएं, उसी कोर्ट के बारे में यहां पर हर बार चर्चा होती है।

इसलिए मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि हम नो-कान्फिडेंस मोशन इसलिए लेकर आए हैं कि हम प्रधान मंत्री जी से सुनना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या राय है और उन्होंने क्या किया? हमने बहुत सारे फोरम्स में बात की। हम कई तरीके से यहां पर पेश आए। हमें अच्छा नहीं लगा, फिर भी हम वेल में गए, क्योंकि हमें समाधान नहीं मिल रहा

था। इसलिए हम संगठन के बाहर भी आए। हमारे मंत्री भी इस्तीफा देकर संगठन से बाहर आकर एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं। आप राजनीतिक तौर पर इसे मत देखिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भगवंत मान जी।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): वह बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात शुरू कीजिए, उनकी माइक बंद है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राम मोहन जी मैंने आपको ज्यादा समय दिया है। I have given you ten minutes. You are not concluding. This is not fair.

... (Interruptions)

श्री भगवंत मान : मैडम, हाउस ऑर्डर में नहीं है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: You conclude within one minute.

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: मैडम, एक मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है। हमारे एक्ट में मेट्रो रेल भी दिया हुआ है। आज तक एक पैसा नहीं है। मेट्रो रेल के लिए पॉलिसी केन्द्र सरकार बदलती है, दबाव राज्य सरकार पर डालती है। उनको कहते हैं कि हमारी पॉलिसी बदल गई, अब आप पैसा दें। हम पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा स्टेट डेफिसिट बजट 16000 करोड़ रुपये का है, निगेटिव डेफिसिट चल रहा है, फिर भी आप मदद नहीं करते हैं। हम इतना क्यों आक्रोशित हो रहे हैं? आज भी आप देखेंगे तो हमारे बगल के राज्य हैं - तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु, सभी की जीडीपी देखिए, सभी की पर कैपिटा इनकम देखिए, हम से तीस हजार आगे है। पांच साल के बाद देखिए, फिर भी वे आगे रहेंगे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए एक्ट बना है।

मैं प्रधान मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वे चुनाव के समय आंध्र प्रदेश आए थे, तिरुपति, गुंटूर, विशाखापट्टनम आए थे, उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगिरी

स्टेटस पांच साल नहीं बल्कि दस साल के लिए दूंगा। उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी ऐसी बनाएंगे कि दिल्ली से भी शानदार होगी। पूरे देश को उस पर गर्व होगा।

माननीय अध्यक्ष : आपने एक मिनट का समय कहा था, लेकिन अब दो मिनट का समय हो गया है। आप बैठ जाएं।

श्री भगवंत मान : महोदया, मैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

(व्यवधान)

महोदया, हाउस आर्डर में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : हाउस आर्डर में है, आप बोलते रहिए।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : महोदया, मैं अपने टीडीपी के मित्रों से संवेदना रखता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि यह पहला वायदा नहीं है, जिस पर मोदी जी मुकरे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के वायदे से भी मोदी जी मुकरे हैं। दो करोड़ नौकरियां देने का वायदा पूरा करने से भी मुकरे हैं।...(व्यवधान) ये मुकरने के माहिर हैं, इसलिए मैं आपसे संवेदना रखता हूँ और आपके पक्ष में हूँ।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी के मेरे जितने भी मित्रों ने स्पीच दी, सभी ने कहा कि हम सभी राज्यों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चलाने का अधिकार देते हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वे दिल्ली को देश का हिस्सा नहीं मानते हैं। दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं। दिल्ली का चुना हुआ मुख्य मंत्री नौ दिनों तक एलजी के घर के वेटिंग रूम में उनसे मिलने के लिए वेट करता रहा, लेकिन वे नौ मिनट भी उनसे नहीं मिले। क्या यह लोकतंत्र है? चार राज्यों के मुख्यमंत्री आए, उनसे भी एलजी साहब नहीं मिले। जिस घर में एलजी रहते हैं, उस घर में अंग्रेजों के वायसराय रहते थे। शायद वायसराय की आत्मा एलजी में घुस गई थी। क्या लार्ड साहब के डंडे से दिल्ली चलाओगे? क्या यह लोकतंत्र है? यह फैड्रल स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये गोवा में भी ऐसे ही करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही करते हैं। प्रधान मंत्री जी जब किसी राज्य में जाते हैं, तो उस राज्य की ट्रेडीशनल ड्रेस पहनाई जाती है। पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी

पंजाब के दौरे पर गए, उन्हें पगड़ी पहनाई गई। 90 परसेंट कुर्बानियां देश के लिए पगड़ी पहनने वाले पंजाबियों ने दी हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराया। हमारे देश के प्रधान मंत्री 90 सैकेंड तक भी वह पगड़ी अपने सिर पर नहीं रख सके और पगड़ी उतार कर फेंक दी। इससे पता चलता है कि माइनोरिटीज की कितनी कद्र प्रधान मंत्री जी के दिल में है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पगड़ी उतार देते हैं, फेंकते नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : महोदया, आज बेरोजगारी पर डिबेट नहीं हो रही है, आज डिजिटल इंडिया पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज डिबेट हिंदू-मुस्लिम पर चलती है। आप कोई भी टीवी चैनल लगा लीजिए, हिंदू-मुस्लिम की डिबेट आती रहती है। ये विभाजन की राजनीति बहुत खतरनाक है। यह देश को बांटने वाली बात है। आज पेट्रोल और डीजल के भाव कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। सरकार यह बात कह कर सत्ता में आई थी – बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। आप सब्जियां खरीदने जाओ, तो आपको महंगाई का अंदाजा होगा। आज डॉलर की कीमत 70 रुपये तक पहुंच गई है। यह कौन-सी प्राप्ति है? कई माननीय सदस्य बड़ी-बड़ी प्राप्तियां गिना रहे थे।

महोदया, मैं आखिर में एक छोटी-सी कविता बोलकर बैठ जाऊंगा, कृपया आप घंटी मत बजाइएगा, ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है।

“बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से
 बात चली थी एक के बदले दस सिर लाने से
 बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से
 बात चली थी छप्पन इंच का सीना दिखाने से
 बात चली थी न खाने से न खिलाने से

कहां गई वह सौ दिन में काले धन की बात
 पिछले चार साल से देश की जनता सुन रही है
 रेडियो पर सिर्फ मन की बात
 चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर
 भगोड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े-लिखे नौजवानों के सपने
 आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं
 अब तो साहब के आफिस से मैन्सू बनकर आता है
 कि हमने क्या पहनना है और हम क्या खाने वाले हैं
 मोदी जी आप अगले छह-सात महीने में जाने वाले हैं
 कृपया जाते-जाते बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। ”

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): माननीय अध्यक्ष जी, टीडीपी द्वारा सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूँ।

सबसे पहले इस संसद में अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 1963 में, आचार्य जे.बी. कृपलानी लाये थे, जो प्रजा समाजवादी पार्टी के अमरोहा से सांसद थे। श्री नेहरू जी प्रधान मंत्री थे। मैंने अभी जो समझा है, सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो देश में बेचैनी रहती है, लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा रहता है, लोगों का सरकार के प्रति भरोसा टूट जाता है। जब ऐसा होता है, तो भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वह अविश्वास प्रस्ताव ले आए। वर्ष 1963 में, जब आचार्य जे.बी. कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाये थे, उस समय चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था। चीन से भारत युद्ध में हार गया था। सीमा पर किसानों के बहुत-से पुत्रों का नृशंस बलिदान हुआ था। इससे देश में बेचैनी थी, इसलिए उस समय आचार्य जे.बी. कृपलानी जी अविश्वास प्रस्ताव लाये थे। मुझे नहीं लगता है कि आज देश में कोई बेचैनी है। कुछ लोगों ने उनको बता दिया है कि किसानों की बात करोगे, प्रधान मंत्री पर हमला बोलोगे, उनकी बेचैनी मैं जानता हूँ, उनकी पेटवथी क्या है, वह मैं जानता हूँ, उनकी पेटवथी कुर्सी की है।

हमारे पूर्व के बहुत-से वक्ताओं, भारत सरकार के मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, राकेश सिंह जी और एनडीए के सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, माननीय मुलायम सिंह जी ने भी अपनी बात रखी। उन बातों को किसानों पर केन्द्रित करके गाँव, गरीब, किसान, झोपड़ियों का इंसान आदि के संदर्भ में ही मुझे बात करनी है और इसी बेचैनी के बारे में बात करनी है।

यह संसद जब से बनी है, इसने बहुत-से महान् लोगों को देखा है। इस संसद में आचार्य जे.बी. कृपलानी, महावीर त्यागी, मोरारजीभाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं और वर्तमान में माननीय लाल कृष्ण आडवानी जी हैं, महान् विद्वान डॉ. मुरली मनोहर जोशी हैं। पहले समाजवादी आंदोलन के श्री रामसेवक यादव थे, डॉ. राम सुभग सिंह थे, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जिनमें से हम लोगों ने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोगों को सुना है। लेकिन आज इस संसद ने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की जो भूमिका देखी है, उससे जो स्वर्ग में होंगे वे, और जो वर्तमान में हैं, वे भी चिन्ता करते होंगे कि यह संसद कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा कहाँ ले जायी जा रही है।

उन्होंने जो सवाल किया कि प्रधान मंत्री मुझसे आँख मिलाकर नहीं देखते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ऐसे ...* लोगों की तरफ आँख मिलाकर नहीं देखते हैं।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसी भाषा रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : आँख मिलाकर बात करना हो, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे नेता श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी हैं, मुझसे आँख मिलाकर बात करो, तो मैं बताता हूँ। वे गले मिलने जा रहे हैं और जाकर प्रधान मंत्री के गले पड़ गये।...(व्यवधान) आप बताइए अध्यक्ष जी, मैं उनसे गले

* Not recorded.

मिलने जाऊँगा, तो मेरे ऊपर प्रिविलेज हनन की बात लग जाएगी। वे कहेंगे कि मेरी छाती टूट गयी है, मुझे प्रिविलेज करना है।

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, मुझे पर अपनी बात कहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। मुझे इस बात के लिए दुख है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। आपने भी इस बात पर दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस के लोगों को इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि जब स्पीकर ने कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में टिप्पणी की है, तो फिर कांग्रेस के लिए संसद की गरिमा कहाँ रह गयी है? अध्यक्ष जी, मैं किसान की बात कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अब आपके पास समय नहीं रह गया है, आई एम सॉरी।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैडम, एक मिनट बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आपको अपनी बात एक मिनट में बोलनी हो, तो बोल दीजिए। इतना समय नहीं है। मैं बाकी सब को भी बोलने का मौका देना चाहती हूँ। सबको तीन-तीन मिनट मिलेंगे, अदरवाइज आप लिखित में अपना भाषण सभा पटल पर दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, बहुत सी योजनाओं के बारे में बातें सामने आई हैं, जिनके बारे में मैं अपनी बात कहूँगा। कृषि विभाग की आर्य योजना है, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्रों पर नौजवानों को गांवों के विकास के लिए और किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के बारे में भी चर्चा हुई है। बांस योजना के बारे में चर्चा नहीं हुई है। हमारे देश में कैबेज बनाने के लिए बांस आयात करना पड़ता है। यह आजादी के बाद भारत की पहली सरकार है जिसने किसानों को बांस पैदा करने के लिए 1,600 रुपये बजट में दिए हैं।

अध्यक्ष जी, यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार दो साल से गोबर की खाद पर सब्सिडी दे रही है। किसानों को गोबर की खाद पर सब्सिडी मिली है। मैंने अपने क्षेत्र में इसे शुरू किया है। वहाँ 1560 लोगों को यह सब्सिडी मिली है। ये इसका क्या जवाब देंगे? क्या इन्होंने कभी सोचा है कि गोबर की खाद पर सब्सिडी देने से क्या होता है?

गोबर की खाद पर सब्सिडी देने से खेती में कैमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बंद हो जाता है। आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खेती द्वारा उत्पादन की मांग बढ़ी है। आने वाले समय में भारत उसका केंद्र बन जाएगा और इससे किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : आपका समय पूरा हो गया।

मोहम्मद सिराजुद्दीन अजमल जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। आपका समय खत्म हो गया। आपने अच्छी बात रखी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर बोलना हो तो आप आखिरी का एक वाक्य बोल दीजिए। उसके अलावा कुछ नहीं, अब अपना मुद्दा नहीं बोलेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह : भारत सरकार ने जो जल संरक्षण के बारे में किया है, उसमें मनरेगा के माध्यम से भारत में दस लाख तालाबों का निर्माण हुआ है। हमने मोरना नदी में जल संरक्षण के लिए 67 किलोमीटर तक जल प्रवाहित करवा दिया है।

माननीय अध्यक्ष : आपने बहुत सारे मुद्दों पर बोल दिया है। अब प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मत कीजिए। दिन भर में बहुत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर हो गया। क्या बात है?

सिराजुद्दीन अजमल जी।

...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): As per Rule 368, if a Minister quotes in the House a dispatch or other State paper which has not been presented to the House, the Minister shall lay the relevant paper on the Table. Here is the speech of Nirmala Sitharaman Ji. ... (*Interruptions*). She has already made the speech. I would like to show it before you and I have submitted for your consideration. I checked with the Table Office. She did not lay that paper. ...

(Interruptions). It should be laid as per the rules. Madam Speaker, it should be laid. ... (Interruptions).

माननीय अध्यक्ष : सिराजुद्दीन अजमल जी।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : मैडम, मेरा नाम बदरुद्दीन अजमल है।

माननीय अध्यक्ष : सॉरी।

श्री बदरुद्दीन अजमल : मैडम, आपने मुझे तीन मिनट का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में बोलना चाहता हूँ। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने आज पूरे दिन सब के भाषण सुने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इलैक्शन से पहले अंदर ही अंदर कोई लावा पक रहा है। सत्तापरस्त लोगों को समझना चाहिए कि लोगों में क्या बेचैनी है। आखिर क्यों इस तरह यह मामला हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी बात शॉर्ट में कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप लास्ट में ही मौका देंगी। हम तीन लोग हैं, हमें कम से कम नौ मिनट मिलने चाहिए। आपने सिर्फ तीन मिनट दिए हैं।

मैडम, मैं अपने इश्यूज़ पढ़ देता हूँ। हमारा नंबर वन इश्यू असम का है। असम के होम मिनिस्टर साहब इस बारे में जानते हैं। एन.आर.सी का इश्यू इस वक्त सब से गरम इश्यू है। नंबर दो पर सिटिज़नशिप अमेंडमेंट बिल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीस लाख बंगलादेशी लोगों को यहाँ लाना चाहती है। असम में असमी जुबान अब माइनोरिटी में आ चुकी है। लोगों को अंदेशा है कि असम एक दिन बंगाल हो जाएगा। आप ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा गजब हो जाएगा। मेरा तीसरा इश्यू डिटेंशन कैम्पस का है। हमारे पास उसकी पूरी रिपोर्ट है। वहाँ लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं।

मैडम, अगर एक मर्डर भी होता है, तो उस पर अपील करने का मौका दिया जाता है। 10-12 सालों से लोग इन कैम्पस में रह रहे हैं, लेकिन उनकी अपील के लिए कोई जगह नहीं है। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, जिससे लोग कम से कम अपील तो करें, कम से कम उसमें इंसानियत होनी चाहिए। इसके बाद फ्लड और इरोज़न का इश्यू है। यह तो हमारा हमेशा का रोना

है। हम इसे नेशनल कलैमिटी डिक्लेयर कराना चाहते हैं। दस साल से मैं और हमारे लोग यह कहते आ रहे हैं कि असम को फ्लड और इरोज़न ने तबाह और बर्बाद कर दिया है।

इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन सोचा जाना चाहिए। इस पर छोटे-मोटे पैसे बर्बाद न किए जाएं। नॉर्थ-ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में कहना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी जब इलेक्शन में गए थे तो उन्होंने वायदा किया था कि हम यहां इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। हमारे पास पांचग्राम पेपर मिल और नौगांव में इंडस्ट्री है, लेकिन उसको भी बंद करने का एलान हो गया है। अभी 15-20 दिन पहले उसको बंद करने का एलान कर दिया गया है। दूसरी जगहों पर इंडस्ट्री डेवलप होती है, हमारे यहां इंडस्ट्री बंद होती है। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए अन्यथा हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वैसी ही हमारी बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। मॉब लिंग के बारे में कहते हुए तो शर्म आती है। सारे लोग कल कह चुके हैं और आज भी बहुत से दोस्तों ने कहा है। इस पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया है, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। आजकल लोग मोबाइल फोन से रिकार्डिंग कर लेते हैं। सारे चेहरे सामने आ जाते हैं। अगर दो-चार लोगों को भी सज़ा हो जाए तो शायद यह सिलसिला बंद हो जाए। मेरी यही दरख्वास्त है कि होम मिनिस्टर साहब इसका खयाल करेंगे। क्राइम अगेन्स्ट विमन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। निर्भया से लेकर आज तक छोटी-छोटी बच्चियों, दो-तीन साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप किया जाता है। अफसोस है कि कानून में फांसी का प्रोविजन हुआ है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। मैं ब्लेक मनी के बारे में कहना चाहता हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात आ गयी है। श्री उपेन्द्र कुशवाहा ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, विपक्ष की ओर से मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी पार्टी की ओर से प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व पर पूरजोर विश्वास करता हूँ। पूरे देश के लोगों का भरोसा है और बिहार के लोगों का ज्यादा ही भरोसा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा केवल दो बातों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ।

बिहार का अपना एक इतिहास रहा है। माननीय गृह मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने लिच्छवी गणराज्य की चर्चा की थी। हमें भी फक्र होता है कि हम उस धरती से आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की रोशनी दुनिया में जाती थी। लेकिन जब उसी बिहार के बारे में बीमारू राज्य शब्द हम सुनते हैं तो अंदर से कष्ट होता है। आखिर अब तक हम क्यों बीमारू राज्य कहलाने के लिए अभिशप्त हैं? बिहार के नौजवान दूसरी जगह जाकर निर्माण का काम करते हैं। बिहार के लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। आईएस और आईपीएस काफी संख्या में वहां से निकलते हैं। देश के अन्य हिस्सों की सेवा करते हैं। भारत सरकार में शायद ही कोई विभाग होगा जहां बिहार का कोई अधिकारी प्रमुख पद पर न हो। इतनी क्षमतावान बिहार है। लेकिन बिहार अपनी रोजी-रोटी के लिए कहीं जाए तो हमें खुशी होती है, लेकिन अपना पेट पालने के लिए बिहार का नौजवान अपने घर को छोड़कर, बूढ़े माँ-बाप को छोड़कर जब अपने घर से बाहर जाता है। कभी इस राज्य में तो कभी उस राज्य में भी जाकर जब अपमानित होता है तो बहुत कष्ट होता है। क्या दोष है बिहार के लोगों का, क्या दोष है बिहार के नौजवानों? इतिहास ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है, इसलिए आज बिहार की ऐसी स्थिति है। हमें पूरा-पूरा भरोसा है। बिहार के दस करोड़ लोगों का भारत के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि उनके भरोसे के अनुकूल बिहार पर विशेष ध्यान देने की कृपा की जाए। मैं बिहार के दस करोड़ लोगों की ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ।

महोदया, अभी चर्चा चल रही थी कि न्यायपालिका शोषित और वंचित समाज के लोगों, एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इस समय जो स्थिति है, उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है और सिर्फ उनके प्रतिनिधित्व की ही बात नहीं है। आज ज्युडिशियरी में जो कॉलेजियम का सिस्टम है, बहाली की प्रक्रिया है, उसका परिणाम है कि एससी, एसटी और ओबीसी के वर्ग के लोग उसमें नहीं हैं। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी उस पर चिंता व्यक्त की है। महिलाओं की संख्या भी लगभग नगण्य है। इनकी बात तो छोड़ दीजिए, आज वहां जो स्थिति है, उस प्रक्रिया के चलते गरीब ब्राह्मण परिवार का भी कोई नौजवान, वह चाहे जितना मेरिट रखने वाला हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनना चाहे तो उसके लिए रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है।

आज वह सभी के लिए बंद है। एक तरफ कहा जाता है कि लोगों को हक मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, मेरिट को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मेरिट को वहां अवसर नहीं दिया जा रहा है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि उस सिस्टम को बदलने की बात होनी चाहिए, जब तक वह सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक वहां सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम चाहे कुछ भी कोशिश कर लें, लोगों को न्याय दिलाने में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां यह सिस्टम हो। हम अपने प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। यहां अमेंडमेंट आया, संसद के दोनों सदनों ने उसको पारित किया। नेशनल ज्युडिशियल अपाइंटमेंट एक्ट बनाने का काम हुआ, वह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किसी और सरकार ने नहीं किया। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने यह कार्य किया। मुझे खुशी है कि जब वह निर्णय हो रहा था, जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने उसका समर्थन किया था। समर्थन के बाद एक्ट बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसे नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम कैसे चलता है, उस कोलिजियम सिस्टम के एक सदस्य ने कहा कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, वहां यहीं

फार्मूला चलता है। वहां कोई विचार नहीं है, वहां कोई मेरिट देखने की बात नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब इस सिस्टम के रहते हम तमाम जगह लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन न्यायपालिका जैसी बड़ी संस्था में लोकतंत्र नहीं है, यह मैं इस सदन में कहना चाहता हूं। यदि वहां लोकतंत्र नहीं होगा, गरीब घरों के बच्चे वहां नहीं जाएंगे, उनका दरवाजा जब तक बंद रहेगा, तब तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसे आगे बढ़ाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Madam Speaker, the people of Andhra Pradesh have become despondent; they are living in despair; and are unable to realise what was promised to them while adopting the Andhra Pradesh Reorganisation Act. This Motion of No-Confidence is a culmination of all failed initiatives.

The Special Category Status is a result of a historical decision of dividing the State against the wishes of the people of Andhra Pradesh. You are aware of the circumstances in which the erstwhile State of Andhra Pradesh was divided by forcing the decision on us. It was a black day in the history of democracy when a serious and a momentous decision, affecting the lives of crores of people, was taken in just 20 minutes, closing all the doors of Parliament, in a most disgraceful manner without any transparency and consensus.

In this process, just to appease the agitated people of Andhra Pradesh, Special Status was offered and a promise was made to this effect that Special Status would be granted for a period of five years on the Floor of the House by the earlier Government. The very Party, which is in power, had demanded that the five-year period be extended to ten years which was agreed to by the then Prime Minister. Thus, both, the party in power and the opposition, were unanimous in offering the Special Category Status.

Today, surprisingly, for the reason not known, the Government is expressing its inability in conferring the Special Category Status. You are aware that the State of Andhra Pradesh has lost substantially because of the

division in terms of revenue and needs to spend a lot on building of new capital, relocation of employees, infrastructure development, etc.

The adamant attitude in not granting the Special Status, apart from causing severe hardship to the newly created State, has also got serious implications for the democracy which is dearer to us. The credibility of the Parliamentary institutions is in danger and the people lose faith in the Parliamentary system when the commitments made by the Government in the Parliament are not honoured. I reiterate that people heading the institutions are temporary while the institutions themselves are permanent and continuous.

The commitments need to be honoured irrespective of who is heading them. This is the basic principle of democracy. ...(*Interruptions*)

I represent Kurnool constituency which is the backward Rayalaseema Region. I am deeply disappointed that the special promises relating to the development of backward districts have not been implemented causing anguish among the people of Rayalaseema. The promised institutions have not yet become operational. Funding for other programmes in backward districts is very meagre.

Madam, IIIT, which has been sanctioned to my constituency is still functioning in Kanchipuram, although till today, it has not been functional in my constituency. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Dushyanat Chautala.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI BUTTA RENUKA : Madam, kindly give me some time....

(Interruptions)

HON. SPEAKER: You complete it in one sentence only.

SHRIMATI BUTTA RENUKA : Madam, I will just conclude. I just want to say, our hon. Prime Minister, during 2014 elections had promised and given a hope to the people of Andhra Pradesh. The hope has been converted into a sentiment. It has strongly been converted. They do not want to compromise on anything and to be convinced by anything. So, I would like to request the hon. Prime Minister to immediately confer a Special Category Status to Andhra Pradesh.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): अध्यक्ष महोदया, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब शक, संदेह और सरकार पर विश्वास न होना होता है। विश्वास आज किसको है? आज युवा दर-दर की ठोकरें खा रहा है क्योंकि उसको यह विश्वास नहीं रहा कि सरकार उसके हाथ में रोजगार ला कर दे सकती है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको यह विश्वास नहीं है कि उसकी फसलों के उचित दाम उसको मिलेंगे। आज मजदूर रात को अपने घर पर सोता है, क्योंकि उसको यह विश्वास नहीं है कि कल उसके घर का खर्चा कौन पूरा करेगा। आज माँ-बाप को यह विश्वास नहीं है कि कल शायद प्राइवेट स्कूल और कॉलेज फीस इतनी बढ़ा दें कि उनके बच्चे उन स्कूलों में दाखिला ले ही न पाएं।

अध्यक्ष महोदया, सन् 2014 में जिस तरीके से पूरे देश में यह विश्वास बना था कि शायद अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज चार साल के अंदर जनता यह बात जरूर पूछने लगी है कि अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात है, सच्चे दिन कब आएंगे?

महोदया, इस सरकार के लिए एक बात तो जरूर कहूंगा कि :-

“ रहने दे आसमान, जमीन तलाश कर,
सब कुछ यहीं है,
कहीं और कुछ न तलाश करा।
हर आरजू पूरी हो तो जीने में क्या मज़ा है,
जीने के लिए बस खूबसूरत वजह तलाश करा। ”

महोदया, आज इस अविश्वास प्रस्ताव को यह सरकार बचाने का काम जरूर करेगी। मगर अगले साल जब आम चुनाव आएंगे तो क्या जनता का विश्वास बचाने का काम यह सरकार कर पाएगी।

महोदया, आज जब युवा बसों और ट्रेनों में धक्के खाता है और शहर की ओर आता है कि शायद रोजगार मिलेगा तो वह जरूर याद करता है कि दो करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा इस सरकार ने किया था। आज जब युवा ठेकेदार के माध्यम से नौकरी करता है तो वह विश्वास करता था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर देंगे।

मगर उसको रात को यह विश्वास नहीं होता है कि क्या कल उसका रोजगार सुरक्षित रहेगा। आज किसान यह विश्वास नहीं कर सकता है कि जो लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए पूरे देश भर में धक्के खाते थे, जब आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात आती है, वे कुछ नहीं करते हैं। एमएसपी पूरी दर पर, फैमिली लेबर को जोड़ कर लाने की बात आती है, उस समय फैमिली लेबर को साइड कर दिया जाता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी।

... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदया, अभी तो दो मिनट भी नहीं हुए हैं, आपने पांच मिनट की बात कही थी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पांच मिनट नहीं, मैं दो-दो मिनट ही सबको बोलने का समय दे रही हूँ।

... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदया, जब आप विश्वास की बात दिलाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का विश्वास था कि इस देश की नदियों और नहरों को जोड़ा जाएगा। डेढ़ साल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि सतलुज-यमुना लिंक को जोड़ा जाए। ... (व्यवधान)

आप पर विश्वास कैसे किया जाये कि 1.5 साल का समय होने के बाद भी, देश और प्रदेश में आपकी सरकार होने के बावजूद भी आप उस किसान के खेत में पानी पहुँचाने के लिए आज अपने आपको सक्षम नहीं बना पाये? इस सदन के अंदर बोलते हुए दुख होता है कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवी लाल जी, जय प्रकाश नारायण जी सरीखे लोग आज इस देश में नहीं रहे, जिन्होंने अपनी बात को पूरा करने के लिए अपना पूरा राजनीतिक जीवन न्यौछावर करने का काम किया। अगर सरकार आज विश्वास दिलाना चाहती है तो वह इस देश की जनता को यह याद दिलाने का काम करे कि जो उनके द्वारा घोषणा-पत्र में की गई बातें थीं, सरकार उन्हें पूरा करने का काम करेगी। धन्यवाद।

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM) : Madam, I support this No Confidence Motion. At this juncture, I do not have too much time and everything has been said by many hon. Members. In my opinion, the purpose for which the Opposition brought this No Confidence Motion has been very well served. Many Members from that side were worrying that when you do not have the number, why you are bringing this No Confidence Motion? We may lose this No Confidence Motion in this House but that will get passed in the people's house in the coming elections. We are sure about that. One can very well sense this. We all sensed the tremendous amount of confidence which many of you have lost. This is very clear. We may lose the No Confidence Motion. The confidence which you have lost is very clearly visible during the discussion. Many of you do not like to touch upon the great promises that you gave to the people. During the discussion, there was not even a mention about some of the points I would like to mention, which are being discussed widely in the country. For example, you do not even like to remember about that Rs. 15 lakh deposit in the account. I do not know whether you will deposit the entire amount at the end of your rule with interest. So far there is no talk about that. There is no digital India and no Make in India. Nobody knows what you have done during this time.

Rajnath Ji was mentioning here that many projects have come during your time. I was an Industry Minister in my State. Many things that you mentioned here, I remember, came during the UPA time.

I would like to say one word about the kind of communal divide that is happening now had not happened during the British time. It is a shame on you that the minorities are being alienated. It is a shame on you. Definitely, you will have the reaction for this.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदया, मैं अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह प्रस्ताव श्रीनिवास केसिनेनी के द्वारा लाया गया है। उन्होंने लगभग 45 मिनट तक आन्ध्र प्रदेश की घटनाओं की बात की। उनका मुद्दा राज्य स्तर का था। मैं समझता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर लाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा है। मैं 15वीं लोक सभा में भी सांसद था। उस समय भी मैंने ऐसा कुछ देखा था। हम लोग पिछली बार जब एनडीए में थे, तो रोज कुछ न कुछ घटनाएं होती थीं। कभी कोयला घोटाला, कभी टू जी का घोटाला, कभी श्री जी घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी राष्ट्रमंडल घोटाला, लगातार घोटाले पिछली सरकार में हो रहे थे। आन्ध्र प्रदेश के नेताओं ने आज इस अविश्वास प्रस्ताव को लाकर गलती की है। आप दिल्ली में सरकार में थे, आपको चाहिए था कि आप सरकार से बार-बार इस बारे में बात करते। हम लोग भी आपके साथ काम करते और आपका विशेष राज्य के दर्जे का जो सवाल है, सारे लोगों के द्वारा मिलकर उस काम को करने का प्रयास किया जाता।

आपके यहां जो विकास हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी ने उसकी लम्बी गिनती गिना दी। मैं तो चाहता था कि आप लोग दिल्ली की सरकार में रहकर आंध्र प्रदेश को विकसित करने का काम करते। लेकिन, अविश्वास प्रस्ताव लाकर आज आपने प्रधान मंत्री जी पर जो उंगली उठाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देश का प्रधान मंत्री एक पिछड़े का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है।

देश में जो गरीबों का हाल है, वह कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। दिल्ली में लगातार 55 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है और यह कहा जाता है कि गरीबों के पास आज पीने का पानी नहीं है, गरीबों के पास छत नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है। यह किसकी देन है?

राहुल गांधी जी अपने भाषण में क्या बोल रहे थे? वे एन.डी.ए. पर लगातार प्रहार कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यह चाहते हैं कि बिना जनता के बीच गए हुए आपको गद्दी मिलेगी? जनता आपको दोबारा माफ नहीं करेगी। वर्ष 2019 का जो चुनाव होगा, उसमें फिर से नरेन्द्र मोदी इस कुर्सी पर बैठेंगे। मैं सदन को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि बिहार में एन.डी.ए. के अलावा किसी का एक भी खाता नहीं खुलेगा। अभी जय प्रकाश जी बोल रहे थे। जय प्रकाश जी से

मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा है। अगर आज देश के प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार पर उंगली उठा रहे हैं तो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयास किया है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): महोदया, मैं अपनी पार्टी जे.एम.एम. की तरफ से नो-कॉन्फीडेंस मोशन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातों को सुना है। अब मैं यह बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रदेश झारखण्ड में हो रहा है, वह न किसी देश में हो और न किसी प्रदेश में हो।

वहां पर जो लैंड एक्वीजीशन बिल लाया गया है, उसमें सेन्ट्रल का वर्ष 2013 का जो एक्ट था, जिसमें 70 प्रतिशत लोगों की रजामंदी, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके खिलाफ लोग कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे इन सारे नियमों को हटा कर झारखण्ड के लोगों के हाथ-पैर को काट दिया गया है और उसका फायदा अडानी को दिया जा रहा है।

वहां के आदिवासियों को धर्म के नाम पर बाँटा जा रहा है। लेकिन, चिरकाल से वहां आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, वह नहीं दिया जा रहा है। आज वहां दलितों, आदिवासियों, क्रिस्तानियों पर अटैक हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यहां पर सभी लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज जो मात्र दो प्रतिशत क्रिश्चियन इस देश के लिए खतरा बन गए हैं, इस सोच का मैं विरोध करता हूँ।

आज गाय के नाम पर मॉब-लिंगिंग बढ़ गयी है। मैं तो कहता हूँ कि आप गाय को आधार कार्ड दे दीजिए और उसे वोटिंग का अधिकार दे दीजिए। जिस देश से सबसे ज्यादा मीट का एक्सपोर्ट होता है और उन एक्सपोर्टर्स से आप अपने फण्ड में राशि लेते हैं, वैसे लोगों को तो आप आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग गांव में अपना पशुधन रखते हैं, आपने अपनी नीतियों की वजह से उन्हें पशुबोझ के रूप में तब्दील कर दिया है। आज हमारे झारखण्ड में जो हो रहा है, मैं चाहूंगा कि वह किसी और प्रदेश में न हो। आज वहां नौ हजार से ऊपर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और पारा शिक्षकों को देने के लिए उनके पास नौ हजार रुपये नहीं है। आज झारखण्ड में सरकार द्वारा दारू बेची जा रही है और दारू बेचने वालों को बीस हजार रुपये से ज्यादा दिया जा रहा है। यह नीति वहां की बी.जे.पी. की सरकार कर रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ।

मैडम, जो गैस वितरण करने की बात कही गयी है, उसके बारे में मैं यह कहता हूँ कि हमारे यहां जब 600 रुपये का पेंशन है तो कौन व्यक्ति 800 रुपये में गैस खरीदकर अपना खाना खा पाएगा? इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : अभी जो लोग बोलने के लिए बचे हैं, उनसे मेरा इतना ही कहना है कि अभी हमें नौ बजे के पहले उसे समाप्त करना है। हमने उतना ही समय बढ़ाया है। फिर मैं रिप्लाइ शुरू करवाऊंगी। अभी बी.जे.पी. के पास समय है, तो भी मैंने उन्हें बोल दिया है कि अब मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी।

अगर आप लोग एक-एक मिनट में बोल सकते हैं तो बोलिए। दो-दो लोगों की जो पार्टी है, मैंने सबको समय दिया था। जो बचे हुए लोग हैं, वे अपना भाषण लिखित में सभा-पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): मैडम, मैं आपसे सिर्फ यही अदबन गुजारिश करूंगा कि सुबह में जिस तरह का मूड था, उसको आप सिर्फ बरकरार रखिए। अब उतना ही है।

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए। मैं भी आपको कितना समय दे सकती हूँ?

श्री असादुद्दीन ओवैसी: बिल्कुल मैडम, आप भी इंसान है, इस बात को मैं जानता हूँ। यह तहरीके अदम ऐतमाद जो पेश किया गया है, मैं उसकी ताईद में खड़ा हुआ हूँ। मेरे सिर्फ सात सवालात हैं। मैं आपके जरिए हुकूमत तक पहुँचा दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वजीरे आजम उसका जवाब देंगे।

मेरा पहला सवाल यह है कि हुकूमत यह जानती है कि मुसलमानों में जो ख्वानगी का तनासुब है, वह 68 परसेंट है और पूरे मुल्क में 75 परसेंट है।

वजीरे आजम ने कहा कि मुसलमान के हाथ में कुरान और कंप्यूटर देखना चाहता हूँ तो आखिर क्या वजह है कि पोस्ट मैट्रिक और प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो एलोकेशन हैं, वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक वही एलोकेशन दिए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या आप उनको कंप्यूटर और कुरान देखना नहीं चाहते हैं?

मैडम, मेरा दूसरा सवाल आपके जरिए वजीरे आजम से है कि 15 पाइंट प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम है। मैं आपके जरिए से वजीरे आजम से जानना चाहता हूँ कि चार साल में इस सरकार के 15 पाइंट प्रोग्राम का यह उसूल है, कानून है कि तीन महीने में एक मरतबा कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग लेगा। मैडम, चार साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई। क्या यह आपकी अकलियतों से मोहब्बत है? मैडम, 15 पाइंट प्रोग्राम का दसवाँ पाइंट यह है कि यह सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अकलियतों को, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उनको सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सिज, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर और बैंक्स में रोजगार मिले। मैं आपके जरिए से चैलेंज कर रहा हूँ कि एक परसेंट भी रोजगार नहीं मिला।

मैडम, मेरे सात सवालात हैं और यह चौथा सवाल है। चौथा सवाल यह है कि वजीरे आजम ने 14 सौ करोड़ रुपये अपने बेरुनी दौरों में खर्च किए हैं, मगर उसका नतीजा क्या निकलता है- श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव हो, बंगलादेश हो, चीन की गोद में बैठे हैं।

मैडम, मेरा पाँचवा सवाल आपके जरिए हुकूमत से यह है कि दलितों से मोहब्बत के इतने बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर जिस जज ने एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ जजमेंट दिया, आपकी सरकार ने उसको एनजीटी का चेयरमैन बनाया। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकें।

मैडम, मैं आपके जरिए से आखिरी सवाल हुकूमत से करना चाह रहा हूँ कि फिक्स्ड डिपॉजिट छह परसेंट है, इनफ्लेशन छह परसेंट है, कौन-सी मुआशी पॉलिसी है, कश्मीर की पॉलिसी क्या है? जितने मिलिटेंट मरते हैं, अगर दो मिलिटेंट मरते हैं तो हमारा एक सिपाही मरता है। मैडम, मैं तुरंत अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे 124 सिपाही मारे गए। आपके कश्मीर की पॉलिसी क्या है? मैं आपके जरिए से आखिर में हुकूमत से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं या मुसलमान-दलित मुक्त भारत चाहते हैं? आपकी पॉलिसी ने मुल्क में खौफ का एक माहौल पैदा कर दिया है, नफरतों की दीवारों को उठा दिया गया। इस हुकूमत ने जबर, तसद्दुद और खौफ पैदा कर दिया। आखिर में, मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बात खत्म करने के लिए कह रही हैं। सुन लीजिए, शायद इनको मेरी यह बात समझ में आ जाए।

‘ तुम कहो शाखों के फूल फलने लगे,
तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे,
इस ...* को, जहन की लूट को
मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता,
तुमने लूटा है सदियों-सदियों हमारा सूकून,
अपना धम्म पर चलेगा तुम्हारा खुसूम,
चारागर दर मंदों के बनते हैं क्यों, तुम नहीं चारागर,
कोई माने मगर नहीं माने, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता’

* Not recorded.

में राजनाथ सिंह साहब को बता रहा हूँ कि सर आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था । सर, लिंगिग सिर्फ वर्ष 1984 में नहीं हुई, लिंगिग वर्ष 2002 में भी हुई, लिंगिग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई, इस सरकार को जाना है। यहाँ जीत जाएंगे, मगर हिन्दुस्तान की अवाम आप तमाम को लाकर यहाँ बैठाएगी। इंशा अल्लाहा थैंक्यू मैडम।

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): Madam Speaker, thank you for giving me this time. This is my maiden speech also. I have never seen this House so quiet to listen to everybody. I am proud of this House, whether it is on that side or this side, that at least we are able to put our point of view. Many of you may not like it, but one has to put the point of view. अभी श्री द्विवेजी जी ने सर मोहम्मद इकबाल का एक शेर पढ़ा और वह था-

‘सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा ।
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा ॥’

मगर, वह एक पैरा छोड़ गए, वह था-

‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ।
हिन्दी हैं, हम वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा ॥’

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों पर शक मत करिए। मुसलमान उतना ही हिंदुस्तानी है, जितना कि आप हैं। मैं आज भी जानता हूँ, मुझे कहने में न कोई शर्म है, जब 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, तो वहाँ ब्रिगेडियर मुसलमान था, ब्रिगेडियर उस्मान। तब वे फौजें आर्डर में नहीं थीं। ये स्टेटों की फौजें थीं। अलग-अलग स्टेट्स की फौजें थीं। अंग्रेज बादशाह थे, जिन्होंने ये फौजे रखी थीं। वह कमांडर था, जो बार्डर के ऊपर खड़ा रहा, जब तक कि वह इस वतन के लिए अपनी जान न दे सका। इसे मत भूलिए।

मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात करूंगा। हम सालों-साल से इंसाफ की तलाश कर रहे हैं। वह इंसाफ कहां है, कहां गया? डीमोनेटाइजेशन आएगी, तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। पत्थरबाजी क्या बंद हुई? होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि अब बंदूकें आ गई हैं और ग्रेनेड आ गए हैं। हम लोग शांति से सो नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि अमन आए। फारूख अब्दुल्ला जो बोलेगा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अमन नहीं आएगा,

जब तक पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। ... (व्यवधान) मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी नहीं हूँ। ... (व्यवधान) न मैं कभी पाकिस्तानी था, न मैं कभी पाकिस्तानी बनूँगा। मेरी जान जाएगी, तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी। ... (व्यवधान) मगर रास्ता निकालना है। नार्थ कोरिया जो मिसाइल फेंक रहा है, ऐटम बम की तैयारियां कर रहा था, आज प्रेजीडेंट ऑफ अमेरिका उसे गले लगाता है। वह रास्ता निकालने की कोशिश करता है। पुतिन के साथ हेलसिंकी में मीटिंग थी। हमें भी यह उम्मीद थी। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे भी उम्मीद थी। वजीरे-आजम जिनको इतना बहुमत है, जो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर सके, वह ये कर सकेंगे। कांग्रेस ने अगर यह कदम उठाया होता, तो आप लोग कहते कि इटली ने यह सौदा हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ किया है। ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। मैं आपके सामने नहीं चिल्लाया, जब आप बोल रहे थे, मैं नहीं चिल्लाया। ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। ... (व्यवधान)

स्पीकर जी, यह उम्मीद थी, आज भी यह उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। ये नफरतें हिंदू और मुसलमान में फैल रही हैं। हमें रशिया नहीं मार सकता है, अमेरिका नहीं मार सकता है। हमें कोई मुल्क नहीं मारेगा। हम अपने मुल्क को खुद मारेंगे, जब हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे को गले नहीं लगाएंगे।

हमारे प्रधान मंत्री, मैं नहीं समझता हूँ कि वह सिर्फ आपके प्रधान मंत्री हैं, वे हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री हैं, जब तक वे उस कुर्सी पर बैठे हैं। वह लाल कि ले से कहते हैं कि हमें कश्मीर के दिलों को जीतना है। मैं आज उनसे यह अपील करता हूँ, इस हाउस में आप सबसे अपील करता हूँ कि नफरतों को छोड़ दीजिए। हम दुश्मन नहीं हैं। मगर हम जो देख रहे हैं, जिस हिंदुस्तान को देख रहे हैं, वहां हमारे युवाओं को डर लग रहा है कि उनका मुस्तकबिल वहां नहीं है। वहां हमारा मुस्तकबिल नहीं है। उस मुस्तकबिल को बनाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ।

21 00 hrs

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि आपका सालों-साल का बहुत अनुभव है। आपने बहुत कुछ किया भी है। फिर कभी इस विषय पर हम विस्तृत बात कर सकते हैं, आपसे भी कराएंगे, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मेहरबानी चाहता हूँ। इस हाऊस में कभी खामोशी नहीं थी। मैं मेडन स्पीच भी नहीं कर सका। आज मौका मिला है, मैं आपसे थोड़ा समय चाहता हूँ। मैं इस मुल्क के बारे में कहना चाहता हूँ। यह मेरा भी वतन है, आपका भी वतन है। इस वतन को आप एक ऐसा चमन बनाना चाहते हैं, जिसमें हम सभी इज्जत से रह सकें, मोहब्बत और प्यार से रह सकें। उस वतन को बनाने के लिए हमें इकट्ठा चलना है, आप अलग चल कर इस वतन को नहीं बना सकेंगे, न यह वतन बनेगा। हम नहीं भूल सकते कि कांग्रेस ने भी अपना योगदान दिया। इन्होंने भी थोड़े वक्त के लिए योगदान दिया। हमारे प्रधान मंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं, मगर नफरतों को बंद कीजिए। मैं कल श्रीनगर में था, बहुत बड़े रिटायर्ड ऑफिसर जो अस्सी वर्ष के थे, उनकी बेगम मेरे घर आईं और कहने लगी।

माननीय अध्यक्ष: हमने नौ बजे तक समय बढ़ाया था।

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam Speaker, the time of the House may kindly be extended till reply and voting is over.

माननीय अध्यक्ष: हम रिप्लाइ होने तक हाऊस का समय बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : अध्यक्ष महोदया, मुसलमान, हिन्दू, सिख और ईसाई, जो हिन्द में हैं वे सब बराबर है, इक्वल राइट रखते हैं और उन्हें जिन्दा रहने का हक है।

***श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला)** :भारत एक बहु-भाषीय, बहुधार्मिक, बहु-राष्ट्रीयीतों, बहु-नस्ली एवं बहु-संस्कृतियों वाला देश है। परन्तु पिछले 70 सालों से देश में सत्ता और आर्थिकता के केंद्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण के बीच संघर्ष चल रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का दर्जा संघीय है, इसमें अनेकता में एकता की बात की गई है। परन्तु यह एक तलख हकीकत है कि गत 70 वर्षों में केंद्र में सत्तासीन रहीं अलग-अलग सरकारों ने सदैव देश में अलग-अलग विभिन्नताओं को दबाने और उनका गला घोटने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपेरियन कानूनों और संविधान की धारा 262 का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करके, पंजाब के दरियाई पानियों को लूटा गया, पंजाब पुनर्गठन एक्ट की धारा 78,79 एवं 80 द्वारा पंजाब के अधिकारों का हनन किया गया, हमारी राजधानी चंडीगढ़ व पंजाबी पनबिजली प्रोजेक्टों का कंट्रोल हमसे छीना गया यह सब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। केंद्र-राज्य संबंध में अधिकारों का पलड़ा केंद्र की ओर इस कदर झुक गया है कि राज्यों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।

सारी कुदरती संपदा, सकल घरेलू उत्पाद और wealth generation राज्यों में है, परन्तु राजनैतिक सत्ता और आर्थिकता पर केंद्र का निरंकुश नियंत्रण जैसी स्थिति है। इन परिस्थितियों के चलते, कोई भी राज्य सरकारें अपने स्थानीय लोगों को कोई भी सुविधा देने में अपने-आप को असमर्थ पा रही हैं।

ऐसी हालत में केंद्र-राज्य सम्बन्धों और शक्तियों का पुनर्भाषित होना आज की आवश्यक जरूरत है। इसके बिना भारत सही मायनों में संघीय व लोकतांत्रिक देश नहीं बन सकता। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 'फैडरल भारत, लोकतांत्रिक समाज' का नारा उपर्युक्त दयनीय हालात को बदलने का एक ही रास्ता है।

* Speech was laid on the Table.

*** SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR):** This is the first no-confidence motion being brought against the NDA Government led by Shri Narendra Modi. The irony is that this motion is brought by one of the erstwhile partner of the NDA, the Telgu Desam Party. It is a known fact that our Party, the CPI has always supported the demand for a special package for Andhra Pradesh which is the main issue raised by the TDP for bringing this no-trust motion. So we support this motion.

When the Modi Government came to power in May 2014, our party had said that coming to power to the Modi regime was not just a democratic change. This Government represents the interests of the combination of Corporate and Finance Capital, the most reactionary rightist ideology and worst form of majoritarianism and communalism. It has a fascistic tendency. The past four years have proved our analysis true. This Government controlled by RSS is destroying all democratic norms, institutions and even the secular democratic constitution of the country.

It seems that the Narendra Modi Government has realized that it cannot wait for completing the full term. The main ruling party, the BJP has already started campaign for the next general election, which may be held at the end of this year itself. The basic theme of their campaign is to hasten the process of caste and communal polarization. The mob lynching has become the new weapon of RSS-BJP and its satellite organizations. In some places it is by

* Speech was laid on the Table.

cow vigilantes, in some other places, it is done branding the innocent people as child lifters based on the unfounded rumours. The muslim minority people are the victims in most of such cases.

The Dalits too are under attack. False cases are being forged against the emerging new leaders of the Dalits. Cases of rape and attacks on Dalit women have gone up considerably. Government is using the judiciary to create controversies on issues like implementation of laws against atrocities on SC-ST as well as issues like reservation for them in service promotion.

The country's economy is in shambles. This regime has been under the control of Corporate and international finance capital. Banking system is on the verge of bankruptcy. NPAs problem of the public sector banks is being resolved by making a huge hair-cut of 60 to 80 per cent of the defaulted loans owed by big industrialists. All economic indicators are declining. Rupees is crumbling. Inflation is sky high. People are crying under the burden of sky rocketing prices of all essential commodities and services.

The much repeated slogan of "Sabka saath, Sabka vikas" stands empty. The growth in agriculture sector remains at a mere 2.5 per cent per annum despite average rate of GDP growth at 7.2% during, the last four years of this Government. Farmers' crisis has escalated in the last four years of NDA rule. The Government was forced to increase the MSP of Kharif crops, but it was done not on the basis of Swaminathan Commission recommendations as promised by the Government. The cost of cultivation has sky rocketed with the

increase in the diesel and fertilizers. The Government's promise to double farmers' income is not going to be realized.

So, every section of the common people are becoming conscious of the dangers the country faces and are preparing for ouster of this regime in the next elections. Our Party, the CPI has declared that primary task is to defeat RSS-BJP to save the country and its people. With these words I conclude.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष जी, आज सुबह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। विपक्ष के एक नेता ने बहुत ही तथ्यहीन आरोप माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी पर लगाए। उन्होंने देश को न केवल भ्रमित करने का प्रयास किया, बल्कि छवि गिराने का प्रयास किया है। उन्होंने सदन के अंदर भी आरोप लगाए और सदन के बाहर भी जाकर उन्होंने कहा कि “I stand by what I said. Let them (France) deny if they want. Along with me Anand Sharma and ex-PM were also there: Congress President Rahul Gandhi on French President Macron denying any secrecy pact on Rafale deal.” यह बात केवल यहीं नहीं रुकी, केवल देश को गुमराह नहीं किया गया। जब यह बात फ्रांस तक पहुंची तो वहां पर भी एक पत्रकार ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से पूछा, सवाल क्या पूछा, उसकी मेरे पास फ्रेंस लैंग्वेज की ट्रांसलेटेड कॉपी है। प्रश्न है, The President of the Indian national Congress, Shri Rahul Gandhi declared in front of the Indian Parliament today: “I met the President of France. I asked him about the secrecy clause and he denied that any such clause exists in the agreement. He told me so and I don’t have any objection if you tell this to everyone in the country; the gentleman clearly said there is no secret pact between the French Government and the Indian Government. So, the Defence Minister has clearly spoken an ...* . What is your reaction? That was the question. उन्होंने उत्तर क्या दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा “We have noted the statement of Mr. Rahul Gandhi before the Indian Parliament. France and India concluded in 2008 a Security Agreement, which legally binds the two States to protect the classified information provided by the partner, that could impact security and operational capabilities of the

* Not recorded.

defence equipment of India or France. These provisions naturally apply to the IGA concluded on 23rd September 2016 on the acquisition of 36 Rafale aircraft and their weapons.”

The President of the French Republic indicated this publicly in an interview given to *India Today* on 9th March 2018. It is very important. He said : “In India & in France, when a deal is very sensitive, we cannot reveal all details.”. ... (*Interruptions*) इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी जी ने देश के सामने ...* बोला है, सदन को गुमराह किया है। इसके लिए वे देश से माफी मांगें।... (व्यवधान) सदन से माफी मांगें। ... (व्यवधान) उनको देश और सदन से माफी मांगनी पड़ेगी। ... (व्यवधान) आपने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने वापस कहा है।... (व्यवधान) आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी।... (व्यवधान) राहुल गांधी जी को यहां पर हाजिर करिए।... (व्यवधान) वे देश से माफी मांगें।... (व्यवधान) मैडम, राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी होगी।... (व्यवधान) ...* आरोप लगाएं हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात हो गई है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, nothing will go on record.

... (*Interruptions*) ...*

* Not recorded.

HON. SPEAKER: Hon. Member, kindly conclude now.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : रामदास अठावले जी, अगर आप एक मिनट में बोल सकते हैं तो बोलिए, अन्यथा हम लोग रिप्लाइ शुरू करते हैं। बाकी सभी लोग अपने भाषण पटल पर ले कर दीजिए, अब मैं कि सी को इजाजत नहीं दूंगी। एक-एक सदस्य की पार्टी है, आप लोग अपने भाषण सदन के पटल पर ले कर दीजिए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): अध्यक्ष महोदया, आज से बीस साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रामदास अठावले जी, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रामदास अठावले: आज राहुल गांधी जी ने बहुत डैशिंगली भाषण किया।

“आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला,
लेकिन नरेन्द्र मोदी जी के पास है कांग्रेस को हराने की कला।
कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 50, 51 या 55 साल,
तब उन्होंने कमाया है बहुत सा माला।
2014 में नरेन्द्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल,
इसलिए देश में हो रहा है विकास का धमाला।
कांग्रेस का आज देश में ठीक नहीं है हाल,
इसलिए नरेन्द्र मोदी जी जीतेंगे 2019 का साला।”

अभी अपने मैच का रिजल्ट आने वाला है। आज राहुल गांधी जी ने ट्वेंटी-20 मैच में अच्छे रन निकाले हैं। लेकिन अभी नरेन्द्र मोदी जी की बारी है। नरेन्द्र मोदी जी हमारी टीम के कैप्टन हैं। हमारी टीम के विराट कोहली हैं। नरेन्द्र मोदी जी विराट कोहली हैं। मैं भी एक प्लेयर हूँ। राजनाथ सिंह जी भी टीम के एक मेंबर हैं। अन्य बहुत सारे लोग हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। अब आप बैठिए।

श्री रामदास अठावले: आप लोग भी मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों के विरोध में कुछ बोल रहा हूँ...(व्यवधान) मैं यहां क्रिकेट का मैच खेल रहा हूँ। यह क्रिकेट मैच है...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, why are you allowing this? ... (*Interruptions*) He is not making his speech on the No-Confidence Motion. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : रामदास अठावले जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री रामदास अठावले: अभी आपने रन निकाले हैं, अभी उससे डबल रन निकालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और मोदी साहब डबल रन निकालेंगे। मैं उनके बाजू में खड़ा हूँ। जितने रन कम हो जाएंगे, उतने रन निकालने की कोशिश हम भी करेंगे।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है। बीजेपी दलित विरोधी नहीं है, कांग्रेस भी दलित विरोधी नहीं है। एक-दूसरे पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। दलितों, माइनॉरिटीज और सभी समाज के भले के लिए हमें काम करना है।...(व्यवधान) राहुल गांधी जी से निवेदन है कि इस सरकार में हमें साथ देना चाहिए। ...(व्यवधान)

* SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA) : Telugu Desam Party introduced Motion of No Confidence, as this Government lost it's credibility and peoples' trust due to it's failure to fulfill the promises made to the people of Andhra Pradesh on the floor of the House.

Our fight is for righteousness. Had it been for selfish motives through unethical means, we couldn't garner support of so many national leaders and these many parties wouldn't respond positively to our motion. The support, our party got for this motion in shortest time is a reflection of national leaders' belief in sincerity and commitment of Telugu Desam party. On same issue, opposition party in our state also gave notice, but the way Telugu Desam Party was supported at national level in single day shows our party's credibility. Congress, Trinamool Congress, Communist parties, RJD, Samajwadi Party, Majlis, AIUDF and other parties supported our motion. Telugu Desam Party is concerned about matters of only state and national interests. As our Party does not compromise on principles, it got so much support in short notice. I heartily thank all the party leaders who supported this motion and showed that they are with us in our struggle for justice for the people of Andhra and Telugu community.

50 members support is mandatory to admit Motion of No Confidence. It is unfortunate that even when we had more than 50 members support, it took these many days to allow discussion on this motion. People of this country

* English translation of the speech originally laid on the Table in Telugu.

watched the reasons for the delay and such incidents are harmful for democracy. Till now, three Prime Ministers lost power due to passage of Motion of No Confidence. Shri V P Singh in 1990, Shri H D Deve Gowda in 1997 and Shri A B Vajpayee in 1999 lost power due to passage of Motion of No Confidence. First ever Motion of No Confidence was introduced by Acharya J B Kripalani of Socialist Party in August 1963 against Pt Jawahar Lal Nehru. This is the first such motion after NDA came to power in 2014. Congress Governments faced 23 Motions of No Confidence in total. Smt Indira Gandhi 15 times, Shri Lal Bahadur Shastri and Shri P V Narasimha Rao 3 times each, Shri Morarji Desai twice and Shri Jawahar Lal Nehru and Shri Rajiv Gandhi one each, faced Motion of No Confidence. It's more than four years after bifurcation of our state and now our state has grown from infant to walking toddler. People are high command for Telugu Desam Party; we don't have our high command in Delhi. Anything can happen to political parties, there could be fears and selfish motives. When a Chief Minister of a state chose to fight against central Government for the rights of people of his state by protesting strongly against injustice that has been meted out to our state; opposition parties are indulging in weakening tactics instead of strengthening our struggle. I question the intent of those parties. People are observing their actions, where they are working for their own selfish motives by ignoring interests of people of Andhra Pradesh. If anyone thinks they are intelligent, people are more intelligent. People know when to take right decisions. They

took an intelligent decision in 2014 and in 2019 also they will take right decision. If you think people do not observe anything, it's your illusion.

Our Chief Minister visited Delhi 29 times in last four years. Our CM visited Delhi these many times for the implementation of Re-organisation act and central Government's assurances. It was not our weakness, we followed principle of alliance, but there was no response from central Government. We agreed for special package because we were told that special package will be equivalent to special status, but even that was not implemented. They said that 14th Finance commission did not recommend special category status to any State. But Chairman and members of Finance Commission denied making such recommendations. Same was verified by Minister of State for Finance in the Parliament. Similarly, in April 2017 it was stated that after implementation of GST no state will be given special status. But post April 2017, States which were getting privileges under special category are still getting those privileges. We had hope for justice in this year's budget, but it was in vain. Now we are convinced that central Government is not prepared to fulfill its promises to the people of Andhra Pradesh therefore we are compelled to resort to protests and agitations.

Special Category Status was promised by Prime Minister to the people of Andhra Pradesh. Why that promise is not being fulfilled? Why Andhra Pradesh will not be accorded with Special Category status? We are not fighting as a political party but as a Government. This is a fight for self respect of Telugu people. This is struggle for righteousness and not something unethical

or unjust. We are fighting for implementation of assurances made by the Prime Minister before the Parliament. Why there should be politics in helping people of Andhra Pradesh who lost in bifurcation of the state. BJP leaders demanded ten years of special status for Andhra Pradesh but when they came to power they are not even ready to accord special category status for even five years. What happened to those demands? People of Andhra Pradesh are not ready to be cheated again and again.

There was an announcement of Special Package for 7 backward districts; people of AP know the fate of that announcement. Two years back, Bundelkhand was given Rs 6,000 crores and now Rs 20,000 crores has been announced. When we asked for Rs 13,000 crores for backward districts of northern Andhra Pradesh and Rayalseema, only Rs 1,050 crores were given, out of which Rs 350 crores has been taken back. Why People of AP are being mistreated? Do you think we have any magic wand to develop our state overnight? It is not fair to mistreat People of AP in this manner. It would be a misadventure to get closer to those, who are entangled in legal cases and make them dance to your tunes to attack us. I would like to make it clear that any attempt to weaken us will be countered effectively and we will emerge stronger. What's wrong in demanding implementation of reorganization act? We waited for four years and how long will we have to wait? It's not just about Special Category Status but there are other assurances mentioned in AP reorganization Act.

There were 18 points in AP Reorganisation Act 2014. Though there was no mention of special category status in the Act, former Prime Minister assured Special Category Status to AP in the Parliament. Revenue deficit, Polavaram Project, Separate Railway Zone, Greefield Crude oil refinery, Petro chemicals complex, Central assistance for building new capital Amaravati, funds for national institutes, Port construction at Duggarajapuram in Nellore, inverting number of Assembly seats in AP, tax related issues, Steel factory in Kadapa, Vizag-Chennai industrial Corridor, Metro rail in Vijayawada and Vishakhapatnam, Rapid Rail and road connectivity to Amaravati, financial assistance to backward districts, addressing issues in Schedule 9 and 10, setting up of Grey hound center are some of the 18 points that were included in the act. We are aware of what are being implemented and what are not being implemented. I will refer to them briefly.

we are discussing on revenue deficit, but at the time of bifurcation it was said that centre will supplement revenue deficit. Revenue deficit in the state was Rs 16,072 crores; Central Government released Rs 2,303 crores during 2014-15, we are in 2018 now. In 2015-16, Rs 500 crores were released, in 2016-17, Rs 1,176 crores were released, so in total Rs 3,979 crores were given to AP. We asked central Government for Rs 16,072 crores, out of which Rs 11,960 crores were deferred by citing different reasons. Which means we are supposed to get 4,117 crores out of which Rs 3,979 crores were given over three years, so now we are left with only Rs 138 crores. As gentlemen, they promised to provide assistance of Rs 7,500 crores but now they have one

argument for Rs 135 Crores and another for Rs 1500 crores. Central Government is not taking into consideration even the calculations made by C&AG.

Then Prime Minister Shri Manmohan Singh discussed about Polavaram Project in his last cabinet meeting, in which it was decided that Polavaram Project would be considered as National Project and all the expenditure will be borne by the Central Government. In 2013, as part of Project state Government brought R&R and land acquisition which escalated the cost of the project. At that point of time, Central Government assured that it will bear the burden. After this Government came to power, our CM represented before Prime Minister about this issue which was further referred to NITI Aayog. NITI Aayog made a comprehensive study about the project and suggested that to expedite the works of the project it is desirable that the works be executed by the state Government. After cabinet's approval it was decided that the State Government would execute the Project works. At that time it was said that as Rs 5,349 crores were spent for the project by the state Government before it was declared a National Project therefore let that amount be the share of state Government and remaining expenditure which is Rs 5,135 crores would be spent by the centre. This government also made another condition that expenditure would be met at 2014 estimates.

Center released Rs 5,349 Crores only and the amount of Rs 2,568 crores that was spent by state Government should be reimbursed by the Central Government. There are allegations that we are not submitting

Utilisation Certificates, It's not proper to allege like that when we are submitting UCs as per the format. We have Polavaram Authority PPA, to which we submit all necessary documents, which will be forwarded to central Government and our expenditures will be reimbursed. We all are aware that there are hurdles and difficulties in Polavaram Project. It is lifeline of Andhra Pradesh and we should complete this Project at any cost. We were hopeful of completing this project in 2018 but due to some reasons it is getting postponed. As per DPR-1 Rs 16,000 crores were spent and as per DPR-2 Rs 58,000 crores were spent, out of which Rs 4,000 crores would be spent on power project and remaining Rs 54,000 crores would be spent on this project. Earlier Rs 2,900 crores were meant for R&R nad land acquisition which has gone up to Rs 32,000 crores. This is not state act; this act was brought by Central Government. If we delay further rehabilitation and land acquisition cost will increase further. Therefore, Central Government should expedite the works and complete this project, which is lifeline of Andhra Pradesh.

There is mention of Railway zone in AP reorganization Act. As Andhra Pradesh does not have a railway zone, we are asking for one. There were committees after committees on Railway zone for Vishakhapatnam but till date it could not be fructified. There are four railway divisions in Vishakhapatnam, Vijayawada, Guntur and Guntakal, but still Railway zone could not be created.

There should be 11 educational institutes in our state at the cost of Rs 11,637 Crores, but only Rs 420 crores were released for this purpose. Its four years and four budgets. For land, state Government spent Rs 2,911 crores.

We feel sad looking at the progress and allocations made to these institutions. Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Tirupati was set up four years ago and first batch of students will be graduated soon, but the institute is still running in rented accommodation and is yet to have its own building. Even after five years if this institution do not have own buildings, by when we can expect these buildings to be available? Out of Rs 1,613 crores, IISER got only Rs 74 crores. For IIT Tirupati Rs 100 crores, for NIT Tadepalligudem Rs 60 crores were released. Still Rs 420 crores is pending. For IIM Vishakhapatnam Rs 45 crores were given out of Rs 692 crores. There were assurances to set up Central University and Agricultural University but when Rs 504 crores was the estimate, the responsibility was transferred to the state by giving only Rs 135 crores. For IIPV Vishakhapatnam, Rs 53 crores was released against Rs 605 crores. For Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing (IIITDM), Kurnool Rs 23 crores were released against Rs 400 crores. For AIIMS we gave Rs 1,618 crores and 180 acres of land. Cost of that land itself is Rs 1,800 crores. Till now no funds were made available by the central Government. Tribal University and Central University Bills are yet to be passed. On the other hand National Institute of Disaster Management (NIDM) in Vijayawada requires Rs 70 crores, but funds are yet to be released here as well whereas we provided 10 acres of land. Private institutes like VIT and SRM started classes in their institutes within six months of allocating land to them, but the central Government is yet to start

work in the lands provided to it. It is the responsibility of Central Government to complete these works at the earliest.

There is clear mention of Dugarajapatnam Port in the Act, but now we are being told that port will be provided somewhere else. There is no information for these many days about quantum of assistance or places where such help will be provided and now they are offering something else as assistance. There was an assurance to increase Assembly seats of AP to 207 from 175. This is yet to see the light of the day. Kadapa steel plant is viable and is a commercial venture, why the Government is not initiating the process? Why can't they set up steel company under PSU? If they set up steel plant as PSU there won't be any litigation. If required we can get iron ore from neighbouring states. In the name of DPRs and expert committees there were five reports but still work has not started. There is land, water and electricity. All permissions will be given in 21 days. What else you want? Why can't you set up Steel plant in Kadapa as per the AP reorganization Act?

Telugu people are emotional, soft hearted and hard working. They know what Injustice is. One should not play with the sentiments of such people. If elders in central Government think that AP is weak after bifurcation with less number of MPs, then, they are grossly mistaken. Similar mistake was committed by Congress party when they were in power. NTR is son of Andhra who mobilized and united anti congress parties. Though those parties were different in principles and beliefs, NTR united them. NTR was Chairman of National Front and VP Singh was Prime Minister, that's the power of son of

Andhra. In 1985, TDP was the principal opposition party and BJP should not forget that they had just two seats at that time. Though there is no NTR now, we have Chandra Babu Naidu who is following the footsteps of NTR. If NTR gave Telugu people self-respect, Chandra Babu Naidu gave us self confidence. I would like to warn elders in Central Government, not to underestimate or demean people of Andhra. Telugu Desam party is ever ready to fight on behalf of people without any compromise.

BJP leaders should remember one point, that people won't let you function in a whimsical manner. People are not that ignorant or innocent, they can give you befitting reply. You already tasted that experience by losing three Parliamentary seats in UP and Bihar. The unstoppable success streak you had in Hindi belts of North Indian states in 2014 is now in shambles. Whole country witnessed your struggle to retain power in Gujarat and you somehow managed to win in Gujarat. Open your eyes and fulfill alliance dharma, only then other allies will remain with you. As you did not follow alliance dharma, Shiv Sena and TDP walked out of alliance. See the reality and retain your allies, otherwise BJP will be left alone. People should not think of BJP free India instead of Congress free India and I request elders of BJP not to push their party into such circumstances.

We have a matured democracy which has made arrogant leaders kneel down, who thought that they can never be defeated. This can be understood from the recent fact when, Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath could not retain Gorakhpur constituency which he represented for five times.

As central leaders did not realize the ground reality, this has happened. There were bye elections to 19 Lok Sabha Constituencies since 2014, 12 seats were retained by the earlier parties but BJP lost 6 out of remaining 7 seats. These are advance warnings to your working style. Open your eyes and see the reality. It will be good for you and the nation if you wake up before people think of and implement BJP free India. In Telugu there is one good idiom which says that the person who is suffering from jaundice finds whole world green. I don't say that BJP is affected by Jaundice but I would advise them to take out green glasses and see the reality. I request leaders at centre to take out green glasses and look at Andhra Pradesh. People of Andhra will not tolerate politics that you do in Tamilnadu. You should not under estimate Andhra Pradesh as it's number of MPs are less now. People of Andhra Pradesh are not only hard working but also they are courageous and can revolt if required. Son of Andhra, Sri Potti Sriramulu followed path of Mahatma Gandhi and achieved statehood on linguistic basis to Andhra Pradesh. Similarly, courageous Tanguturi Prakasham pantulu who stood against guns of Britishers, was also from Andhra Pradesh. Alluri Seeta rama raju, Kanneganti Hanumanthu and others lost their lives in their struggle for independence against Britishers. In this context, I would like to mention that Andhra Pradesh is mother of soft people like Potti Sri Ramulu and brave people like Tanguturi Prakasham pantulu, Alluri Seeta Rama raju, Kanneganti Hanumanthu and you cannot make them dance to your tunes. When there is a problem we can solve it peacefully and if required we can solve the problem with courage like Subhash

Chandra Bose. Andhrites are spread over Amalapuram to America, don't under estimate them.

Prime Minister assured us of a capital city better than Delhi, but only Rs 1,500 crores were given and an additional grant of Rs 1000 crores were provided for Guntur and Vijayawada urban development. We were told that there are no DPRs but we provided DPRs for Rs 43,000 Crores. Now you say you don't have funds. Rs 1600 crores were released to construct a convention center in Ahmedabad of Gujarat. If Rs 1600 Crores are required to construct one convention center, how much is required to construct a capital city? Are Rs 1500 crores sufficient? One principle for Gujarat, another for AP. Funds announced for Vijayawada and Vishakhapatnam Metro are yet to be released, but Rs 15,000 crores were released for Bengaluru Metro. One Lakh crores were provided for Ahmedabad bullet train. From where do they get funds for these projects? Central Government sanctioned many projects in other states. Rs 10,573 crores were made available for Ahmedabad Metro Project, on the other hand Rs 12,600 crores were sanctioned for six highways. Rs 1800 crores were given for Jagadapur-Koraput railway line. Central funds were given for Chennai Metro, Lucknow Metro, Mumabai Metro and Bengaluru Metro, then why funds cannot be sanctioned for Andhra Pradesh?

Central Government should remember that whatever funds that were given to AP were taxes collected from people of Andhra Pradesh. To be precise, Central Government is having money of Andhra Pradesh. Why the money paid as taxes by Andhra Pradesh cannot be used for the development

of Andhra Pradesh? We are not asking for alms. We are asking for our legitimate share. We are seeking help in distress. I request you, not to give step motherly treatment to southern states. We want to be treated at par with Northern States. Our demands are legitimate and we are extremely disappointed with the central Government for their failure to fulfill their promises. As central Government failed to implement our legitimate demands, I conclude by requesting everyone to support Motion of No Confidence introduced by our Party and protect the rights of people of Andhra Pradesh.

I am also laying in details the various assurances given to us.

The APR Act 2014 (Act 6 of 2014) was notified on the 1st of March, 2014. 2nd June, 2014 was notified as the Appointed Day, the day on which the state of Andhra Pradesh was bifurcated into the state of Telangana and the state of Andhra Pradesh.

Lack of adequate and serious consultations with key stake holders, absence of consensus amongst key political parties, lack of transparency haphazard mode of drafting the bill characterized the process of bifurcation. Despite series of agitations from the people, scant regard was shown to their feelings/aspirations and this had causes serious disenchantment amongst people of Andhra Pradesh.

The inconsistencies in the Reorganization act and the actions of the Government of India causing injustice to the state of Andhra Pradesh are given below :

46% of the estimated revenue was given to Andhra Pradesh against a population of 58%, which has been confirmed by the 14th Finance Commission.

Assets are given on location basis (most of which were located and thus left behind in Hyderabad), whereas liabilities are divided on population basis.

The pension liability of the combined state is also divided on population basis.

The power allocation was done on consumption basis.

The refund of taxes, a liability, was allocated on population ratio, whereas deferred tax collections, which is an asset, is given on location basis (being treated as the location of the Head Office which are mostly in Hyderabad). This alone has caused a huge loss of about Rs. 3,800 crores to the state of Andhra Pradesh. This anomaly was not addressed despite several requests to Home and Finance Ministries.

The State of Andhra Pradesh lost its capital city, institutions manufacturing centers and service sector hubs while inheriting the drought prone and cyclone prone areas.

The new state of Andhra Pradesh is predominantly agrarian. The contribution of the Agriculture sector which was 23% in the combined state during 2013-14, is 34% during 2017-18 for the new state of Andhra Pradesh, pointing towards the loss of manufacturing and service sector areas due to

unscientific bifurcation. The Service sector which generates higher tax revenue and higher per capita income, contributes about 44% to the economy of Andhra Pradesh, which is considerably lower compared to other southern states viz., Telangana (63%), Tamil Nadu (57%), Karnataka (64%) and Kerala (64%) and all India average of 53%.

Broad sector-wise GVA/GSDP/GDP estimates of southern states all India at current prices and its contribution (Rs. In crores)

Sl. No	Industry	2016-17 (AE)				
		AP	TG	TN	Kar	All India(Lakh Cr.)
1	Agriculture	203860	92162	137080	117132	23.82
	% of contributions	31.77	15.34	11.39	11.68	17.32
2	Industry	142651	132742	381732	237518	39.90
	% of contributions	22.23	22.10	31.72	23.68	29.02
3	Services	295186	375762	684444	648256	73.79
	% of contributions	46.00	62.56	56.88	64.64	53.66
	GVA	641697	600666	1203256	1002906	137.51
	GSDP/GDP	699307	646265	1298511	1132690	151.84

The per capita income of the combined state of Andhra Pradesh was Rs. 89,214 for the year 2013-14. The per capita income of remaining 13 districts of Andhra Pradesh for the same year stood at Rs. 82,870 whereas it was Rs. 1,12,162 for the state of Telangana, highlighting the loss of higher income

generating areas to Telangana. Despite the highest average economic growth in the country during last four years, Andhra Pradesh with a per capita income of Rs. 1.42 lakh continues to lag behind the other Southern Indian states which have crossed the mark of Rs. 1.74 lakh per capita income, amounting to a huge debilitating gap of around Rs. 32,000+per person in Andhra Pradesh.

PER CAPITA INCOME IN SOUTHERN STATES

STATES	PER CAPITA INCOME (In Rupees)							
	2013-14	Gr. Rate(%)	2014-15	Gr. Rate(%)	2015-2016	Gr. Rate(%)	2016-17	Gr. Rate(%)
A.P. (Combined) (2004-05 base)	89214	12.99	-	-	-	-	-	-
Andhra Pradesh	82870	10.96	93699	13.07	108163	15.44	122376	13.14
Telangana	112162	11.24	124058	12.02	137955	9.63	155612	12.80
Tamil Nadu	116583	11.00	130197	11.68	137837	5.87	153263	11.19
Karnataka	119023	17.01	132880	11.64	142906	7.55	157474	10.19
Kerala	123388	11.85	139195	12.81	147190	5.74	NA	NA
All India	79146	11.46	86513	9.31	94130	8.80	103219	9.66

Special Category Status (SCS) : UPA Cabinet passed resolution for SCS in March 2014 and forwarded it to Planning Commission, which asked National Development Council (NDC) to take decision.

Citing constraints of 14th Finance Commission's recommendations, Finance Minister Arun Jaitley announced SAM (Special Assistance Measure). Stating that all ingredients of SCS including industrial incentives would be made available with SAM. It was informed to the State Govt. that after introduction of GST, the Assistance & Incentives offered to SCS States would lapse. Government of Andhra Pradesh expected that SAM would be implemented in letter and spirit

by Government of India at par with other Special Category States (N.E. and Hill States)

However, Government of India has extended Central Assistance measures & Incentives to SCS States In Aug'17 . A new industrial incentive package has been given to NE States in Mar'18.

Union Cabinet approved to grant SAM to Andhra Pradesh in Mar'17 to provide Legal sanctity. But failed to issue any detailed Orders to implement it in letter and spirit as assured.

Initially, for providing SAM, the EAP mechanism was suggested by Government of India. But, no Orders were issued. Andhra Pradesh Govt. requested to at least provide SAM through NABARD/HUDCO/Banks. But Government of India proposed formation of Special Purpose Vehicle (SPV) and has put the burden of borrowing on the FRBM(Fiscal Responsibility and Budgetary Management) limits of the State. Further, no written communication was issued till date clarifying this issue.

For providing Central Assistance to SCS States, formation, of SPV was never sought, where as in the case of Andhra Pradesh, SPV is being insisted upon which again is an example of insincerity and indifference.

Regarding Special Category Status/Special Assistance Measure during the discussion on the AP re-organization bill, the then Prime Minister in the Rajya Sabha on 20, February 2014 assured that "For the purpose of central

assistance, Special Category Status will be extended to the successor State of Andhra Pradesh for a period of five years. This will put the States finances on a firmer footing." Accordingly, the Union Cabinet at its meeting held on March 1, 2014 had decided to accord special category status to the Successor State of Andhra Pradesh for a period of five years. The Government of India have not issued the orders so far to assign Special Category Status to Andhra Pradesh. State Government made request several times to issue the orders in this regard. Hon'ble Chief Minister also addressed the Prime Minister in this regard.

Due to constant persuasion of the Hon'ble Chief Minister, Government of India announced a special package, on 8th September, 2016 and on their commitment to provide assistance to Andhra Pradesh. It is mentioned regarding the special status as below:

"The statement of the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh on 20-2-2014 contains six paragraphs. There are no issues with regard to five out of six paragraphs. With regard to first point i.e. the grant of special status, an apparent conflict has set in, between the statement and the recommendations of the Fourteenth Finance Commission which came subsequently. On page 17 (para 2.29 & 2.30 of the report, the Commission has stated (inter alia)"

" We did not make a distinction between special and general category states in determining our norms and recommendations. In our assessment of State resources, we have taken into account the disabilities arising from constraints unique to each State to arrive at the expenditure requirements. In this regard, we have observed that the North-eastern and hill States have several

unique features that have a bearing on their fiscal resources and expenditure needs, such as low level of economic activity, remoteness and international borders. Our objective has been to fill the resource gaps of each State to the extent possible through tax devolution. However, we have provided post-devolution revenue deficit grants for States where devolution alone could not cover the assessed gap...."

"We are of the view that intra-state inequality is within the policy jurisdiction of the States and provisioning of adequate resources through tax devolution should enable them to address intra-state inequalities in an effective manner"

Thus following the recommendations of the 14th Finance Commission, the class of special category states ceases to exist. However, the Central Government has announced a special assistance measure for Government of Andhra Pradesh for five years, which would make up for the additional Central share the State might have received during these years, i.e. 2015-16 to 2019-20, if the funding of CSS would have been shared at the ratio of 90:10 between the Centre and State. The special assistance will be provided by way of repayment of loan and interest for the Externally Aided Projects (EAP) signed and disbursed during 2015-16 to 2019-20 by the State.

The Government of India approved the above special Assistance measures in the Union Cabinet meeting held on 15-03-2017.

It is pertinent to note that even though it is noted that 14th Finance Commission have not made any distinction between Special Category and General States, Central Government is continuing to give funds in

the ratio of 90:10 under CSS and EAP like previous practice to the Special Category States.

As per the above package, State Government computed the amount that State might have received in the ratio of 90:10 under CSS and arrived at Rs.2,951 crores in 2015-16 and Rs.2,992 crores in 2016-17. Government of India computed it as Rs.2,516 crores for 2015-16 by deducting the Central Sector Schemes and other schemes for which sharing pattern is same for Special Status and other States. Based on these lines, the amount for 2016-17 is computed, which comes to Rs.2,854 crores. Thus, there is a growth of 13.43%. Assuming the same growth, this amount comes to Rs.3,238 crores in 2017-18, Rs.3,673 crores in 2018-19, Rs.4,166 crores in 2019-20. Thus, it is tentatively arrived at RS.16,447 crores for 5 years i.e. 2015-16 to 2019-20. We presumed that this amount would come under EAP as grant from Government of India and a provision of Rs.3,500 crore was made in the Budget 2017-18. We also presumed this would not form part of FRBM limits.

Apart from this, the Special Category States are eligible for grants under CSS as well as Externally Aided Projects at 90:10 ratio. However, the announcement of Special Package to our State did not mention EAP. Hence, it is requested that special assistance at 90:10 ratio for Externally Aided Projects as being given to Special Category States may also be awarded to the State of Andhra Pradesh for all the ongoing projects and projects signed from 2015-16 to 2019-20.

As the State Government may not be eligible to spend this amount on EAP projects in the stipulated 5 years, we requested the Government of India to permit the State Government to provide Special Assistance at 90:10 ratio for externally aided projects as well as CSS(Central Sponsored Schemes), as being given to Special Category States which tentatively comes to about Rs.20,010 crores as assistance from Government of India.

Permit the State Government to clear other outstanding loans towards EAPs, Small Savings and NABARD. Borrow from internal lender like NABARD, HUDCO and other Commercial Banks. Use the gap to pay interest commitments to Government of India, NABARD and EAPs. Not to make the Special Assistance as a part of State's FRBM Limit. Government of India in response to our letter dated 3-6-2017 of the above proposals, it is intimated on 10-7-2017 that the special assistance measures will be given to the State by way of repayment of loans and interest under EAP signed and disbursed during 2015-16 to 2019-20. The EAP loans will be given to the State in the present procedure only i.e. within the FRBM limits. It is also stated that the special Assistance will not be given for other purposes such as repayment of loans.

Hon'ble Chief Minister addressed the Union Finance Minister on 27-7-2017 and 25-9-2017 to reconsider the issue and special assistance measures should be given to repay the loans etc as indicated. Since the clearance of DEA and external agencies may take time and grounding the same. Therefore it is suggested, that the special dispensation amount as

arrived above (Rs. 16,447 crore), may be provided to the Andhra Pradesh for the specified projects from the NABARD instead of EAP loans. This will facilitate the State government for early commencement of the projects and to avail the special assistance measures announced to our State.

But since the Union Government failed to honour its commitment and Special Category Status is extended to North Eastern States in March 2018, we reiterate our demand to extend SCS to AP also on a par with other SCS State.

Polavaram Project :The Polavaram Irrigation Project, on river Godavari, is a lifeline for the State of Andhra Pradesh and recognizing this the Government of India has declared it as a National Project (NP) under section 90 of Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014. The Government of Andhra Pradesh has been diligently pursuing completion of the project and about 57% of the total work has been completed with an expenditure of Rs. 14,141.80 Crores upto the end of June 2018.

After declaration of the project as a National Project, an amount of Rs. 9005.93 Crores has been spent upto the end of June, 2018 from State Government funds. Of this, Rs. 6727.26 Crores only has been reimbursed till date leaving a balance of Rs. 2278.67 Crores to be reimbursed.

Para 5.3 of the Cabinet note dated 29.04.2014 reads as follows about the financing of the project: "5.3 The existing guidelines of AIBP envisage execution of the project. As such with a view to expeditiously complete the project, by the state Government, whereas in the instant case, the Central

Government is mandated to execute the project. As such with a view to expeditiously complete the project it is requested that a dispensation may kindly be considered to include the expenditure that has already been incurred on the project by the State Government as the state's share. In relaxation of AIBP and National Project guidelines, it is proposed that all further expenses on Polavaram Project and that of the Authority may be borne by the Central Government out of grants-in-aid under the scheme for the National Project. The previously approved estimate cost is Rs. 16010.45 Crores at 2010-11 price level, which is likely to increase considering time and cost over-runs including in Command area development works and increased compensation due to project affected families under the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)"

On 01.05.2014 the Union Cabinet had approved that all further expenses on Polavaram Project would be borne out of grants-in-aid under the scheme for the National Project a special dispensation. Subsequently, on 08.09.2016 the Union Finance Minister announced that Central funding would be provided for the remaining cost of Irrigation component of Polavaram Project assessed as on 01.04.2014. Accordingly, the Revised Cost Estimate (RCE) of the project for the balance quantities as on 01.04.2014 (i.e. 2013-14 price level) has been furnished for Rs. 57,940.86 Crores to CWC on 16.08.2017. Replies to all the observations of CWC have also been furnished by the project authorities.

At present, the expenditure incurred on the project by the State is being reimbursed within the originally approved Cost Estimate (i.e. 2010-11 price level) of Rs. 16010.45 Crores pending approval of RCE (2013-14). The balance Irrigation component provision available for reimbursement is Rs. 431.27 Crores though the amount due for reimbursement is Rs. 2278.67 Crores.

All the steps required for timely completion of works, have been taken by the Government of Andhra Pradesh for improving the progress of Head Works. The land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement (LA&RR) works are also progressing in parallel to the construction of Polavaram Project so as to derive timely benefits of the Project.

Hence, in order to aid early completion of the project it is essential that Government of India (i) direct the concerned authorities to expedite the approval of the Revised Cost Estimate of the project. (ii) ensure timely release of funds in advance to the State Government to ensure speedy execution. As on date Rs. 2278.67 Crores is pending reimbursement from Government of India.

Revenue Deficit : The resource gap that may arise in the successor state of Andhra Pradesh in the very first year, especially during the period between the appointed day and the acceptance of the 14th Finance Commission recommendations by the Government of India, will be compensated in the Regular Union Budget for 2014-15.

As against a Revenue Deficit of Rs. 16,078.76 Cr. Certified by a Constitutionally inundated body, the CAG, the Government of India has irrationally arrived at a figure of Rs. 4,117.89 Cr. Using an unheard terminology called "Standard Expenditure". Part of this money is yet to be given even after 4 years.

In the Process of trying to bring down the Revenue Deficit figures, Government of India calculated the Social Security Pension amount for only one month, instead of 10 months (June 2014 to March 2015)

Government of India has to release the entire balance revenue deficit, as certified by CAG. The resource gap in the successor State of Andhra Pradesh from 1st year, especially during the period between appointed day and the acceptance of the 14th Finance Commission recommendations by the Government of India has to be compensated in the regular union budget for the year 2014-15. AG certified Revenue deficit of Rs. 16078.76 crores. Gol so far released Rs. 3,979.50 crores. Gol indicated that entitlement of State Government is Rs. 4117.89 crores only and indicated that balance Rs. 138.39 crores only would be released. A.P. Chief Minister requested Hon'ble Prime Minister to release the entire balance amount of revenue deficit as certified by CAG/Accountant General.

Capital Amaravati: Government of India shall provide special financial support for the creation of essential facilities in the new Capital of the Successor State of Andhra Pradesh including the Raj Bhawan, High Court, Government Secretariat, Legislative Assembly, Legislative Council and such

other essential infrastructure. Shri Narendra Modi Ji assured a new Capital better than Delhi. Rs. 1500 crores only has been released towards the Capital City while Rs. 1000 crores released for improving the underground drainage in Vijayawada and Guntur towns is projected as released for Capital City. Government of Andhra Pradesh have submitted a detailed Project Report for Rs. 39,937 crores for creation of essential facilities in the new Capital and essential infrastructure. Gol Should fund for Capital City based on the DPR.

Government of India support is totally inadequate and not in line with the promise made by the present PM and with the provisions of the Act. Rs. 1,500 crores only was released towards Infrastructure of Capital City. Rs. 1,000 crores released for improving the underground drainage in Vijayawada and Guntur towns is projected as released for Capital City promised to release Rs. 1,000 crore in the coming years. Request for complete funding towards development of Capital City as per DPR. NITI Aayog has recommended for release of Rs. 666 crores on 4.5.2018. The same has not been released so far. Under a unique 'Land Pooling Scheme' devised by Government of Andhra Pradesh farmers handed over 33,000 acres of land valued at more than Rs. 50,000 crores for the construction of Greenfield capital 'Amaravati'. Rs. 1,500 Crore only was released towards Infrastructure of Capital City. Rs. 1,000 crore released for improving the UGD Vijayawada & Guntur towns is projected as release for Capital City. Government of India promised to release Rs. 1,000 crore in the coming years. All UCs (Utilisation Certificates) have been submitted and NITI Aayog approved them. Demand Government of India for

complete funding towards development of Capital City as promised by the prime minister in various meetings in Nellore, Tirupati and during the foundation laying ceremony of capital city Amaravati in 2015.

Development of Backward Districts : The Bill provides for a special development package for the backward regions of the successor state of Andhra Pradesh, in particular for the districts of Rayalaseema and North Coastal Andhra Pradesh. This development package will be on the lines of K-B-K (Koraput-Bolangir-Kalahandi) Special Plan in Odisha and the Budelhand special package in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Special development package that was submitted to the then Planning Commission, i.e: Rs. 24,350 Cr shall be sanctioned. As desired by the Planning Commission, the Government of India Andhra Pradesh submitted a proposal on 16.10.2014 to Government of India for a special development package of 7 backward districts for an amount of Rs. 24,350 Cr. But, only Rs. 1,050 Cr. Released. Under Bundelkhand Package, per head allocation of Rs. 4,115 has been done. Whereas, for AP, per head, Rs. 428.57 only was given.

Government of India released Rs. 350 crore on 09.02.2018 and in an unprecedented manner, took back the same on 15.02.2018 reportedly on the instructions of PMO. Hon'ble Chief Minister requested the Hon'ble Prime Minister on 23.06.2014 and 24.08.2014 to release the funds under SDP during 2014-15.

Chief Secretary to Government on 06.09.2014 and 16.10.2014 requested the Planning Commission to sanction the Special Development

Package (SDP) proposal. A meeting was held by the advisor (SP_Andhra Pradesh), Planning Commission with the officials of State Government on 02.12.2014 at New Delhi to discuss SDP proposal. As desired by the Planning Commission in the above meeting, the Government of Andhra Pradesh submitted a proposal on 16.10.2014 to Government of India for a special development package of 7 backward districts (i.e., 4 Rayalaseema and 3 North Coastal districts) as per section 46(2) & 46(3) of Andhra Pradesh re-organisation Act, 2014 for an amount of Rs. 24,350 crore.

Sector wise funds proposed to the Government of India under SDP are as below:

Sl. No.	Sector/Department	Amount Proposed (Rs. In Crore)
1	PR Roads	6929.96
2	R&B	2336.00
3	Minor Irrigation	2087.25
4	Rural Water Supply & Sanitation	2078.48
5	Women Development & Child Welfare	1199.80
6	Skill Development	500.00
7	Marketing support to Self Help Groups	500.00
8	Agriculture	2906.00
9	Horticulture	1592.19
10	Horticulture Micro Irrigation	1720.08
11	Animal Husbandry	669.00
12	Fisheries	1064.80
13	Dairy Development	500.00
14	Cyclone Mitigation Measures	100.00
15	Project Management	165.55
Total		24350.00

Hon'ble Chief Minister requested the Vice Chariman, NITI Aayog on 05.05.2015 to release the SDP funds to the State and also requested for a provision of Rs. 5000 crore during 2015-16 for financing the Special Development Package. Chief Secretary re-iterated the request of Hon'ble Chief Minister through letter addressed to CEO, NITI Aayog on 06.05.2015.

As on date, the Government of India have released an amount of Rs. 1050 crore during the years 2014-15, 2015-16 and 2016-17 (@ Rs. 150.00 crore each for 7 backward districts of Rayalaseema and North Coastal region) in three instalments. The total amount of Rs. 1050 crore was in turn released to the District Collectors for taking up the projects that will ameliorate the backwardness of the districts. The detailed guidelines were also issued from time to time to the District Collectors for identification, appraisal and sanction of the projects.

Government of India released Rs. 350 crores on 09.02.2018 and took back the amount on 15.02.2018. A total of 23,329 works with an estimated cost of Rs. 1600.06 crores are sanctioned. Out of which, 14,089 works are completed, 4,445 are under progress. Rs. 946.47 crores expenditure is incurred so far. Important works sanctioned are road works, drinking water, minor irrigation works, anganwadi building, agriculture etc.

The State Government have so far submitted consolidated Utilisation certificates for an amount of Rs. 946.47 crores so far based on the U.Cs received from the districts and requested for release of next instalment of Rs. 350 crores from Government of India.

Government of India released Rs. 350 crores on 09.02.2018 and took back the amount on 15.02.2018.

New Railway Zone: Indian Railways shall, within six months from the appointed day, examine establishing a new railway zone in the successor State of Andhra Pradesh and take an expeditious decision thereon. We demand from the Government of India to constitute a new Railway zone with Visakhapatnam as the Headquarters. At present, South Central Railways is catering for the railway needs of major portion of AP and certain parts of Maharashtra and minor portion of Karnataka and the South Central Railway is having six Railway divisions namely, Secunderabad, Hyderabad, Nanded, Vijayawada, Guntur and Guntakal. The Visakhapatnam (Waltair Division) is under East Coast Railway with headquarters at Bhubaneswar and all the districts of North Andhra are under Vishakhapatnam Division.

Kadapa Steel Plant: Section-93 of AP Reorganisation Act, 2014 states that the Central Government shall take all necessary measures as enumerated in the XIII Schedule for the progress and sustainable development of the successor States within a period of ten years from the appointed day. The XIII Schedule States that SAIL shall examine, within 6 months from the appointed day, the feasibility of establishing an Integrated Steel Plant in Kadapa District of the successor State of Andhra Pradesh.

To examine the feasibility of setting up the steel plant, the Government of India set up a Taskforce with representatives from Gol, Government of AP, Telengana State and Central PSUs to suggest ways & means for making the

steel plant viable. The first meeting of the Taskforce was conducted on 7th December 2016 and MECON was directed to submit a revised financial feasibility report within one month.

Distressed by the abnormal delay Shri C.M. Ramesh, MP, Rajya Sabha and Shri Ravi, MLC hailing from Kadapa region had gone on fast unto death from 20-06-2018. Their health had deteriorated and the same has triggered strong emotions among the people of the State. Agitations had been launched in different parts of the State raising concerns of law and order. The Hon'ble Chief Minister convinced Shri Ramesh and Shri Ravi to break their fast with a promise to bring resolution to the issue.

Based on discussions with all stakeholders, options available under existing MMDR Rules for setting up the integrated steel plant are a)By Government of India or its PSUs b)Through a Joint Venture between Government of India & Government of Andhra Pradesh c) By Government of Andhra Pradesh or its PSUs

As a measure of our commitment to make the integrated steel plant a reality, Government of Andhra Pradesh has agreed to provide a plethora of incentives for the plant, some of which are unique and provided for the first time to any Industry. Though these would place considerable strain on the state's resources, they are being offered to make the steel plant a reality at an early date. Some of the incentives offered and facilitation measures are listed below:

Allocation of iron ore mines (with huge potential reserve of 266 million tonnes) for captive purpose, without any additional cost. Subsidized and uniform land rate of Rs. 4 lakhs/Acre, irrespective of land type. Fixed power cost reimbursement @1.00 per unit for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production. Reimbursement of 100% of stamp duty and transfer duty paid on purchase of lease of land.

Reimbursement of 50% of net VAT/CST or SGST for a period of 7 years from the date of commencement of commercial production or up to realization of 100% fixed capital investment, whichever is earlier. Other Incentives as per the State's Industrial Policy

Establishment of external power supply infrastructure at Government of Andhra Pradesh cost to make power available at the plant boundary. Establishment of external water supply infrastructure at GoAP cost to make water available at the plant boundary from the nearest water reservoir.

Though Kadapa District was identified as a backward district by NITI Aayog, Government of India, has been intentionally avoiding the establishment of Steel Plant here, Given the reluctance of Government of India to move forward with the project , and taking into account the deeply felt development needs of the region, the State Government is willing to set up the Steel Plant, provided, the following support is extended by the Gol:

Full exemption of GST for the first 7 years after start of commercial production

- Corporate Tax Exemption of a period of any 10 years out of first 15 years from start of commercial production.
- Exemption of import duty for the period of 10 years on capital goods as well as raw material imports;
- Provide all clearances required.

Given the fact that the Government of India stands to gain about Rs. 660 crore annually by way of corporate tax and CGST in addition to import duties on capital equipment, the Government of India should come forward to provide the above concessions without much difficulty and make the Kadapa Steel Plant a reality.

Establishment Of Institutions: The Government of India shall take steps to establish institutions of national importance in the 12th and 13th Plan periods in the successor State of Andhra Pradesh. This would include one IIT, one NIT, one IIM, one IISER, one Central University, one Petroleum University, one Agricultural University and one IIIT. Not even a Single Permanent Campus constructed so far. Government of India should take steps for time bound completion of infrastructure and recruitment of regular faculty' through adequate allocation of funds.

Land worth Rs. 11,600 Cr was handed over and Rs. 138 crores sanctioned for constructing Compound walls by Andhra Pradesh. Expenditure incurred by Government of India is only Rs. 627.50 Cr. Central University will start admissions from August 2018 in a temporary campus from Anantapur, Andhra Pradesh. Tribal University yet to be commenced. Government of

Andhra Pradesh has sent DPR of Rs. 1,506 Cr. 8 of 11 institutions are functioning from temporary campuses, including one in campus in Tamil Nadu. AIIMS is scheduled to be commenced from the next academic year. Thousands of students from all over the country are studying in these institutions.

Comparison between National Institutions (No. of Students)			
S.No.	Institute	Andhra Pradesh	Others
1	IIT	330	8000(IIT Madras)
2	IIM	100	407 (IIM Bangalore)
3	IISER	700	1252 (IISER Pune)
4	NIT	480	3457(NIT Tiruchirappalli)
5	IIITDM	600	15222 (IIIT Hyderabad)
6	Central University	Yet to be established	5000 (University of Hyderabad)

To reach the level of other National Institutions, Andhra Pradesh needs support from the Center. A mere name sake support will not help.

Duggirajapatnam Port: The Government of India shall develop a new major port at Duggirajapatnam in the successor State of Andhra Pradesh to be completed in phases with Phase I by the end of 2018; Ministry of Shipping, Government of India informed Government of Andhra Pradesh on 5.3.2018 to suggest any alternative sites for development of a major port in Andhra Pradesh. But it has not been implemented yet.

We demand the Intervention of the Hon'ble Prime Minister in ensuring that the provision is implemented fully. The feasibility study done by NITI

Aayog and Ministry of Shipping has concluded that the project is economically not feasible and requires huge viability gap funding. NITI Aayog is not in favour of gap funding and have suggested Government of Andhra Pradesh to suggest alternate infrastructure project in place of the Port. There is very clear provision in the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 making it mandatory for Government of India to develop a new major port at Duggirajapatnam with a target to complete phase-I by the end of 2018. In spite of such a clear and emphatic provision in the Act, it is surprising to note that NITI Aayog has said that major port at Duggirajapatnam is not feasible; and that since this is a mandatory assurance in the Act, request intervention of the Hon'ble Prime Minister in ensuring that the assurance is imlemented fully.

Vizag-Chennai Industrial Corridor (VCIC): The Government shall, within six months from the appointed day, examine the feasibiltiy of establishing a Vizag-Chennai industrial corridor along the lines of Delhi-Mumbai Industrial Corridor and take within such period an expeditious decision thereon.

For the development of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), an amount of Rs. 17,500 cr was contributed as equity through National Industrial Corridor Development & Implementation Trust (NICDIT). Additionally, a corpus of Rs 1,000 cr was provided as grant-in-aid to carry out project development activities. The funds were released to the SPVs formed between the Center and the respective State Governments.

The Government of India had earmarked Rs. 1,200 crores for development of infrastructure in the Dholera Investment Region in Gujarat and

the Aurangabad Industrial Township (Shendra-Bidkin) in Maharashtra. However in the case of Andhra Pradesh, the Government of India has not provided any grant for development of the VCIC. Only a loan of Rs. 4,170 cr (USD 625 million) was facilitated through the Asian Development Bank (ADB). On its part, the Government of Andhra Pradesh is contributing Rs. 1,434 cr (USD 215 million) for the development of the VCIC from its own budget.

Government of India should develop VCIC on the lines of DMIC through 100% grant funding by National Industrial Corridor Development & Implementation Trust (NICDIT), rather than through a loan to be repaid by the State Government.

Greenfield Crude Oil Refinery And Petro-Chemical Complex By Hpcl-Gail In Andhra Pradesh: IOC or HPCL shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility of establishing a greenfield crude oil refinery and petrochemical complex in the successor State of Andhra Pradesh, and take an expeditious decision thereon.

The Government of Andhra Pradesh has shown its full commitment to ensure an early finalization and commencement of this project by offering to fund all external connectivity & infrastructure, and providing significant subsidies on power and water usage by the proposed petrochemical complex, including: a) Power subsidy of Rs. 577 crores per annum; b) Water subsidy of Rs. 51 crores per annum; c) All external infrastructure and provision of utilities for the project.

Through the project, the gross tax revenue to Government of India would be to the tune of Rs. 3,150 crores per annum. However, the project did not take off due to Government of India's insistence that the State Government provide an interest-free loan of Rs. 1,238 crores per annum, for 15 years from the zero-date, repayable over the next 15 years. Implementation of the petrochemical complex in Andhra Pradesh without any Viability Gap Funding (VGF) from the State

Tax Incentives: Under section 46 (2) (3), Government of India shall, while considering the special development package for the successor state of Andhra Pradesh, provide adequate incentives, in particular for Rayalaseema & North Coastal regions

Under Section 94 (1) & (2) : The Central Government shall take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives, to the successor states, to promote industrialisation and economic growth in both the States. The Central Government shall support the programmes for the development of backward areas in the successor States, including expansion of physical and social infrastructure..

Further, the Hon'ble Prime Minister of India has also made an announcement in Rajya Sabha on 20th February 2014 that Special status will be extended to the successor state of Andhra Pradesh comprising 13 districts, for a period of five years. This will put the State's finances on a firmer footing. Bill already stipulates that the central government shall take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives to the successor states in order to

promote industrialization and economic growth in both the states. "These incentives will be along the lines extended to some other states."

Government of India shall have to give Tax Incentives to Andhra Pradesh, on par with those given to erstwhile Special Category States like North Eastern States, Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh to spur industrial and economic growth in terms of Section 94 (1). These incentives include exemption of Excise Duty, Income Tax, Capital Subsidy, Interest Subsidy, Freight Subsidy, Insurance premium etc

However, Government of India has notified 15% of higher additional depreciation and 15% of investment allowance on the cost of plant and machinery for seven backward districts of Andhra Pradesh, which are not effective in attracting investments & Industrialization as envisaged under the Act.

Further, these incentives have been extended to various States like Telangana, West Bengal, and Bihar.

Recently, The Union Cabinet has approved the North East Industrial Development Scheme (NEIDS), 2017, which offers. GST-Reimbursement up to the extent of Central Government share of CGST and IGST for 5 years; Reimbursement of Centre's share of income tax for first 5 years; 30% of the investment in Plant & Machinery with an upper limit of Rs. 5 crore; 3% on working capital credit advanced; Reimbursement of 100% insurance premium on insurance for 5 years; Transport and Employment subsidy etc.

We demand that the same be extended to Andhra Pradesh.

Metro Rail Projects: The Central Government shall take all necessary measures as enumerated in the Thirteenth Schedule for the progress and sustainable development of the successor States within a period of ten years from the appointed day.

The Government of India shall examine the feasibility of Metro Rail facility in Visakhapatnam and Vijayawada-Guntur-Tenali Metropolitan Urban Development Authority within period of one year from the appointed day and take an expeditious decision thereon.

As per the Provisions of the Act, the State Government initiated the feasibility study and submitted the DPR for Vijayawada Metro and Visakhapatnam Metro within one year (29.06.2015 & 29.11.2015). However, the expeditious decision on the part of the appropriate Government has not come through and instead the appropriate Government namely Government of India has delayed the decision making process and pushed these two projects to the new metro policy of 2017, after keeping in store these projects for two years, which is totally unjustifiable and in any case not in the interest of State of Andhra Pradesh.

When the Act specifically made a provision for examining the feasibility of Metro Rail Policy in Visakhapatnam and Vijayawada and for taking an expeditious decision, the under lying intention is to develop the facility within a reasonable time of 3 to 4 years. This obviously, has not happened due to the partisan attitude of the Central Government. Adding fuel to the fire, new metros have been sanctioned to Pune, Noida and Lucknow around the same time.

This is despite the fact that in-principle approval for Vijayawada Metro has been given by the Government of India on 22.09.2015 and the pre PIB meeting has cleared the proposal on 16.05.2016.

Amaravati & Hyderabad Connectivity: The Central Government shall take measures to establish rapid rail and road connectivity from the new capital of the successor State of Andhra Pradesh to Hyderabad and other important cities of Telangana. But it has not been implemented. NHAI, after agreeing for a 200 meter width/8 lane Amravati-Anantapur Exp. Highway, has now asked Andhra Pradesh to restrict it to 100 meter width/4 lane. The State R&B Dept has already done peg-marking for acquisition of land for 8-lane Exp-way. Till now, NHAI has not allotted highway number for this proposed Exp. Highway.

NHAI to finalise the Agency and start the project with a view to provide connectivity to Rayalaseema districts. Two existing National highways connecting Amaravati and Telangana, Hyderabad-Suryapeta-Kodada-Nadigama-Vijayawada (NH-65 with 4 lane). Bhadrachalam-Kothagudem-Tiruvure-Ibrahimpatnam-Vijayawada (2/4 lane of NH-30). Government of India declared the Miryalaguda (Telangana)-Piduguralla-Narsaraopet-Chilakaluripet near Amaravati as National highway (NH-167 A). Existing Hyderabad to Vijayawada NH-65 is to be widened to 6-lane and NHAI invited tenders for study of DPR. Existing Bhadrachalam to Vijayawada NH-30- part of the road is 4-lane and major length of the road is of 2-lane with paved shoulders. It is to be widened to 4-lane. Approximate amount required is Rs. 600.00 Cr. Miryalaguda to Amaravati NH-167 A is a newly declared National Highway. For

preparation of DPR for 4-lane, bids have been invited by (R&B) National Highways Department. Approximate amount required is Rs. 1400.00 Cr. An Expressway Hyderabad- Vijayawada-Amaravati (275 km) is proposed and the bids are called for Preparation of DPR for this Expressway by the NHAI and agency is to be finalized. NHAI, after agreeing for a 200 meter width/8 lane Amaravati-Anantapur Exp. Highway, has now asked Andhra Pradesh to restrict it to 100 meter width/ 4 lane. The State R&B Dept has already done peg-marking for acquisition of land for 8-lane Exp-way.

Expanding Airports: The Government of India shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility of expanding the existing Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati Airports to international standards and take an expeditious decision thereon. Government of Andhra Pradesh has acquired and handed over the required lands for expansion of the Airports at Vijayawada & Tirupati to make them on par with International standards. However, AAI has spent very meagre amounts in upgrading the airports and failed to make necessary arrangements for operationalisation of International flights. We demand that AAI to take immediate measures for operationalising international flight services at Vijayawada & Tirupati.

Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati Airports have been given International status. International flights are already operating from Visakhapatnam. Government of Andhra Pradesh has handed over an extent of 698 Acres. At Vijayawada and 732 Acres at Tirupati to AAI for expansion and necessary funds have also been released for relocation of utilities. For

Vijayawada and Tirupati airports, transit terminals have been constructed and runways are being expanded. Government of India in Gazette No. 1724, dt. 20.06.2017 has declared Vijayawada Airport as International Airport w.e.f. 01.08.2017. Various Airlines are willing to start International flights from Vijaywada and Tirupati. Despite 60% growth of passenger traffic, the capital Airport of Vijayawada is not yet operational for international flights.

Increasing No. Of Assembly Seats: Subject to the provisions contained in article 170 of the Constitution and without prejudice to section 15 of this Act, the number of seats in the Legislative Assembly of the successor State of Andhra Pradesh shall be increased from 175 to 225. But it has not been implemented. Ministry of Home Affairs should take further action. The 07 mandals merged with Andhra Pradesh to facilitate completion of Polavaram Project are predominantly tribal. These mandals have to be made part of concerned Assembly/Parliament constituencies to ensure their representation in Assembly/Parliament.

Greyhound Training Center: The Central Government shall assist the successor State of Andhra Pradesh to set up a similar (Greyhound Training Centre) state-of-the-art training centre at such place as the State Government of Andhra Pradesh may be order notify. DPR has already been submitted By Government of Andhra Pradesh. Ministry of Home Affairs to act on the DPR of Rs. 858.37 crore.

Pending (AP & TS) Interstate Issues: All pending issues on division of assets and liabilities of IXth Schedule institutions including Singareni Collieries, Xth

institutions, Andhra Pradesh Bhavan etc. have been referred to Government of India for resolution in May, 2017. It is pending with Government of India. We demand that Government of India to resolve all the issues in a specified time frame.

HON. SPEAKER: Shri. N. K. Premachandran, I would allow you only for one minute, if you want. Otherwise, I would not be able to allow you to speak.

(Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM) : Madam Speaker, thank you very much for allowing me to participate in the discussion on the No-Confidence Motion. ... *(Interruptions)*

Madam Speaker, I rise to support the No-Confidence Motion moved by the TDP. ... *(Interruptions)* I support the Motion. ... *(Interruptions)*

Madam, I would like to say that though it is a Motion moved by the Opposition, yet it reflects the aspirations of the people of this country that this Government has miserably failed in fulfilling the promises that were made during the 2014 election. ... *(Interruptions)*

This Government has come to power on the slogans of 'development' and 'good governance'. Instead of attempting to achieve the developmental goals, what the Government did was destabilising and disturbing the social fabric of this country. The specific charge I would like to make is that the social fabric of this country is under threat. ... *(Interruptions)* I would like to conclude with one sentence. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER : No, I am sorry.

... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : सभी लोग अपना भाषण सभा पटल पर ले कर दें।

...(व्यवधान)

* SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): I express my concerns over the burning issues of my State and to express my stand on the No-Confidence Motion. I feel honoured to express the concerns and sentiments of people of Andhra Pradesh, who were badly let down by the UPA regime through the arbitrary bifurcation against the will or interest of the people of Andhra Pradesh. Both the TDP and the YSR Congress were the votaries of bifurcation but today them unabashedly claim to represent the woes of the residuary state of Andhra Pradesh.

At the outset, I expose the political hypocrisy of the ruling and the main opposition party in my State. The emotions and sentiments of the people cannot be allowed to be exploited. Let me tell the nation that the TDP was a part of the NDA Government for over four years. The TDP, especially its leader, was one who enthusiastically embraced the special package and completely disowned the special status. He has even repudiated the demand for special status and let loose a reign of repression on the civil society organisations fighting for such a status for my State.

One fine morning, our Chief Minister suddenly woke up to the special status, and not special package. Is this not a hallmark of hypocrisy that needs to be exposed and summarily rejected? Today, in Andhra Pradesh, there is no democracy but a zamindari rule or monarchy. If the Chief Minister feels that a special package is good, it means that is the opinion of the people. If he says

* Speech was laid on the Table.

it is not good, again it means that. The TDP which is now proposing a No-Confidence Motion has no moral and ethical right to speak about special status, leave alone moving a No-Confidence Motion on the subject.

Talking about the the Opposition YSRCP which has no respect for democracy, it has miserably failed to raise the issues on the appropriate platform and at the appropriate time; and run away from Parliament by resigning and thus lost a historic opportunity to voice the concerns of the people who elected them to Parliament. When the Parliament is discussing the concerns of Andhra Pradesh, the YSR Congress MPs are protesting outside the House revealing the lack of any commitment to the people who have sent them to this House.

For the past four months, the TDP Government has been accusing the Union on non-fulfilment of the assurances as per the provisions of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, one year just before the general election. Time and again, the Union Government has been stating that they are committed to the assurances and not ignoring Andhra Pradesh. There was never a situation in the country wherein any State Government has involved the citizens and conducted agitations against the Union Government with public money. Crores of rupees of public money is being swindled. People are also confused with various statements made by the Union and the State Governments. On the one side, Andhra Pradesh is carrying deficit and on the other side, it is engaging in events swindling crores of rupees.

With respect to the status of MPs in Andhra Pradesh, I wish to state and I believe all my Member colleagues will also agree, that MPs are neither informed nor considered a part of the Government machinery and are only treated as numbers whenever a situation demands. State Government officials are even averse to conduct DISHA meetings as required by Union Government as the officers don't feel neither accountable nor would like the MPs to know anything of the funds received under Central Government schemes. They are not even ready to acknowledge the good schemes of the Centre and try to give a picture to the common man that the Union Government has done nothing for the State. Corruption has become widely rampant and officers have become irresponsible and irresponsible.

I would also like to state that the Union Government is also a silent spectator in this and is not enforcing the State to strictly adhere to the regulations and ensure the end-point delivery mechanism. I have to confess that until this agitation by the ruling party got started, no MP was aware of any figures or facts of what support the State has got from the Centre.

As a people's representative, on behalf of the people of the State, I feel that Union Government should give this clarity to the citizens of Andhra Pradesh as to what is the status of the issues pending before the Union Government and the reasons thereof.

Let me now come to the demands of the people of my State. I firmly state that the special status is our birth-right as the demand is intimately identified with the bifurcation itself and the special package is our civil right.

We need both of them to prosper and get healed from the wound that the bifurcation has made. The North Coastal Andhra Pradesh, the region from which I was elected to this august House is one of the most backward regions of the country.

Our demand for railway zone to Visakhapatnam needs to be fulfilled. Adequate grants should be given to the backward districts(aspirational districts) of North Coastal Andhra and Rayalaseema to build infrastructure as promised in the Reorganisation Act.

The Kadapa steel plant has to come up. The promise of Dugarajapatnam port and the assured assistance to construct the green field capital city for Andhra Pradesh have to be fulfilled. It is disgusting that even till date not even one permanent building has come up in the capital city.

We would also like to know the status of the Vizag-Chennai industrial corridor, the petroleum refinery etc. which have already been approved under EAP.

Industrial incentives that are due to the State have to be granted for the rapid industrialisation of the State. The State still largely remains an agrarian economy despite tremendous potential with robust natural and human resource landscape.

Polavaram project should be completed in the stipulated time especially the rehabilitation of the displaced should be a priority. The Government needs to ensure the fair and transparent means in providing the displaced families with the R&R package.

Besides, the peasant indebtedness, tribal deprivation, rampant unemployment etc. are the challenges rocking my State. The corrupt administration under the State Government which is making such a hue and cry over special status is diverting even Central funds. Such issues of governance need to be tackled if the State has to progress.

Therefore, I wish to reassure that I uncompromisingly stand for the demands of people of Andhra Pradesh both in terms of provisions of bifurcation and the promises made therein. I would neither quarrel with the Centre nor compromise with it for narrow political ends. The interest of the people of Andhra Pradesh cannot be held hostage to the political and electoral machinations of the political parties whether in power or in opposition in my State.

TDP, in a brazen bid to cover up its own failures in running the truncated State post-bifurcation, is indulging in this political optics in the form of No-Confidence Motion. Due to the sinister political designs of TDP which proposed this No-Confidence Motion, I do not wish to support it. I have no hesitation in rejecting the TDP sponsored No-Confidence Motion which was moved solely for a parochial partisan political purpose. This No-Confidence Motion will not, in any way, alter the prevailing political reality. I stand firm on the grievances of my State and my people.

Though I was elected on the YSR Congress Party ticket, I have long been disassociated with that Party to safe my self-esteem. I once again reject the motivated political propaganda that I have joined the TDP. Let me proudly

state from this platform that I have decided to launch a new party to stand on behalf of the people and start a new political culture for the people of my State who are vexed with the existing political parties and the exploitation of the citizens. Parties are for the people but people should not be used by the political parties for selfish gains.

Let us all together affirm our commitment and fight for our rights. I stand firm on the grievances of my State and my people. To conclude, once again, I would request the Union Government to ensure support for the people and State of Andhra Pradesh and fulfil all the assurances made under the Reorganisation Act.

*** श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद) :** मैं आज अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव जिन मुद्दों पर ये लोग ला रहे हैं, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत चार वर्षों में जितना विकास कार्य, ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, उतना तो आजादी से लेकर 2014 तक भी नहीं हुआ। आज देश के कोने-कोने तक जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। बिजली, पानी, सड़क तीनों के विकास में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। आज भारतवर्ष के प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँच गई है, जो थोड़े-बहुत रह भी गए हैं, उनमें भी एक वर्ष के अन्दर पहुँच जाएगी। गाँवों से ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन रुक रहा है। यातायात के साधन, सड़क परिवहन आदि में आशातीत वृद्धि हुई है। भारत वर्ष की छवि देश-विदेश में मजबूत हुई है। चाहे चाबहार समझौता हो चाहे भारत-बांग्लादेश के मध्य भूमि विवाद हो सबका हल इसी सरकार ने किया है। आज हमारे पड़ोसी मुल्क भी अपने चुनाव प्रचार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का ही उदाहरण देकर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि जीत जाऊंगा तो मादी जी जैसी ही सरकार दूंगा और यहाँ के कुछ ऐसे विपक्ष के नेता अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जिनके ऊपर उनके घर-परिवार के लोग ही अविश्वास करते हैं। उनके घर वाले, रिश्तेदार ही उनपर कई आपराधिक श्रेणी के मुद्दकमे चला रहे हैं और कई तो जमानत पर बाहर हैं। जिनकी कोई साख नहीं है, कोई वजूद नहीं है वो आज चाँद की तरफ उँगली उठा रहे हैं मगर ये मत भूलो की तीन उँगलियाँ आप पर भी इशारा कर रही हैं आज देश को एक सशक्त नेतृत्व मिला है। साहसिक निर्णय लेने में पीछे नहीं हटे चाहे जी.एस.टी. हो या नोटबंदी सभी निर्णयों का देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। महँगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, भ्रष्टाचारी या तो जेल में है या फिर जमानत पर घूम रहे हैं। आज देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह आजाद देश की पहली ऐसी सरकार है जिसका आम बजट भी किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसानों का जीवन स्तर उठ रहा है। किसान भाईयों को

* Speech was laid on the Table.

फसल का वाजिब मूल्य मिले इसके लिए मोदी जी की सरकार ने ठोस पहल की है। यह सरकार दलित, शोषित, गरीब, किसान-मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किये जा रहे कार्यों का पूर्णतया समर्थन करता हूँ और सदन में इस अविश्वास प्रस्ताव को सिरे से खारिज करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : राजू शेटी जी, आप एक मिनट में अपनी बात **बोलिए**।

श्री राजू शेटी (हातकणंगले): अध्यक्ष महोदया, आज पार्लियमेंट स्ट्रीट में देश के हजारों किसानों आए थे। ... (व्यवधान) उन्होंने मुझे न्योता भेजा और कहा कि देश के किसानों के साथ स्वामीनाथन ने जो धोखा किया है, उससे वे नाराज हैं। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया है, इसलिए मैं भी इस सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त करता हूँ।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Madam, I rise to support the Government. My Party, the Sikkim Democratic Front Party, and its leader, Shri Pawan Chamling ji, who is also today the longest serving Chief Minister of India, supports the Government.

This House knows the crisis of Doklam. We are the most peaceful State. The hon. Prime Minister led from the front to diffuse the Doklam crisis last year. This is something which we support.

I would just like to make a demand to the hon. Prime Minister, that is, to reserve the seats of Limbu and Tamang Tribes in the State Assembly and bring into Parliament the relevant Bills to be passed within this Monsoon Session.

With these words, I thank the Government for whatever work they are doing and for making the progress of Sikkim possible. Thank you, Madam.

*** श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा):** आज जो सदन में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उनका विरोध करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो पिछले 4 सालों में कार्य किए हैं, वे ऐतिहासिक रहे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं रही हैं, वह गरीब केंद्रित रही हैं, जिससे गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आया है। सरकार ने बिना भेदभाव के अपने मूल एजेंडे के अनुसार 'सबका साथ सबका विकास' के आधार पर कार्य किया है। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत के अनुसार कम-से-कम डेढ़ गुना करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। इससे किसानों का धंधा अब मुनाफे का सौदा होगा और उनकी हालत में सुधार होगा। पं.दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना से देश के हजारों गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया है एवं सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीबों के घरों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य किया गया है। 'आयुष्मान भारत योजना' लाकर देश के 10 करोड़ परिवारों के करीब 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दिलाने का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजना लाकर पशुओं को विशेषकर देशी गायों को उपयोगी बनाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी देने का कार्य किया जा रहा है। ऐसी करीब 60 योजनाएं बड़ी एवं करीब 55 योजनाओं और हैं, जिससे देश की हालत में सुधार हुआ है और भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। यह हमारे लिए व देश के लिए गौरव की बात है।

* Speech was laid on the Table

माननीय अध्यक्ष : तबस्सुम बेगम, आप अभी नहीं बोलिए, क्योंकि एक मिनट में आपका मेडेन स्पीच ढंग से नहीं हो पाएगी। दूसरे समय हम आपको अच्छे-से समय दे देंगे। मैं एक मिनट में आपका भाषण बंद कर दूंगी।

श्रीमती तबस्सुम बेगम (कैराना) : मैडम, आप सभी को बहुत समय दे रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपको एक ही मिनट का समय मिलेगा, अगर बोलना चाहती हैं तो बोलिए।

श्रीमती तबस्सुम बेगम : मैडम, एक मिनट में तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है।

माननीय अध्यक्ष : इसलिए आप कभी और बोलना, अभी लिखित में भाषण सभा पटल पर रख दें।

श्रीमती तबरसुम बेगम : मैडम, हमारी पार्टी की बात रह जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में शामिल होने का मौका दिया है। मैं कैराना लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर सदन में आई हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। किसानों और मजदूरों से जुड़े सवाल वहाँ के लिए सबसे ऊपर हैं।

अध्यक्ष जी, चुनाव में लोगों के साथ संपर्क करने पर उनके दुःख-दर्द का पता चला। वहाँ समाज का कोई भी वर्ग खुश नहीं है। किसान मौसम एवं हर तरह की सख्ती अपने सिर पर झेल कर फसल उगाते हैं लेकिन सरकार उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं दिला रही है। महंगे बीज, खाद, ट्रैक्टर बिजली व सिंचाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है। केन्द्र सरकार द्वारा जो एमएसपी बढ़ाई गई है, वह किसानों के दुःख-दर्द को देखते हुए नाकाफी है। किसान तो किसान होते हैं, न वे हिन्दू हैं और न मुसलमान होते हैं। उन्होंने मुझे इस सदन के लिए निर्वाचित करके केन्द्र सरकार और उसकी नीतियों के कारनामों के प्रति पहले ही अविश्वास व्यक्त किया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका समय हो गया।

...(व्यवधान)

श्रीमती तबरसुम बेगम : महोदया, मैं महिला सांसद हूँ। 'बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ' जुमलों के साथ सत्ता में आई केंद्र सरकार ने बेटियों की हिफाजत का कोई माहौल देश में नहीं बनाया। कठुआ से लेकर उन्नाव तक बेटियाँ महफूज नहीं हैं। सारा देश देख रहा है कि बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने में कौन लोग शामिल हैं। जब केंद्र सरकार से सवाल किया जाता है तो वह सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको पहले ही बताया था कि समय कम है। आप बहुत लम्बी-चौड़ी स्पीच लिखकर लाई हैं, ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो बैठ ही जाएं।

...(व्यवधान)

श्रीमती तबरसुम बेगम : महोदया, किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी समाज के सभी वर्गों में प्यार और इंसानियत को बढ़ावा देने की होती है और इस दिशा में कारगर कदम उठाने की होती है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन हम देशवासियों के बीच नफरत न पैदा कर सके। इस मार्चे पर केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। केंद्र सरकार की विफलता पर उच्चतम न्यायालय को दखल देना पड़ा और मॉब लिंगिंग रोकने के लिए कानून बनाने की सलाह केंद्र सरकार को दी। कल ही सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने मॉब लिंगिंग पर अपने विचार रखे। उनके विचार पूरी तरह से मामले को हल्का करने वाले हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचने के समान हैं। कानून व्यवस्था, समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा व सम्मान देने से जुड़े सवालों को हल करने की जरूरत हुई तो पूर्व की सरकारों ने कानून बना कर उस जरूरत को पूरा किया। लेकिन वर्तमान सरकार अपनी सारी जिम्मेदारी टाल रही है और अपनी विफलता को छिपा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर रही है।

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात पूरी कह दी है।

* **DR. RAVINDRA BABU(AMALAPURAM)** : The APR Act 2014 (Act 6 of 2014) was notified on the 1st of March, 2014. 2nd June, 2014 was notified as the Appointed Day, the day on which the state of Andhra Pradesh was bifurcated into the state of Telangana and the state of Andhra Pradesh.

Lack of adequate and serious consultations with key stake holders, absence of consensus amongst key political parties, lack of transparency haphazard mode of drafting the bill characterized the process of bifurcation. Despite series of agitations from the people, scant regard was shown to their feelings/aspirations and this had causes serious disenchantment amongst people of Andhra Pradesh.

The inconsistencies in the Reorganization act and the actions of the Government of India causing injustice to the state of Andhra Pradesh are given below :

46% of the estimated revenue was given to Andhra Pradesh against a population of 58%, which has been confirmed by the 14th Finance Commission.

Assets are given on location basis (most of which were located and thus left behind in Hyderabad), whereas liabilities are divided on population basis.

The pension liability of the combined state is also divided on population basis.

The power allocation was done on consumption basis.

* Speech was laid on the Table.

The refund of taxes, a liability, was allocated on population ratio, whereas deferred tax collections, which is an asset, is given on location basis (being treated as the location of the Head Office which are mostly in Hyderabad). This alone has caused a huge loss of about Rs. 3,800 crores to the state of Andhra Pradesh. This anomaly was not addressed despite several requests to Home and Finance Ministries.

The State of Andhra Pradesh lost its capital city, institutions manufacturing centers and service sector hubs while inheriting the drought prone and cyclone prone areas.

The new state of Andhra Pradesh is predominantly agrarian. The contribution of the Agriculture sector which was 23% in the combined state during 2013-14, is 34% during 2017-18 for the new state of Andhra Pradesh, pointing towards the loss of manufacturing and service sector areas due to unscientific bifurcation. The Service sector which generates higher tax revenue and higher per capita income, contributes about 44% to the economy of Andhra Pradesh, which is considerably lower compared to other southern states viz., Telangana (63%), Tamil Nadu (57%), Karnataka (64%) and Kerala (64%) and all India average of 53%.

Broad sector-wise GVA/GSDP/GDP estimates of southern states all India at current prices and its contribution (Rs. In crores)

SI. No	Industry	2016-17 (AE)				
		AP	TG	TN	Kar	All India(Lakh Cr.)
1	Agriculture	203860	92162	137080	117132	23.82
	% of contributions	31.77	15.34	11.39	11.68	17.32

2	Industry	142651	132742	381732	237518	39.90
	% of contributions	22.23	22.10	31.72	23.68	29.02
3	Services	295186	375762	684444	648256	73.79
	% of contributions	46.00	62.56	56.88	64.64	53.66
	GVA	641697	600666	1203256	1002906	137.51
	GSDP/GDP	699307	646265	1298511	1132690	151.84

The per capita income of the combined state of Andhra Pradesh was Rs. 89,214 for the year 2013-14. The per capita income of remaining 13 districts of Andhra Pradesh for the same year stood at Rs. 82,870 whereas it was Rs. 1,12,162 for the state of Telangana, highlighting the loss of higher income generating areas to Telangana. Despite the highest average economic growth in the country during last four years, Andhra Pradesh with a per capita income of Rs. 1.42 lakh continues to lag behind the other Southern Indian states which have crossed the mark of Rs. 1.74 lakh per capita income, amounting to a huge debilitating gap of around Rs. 32,000+per person in Andhra Pradesh.

PER CAPITA INCOME IN SOUTHERN STATES

STATES	PER CAPITA INCOME (In Rupees)							
	2013-14	Gr. Rate(%)	2014-15	Gr. Rate(%)	2015-2016	Gr. Rate(%)	2016-17	Gr. Rate(%)
A.P. (Combined) (2004-05 base)	89214	12.99	-	-	-	-	-	-
Andhra Pradesh	82870	10.96	93699	13.07	108163	15.44	122376	13.14
Telangana	112162	11.24	124058	12.02	137955	9.63	155612	12.80
Tamil Nadu	116583	11.00	130197	11.68	137837	5.87	153263	11.19
Karnataka	119023	17.01	132880	11.64	142906	7.55	157474	10.19
Kerala	123388	11.85	139195	12.81	147190	5.74	NA	NA
All India	79146	11.46	86513	9.31	94130	8.80	103219	9.66

Special Category Status (SCS) : UPA Cabinet passed resolution for SCS in March 2014 and forwarded it to Planning Commission, which asked National Development Council (NDC) to take decision.

Citing constraints of 14th Finance Commission's recommendations, Finance Minister Arun Jaitly announced SAM (Special Assistance Measure). Stating that all ingredients of SCS including industrial incentives would be made available with SAM. It was informed to the State Govt. that after introduction of GST, the Assistance & Incentives offered to SCS States would lapse. Government of Andhra Pradesh expected that SAM would be implemented in letter and spirit by Government of India at par with other Special Category States (N.E. and Hill States)

However, Government of India has extended Central Assistance measures & Incentives to SCS States In Aug'17 . A new industrial incentive package has been given to NE States in Mar'18.

Union Cabinet approved to grant SAM to Andhra Pradesh in Mar'17 to provide Legal sanctity. But failed to issue any detailed Orders to implement it in letter and spirit as assured.

Initially, for providing SAM, the EAP mechanism was suggested by Government of India. But, no Orders were issued. Andhra Pradesh Govt. requested to at least provide SAM through NABARD/HUDCO/Banks. But Government of India proposed formation of Special Purpose Vehicle (SPV) and has put the burden of borrowing on the FRBM(Fiscal Responsibility and

Budgetary Management) limits of the State. Further, no written communication was issued till date clarifying this issue.

For providing Central Assistance to SCS States, formation, of SPV was never sought, where as in the case of Andhra Pradesh, SPV is being insisted upon which again is an example of insincerity and indifference.

Regarding Special Category Status/Special Assistance Measure during the discussion on the AP re-organization bill, the then Prime Minister in the Rajya Sabha on 20, February 2014 assured that "For the purpose of central assistance, Special Category Status will be extended to the successor State of Andhra Pradesh for a period of five years. This will put the States finances on a firmer footing." Accordingly, the Union Cabinet at its meeting held on March 1, 2014 had decided to accord special category status to the Successor State of Andhra Pradesh for a period of five years. The Government of India have not issued the orders so far to assign Special Category Status to Andhra Pradesh. State Government made request several times to issue the orders in this regard. Hon'ble Chief Minister also addressed the Prime Minister in this regard.

Due to constant persuasion of the Hon'ble Chief Minister, Government of India announced a special package, on 8th September, 2016 and on their commitment to provide assistance to Andhra pradesh. It is mentioned regarding the special status as below:

"The statement of the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh on 20-2-2014 contains six paragraphs. There are no issues with

regard to five out of six paragraphs. With regard to first point i.e. the grant of special status, an apparent conflict has set in, between the statement and the recommendations of the Fourteenth Finance Commission which came subsequently. On page 17 (para 2.29 & 2.30 of the report, the Commission has stated (inter alia)"

" We did not make a distinction between special and general category states in determining our norms and recommendations. In our assessment of State resources, we have taken into account the disabilities arising from constraints unique to each State to arrive at the expenditure requirements. In this regard, we have observed that the North-eastern and hill States have several unique features that have a bearing on their fiscal resources and expenditure needs, such as low level of economic activity, remoteness and international borders. Our objective has been to fill the resource gaps of each State to the extent possible through tax devolution. However, we have provided post-devolution revenue deficit grants for States where devolution alone could not cover the assessed gap...."

"We are of the view that intra-state inequality is within the policy jurisdiction of the States and provisioning of adequate resources through tax devolution should enable them to address intra-state inequalities in an effective manner"

Thus following the recommendations of the 14th Finance Commission, the class of special category states ceases to exist. However, the Central Government has announced a special assistance measure for Government of Andhra Pradesh for five years, which would make up for the additional Central share the State might have received during these years, i.e. 2015-16 to 2019-20, if the funding of CSS would have been shared at the ratio of 90:10 between the Centre and State. The special assistance will be provided by way of repayment of loan and interest for the Externally Aided Projects (EAP) signed and disbursed during 2015-16 to 2019-20 by the State.

The Government of India approved the above special Assistance measures in the Union Cabinet meeting held on 15-03-2017.

It is pertinent to note that even though it is noted that 14th Finance Commission have not made any distinction between Special Category and General States, Central Government is continuing to give funds in the ratio of 90:10 under CSS and EAP like previous practice to the Special Category States.

As per the above package, State Government computed the amount that State might have received in the ratio of 90:10 under CSS and arrived at Rs.2,951 crores in 2015-16 and Rs.2,992 crores in 2016-17. Government of India computed it as Rs.2,516 crores for 2015-16 by deducting the Central Sector Schemes and other schemes for which sharing pattern is same for Special Status and other States. Based on these lines, the amount for 2016-17 is computed, which comes to Rs.2,854 crores. Thus, there is a growth of 13.43%. Assuming the same growth, this amount comes to Rs.3,238 crores in 2017-18, Rs.3,673 crores in 2018-19, Rs.4,166 crores in 2019-20. Thus, it is tentatively arrived at RS.16,447 crores for 5 years i.e. 2015-16 to 2019-20. We presumed that this amount would come under EAP as grant from Government of India and a provision of Rs.3,500 crore was made in the Budget 2017-18. We also presumed this would not form part of FRBM limits.

Apart from this, the Special Category States are eligible for grants under CSS as well as Externally Aided Projects at 90:10 ratio. However, the announcement of Special Package to our State did not mentioned EAP. Hence, it is requested that special assistance at 90:10 ratio for Externally

Aided Projects as being given to Special Category States may also be awarded to the State of Andhra Pradesh for all the ongoing projects and projects signed from 2015-16 to 2019-20.

As the State Government may not be eligible to spend this amount on EAP projects in the stipulated 5 years, we requested the Government of India to permit the State Government to provide Special Assistance at 90:10 ratio for externally aided projects as well as CSS(Central Sponsored Schemes), as being given to Special Category States which tentatively comes to about Rs.20,010 crores as assistance from Government of India.

Permit the State Government to clear other outstanding loans towards EAPs, Small Savings and NABARD. Borrow from internal lender like NABARD, HUDCO and other Commercial Banks. Use the gap to pay interest commitments to Government of India, NABARD and EAPs. Not to make the Special Assistance as a part of State's FRBM Limit. Government of India in response to our letter dated 3-6-2017 of the above proposals, it is intimated on 10-7-2017 that the special assistance measures will be given to the State by way of repayment of loans and interest under EAP signed and disbursed during 2015-16 to 2019-20. The EAP loans will be given to the State in the present procedure only i.e. within the FRBM limits. It is also stated that the special Assistance will not be given for other purposes such as repayment of loans.

Hon'ble Chief Minister addressed the Union Finance Minister on 27-7-2017 and 25-9-2017 to reconsider the issue and special assistance measures

should be given to repay the loans etc as indicated. Since the clearance of DEA and external agencies may take time and grounding the same. Therefore it is suggested, that the special dispensation amount as arrived above (Rs. 16,447 crore), may be provided to the Andhra Pradesh for the specified projects from the NABARD instead of EAP loans. This will facilitate the State government for early commencement of the projects and to avail the special assistance measures announced to our State.

But since the Union Government failed to honour its commitment and Special Category Status is extended to North Eastern States in March 2018, we reiterate our demand to extend SCS to AP also on a par with other SCS State.

Polavaram Project :The Polavaram Irrigation Project, on river Godavari, is a lifeline for the State of Andhra Pradesh and recognizing this the Government of India has declared it as a National Project (NP) under section 90 of Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014. The Government of Andhra Pradesh has been diligently pursuing completion of the project and about 57% of the total work has been completed with an expenditure of Rs. 14,141.80 Crores upto the end of June 2018.

After declaration of the project as a National Project, an amount of Rs. 9005.93 Crores has been spent upto the end of June, 2018 from State Government funds. Of this, Rs. 6727.26 Crores only has been reimbursed till date leaving a balance of Rs. 2278.67 Crores to be reimbursed.

Para 5.3 of the Cabinet note dated 29.04.2014 reads as follows about the financing of the project: "5.3 The existing guidelines of AIBP envisage execution of the project. As such with a view to expeditiously complete the project, by the state Government, whereas in the instant case, the Central Government is mandated to execute the project. As such with a view to expeditiously complete the project it is requested that a dispensation may kindly be considered to include the expenditure that has already been incurred on the project by the State Government as the state's share. In relaxation of AIBP and National Project guidelines, it is proposed that all further expenses on Polavaram Project and that of the Authority may be borne by the Central Government out of grants-in-aid under the scheme for the National Project. The previously approved estimate cost is Rs. 16010.45 Crores at 2010-11 price level, which is likely to increase considering time and cost over-runs including in Command area development works and increased compensation due to project affected families under the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)"

On 01.05.2014 the Union Cabinet had approved that all further expenses on Polavaram Project would be borne out of grants-in-aid under the scheme for the National Project a special dispensation. Subsequently, on 08.09.2016 the Union Finance Minister announced that Central funding would be provided for the remaining cost of Irrigation component of Polavaram Project assessed as on 01.04.2014. Accordingly, the Revised Cost Estimate

(RCE) of the project for the balance quantities as on 01.04.2014 (i.e. 2013-14 price level) has been furnished for Rs. 57,940.86 Crores to CWC on 16.08.2017. Replies to all the observations of CWC have also been furnished by the project authorities.

At present, the expenditure incurred on the project by the State is being reimbursed within the originally approved Cost Estimate (i.e. 2010-11 price level) of Rs. 16010.45 Crores pending approval of RCE (2013-14). The balance Irrigation component provision available for reimbursement is Rs. 431.27 Crores though the amount due for reimbursement is Rs. 2278.67 Crores.

All the steps required for timely completion of works, have been taken by the Government of Andhra Pradesh for improving the progress of Head Works. The land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement (LA&RR) works are also progressing in parallel to the construction of Polavaram Project so as to derive timely benefits of the Project.

Hence, in order to aid early completion of the project it is essential that Government of India (i) direct the concerned authorities to expedite the approval of the Revised Cost Estimate of the project. (ii) ensure timely release of funds in advance to the State Government to ensure speedy execution. As on date Rs. 2278.67 Crores is pending reimbursement from Government of India.

Revenue Deficit : The resource gap that may arise in the successor state of Andhra Pradesh in the very first year, especially during the period between the

appointed day and the acceptance of the 14th Finance Commission recommendations by the Government of India, will be compensated in the Regular Union Budget for 2014-15.

As against a Revenue Deficit of Rs. 16,078.76 Cr. Certified by a Constitutionally inundated body, the CAG, the Government of India has irrationally arrived at a figure of Rs. 4,117.89 Cr. Using an unheard terminology called "Standard Expenditure". Part of this money is yet to be given even after 4 years.

In the Process of trying to bring down the Revenue Deficit figures, Government of India calculated the Social Security Pension amount for only one month, instead of 10 months (June 2014 to March 2015)

Government of India has to release the entire balance revenue deficit, as certified by CAG. The resource gap in the successor State of Andhra Pradesh from 1st year, especially during the period between appointed day and the acceptance of the 14th Finance Commission recommendations by the Government of India has to be compensated in the regular union budget for the year 2014-15. AG certified Revenue deficit of Rs. 16078.76 crores. Gol so far released Rs. 3,979.50 crores. Gol indicated that entitlement of State Government is Rs. 4117.89 crores only and indicated that balance Rs. 138.39 crores only would be released. A.P. Chief Minister requested Hon'ble Prime Minister to release the entire balance amount of revenue deficit as certified by CAG/Accountant General.

Capital Amaravati: Government of India shall provide special financial support for the creation of essential facilities in the new Capital of the Successor State of Andhra Pradesh including the Raj Bhawan, High Court, Government Secretariat, Legislative Assembly, Legislative Council and such other essential infrastructure. Shri Narendra Modi Ji assured a new Capital better than Delhi. Rs. 1500 crores only has been released towards the Capital City while Rs. 1000 crores released for improving the underground drainage in Vijayawada and Guntur towns is projected as released for Capital City. Government of Andhra Pradesh have submitted a detailed Project Report for Rs. 39,937 crores for creation of essential facilities in the new Capital and essential infrastructure. Gol Should fund for Capital City based on the DPR.

Government of India support is totally inadequate and not in line with the promise made by the present PM and with the provisions of the Act. Rs. 1,500 crores only was released towards Infrastructure of Capital City. Rs. 1,000 crores released for improving the underground drainage in Vijayawada and Guntur towns is projected as released for Capital City promised to release Rs. 1,000 crore in the coming years. Request for complete funding towards development of Capital City as per DPR. NITI Aayog has recommended for release of Rs. 666 crores on 4.5.2018. The same has not been released so far. Under a unique 'Land Pooling Scheme' devised by Government of Andhra Pradesh farmers handed over 33,000 acres of land valued at more than Rs. 50,000 crores for the construction of Greenfield capital 'Amaravati'. Rs. 1,500 Crore only was released towards Infrastructure of Capital City. Rs. 1,000 crore

released for improving the UGD Vijayawada & Guntur towns is projected as release for Capital City. Government of India promised to release Rs. 1,000 crore in the coming years. All UCs (Utilisation Certificates) have been submitted and NITI Aayog approved them. Demand Government of India for complete funding towards development of Capital City as promised by the prime minister in various meetings in Nellore, Tirupati and during the foundation laying ceremony of capital city Amaravati in 2015.

Development of Backward Districts : The Bill provides for a special development package for the backward regions of the successor state of Andhra Pradesh, in particular for the districts of Rayalaseema and North Coastal Andhra Pradesh. This development package will be on the lines of K-B-K (Koraput-Bolangir-Kalahandi) Special Plan in Odisha and the Budelhand special package in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Special development package that was submitted to the then Planning Commission, i.e: Rs. 24,350 Cr shall be sanctioned. As desired by the Planning Commission, the Government of India Andhra Pradesh submitted a proposal on 16.10.2014 to Government of India for a special development package of 7 backward districts for an amount of Rs. 24,350 Cr. But, only Rs. 1,050 Cr. Released. Under Bundelkhand Package, per head allocation of Rs. 4,115 has been done. Whereas, for AP, per head, Rs. 428.57 only was given.

Government of India released Rs. 350 crore on 09.02.2018 and in an unprecedented manner, took back the same on 15.02.2018 reportedly on the instructions of PMO. Hon'ble Chief Minister requested the Hon'ble Prime

Minister on 23.06.2014 and 24.08.2014 to release the funds under SDP during 2014-15.

Chief Secretary to Government on 06.09.2014 and 16.10.2014 requested the Planning Commission to sanction the Special Development Package (SDP) proposal. A meeting was held by the advisor (SP_Andhra Pradesh), Planning Commission with the officials of State Government on 02.12.2014 at New Delhi to discuss SDP proposal. As desired by the Planning Commission in the above meeting, the Government of Andhra Pradesh submitted a proposal on 16.10.2014 to Government of India for a special development package of 7 backward districts (i.e., 4 Rayalaseema and 3 North Coastal districts) as per section 46(2) & 46(3) of Andhra Pradesh re-organisation Act, 2014 for an amount of Rs. 24,350 crore.

Sector wise funds proposed to the Government of India under SDP are as below:

Sl. No.	Sector/Department	Amount Proposed (Rs. In Crore)
1	PR Roads	6929.96
2	R&B	2336.00
3	Minor Irrigation	2087.25
4	Rural Water Supply & Sanitation	2078.48
5	Women Development & Child Welfare	1199.80
6	Skill Development	500.00
7	Marketing support to Self Help Groups	500.00
8	Agriculture	2906.00
9	Horticulture	1592.19
10	Horticulture Micro Irrigation	1720.08
11	Animal Husbandry	669.00
12	Fisheries	1064.80
13	Dairy Development	500.00
14	Cyclone Mitigation Measures	100.00

15	Project Management	165.55
Total		24350.00

Hon'ble Chief Minister requested the Vice Chariman, NITI Aayog on 05.05.2015 to release the SDP funds to the State and also requested for a provision of Rs. 5000 crore during 2015-16 for financing the Special Development Package. Chief Secretary re-iterated the request of Hon'ble Chief Minister through letter addressed to CEO, NITI Aayog on 06.05.2015.

As on date, the Government of India have released an amount of Rs. 1050 crore during the years 2014-15, 2015-16 and 2016-17 (@ Rs. 150.00 crore each for 7 backward districts of Rayalaseema and North Coastal region) in three instalments. The total amount of Rs. 1050 crore was in turn released to the District Collectors for taking up the projects that will ameliorate the backwardness of the districts. The detailed guidelines were also issued from time to time to the District Collectors for identification, appraisal and sanction of the projects.

Government of India released Rs. 350 crores on 09.02.2018 and took back the amount on 15.02.2018. A total of 23,329 works with an estimated cost of Rs. 1600.06 crores are sanctioned. Out of which, 14,089 works are completed, 4,445 are under progress. Rs. 946.47 crores expenditure is incurred so far. Important works sanctioned are road works, drinking water, minor irrigation works, anganwadi building, agriculture etc.

The State Government have so far submitted consolidated Utilisation certificates for an amount of Rs. 946.47 crores so far based on the U.Cs

received from the districts and requested for release of next instalment of Rs. 350 crores from Government of India.

Government of India released Rs. 350 crores on 09.02.2018 and took back the amount on 15.02.2018.

New Railway Zone: Indian Railways shall, within six months from the appointed day, examine establishing a new railway zone in the successor State of Andhra Pradesh and take an expeditious decision thereon;

We demand from the Government of India to constitute a new Railway zone with Visakhapatnam as the Headquarters. At present, South Central Railways is catering for the railway needs of major portion of AP and certain parts of Maharashtra and minor portion of Karnataka and the South Central Railway is having six Railway divisions namely, Secunderabad, Hyderabad, Nanded, Vijayawada, Guntur and Guntakal. The Visakhapatnam (Waltair Division) is under East Coast Railway with headquarters at Bhubaneswar and all the districts of North Andhra are under Vishakhapatnam Division.

Kadapa Steel Plant: Section-93 of AP Reorganisation Act, 2014 states that the Central Government shall take all necessary measures as enumerated in the XIII Schedule for the progress and sustainable development of the successor States within a period of ten years from the appointed day. The XIII Schedule States that SAIL shall examine, within 6 months from the appointed day, the feasibility of establishing an Integrated Steel Plant in Kadapa District of the successor State of Andhra Pradesh.

To examine the feasibility of setting up the steel plant, the Government of India set up a Taskforce with representatives from Gol, Government of AP, Telengana State and Central PSUs to suggest ways & means for making the steel plant viable. The first meeting of the Taskforce was conducted on 7th December 2016 and MECON was directed to submit a revised financial feasibility report within one month.

Distressed by the abnormal delay Shri C.M. Ramesh, MP, Rajya Sabha and Shri Ravi, MLC hailing from Kadapa region had gone on fast unto death from 20-06-2018. Their health had deteriorated and the same has triggered strong emotions among the people of the State. Agitations had been launched in different parts of the State raising concerns of law and order. The Hon'ble Chief Minister convinced Shri Ramesh and Shri Ravi to break their fast with a promise to bring resolution to the issue.

Based on discussions with all stakeholders, options available under existing MMDR Rules for setting up the integrated steel plant are a)By Government of India or its PSUs b)Through a Joint Venture between Government of India & Government of Andhra Pradesh c) By Government of Andhra Pradesh or its PSUs

As a measure of our commitment to make the integrated steel plant a reality, Government of Andhra Pradesh has agreed to provide a plethora of incentives for the plant, some of which are unique and provided for the first time to any Industry. Though these would place considerable strain on the state's resources, they are being offered to make the steel plant a reality at an

early date. Some of the incentives offered and facilitation measures are listed below:

Allocation of iron ore mines (with huge potential reserve of 266 million tonnes) for captive purpose, without any additional cost. Subsidized and uniform land rate of Rs. 4 lakhs/Acre, irrespective of land type. Fixed power cost reimbursement @1.00 per unit for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production. Reimbursement of 100% of stamp duty and transfer duty paid on purchase or lease of land.

Reimbursement of 50% of net VAT/CST or SGST for a period of 7 years from the date of commencement of commercial production or up to realization of 100% fixed capital investment, whichever is earlier. Other Incentives as per the State's Industrial Policy

Establishment of external power supply infrastructure at Government of Andhra Pradesh cost to make power available at the plant boundary. Establishment of external water supply infrastructure at GoAP cost to make water available at the plant boundary from the nearest water reservoir.

Though Kadapa District was identified as a backward district by NITI Aayog, Government of India, has been intentionally avoiding the establishment of Steel Plant here, Given the reluctance of Government of India to move forward with the project , and taking into account the deeply felt development needs of the region, the State Government is willing to set up the Steel Plant, provided, the following support is extended by the Gol:

Full exemption of GST for the first 7 years after start of commercial production

- Corporate Tax Exemption of a period of any 10 years out of first 15 years from start of commercial production.
- Exemption of import duty for the period of 10 years on capital goods as well as raw material imports;
- Provide all clearances required.

Given the fact that the Government of India stands to gain about Rs. 660 crore annually by way of corporate tax and CGST in addition to import duties on capital equipment, the Government of India should come forward to provide the above concessions without much difficulty and make the Kadapa Steel Plant a reality.

Establishment of Institutions: The Government of India shall take steps to establish institutions of national importance in the 12th and 13th Plan periods in the successor State of Andhra Pradesh. This would include one IIT, one NIT, one IIM, one IISER, one Central University, one Petroleum University, one Agricultural University and one IIIT. Not even a Single Permanent Campus constructed so far. Government of India should take steps for time bound completion of infrastructure and recruitment of regular faculty' through adequate allocation of funds.

Land worth Rs. 11,600 Cr was handed over and Rs. 138 crores sanctioned for constructing Compound walls by Andhra Pradesh. Expenditure incurred by Government of India is only Rs. 627.50 Cr. Central University will

start admissions from August 2018 in a temporary campus from Anantapur, Andhra Pradesh. Tribal University yet to be commenced. Government of Andhra Pradesh has sent DPR of Rs. 1,506 Cr. 8 of 11 institutions are functioning from temporary campuses, including one in campus in Tamil Nadu. AIIMS is scheduled to be commenced from the next academic year. Thousands of students from all over the country are studying in these institutions.

Comparison between National Institutions (No. of Students)			
S.No.	Institute	Andhra Pradesh	Others
1	IIT	330	8000(IIT Madras)
2	IIM	100	407 (IIM Bangalore)
3	IISER	700	1252 (IISER Pune)
4	NIT	480	3457(NIT Tiruchirappalli)
5	IIITDM	600	15222 (IIIT Hyderabad)
6	Central University	Yet to be established	5000 (University of Hyderabad)

To reach the level of other National Institutions, Andhra Pradesh needs support from the Center. A mere name sake support will not help.

Duggirajapatnam Port: The Government of India shall develop a new major port at Duggirajapatnam in the successor State of Andhra Pradesh to be completed in phases with Phase I by the end of 2018; Ministry of Shipping, Government of India informed Government of Andhra Pradesh on 5.3.2018 to suggest any alternative sites for development of a major port in Andhra Pradesh. But it has not been implemented yet.

We demand the Intervention of the Hon'ble Prime Minister in ensuring that the provision is implemented fully. The feasibility study done by NITI Aayog and Ministry of Shipping has concluded that the project is economically

not feasible and requires huge viability gap funding. NITI Aayog is not in favour of gap funding and have suggested Government of Andhra Pradesh to suggest alternate infrastructure project in place of the Port. There is very clear provision in the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 making it mandatory for Government of India to develop a new major port at Duggirajapatnam with a target to complete phase-I by the end of 2018. In spite of such a clear and emphatic provision in the Act, it is surprising to note that NITI Aayog has said that major port at Duggirajapatnam is not feasible; and that since this is a mandatory assurance in the Act, request intervention of the Hon'ble Prime Minister in ensuring that the assurance is implemented fully.

Vizag-Chennai Industrial Corridor (VCIC): The Government shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility of establishing a Vizag-Chennai industrial corridor along the lines of Delhi-Mumbai Industrial Corridor and take within such period an expeditious decision thereon.

For the development of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), an amount of Rs. 17,500 cr was contributed as equity through National Industrial Corridor Development & Implementation Trust (NICDIT). Additionally, a corpus of Rs 1,000 cr was provided as grant-in-aid to carry out project development activities. The funds were released to the SPVs formed between the Center and the respective State Governments.

The Government of India had earmarked Rs. 1,200 crores for development of infrastructure in the Dholera Investment Region in Gujarat and the Aurangabad Industrial Township (Shendra-Bidkin) in Maharashtra.

However in the case of Andhra Pradesh, the Government of India has not provided any grant for development of the VCIC. Only a loan of Rs. 4,170 cr (USD 625 million) was facilitated through the Asian Development Bank (ADB). On its part, the Government of Andhra Pradesh is contributing Rs. 1,434 cr (USD 215 million) for the development of the VCIC from its own budget.

Government of India should develop VCIC on the lines of DMIC through 100% grant funding by National Industrial Corridor Development & Implementation Trust (NICDIT), rather than through a loan to be repaid by the State Government.

Greenfield Crude Oil Refinery And Petro-Chemical Complex By HPCL-GAIL in Andhra Pradesh: IOC or HPCL shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility of establishing a greenfield crude oil refinery and petrochemical complex in the successor State of Andhra Pradesh, and take an expeditious decision thereon.

The Government of Andhra Pradesh has shown its full commitment to ensure an early finalization and commencement of this project by offering to fund all external connectivity & infrastructure, and providing significant subsidies on power and water usage by the proposed petrochemical complex, including: a) Power subsidy of Rs. 577 crores per annum; b) Water subsidy of Rs. 51 crores per annum; c) All external infrastructure and provision of utilities for the project.

Through the project, the gross tax revenue to Government of India would be to the tune of Rs. 3,150 crores per annum. However, the project did not

take off due to Government of India's insistence that the State Government provide an interest-free loan of Rs. 1,238 crores per annum, for 15 years from the zero-date, repayable over the next 15 years. Implementation of the petrochemical complex in Andhra Pradesh without any Viability Gap Funding (VGF) from the State

Tax Incentives: Under section 46 (2) (3), Government of India shall, while considering the special development package for the successor state of Andhra Pradesh, provide adequate incentives, in particular for Rayalaseema & North Coastal regions Under Section 94 (1) & (2). The Central Government shall take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives, to the successor states, to promote industrialisation and economic growth in both the States. The Central Government shall support the programmes for the development of backward areas in the successor States, including expansion of physical and social infrastructure..

Further, the Hon'ble Prime Minister of India has also made an announcement in Rajya Sabha on 20th February 2014 that Special status will be extended to the successor state of Andhra Pradesh comprising 13 districts, for a period of five years. This will put the State's finances on a firmer footing. Bill already stipulates that the central government shall take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives to the successor states in order to promote industrialization and economic growth in both the states. "These incentives will be along the lines extended to some other states."

Government of India shall have to give Tax Incentives to Andhra Pradesh, on par with those given to erstwhile Special Category States like North Eastern States, Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh to spur industrial and economic growth in terms of Section 94 (1). These incentives include exemption of Excise Duty, Income Tax, Capital Subsidy, Interest Subsidy, Freight Subsidy, Insurance premium etc.

However, Government of India has notified 15% of higher additional depreciation and 15% of investment allowance on the cost of plant and machinery for seven backward districts of Andhra Pradesh, which are not effective in attracting investments & Industrialization as envisaged under the Act.

Further, these incentives have been extended to various States like Telangana, West Bengal, and Bihar.

Recently, The Union Cabinet has approved the North East Industrial Development Scheme (NEIDS), 2017, which offers. GST-Reimbursement up to the extent of Central Government share of CGST and IGST for 5 years; Reimbursement of Centre's share of income tax for first 5 years; 30% of the investment in Plant & Machinery with an upper limit of Rs. 5 crore; 3% on working capital credit advanced; Reimbursement of 100% insurance premium on insurance for 5 years; Transport and Employment subsidy etc.

We demand that the same be extended to Andhra Pradesh.

Metro Rail Projects: The Central Government shall take all necessary measures as enumerated in the Thirteenth Schedule for the progress and

sustainable development of the successor States within a period of ten years from the appointed day.

The Government of India shall examine the feasibility of Metro Rail facility in Visakhapatnam and Vijayawada-Guntur-Tenali Metropolitan Urban Development Authority within period of one year from the appointed day and take an expeditious decision thereon.

As per the Provisions of the Act, the State Government initiated the feasibility study and submitted the DPR for Vijayawada Metro and Visakhapatnam Metro within one year (29.06.2015 & 29.11.2015). However, the expeditious decision on the part of the appropriate Government has not come through and instead the appropriate Government namely Government of India has delayed the decision making process and pushed these two projects to the new metro policy of 2017, after keeping in store these projects for two years, which is totally unjustifiable and in any case not in the interest of State of Andhra Pradesh.

When the Act specifically made a provision for examining the feasibility of Metro Rail Policy in Visakhapatnam and Vijayawada and for taking an expeditious decision, the under lying intention is to develop the facility within a reasonable time of 3 to 4 years. This obviously, has not happened due to the partisan attitude of the Central Government. Adding fuel to the fire, new metros have been sanctioned to Pune, Noida and Lucknow around the same time. This is despite the fact that in-principle approval for Vijayawada Metro has

been given by the Government of India on 22.09.2015 and the pre PIB meeting has cleared the proposal on 16.05.2016.

Amaravati & Hyderabad Connectivity: The Central Government shall take measures to establish rapid rail and road connectivity from the new capital of the successor State of Andhra Pradesh to Hyderabad and other important cities of Telangana. But it has not been implemented. NHAI, after agreeing for a 200 meter width/8 lane Amravati-Anantapur Exp. Highway, has now asked Andhra Pradesh to restrict it to 100 meter width/4 lane. The State R&B Dept has already done peg-marking for acquisition of land for 8-lane Exp-way. Till now, NHAI has not allotted highway number for this proposed Exp. Highway.

NHAI to finalise the Agency and start the project with a view to provide connectivity to Rayalaseema districts. Two existing National highways connecting Amaravati and Telangana, Hyderabad-Suryapeta-Kodada-Nadigama-Vijayawada (NH-65 with 4 lane). Bhadrachalam-Kothagudem-Tiruvure-Ibrahimpattanam-Vijayawada (2/4 lane of NH-30). Government of India declared the Miryalaguda (Telangana)-Piduguralla-Narsaraopet-Chilakaluripet near Amaravati as National highway (NH-167 A). Existing Hyderabad to Vijayawada NH-65 is to be widened to 6-lane and NHAI invited tenders for study of DPR. Existing Bhadrachalam to Vijayawada NH-30- part of the road is 4-lane and major length of the road is of 2-lane with paved shoulders. It is to be widened to 4-lane. Approximate amount required is Rs. 600.00 Cr. Miryalaguda to Amaravati NH-167 A is a newly declared National Highway. For preparation of DPR for 4-lane, bids have been invited by (R&B) National

Highways Department. Approximate amount required is Rs. 1400.00 Cr. An Expressway Hyderabad- Vijayawada-Amaravati (275 km) is proposed and the bids are called for Preparation of DPR for this Expressway by the NHAI and agency is to be finalized. NHAI, after agreeing for a 200 meter width/8 lane Amaravati-Anantapur Exp. Highway, has now asked Andhra Pradesh to restrict it to 100 meter width/ 4 lane. The State R&B Dept has already done peg-marking for acquisition of land for 8-lane Exp-way.

Expanding Airports: The Government of India shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility of expanding the existing Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati Airports to international standards and take an expeditious decision thereon. Government of Andhra Pradesh has acquired and handed over the required lands for expansion of the Airports at Vijayawada & Tirupati to make them on par with International standards. However, AAI has spent very meagre amounts in upgrading the airports and failed to make necessary arrangements for operationalisation of International flights. We demand that AAI to take immediate measures for operationalising international flight services at Vijayawada & Tirupati.

Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati Airports have been given International status. International flights are already operating from Visakhapatnam. Government of Andhra Pradesh has handed over an extent of 698 Acres. At Vijayawada and 732 Acres at Tirupati to AAI for expansion and necessary funds have also been released for relocation of utilities. For Vijayawada and Tirupati airports, transit terminals have been constructed and

runways are being expanded. Government of India in Gazette No. 1724, dt. 20.06.2017 has declared Vijayawada Airport as International Airport w.e.f. 01.08.2017. Various Airlines are willing to start International flights from Vijaywada and Tirupati. Despite 60% growth of passenger traffic, the capital Airport of Vijayawada is not yet operational for international flights.

Increasing No. of Assembly Seats: Subject to the provisions contained in article 170 of the Constitution and without prejudice to section 15 of this Act, the number of seats in the Legislative Assembly of the successor State of Andhra Pradesh shall be increased from 175 to 225. But it has not been implemented. Ministry of Home Affairs should take further action. The 07 mandals merged with Andhra Pradesh to facilitate completion of Polavaram Project are predominantly tribal. These mandals have to be made part of concerned Assembly/Parliament constituencies to ensure their representation in Assembly/Parliament.

Greyhound Training Center: The Central Government shall assist the successor State of Andhra Pradesh to set up a similar (Greyhound Training Centre) state-of-the-art training centre at such place as the State Government of Andhra Pradesh may be order notify. DPR has already been submitted By Government of Andhra Pradesh. Ministry of Home Affairs to act on the DPR of Rs. 858.37 crore.

Pending (AP & TS) Interstate Issues: All pending issues on division of assets and liabilities of IXth Schedule institutions including Singareni Collieries, Xth institutions, Andhra Pradesh Bhavan etc. have been referred to Government of

India for resolution in May, 2017. It is pending with Government of India. We demand that Government of India to resolve all the issues in a specified time frame.

*** PROF. RICHARD HAY (KERALA):** I oppose the motion.

In my opinion, the Government of India has done its best to safeguard the interest of Andhra Pradesh. Our country is the fastest growing economy in the world due to the exemplary efforts put in by the Government of India. Indian economy has risen from doldrums-the aftermath of mismanagement of economy during the UPA regime.

India's prowess in IT is now the envy of the world. It is also the fastest growing Knowledge Economy.

The energy generated by the vision of the Hon. Prime Minister is unparalleled. India ranks 100 out of 190 countries in Ease of Doing Business. People have accepted well the Government of India due to its credible and consistent performance. Good governance is the key factor that attracts the citizens. This Government is Development-oriented, Corruption-free, Scam-free and practices the principle of Inclusive Growth. Government is working hard to solve problems of Unemployment, Malnutrition, Agri-crisis, Quality Education, Universal Health Care, Electrification of all Villages etc.

Also challenges posed by Terrorism, Climate change, Pollution are addressed practically. Minorities are well taken care of through innovative schemes.

* Speech was laid on the Table

This Government is progressive in its outlook and the management of the economy is outstanding. Inflation is controlled, GDP is promising, Demonetisation- a daring act, ended corruption, Lakhs of shell companies closed, Rise in number of tax-payers, DBT, Swachh Bharat Mission, Financial inclusion, Pragmatic Foreign Policy, Curb on Money-laundering, China being tamed, most favoured FDI destination- building a New Bharat.

All these point to one important fact that India has become a land of opportunities for all.

*श्रीमती संतोष अहलावत (झुन्झुनू): मैं अविश्वास मोशन में सरकार के पक्ष में हूँ।

* Speech was laid on the Table.

* **SHRI KONAKALLA NARAYANA RAO (MACHHILIPATNAM)** : I wish to bring to you kind notice the grave injustice caused to the State of Andhra Pradesh due to inconsistencies in A.P. Reorganization Act, 2014 and non implementation of assurances made by the then Hon'ble Prime Minister on the floor of Rajya Sabha on 20.02.2014. The un-scientific process adopted by then UPA Government without adequate and serious consultations with key stakeholders, absence of consensus among the key political parties and lack of transparency while passing the A.P. Reorganization Bill has resulted in severe economic and put and severe financial burden on AP Government.

The APR Act 2014 (Act 6 of 2014) was notified on the 1st of March, 2014. 2nd June, 2014 was notified as the Appointed Day, the day on which the state of Andhra Pradesh was bifurcated into the state of Telangana and the state of Andhra Pradesh.

Lack of adequate and serious consultations with key stake holders, absence of consensus amongst key political parties, lack of transparency haphazard mode of drafting the bill characterized the process of bifurcation. Despite series of agitations from the people, scant regard was shown to their feelings/aspirations and this had causes serious disenchantment amongst people of Andhra Pradesh.

* Speech was laid on the Table.

The inconsistencies in the Reorganization act and the actions of the Government of India causing injustice to the state of Andhra Pradesh are given below :

46% of the estimated revenue was given to Andhra Pradesh against a population of 58%, which has been confirmed by the 14th Finance Commission.

Assets are given on location basis (most of which were located and thus left behind in Hyderabad), whereas liabilities are divided on population basis

.
The pension liability of the combined state is also divided on population basis.

The power allocation was done on consumption basis.

The refund of taxes, a liability, was allocated on population ratio, whereas deferred tax collections, which is an asset, is given on location basis (being treated as the location of the Head Office which are mostly in Hyderabad). This alone has caused a huge loss of about Rs. 3,800 crores to the state of Andhra Pradesh. This anomaly was not addressed despite several requests to Home and Finance Ministries.

The State of Andhra Pradesh lost its capital city, institutions manufacturing centers and service sector hubs while inheriting the drought prone and cyclone prone areas.

The new state of Andhra Pradesh is predominantly agrarian. The contribution of the Agriculture sector which was 23% in the combined state during 2013-14, is 34% during 2017-18 for the new state of Andhra Pradesh,

pointing towards the loss of manufacturing and service sector areas due to unscientific bifurcation. The Service sector which generates higher tax revenue and higher per capita income, contributes about 44% to the economy of Andhra Pradesh, which is considerably lower compared to other southern states viz., Telangana (63%), Tamil Nadu (57%), Karnataka (64%) and Kerala (64%) and all India average of 53%.

Broad sector-wise GVA/GSDP/GDP estimates of southern states all India at current prices and its contribution (Rs. In crores)

Sl. No	Industry	2016-17 (AE)				
		AP	TG	TN	Kar	All India(Lakh Cr.)
1	Agriculture	203860	92162	137080	117132	23.82
	% of contributions	31.77	15.34	11.39	11.68	17.32
2	Industry	142651	132742	381732	237518	39.90
	% of contributions	22.23	22.10	31.72	23.68	29.02
3	Services	295186	375762	684444	648256	73.79
	% of contributions	46.00	62.56	56.88	64.64	53.66
	GVA	641697	600666	1203256	1002906	137.51
	GSDP/GDP	699307	646265	1298511	1132690	151.84

The per capita income of the combined state of Andhra Pradesh was Rs. 89,214 for the year 2013-14. The per capita income of remaining 13 districts of Andhra Pradesh for the same year stood at Rs. 82,870 whereas it was Rs. 1,12,162 for the state of Telangana, highlighting the loss of higher income generating areas to Telangana. Despite the highest average economic growth

in the country during last four years, Andhra Pradesh with a per capita income of Rs. 1.42 lakh continues to lag behind the other Southern Indian states which have crossed the mark of Rs. 1.74 lakh per capita income, amounting to a huge debilitating gap of around Rs. 32,000+per person in Andhra Pradesh.

PER CAPITA INCOME IN SOUTHERN STATES

STATES	PER CAPITA INCOME (In Rupees)							
	2013-14	Gr. Rate(%)	2014-15	Gr. Rate(%)	2015-2016	Gr. Rate(%)	2016-17	Gr. Rate(%)
A.P. (Combined) (2004-05 base)	89214	12.99	-	-	-	-	-	-
Andhra Pradesh	82870	10.96	93699	13.07	108163	15.44	122376	13.14
Telangana	112162	11.24	124058	12.02	137955	9.63	155612	12.80
Tamil Nadu	116583	11.00	130197	11.68	137837	5.87	153263	11.19
Karnataka	119023	17.01	132880	11.64	142906	7.55	157474	10.19
Kerala	123388	11.85	139195	12.81	147190	5.74	NA	NA
All India	79146	11.46	86513	9.31	94130	8.80	103219	9.66

Special Category Status (SCS) : UPA Cabinet passed resolution for SCS in March 2014 and forwarded it to Planning Commission, which asked National Development Council (NDC) to take decision.

Citing constraints of 14th Finance Commission's recommendations, Finance Minister Arun Jaitley announced SAM (Special Assistance Measure). Stating that all ingredients of SCS including industrial incentives would be made available with SAM. It was informed to the State Govt. that after introduction of GST, the Assistance & Incentives offered to SCS States would lapse. Government of Andhra Pradesh expected that SAM would be implemented in letter and spirit by Government of India at par with other Special Category States (N.E. and Hill States)

However, Government of India has extended Central Assistance measures & Incentives to SCS States In Aug'17 . A new industrial incentive package has been given to NE States in Mar'18.

Union Cabinet approved to grant SAM to Andhra Pradesh in Mar'17 to provide Legal sanctity. But failed to issue any detailed Orders to implement it in letter and spirit as assured.

Initially, for providing SAM, the EAP mechanism was suggested by Government of India. But, no Orders were issued. Andhra Pradesh Govt. requested to at least provide SAM through NABARD/HUDCO/Banks. But Government of India proposed formation of Special Purpose Vehicle (SPV) and has put the burden of borrowing on the FRBM(Fiscal Responsibility and Budgetary Management) limits of the State. Further, no written communication was issued till date clarifying this issue.

For providing Central Assistance to SCS States, formation, of SPV was never sought, where as in the case of Andhra Pradesh, SPV is being insisted upon which again is an example of insincerity and indifference.

Regarding Special Category Status/Special Assistance Measure during the discussion on the AP re-organization bill, the then Prime Minister in the Rajya Sabha on 20, February 2014 assured that "For the purpose of central assistance, Special Category Status will be extended to the successor State of Andhra Pradesh for a period of five years. This will put the States finances on

a firmer footing." Accordingly, the Union Cabinet at its meeting held on March 1, 2014 had decided to accord special category status to the Successor State of Andhra Pradesh for a period of five years. The Government of India have not issued the orders so far to assign Special Category Status to Andhra Pradesh. State Government made request several times to issue the orders in this regard. Hon'ble Chief Minister also addressed the Prime Minister in this regard.

Due to constant persuasion of the Hon'ble Chief Minister, Government of India announced a special package, on 8th September, 2016 and on their commitment to provide assistance to Andhra Pradesh. It is mentioned regarding the special status as below:

"The statement of the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh on 20-2-2014 contains six paragraphs. There are no issues with regard to five out of six paragraphs. With regard to first point i.e. the grant of special status, an apparent conflict has set in, between the statement and the recommendations of the Fourteenth Finance Commission which came subsequently. On page 17 (para 2.29 & 2.30 of the report, the Commission has stated (inter alia)"

" We did not make a distinction between special and general category states in determining our norms and recommendations. In our assessment of State resources, we have taken into account the disabilities arising from constraints unique to each State to arrive at the expenditure requirements. In this regard, we have observed that the North-eastern and hill States have several unique features that have a bearing on their fiscal resources and expenditure needs, such as low level of economic activity,

remoteness and international borders. Our objective has been to fill the resource gaps of each State to the extent possible through tax devolution. However, we have provided post-devolution revenue deficit grants for States where devolution alone could not cover the assessed gap...."

We are of the view that intra-state inequality is within the policy jurisdiction of the States and provisioning of adequate resources through tax devolution should enable them to address intra-state inequalities in an effective manner"

Thus following the recommendations of the 14th Finance Commission, the class of special category states ceases to exist. However, the Central Government has announced a special assistance measure for Government of Andhra Pradesh for five years, which would make up for the additional Central share the State might have received during these years, i.e. 2015-16 to 2019-20, if the funding of CSS would have been shared at the ratio of 90:10 between the Centre and State. The special assistance will be provided by way of repayment of loan and interest for the Externally Aided Projects (EAP) signed and disbursed during 2015-16 to 2019-20 by the State.

The Government of India approved the above special Assistance measures in the Union Cabinet meeting held on 15-03-2017.

It is pertinent to note that even though it is noted that 14th Finance Commission have not made any distinction between Special Category and General States, Central Government is continuing to give funds in the ratio of 90:10 under CSS and EAP like previous practice to the Special Category States.

As per the above package, State Government computed the amount that State might have received in the ratio of 90:10 under CSS and arrived at Rs.2,951 crores in 2015-16 and Rs.2,992 crores in 2016-17. Government of India computed it as Rs.2,516 crores for 2015-16 by deducting the Central Sector Schemes and other schemes for which sharing pattern is same for Special Status and other States. Based on these lines, the amount for 2016-17 is computed, which comes to Rs.2,854 crores. Thus, there is a growth of 13.43%. Assuming the same growth, this amount comes to Rs.3,238 crores in 2017-18, Rs.3,673 crores in 2018-19, Rs.4,166 crores in 2019-20. Thus, it is tentatively arrived at RS.16,447 crores for 5 years i.e. 2015-16 to 2019-20. We presumed that this amount would come under EAP as grant from Government of India and a provision of Rs.3,500 crore was made in the Budget 2017-18. We also presumed this would not form part of FRBM limits.

Apart from this, the Special Category States are eligible for grants under CSS as well as Externally Aided Projects at 90:10 ratio. However, the announcement of Special Package to our State did not mention EAP. Hence, it is requested that special assistance at 90:10 ratio for Externally Aided Projects as being given to Special Category States may also be awarded to the State of Andhra Pradesh for all the ongoing projects and projects signed from 2015-16 to 2019-20.

As the State Government may not be eligible to spend this amount on EAP projects in the stipulated 5 years, we requested the Government of India to permit the State Government to provide Special Assistance at 90:10 ratio for

externally aided projects as well as CSS(Central Sponsored Schemes), as being given to Special Category States which tentatively comes to about Rs.20,010 crores as assistance from Government of India.

Permit the State Government to clear other outstanding loans towards EAPs, Small Savings and NABARD. Borrow from internal lender like NABARD, HUDCO and other Commercial Banks. Use the gap to pay interest commitments to Government of India, NABARD and EAPs. Not to make the Special Assistance as a part of State's FRBM Limit. Government of India in response to our letter dated 3-6-2017 of the above proposals, it is intimated on 10-7-2017 that the special assistance measures will be given to the State by way of repayment of loans and interest under EAP signed and disbursed during 2015-16 to 2019-20. The EAP loans will be given to the State in the present procedure only i.e. within the FRBM limits. It is also stated that the special Assistance will not be given for other purposes such as repayment of loans.

Hon'ble Chief Minister addressed the Union Finance Minister on 27-7-2017 and 25-9-2017 to reconsider the issue and special assistance measures should be given to repay the loans etc as indicated. Since the clearance of DEA and external agencies may take time and grounding the same. Therefore it is suggested, that the special dispensation amount as arrived above (Rs. 16,447 crore), may be provided to the Andhra Pradesh for the specified projects from the NABARD instead of EAP loans. This will facilitate the State

government for early commencement of the projects and to avail the special assistance measures announced to our State.

But since the Union Government failed to honour its commitment and Special Category Status is extended to North Eastern States in March 2018, we reiterate our demand to extend SCS to AP also on a par with other SCS State.

Polavaram Project :The Polavaram Irrigation Project, on river Godavari, is a lifeline for the State of Andhra Pradesh and recognizing this the Government of India has declared it as a National Project (NP) under section 90 of Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014. The Government of Andhra Pradesh has been diligently pursuing completion of the project and about 57% of the total work has been completed with an expenditure of Rs. 14,141.80 Crores upto the end of June 2018.

After declaration of the project as a National Project, an amount of Rs. 9005.93 Crores has been spent upto the end of June, 2018 from State Government funds. Of this, Rs. 6727.26 Crores only has been reimbursed till date leaving a balance of Rs. 2278.67 Crores to be reimbursed.

Para 5.3 of the Cabinet note dated 29.04.2014 reads as follows about the financing of the project: "5.3 The existing guidelines of AIBP envisage execution of the project. As such with a view to expeditiously complete the project, by the state Government, whereas in the instant case, the Central Government is mandated to execute the project. As such with a view to expeditiously complete the project it is requested that a dispensation may

kindly be considered to include the expenditure that has already been incurred on the project by the State Government as the state's share. In relaxation of AIBP and National Project guidelines, it is proposed that all further expenses on Polavaram Project and that of the Authority may be borne by the Central Government out of grants-in-aid under the scheme for the National Project. The previously approved estimate cost is Rs. 16010.45 Crores at 2010-11 price level, which is likely to increase considering time and cost over-runs including in Command area development works and increased compensation due to project affected families under the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)"

On 01.05.2014 the Union Cabinet had approved that all further expenses on Polavaram Project would be borne out of grants-in-aid under the scheme for the National Project a special dispensation. Subsequently, on 08.09.2016 the Union Finance Minister announced that Central funding would be provided for the remaining cost of Irrigation component of Polavaram Project assessed as on 01.04.2014. Accordingly, the Revised Cost Estimate (RCE) of the project for the balance quantities as on 01.04.2014 (i.e. 2013-14 price level) has been furnished for Rs. 57,940.86 Crores to CWC on 16.08.2017. Replies to all the observations of CWC have also been furnished by the project authorities.

At present, the expenditure incurred on the project by the State is being reimbursed within the originally approved Cost Estimate (i.e. 2010-11 price

level) of Rs. 16010.45 Crores pending approval of RCE (2013-14). The balance Irrigation component provision available for reimbursement is Rs. 431.27 Crores though the amount due for reimbursement is Rs. 2278.67 Crores.

All the steps required for timely completion of works, have been taken by the Government of Andhra Pradesh for improving the progress of Head Works. The land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement (LA&RR) works are also progressing in parallel to the construction of Polavaram Project so as to derive timely benefits of the Project.

Hence, in order to aid early completion of the project it is essential that Government of India (i) direct the concerned authorities to expedite the approval of the Revised Cost Estimate of the project. (ii) ensure timely release of funds in advance to the State Government to ensure speedy execution. As on date Rs. 2278.67 Crores is pending reimbursement from Government of India.

Revenue Deficit : The resource gap that may arise in the successor state of Andhra Pradesh in the very first year, especially during the period between the appointed day and the acceptance of the 14th Finance Commission recommendations by the Government of India, will be compensated in the Regular Union Budget for 2014-15.

As against a Revenue Deficit of Rs. 16,078.76 Cr. Certified by a Constitutionally inundated body, the CAG, the Government of India has irrationally arrived at a figure of Rs. 4,117.89 Cr. Using an unheard terminology

called "Standard Expenditure". Part of this money is yet to be given even after 4 years.

In the Process of trying to bring down the Revenue Deficit figures, Government of India calculated the Social Security Pension amount for only one month, instead of 10 months (June 2014 to March 2015)

Government of India has to release the entire balance revenue deficit, as certified by CAG. The resource gap in the successor State of Andhra Pradesh from 1st year, especially during the period between appointed day and the acceptance of the 14th Finance Commission recommendations by the Government of India has to be compensated in the regular union budget for the year 2014-15. AG certified Revenue deficit of Rs. 16078.76 crores. Gol so far released Rs. 3,979.50 crores. Gol indicated that entitlement of State Government is Rs. 4117.89 crores only and indicated that balance Rs. 138.39 crores only would be released. A.P. Chief Minister requested Hon'ble Prime Minister to release the entire balance amount of revenue deficit as certified by CAG/Accountant General.

Capital Amaravati: Government of India shall provide special financial support for the creation of essential facilities in the new Capital of the Successor State of Andhra Pradesh including the Raj Bhawan, High Court, Government Secretariat, Legislative Assembly, Legislative Council and such other essential infrastructure. Shri Narendra Modi Ji assured a new Capital better than Delhi. Rs. 1500 crores only has been released towards the Capital City while Rs. 1000 crores released for improving the underground drainage in

Vijayawada and Guntur towns is projected as released for Capital City. Government of Andhra Pradesh have submitted a detailed Project Report for Rs. 39,937 crores for creation of essential facilities in the new Capital and essential infrastructure. Gol Should fund for Capital City based on the DPR.

Government of India support is totally inadequate and not in line with the promise made by the present PM and with the provisions of the Act. Rs. 1,500 crores only was released towards Infrastructure of Capital City. Rs. 1,000 crores released for improving the underground drainage in Vijayawada and Guntur towns is projected as released for Capital City promised to release Rs. 1,000 crore in the coming years. Request for complete funding towards development of Capital City as per DPR. NITI Aayog has recommended for release of Rs. 666 crores on 4.5.2018. The same has not been released so far. Under a unique 'Land Pooling Scheme' devised by Government of Andhra Pradesh farmers handed over 33,000 acres of land valued at more than Rs. 50,000 crores for the construction of Greenfield capital 'Amaravati'. Rs. 1,500 Crore only was released towards Infrastructure of Capital City. Rs. 1,000 crore released for improving the UGD Vijayawada & Guntur towns is projected as release for Capital City. Government of India promised to release Rs. 1,000 crore in the coming years. All UCs (Utilisation Certificates) have been submitted and NITI Aayog approved them. Demand Government of India for complete funding towards development of Capital City as promised by the prime minister in various meetings in Nellore, Tirupati and during the foundation laying ceremony of capital city Amaravati in 2015.

Development of Backward Districts : The Bill provides for a special development package for the backward regions of the successor state of Andhra Pradesh, in particular for the districts of Rayalaseema and North Coastal Andhra Pradesh. This development package will be on the lines of K-B-K (Koraput-Bolangir-Kalahandi) Special Plan in Odisha and the Budelhand special package in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Special development package that was submitted to the then Planning Commission, i.e: Rs. 24,350 Cr shall be sanctioned. As desired by the Planning Commission, the Government of India Andhra Pradesh submitted a proposal on 16.10.2014 to Government of India for a special development package of 7 backward districts for an amount of Rs. 24,350 Cr. But, only Rs. 1,050 Cr. Released. Under Bundelkhand Package, per head allocation of Rs. 4,115 has been done. Whereas, for AP, per head, Rs. 428.57 only was given.

Government of India released Rs. 350 crore on 09.02.2018 and in an unprecedented manner, took back the same on 15.02.2018 reportedly on the instructions of PMO. Hon'ble Chief Minister requested the Hon'ble Prime Minister on 23.06.2014 and 24.08.2014 to release the funds under SDP during 2014-15.

Chief Secretary to Government on 06.09.2014 and 16.10.2014 requested the Planning Commission to sanction the Special Development Package (SDP) proposal. A meeting was held by the advisor (SP_Andhra Pradesh), Planning Commission with the officials of State Government on 02.12.2014 at New Delhi to discuss SDP proposal. As desired by the Planning

Commission in the above meeting, the Government of Andhra Pradesh submitted a proposal on 16.10.2014 to Government of India for a special development package of 7 backward districts (i.e., 4 Rayalaseema and 3 North Coastal districts) as per section 46(2) & 46(3) of Andhra Pradesh re-organisation Act, 2014 for an amount of Rs. 24,350 crore.

Sector wise funds proposed to the Government of India under SDP are as below:

Sl. No.	Sector/Department	Amount Proposed (Rs. In Crore)
1	PR Roads	6929.96
2	R&B	2336.00
3	Minor Irrigation	2087.25
4	Rural Water Supply & Sanitation	2078.48
5	Women Development & Child Welfare	1199.80
6	Skill Development	500.00
7	Marketing support to Self Help Groups	500.00
8	Agriculture	2906.00
9	Horticulture	1592.19
10	Horticulture Micro Irrigation	1720.08
11	Animal Husbandry	669.00
12	Fisheries	1064.80
13	Dairy Development	500.00
14	Cyclone Mitigation Measures	100.00
15	Project Management	165.55
Total		24350.00

Hon'ble Chief Minister requested the Vice Chariman, NITI Aayog on 05.05.2015 to release the SDP funds to the State and also requested for a provision of Rs. 5000 crore during 2015-16 for financing the Special

Development Package. Chief Secretary re-iterated the request of Hon'ble Chief Minister through letter addressed to CEO, NITI Aayog on 06.05.2015.

As on date, the Government of India have released an amount of Rs. 1050 crore during the years 2014-15, 2015-16 and 2016-17 (@ Rs. 150.00 crore each for 7 backward districts of Rayalaseema and North Coastal region) in three instalments. The total amount of Rs. 1050 crore was in turn released to the District Collectors for taking up the projects that will ameliorate the backwardness of the districts. The detailed guidelines were also issued from time to time to the District Collectors for identification, appraisal and sanction of the projects.

Government of India released Rs. 350 crores on 09.02.2018 and took back the amount on 15.02.2018. A total of 23,329 works with an estimated cost of Rs. 1600.06 crores are sanctioned. Out of which, 14,089 works are completed, 4,445 are under progress. Rs. 946.47 crores expenditure is incurred so far. Important works sanctioned are road works, drinking water, minor irrigation works, anganwadi building, agriculture etc.

The State Government have so far submitted consolidated Utilisation certificates for an amount of Rs. 946.47 crores so far based on the U.Cs received from the districts and requested for release of next instalment of Rs. 350 crores from Government of India.

Government of India released Rs. 350 crores on 09.02.2018 and took back the amount on 15.02.2018.

New Railway Zone: Indian Railways shall, within six months from the appointed day, examine establishing a new railway zone in the successor State of Andhra Pradesh and take an expeditious decision thereon;

We demand from the Government of India to constitute a new Railway zone with Visakhapatnam as the Headquarters. At present, South Central Railways is catering for the railway needs of major portion of AP and certain parts of Maharashtra and minor portion of Karnataka and the South Central Railway is having six Railway divisions namely, Secunderabad, Hyderabad, Nanded, Vijayawada, Guntur and Guntakal. The Visakhapatnam (Waltair Division) is under East Coast Railway with headquarters at Bhubaneswar and all the districts of North Andhra are under Vishakhapatnam Division.

Kadapa Steel Plant: Section-93 of AP Reorganisation Act, 2014 states that the Central Government shall take all necessary measures as enumerated in the XIII Schedule for the progress and sustainable development of the successor States within a period of ten years from the appointed day. The XIII Schedule States that SAIL shall examine, within 6 months from the appointed day, the feasibility of establishing an Integrated Steel Plant in Kadapa District of the successor State of Andhra Pradesh.

To examine the feasibility of setting up the steel plant, the Government of India set up a Taskforce with representatives from Gol, Government of AP, Telengana State and Central PSUs to suggest ways & means for making the steel plant viable. The first meeting of the Taskforce was conducted on 7th

December 2016 and MECON was directed to submit a revised financial feasibility report within one month.

Distressed by the abnormal delay Shri C.M. Ramesh, MP, Rajya Sabha and Shri Ravi, MLC hailing from Kadapa region had gone on fast unto death from 20-06-2018. Their health had deteriorated and the same has triggered strong emotions among the people of the State. Agitations had been launched in different parts of the State raising concerns of law and order. The Hon'ble Chief Minister convinced Shri Ramesh and Shri Ravi to break their fast with a promise to bring resolution to the issue.

Based on discussions with all stakeholders, options available under existing MMDR Rules for setting up the integrated steel plant are a)By Government of India or its PSUs b)Through a Joint Venture between Government of India & Government of Andhra Pradesh c) By Government of Andhra Pradesh or its PSUs

As a measure of our commitment to make the integrated steel plant a reality, Government of Andhra Pradesh has agreed to provide a plethora of incentives for the plant, some of which are unique and provided for the first time to any Industry. Though these would place considerable strain on the state's resources, they are being offered to make the steel plant a reality at an early date. Some of the incentives offered and facilitation measures are listed below:

Allocation of iron ore mines (with huge potential reserve of 266 million tonnes) for captive purpose, without any additional cost. Subsidized and

uniform land rate of Rs. 4 lakhs/Acre, irrespective of land type. Fixed power cost reimbursement @1.00 per unit for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production. Reimbursement of 100% of stamp duty and transfer duty paid on purchase of lease of land.

Reimbursement of 50% of net VAT/CST or SGST for a period of 7 years from the date of commencement of commercial production or up to realization of 100% fixed capital investment, whichever is earlier. Other Incentives as per the State's Industrial Policy

Establishment of external power supply infrastructure at Government of Andhra Pradesh cost to make power available at the plant boundary. Establishment of external water supply infrastructure at GoAP cost to make water available at the plant boundary from the nearest water reservoir.

Though Kadapa District was identified as a backward district by NITI Aayog, Government of India, has been intentionally avoiding the establishment of Steel Plant here, Given the reluctance of Government of India to move forward with the project , and taking into account the deeply felt development needs of the region, the State Government is willing to set up the Steel Plant, provided, the following support is extended by the Gol:

Full exemption of GST for the first 7 years after start of commercial production

- Corporate Tax Exemption of a period of any 10 years out of first 15 years from start of commercial production.

- Exemption of import duty for the period of 10 years on capital goods as well as raw material imports;
- Provide all clearances required.

Given the fact that the Government of India stands to gain about Rs. 660 crore annually by way of corporate tax and CGST in addition to import duties on capital equipment, the Government of India should come forward to provide the above concessions without much difficulty and make the Kadapa Steel Plant a reality.

Establishment Of Institutions:_ The Government of India shall take steps to establish institutions of national importance in the 12th and 13th Plan periods in the successor State of Andhra Pradesh. This would include one IIT, one NIT, one IIM, one IISER, one Central University, one Petroleum University, one Agricultural University and one IIIT. Not even a Single Permanent Campus constructed so far. Government of India should take steps for time bound completion of infrastructure and recruitment of regular faculty' through adequate allocation of funds.

Land worth Rs. 11,600 Cr was handed over and Rs. 138 crores sanctioned for constructing Compound walls by Andhra Pradesh. Expenditure incurred by Government of India is only Rs. 627.50 Cr. Central University will start admissions from August 2018 in a temporary campus from Anantapur, Andhra Pradesh. Tribal University yet to be commenced. Government of Andhra Pradesh has sent DPR of Rs. 1,506 Cr. 8 of 11 institutions are

functioning from temporary campuses, including one in campus in Tamil Nadu. AIIMS is scheduled to be commenced from the next academic year. Thousands of students from all over the country are studying in these institutions.

Comparison between National Institutions (No. of Students)			
S.No.	Institute	Andhra Pradesh	Others
1	IIT	330	8000(IIT Madras)
2	IIM	100	407 (IIM Bangalore)
3	IISER	700	1252 (IISER Pune)
4	NIT	480	3457(NIT Tiruchirappalli)
5	IIITDM	600	15222 (IIIT Hyderabad)
6	Central University	Yet to be established	5000 (University of Hyderabad)

To reach the level of other National Institutions, Andhra Pradesh needs support from the Center. A mere name sake support will not help.

Duggirajapatnam Port: The Government of India shall develop a new major port at Duggirajapatnam in the successor State of Andhra Pradesh to be completed in phases with Phase I by the end of 2018; Ministry of Shipping, Government of India informed Government of Andhra Pradesh on 5.3.2018 to suggest any alternative sites for development of a major port in Andhra Pradesh. But it has not been implemented yet.

We demand the Intervention of the Hon'ble Prime Minister in ensuring that the provision is implemented fully. The feasibility study done by NITI Aayog and Ministry of Shipping has concluded that the project is economically not feasible and requires huge viability gap funding. NITI Aayog is not in favour

of gap funding and have suggested Government of Andhra Pradesh to suggest alternate infrastructure project in place of the Port. There is very clear provision in the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 making it mandatory for Government of India to develop a new major port at Duggirajapatnam with a target to complete phase-I by the end of 2018. In spite of such a clear and emphatic provision in the Act, it is surprising to note that NITI Aayog has said that major port at Duggirajapatnam is not feasible; and that since this is a mandatory assurance in the Act, request intervention of the Hon'ble Prime Minister in ensuring that the assurance is implemented fully.

Vizag-Chennai Industrial Corridor (VCIC): The Government shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility of establishing a Vizag-Chennai industrial corridor along the lines of Delhi-Mumbai Industrial Corridor and take within such period an expeditious decision thereon.

For the development of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), an amount of Rs. 17,500 cr was contributed as equity through National Industrial Corridor Development & Implementation Trust (NICDIT). Additionally, a corpus of Rs 1,000 cr was provided as grant-in-aid to carry out project development activities. The funds were released to the SPVs formed between the Center and the respective State Governments.

The Government of India had earmarked Rs. 1,200 crores for development of infrastructure in the Dholera Investment Region in Gujarat and the Aurangabad Industrial Township (Shendra-Bidkin) in Maharashtra. However in the case of Andhra Pradesh, the Government of India has not

provided any grant for development of the VCIC. Only a loan of Rs. 4,170 cr (USD 625 million) was facilitated through the Asian Development Bank (ADB). On its part, the Government of Andhra Pradesh is contributing Rs. 1,434 cr (USD 215 million) for the development of the VCIC from its own budget.

Government of India should develop VCIC on the lines of DMIC through 100% grant funding by National Industrial Corridor Development & Implementation Trust (NICDIT), rather than through a loan to be repaid by the State Government.

Greenfield Crude Oil Refinery And Petro-Chemical Complex By Hpcl-Gail In Andhra Pradesh: IOC or HPCL shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility of establishing a greenfield crude oil refinery and petrochemical complex in the successor State of Andhra Pradesh, and take an expeditious decision thereon.

The Government of Andhra Pradesh has shown its full commitment to ensure an early finalization and commencement of this project by offering to fund all external connectivity & infrastructure, and providing significant subsidies on power and water usage by the proposed petrochemical complex, including: a) Power subsidy of Rs. 577 crores per annum; b) Water subsidy of Rs. 51 crores per annum; c) All external infrastructure and provision of utilities for the project.

Through the project, the gross tax revenue to Government of India would be to the tune of Rs. 3,150 crores per annum. However, the project did not take off due to Government of India's insistence that the State Government

provide an interest-free loan of Rs. 1,238 crores per annum, for 15 years from the zero-date, repayable over the next 15 years. Implementation of the petrochemical complex in Andhra Pradesh without any Viability Gap Funding (VGF) from the State

Tax Incentives: Under section 46 (2) (3), Government of India shall, while considering the special development package for the successor state of Andhra Pradesh, provide adequate incentives, in particular for Rayalaseema & North Coastal regions

Under Section 94 (1) & (2) : The Central Government shall take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives, to the successor states, to promote industrialisation and economic growth in both the States. The Central Government shall support the programmes for the development of backward areas in the successor States, including expansion of physical and social infrastructure..

Further, the Hon'ble Prime Minister of India has also made an announcement in Rajya Sabha on 20th February 2014 that Special status will be extended to the successor state of Andhra Pradesh comprising 13 districts, for a period of five years. This will put the State's finances on a firmer footing. Bill already stipulates that the central government shall take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives to the successor states in order to promote industrialization and economic growth in both the states. "These incentives will be along the lines extended to some other states."

Government of India shall have to give Tax Incentives to Andhra Pradesh, on par with those given to erstwhile Special Category States like North Eastern States, Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh to spur industrial and economic growth in terms of Section 94 (1). These incentives include exemption of Excise Duty, Income Tax, Capital Subsidy, Interest Subsidy, Freight Subsidy, Insurance premium etc

However, Government of India has notified 15% of higher additional depreciation and 15% of investment allowance on the cost of plant and machinery for seven backward districts of Andhra Pradesh, which are not effective in attracting investments & Industrialization as envisaged under the Act.

Further, these incentives have been extended to various States like Telangana, West Bengal, and Bihar.

Recently, The Union Cabinet has approved the North East Industrial Development Scheme (NEIDS), 2017, which offers. GST-Reimbursement up to the extent of Central Government share of CGST and IGST for 5 years; Reimbursement of Centre's share of income tax for first 5 years; 30% of the investment in Plant & Machinery with an upper limit of Rs. 5 crore; 3% on working capital credit advanced; Reimbursement of 100% insurance premium on insurance for 5 years; Transport and Employment subsidy etc.

We demand that the same be extended to Andhra Pradesh.

Metro Rail Projects: The Central Government shall take all necessary measures as enumerated in the Thirteenth Schedule for the progress and

sustainable development of the successor States within a period of ten years from the appointed day.

The Government of India shall examine the feasibility of Metro Rail facility in Visakhapatnam and Vijayawada-Guntur-Tenali Metropolitan Urban Development Authority within period of one year from the appointed day and take an expeditious decision thereon.

As per the Provisions of the Act, the State Government initiated the feasibility study and submitted the DPR for Vijayawada Metro and Visakhapatnam Metro within one year (29.06.2015 & 29.11.2015). However, the expeditious decision on the part of the appropriate Government has not come through and instead the appropriate Government namely Government of India has delayed the decision making process and pushed these two projects to the new metro policy of 2017, after keeping in store these projects for two years, which is totally unjustifiable and in any case not in the interest of State of Andhra Pradesh.

When the Act specifically made a provision for examining the feasibility of Metro Rail Policy in Visakhapatnam and Vijayawada and for taking an expeditious decision, the under lying intention is to develop the facility within a reasonable time of 3 to 4 years. This obviously, has not happened due to the partisan attitude of the Central Government. Adding fuel to the fire, new metros have been sanctioned to Pune, Noida and Lucknow around the same time. This is despite the fact that in-principle approval for Vijayawada Metro has

been given by the Government of India on 22.09.2015 and the pre PIB meeting has cleared the proposal on 16.05.2016.

Amaravati & Hyderabad Connectivity: The Central Government shall take measures to establish rapid rail and road connectivity from the new capital of the successor State of Andhra Pradesh to Hyderabad and other important cities of Telangana. But it has not been implemented. NHAI, after agreeing for a 200 meter width/8 lane Amravati-Anantapur Exp. Highway, has now asked Andhra Pradesh to restrict it to 100 meter width/4 lane. The State R&B Dept has already done peg-marking for acquisition of land for 8-lane Exp-way. Till now, NHAI has not allotted highway number for this proposed Exp. Highway.

NHAI to finalise the Agency and start the project with a view to provide connectivity to Rayalaseema districts. Two existing National highways connecting Amaravati and Telangana, Hyderabad-Suryapeta-Kodada-Nadigama-Vijayawada (NH-65 with 4 lane). Bhadrachalam-Kothagudem-Tiruvure-Ibrahimpattanam-Vijayawada (2/4 lane of NH-30). Government of India declared the Miryalaguda (Telangana)-Piduguralla-Narsaraopet-Chilakaluripet near Amaravati as National highway (NH-167 A). Existing Hyderabad to Vijayawada NH-65 is to be widened to 6-lane and NHAI invited tenders for study of DPR. Existing Bhadrachalam to Vijayawada NH-30- part of the road is 4-lane and major length of the road is of 2-lane with paved shoulders. It is to be widened to 4-lane. Approximate amount required is Rs. 600.00 Cr. Miryalaguda to Amaravati NH-167 A is a newly declared National Highway. For preparation of DPR for 4-lane, bids have been invited by (R&B) National

Highways Department. Approximate amount required is Rs. 1400.00 Cr. An Expressway Hyderabad- Vijayawada-Amaravati (275 km) is proposed and the bids are called for Preparation of DPR for this Expressway by the NHAI and agency is to be finalized. NHAI, after agreeing for a 200 meter width/8 lane Amaravati-Anantapur Exp. Highway, has now asked Andhra Pradesh to restrict it to 100 meter width/ 4 lane. The State R&B Dept has already done peg-marking for acquisition of land for 8-lane Exp-way.

Expanding Airports: The Government of India shall, within six months from the appointed day, examine the feasibility of expanding the existing Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati Airports to international standards and take an expeditious decision thereon. Government of Andhra Pradesh has acquired and handed over the required lands for expansion of the Airports at Vijayawada & Tirupati to make them on par with International standards. However, AAI has spent very meagre amounts in upgrading the airports and failed to make necessary arrangements for operationalisation of International flights. We demand that AAI to take immediate measures for operationalising international flight services at Vijayawada & Tirupati.

Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati Airports have been given International status. International flights are already operating from Visakhapatnam. Government of Andhra Pradesh has handed over an extent of 698 Acres. At Vijayawada and 732 Acres at Tirupati to AAI for expansion and necessary funds have also been released for relocation of utilities. For Vijayawada and Tirupati airports, transit terminals have been constructed and

runways are being expanded. Government of India in Gazette No. 1724, dt. 20.06.2017 has declared Vijayawada Airport as International Airport w.e.f. 01.08.2017. Various Airlines are willing to start International flights from Vijaywada and Tirupati. Despite 60% growth of passenger traffic, the capital Airport of Vijayawada is not yet operational for international flights.

Increasing No. Of Assembly Seats: Subject to the provisions contained in article 170 of the Constitution and without prejudice to section 15 of this Act, the number of seats in the Legislative Assembly of the successor State of Andhra Pradesh shall be increased from 175 to 225. But it has not been implemented. Ministry of Home Affairs should take further action. The 07 mandals merged with Andhra Pradesh to facilitate completion of Polavaram Project are predominantly tribal. These mandals have to be made part of concerned Assembly/Parliament constituencies to ensure their representation in Assembly/Parliament.

Greyhound Training Center: The Central Government shall assist the successor State of Andhra Pradesh to set up a similar (Greyhound Training Centre) state-of-the-art training centre at such place as the State Government of Andhra Pradesh may be order notify. DPR has already been submitted By Government of Andhra Pradesh. Ministry of Home Affairs to act on the DPR of Rs. 858.37 crore.

Pending (AP & TS) Interstate Issues: All pending issues on division of assets and liabilities of IXth Schedule institutions including Singareni Collieries, Xth institutions, Andhra Pradesh Bhavan etc. have been referred to Government of

India for resolution in May, 2017. It is pending with Government of India. We demand that Government of India to resolve all the issues in a specified time frame.

***श्री राजेश रंजन (मधेपुरा)** : विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के मामले में भारत का स्थान दुनिया के कुल 189 देशों में 156वां है। भारत से बेहतर स्थिति तो बर्दहाल अफ्रीका और एशिया के कैमरून, जांबिया, केन्या, घाना, नाईजीरिया, अंगोला, इंडोनेशिया, श्रीलंका और सूडान जैसे देशों की है।

श्री दुष्यंत कुमार ने कहा है-

"भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ,

आजकल दिल्ली में है जेरे-बहस ये मुद्दा।"

भुखमरी में हमारा देश दुनिया में 100वें स्थान पर है। शिक्षा पर खर्च के मामले में हम दुनिया में 123वें स्थान पर हैं। स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में कुल 189 देशों में 156वें स्थान पर हैं। हाँ हम टॉप 5 देशों में शामिल हैं, वह है धार्मिक हिंसा। धार्मिक हिंसा के मामले में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। धर्म के नाम पर लोगों को मारने के मामले में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। हमसे बेहतर धार्मिक हिंसा सिर्फ सीरिया, नाईजीरिया और इराक कर पाता है।

किसान खेती छोड़ आत्महत्या कर ही रहे हैं। दलितों पर लगातार अत्याचार हो ही रहा है और हम खुश हो रहे हैं कि 2022 तक हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अभी तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि देश की समूची जनता दोनों वक्त भरपेट भोजन कर सके।

देश को बदलते-बदलते प्रधानमंत्री खुद बदलकर मौन-मोदी हो गए हैं। कथित गौरक्षक किसी को मार डालें, कोई बच्ची बलात्कारियों की वहशत का शिकार हो जाए या डीजल-पेट्रोल के

* Speech was laid on the Table

दामों में बढ़ोत्तरी रिकॉर्ड तोड़ दे, वे अपना मौन तभी तोड़ते हैं, जब उन्हें अपने मन की बात कहनी होती है।

वसुधैव कुटुंबकम के जीवन दर्शन के साथ हमारा यह देश हिंदुस्तान जीता आया है हजारों सालों से, लेकिन आज इस हिंदुस्तान को लोग लिंचिस्तान बोल रहे हैं। गौ-रक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी करना आर.एस.एस. का अहम एजेंडा है। गौ-रक्षक गुंडों का दल है, जो गौ-रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। गाय के नाम पर आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर हमला करने का लाइसेंस आर.एस.एस. ने इन्हें दे रखा है। हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बनने से पहले मोदी सरकार गौ-रक्षक दलों पर बैन लगाएं। लिंचिंग कहीं भी किसी के भी साथ हो सकती है, इस समय जबरदस्त भय का माहौल है, लेकिन बहुसंख्यक समाज इससे परेशान नहीं है।

मोदी शासनकाल में किस तरह से देश नफरत के गणतंत्र में तब्दील हो गया है और लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, गरीबी और अधिकारों से महरूम हो रहे हैं। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा मार असंगठित क्षेत्र पर पड़ी है, किसान बुरी तरह से परेशान हैं और नौकरियों का पूरा ढांचा बैठ गया है। नोटबंदी के बाद जी.एस.टी. ने देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नोटबंदी पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। रिजर्व बैंक से लेकर संसद तक सारे संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है।

मोदी सरकार ने अपने पड़ोसियों का एतबार खो दिया है। मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तमाम पड़ोसी देशों में भारत ने इन चार सालों में अपने हितों का जबरदस्त नुकसान किया है। नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका सीधे-सीधे चीन के करीब हो गए हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री की विध्वंसक विदेश नीति जिम्मेदार है।

कठुआ कांड में किस तरह से बी.जे.पी. के लोग बलात्कारियों के पक्ष में उतरे थे, उससे साफ है कि सरकार कहां खड़ी है। बी.जे.पी. सरकार लोगों को बांटने-तोड़ने और नफरत फैलाने में लगी है। मोदी ने देश को तबाह कर दिया है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के अनुसार 2017 के पहले चार महीनों में नोटबंदी की वजह से 15 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियां गवां दीं। पिछले तीन साल में 4.5 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट ऋण माफ किए गए। पार्टी ने कहा कि जिन बैंकों में लोग भरोसे के साथ अपना धन रखते हैं, उन्हीं बैंकों को विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एवं जतिन मेहता जैसे लोगों को निर्भयता से लूटने दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र, बढ़ती असमानता, कृषि क्षेत्र के संकट, निर्यात में आयी गिरावट, सामाजिक क्षेत्र की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी तथा सत्तारूढ़ दल द्वारा किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के विद्युतीकृत होने की घोषणा कर दी, लेकिन सच्चाई यह है कि बीते तीन सालों में देश के केवल 8 फीसदी गांवों में हर घर में बिजली पहुंची है। पिछले सात महीनों की ही बात करें, तो 3900 गांव विद्युतीकृत हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 236 गांवों में ही हर घर को बिजली नसीब हुई। देश के 3 करोड़ से ज्यादा घर आज भी बिजली की राह देख रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के ही कई गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। कई ऐसे भी गांव हैं, जहां केवल तार और खंभे हैं, लेकिन बिजली नहीं, वहीं कई गांवों के चंद घरों में बिजली पहुंचाकर उसे पूर्ण विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है।

70वें स्वतंत्रता-दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि-"आपको हैरानी होगी, दिल्ली से सिर्फ तीन घंटे की दूरी पर हाथरस इलाके में एक गांव नगला-फटेला है। नगला-फटेला तक पहुंचने में मात्र तीन घंटे लगते हैं, लेकिन वहां बिजली पहुंचने में 70 साल लग गए, इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री के इस दावे के करीब दो साल बाद भी नगला-फटेला के ज्यादातर ग्रामीण बिजली की राह देख रहे हैं। देश के 17 करोड़ 99 लाख घरों में से 3 करोड़ 14

लाख घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एक करोड़ 33 लाख से ज्यादा ग्रामीण घर अब भी अंधेरे में हैं, वहीं बिहार, ओडिसा और झारखंड को मिला दें, तो इन तीन राज्यों में भी करीब इतने ही घर अब तक विद्युतीकरण की राह देख रहे हैं।

इसी साल जनवरी में एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उज्ज्वला योजना के तहत देश में अब तक 3.35 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इस योजना की सफलता को देखते हुए इसके लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ सिलेंडर तक कर दिया गया है और इसे भी समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। 8 करोड़ सिलेंडर बांटने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने इस मद में बजट में भी बढ़ोत्तरी कर दी है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 4800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इस योजना के क्रियान्वयन से पहले क्रिसिल द्वारा किए गए एक सर्वे में 86 प्रतिशत लोगों ने बताया था कि वे गैस कनेक्शन महंगा होने की वजह से इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि 83 प्रतिशत लोगों ने सिलेंडर महंगा होना भी इसका प्रयोग न करने का कारण बताया था। लोगों को चूल्हे और गैस सिलेंडर तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर दोबारा सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इसका खर्च बहुत ज्यादा है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में ज्यादातर वे लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं। ये मनरेगा मजदूर हैं या दिहाड़ी पर काम करते हैं। वर्तमान समय में मनरेगा तो दम तोड़ ही रही है, निजी क्षेत्र में भी काम का अभाव है। ऐसे में सहज ही समझ जा सकता है कि गरीब आम आदमी 800 रुपए खर्च कर कैसे सिलेंडर रिफिल करा पाएगा।

6 फरवरी को राज्यसभा में सरकार की तरफ से बताया गया कि वर्तमान समय में बेरोजगारी दर 5 फीसदी को पार कर रही है, जो 2013 में 4.9 फीसदी, 2012 में 4.7 फीसदी और 2011 में 3.8 फीसदी थी। हालांकि सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा ये आंकड़े बताने के चंद दिन बाद ही, बेरोजगारी दर 6 फीसदी को पार कर गई। सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में नौकरियों

का अकाल है। इसी साल आई कॉरपोरेट मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 31 जनवरी, 2018 तक 17 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड थीं, जिनमें से अब तक 5 लाख 38 हजार कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इन 5 लाख 38 हजार में से 4 लाख 95 हजार कंपनियों ने बिजनेस न मिलने को बंद का कारण बताया। केवल 2017 में करीब 3 लाख कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया।

ग्रामीण स्तर पर मनरेगा को रोजगार का प्रमुख माध्यम माना जाता था, लेकिन आज यह योजना पूरी तरह से मृतप्राय होती जा रही है। साल दर साल इस योजना के जरिए सौ दिन का रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है। 2013-14 में इस योजना के द्वारा पूरे 100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 46,59,347 थी, जो 2016-17 में 39,91,169 और 2017-18 में 27,38,364 हो गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि एक तरफ काम मांगने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ काम में कमी आती जा रही है।

पिछले साल एक आर.टी.आई. के जरिए पता चला था कि मोदी सरकार ने एक साल के भीतर स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार-प्रसार में ही करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य सिर्फ सड़कों पर ही दम नहीं तोड़ रहा, नदियां भी कूड़ाघर में तब्दील होती जा रही हैं। गंगा को निर्मल बनाने के लिए 13 मई, 2015 को नमामि गंगे योजना शुरू हुई थी। इसके लिए 5 सालों में 20 हजार करोड़ का फंड मंजूर हुआ जिसमें से 2015-18 के बीच 4131 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन फरवरी 2018 तक इसमें से मात्र 3062 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके हैं।

कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुरुग्राम, जयपुर, पटियाला, जोधपुर.....ये दुनिया के 14 सबसे प्रदूषित शहर हैं और ये उसी भारत के शहर हैं, जहां 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को एक महत्वाकांक्षी मिशन बनाया था। 2014 के बाद से अब तक कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा, जब स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों के बजट वाला कार्यक्रम नहीं हुआ हो। झाड़ू हाथ में थामे नेताओं द्वारा फोटो

खिंचवाना तो एक तरह से सियासी सिंबल बन गया, लेकिन देश में गंदगी का अंबार यथावत बना रहा।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां हर साल एक करोड़ से ज्यादा नए लोग देश के कार्यबल (वर्क फोर्स) से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 के अपने चुनावी भाषणों में लोगों को, खासतौर पर युवाओं को, यह यकीन दिलाया था कि यदि वे प्रधानमंत्री बन गए, तो उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और हर व्यक्ति को उसके अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल जाएगा। बहरहाल, मेक इन इंडिया अभियान को शुरू हुए तकरीबन चार वर्ष बीत गए हैं। इन चार वर्षों में यह अभियान अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कितना कामयाब हुआ है? इस दौरान विदेशी निवेश की क्या स्थिति रही? क्या इस दौरान भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब में परिवर्तित हुआ या इस दिशा में आगे बढ़ा? क्या भारत के निर्यात में वृद्धि हुई? और सबसे बड़ी बात कि क्या युवाओं को रोजगार मिला?

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मेक इन इंडिया की शुरुआत से लेकर अब तक यानि वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2017-18 तक देश में कुल 160.79 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) आया है। इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015-16 में 50 अरब डॉलर और वर्ष 2016-17 में 60 अरब डॉलर का एफ.डी.आई. आया। वाणिज्य मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2000 से अब तक के एफ.डी.आई. इनफ्लो में मेक इन इंडिया के बाद आए एफ.डी.आई. की हिस्सेदारी 33 फीसदी है। अब सवाल यह उठता है कि एफ.डी.आई. में 33 फीसदी इजाफे के बाद क्या रोजगार के अवसरों में 33 फीसदी या उसके आस-पास की वृद्धि दर्ज की गई है? भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक, पिछली तिमाही में देश में रोजगार के क्षेत्र में महज 1.8 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है, जो हर लिहाज से निराशाजनक है और सरकार के एफ.डी.आई. के आंकड़ों से मेल नहीं खाती तो क्या यह केवल आंकड़ों की बाजीगरी है?

व्यापार क्षेत्र की सूचना देने वाली एक निजी कंपनी सी.एम.आई.आई.(सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी) के अध्ययन के मुताबिक, जुलाई और अप्रैल, 2018 के बीच भारत में बेरोज़गारी दर दोगुनी हो गई है। इसके अनुसार, देश में बेरोज़गारी दर जुलाई, 2017 में 3.39 फीसदी से बढ़कर मार्च 2018 में 6.23 फीसदी हो गई, यही नहीं सी.एम.आई.आई. के अध्ययन में यह आशंका जताई गई है कि इस आंकड़े में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। सी.एम.आई.आई. के अध्ययन से यह साबित होता है कि नोटबंदी के बाद से देश में बेरोज़गारी दर में वृद्धि का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अभी तक जारी है। यानि विदेशी निवेश में इजाफा रोज़गार सृजन में सहायक नहीं साबित हो रहा है, दूसरे शब्दों में कहें, तो यह जॉब-लेस विकास है।

मनरेगा: बढ़ता बजट, घटता रोज़गार

2014-15 : 32,139 करोड़ कुल मनरेगा मजदूर-25,17,00,000

2015-16 : 32,974 करोड़ जॉब कार्ड धारक-12,65,00,000

2016-17 : 47,411 करोड़ काम मिला-4,86,41,132

2017-18 : 53,152 करोड़ सौ दिन का काम-27,38,364

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से छपी खबरों के मुताबिक, इस वर्ष खरीफ और रबी दोनों फसलों का बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में 14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुल फसल क्षेत्र में 24 फीसदी की गिरावट देखी गई।

भारत में चाहे कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहे या फिर बी.जे.पी. की, तमाम नेता लगातार देश में प्रगति और विकास के लंबे-चौड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वैश्विक भूख सूचकांक में देश के 100वें स्थान पर होने के शर्मनाक खुलासे ने विकास और प्रगति की असली तस्वीर पेश कर दी है। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट

(आई.एफ.पी.आर.आई.) की ओर से वैश्विक भूख सूचकांक पर जारी ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 119 विकासशील देशों में भूख के मामले में भारत 100वें स्थान पर है। इससे पहले बीते साल भारत 97वें स्थान पर था यानि इस मामले में साल भर के दौरान देश की हालत और बिगड़ी है।

जी.एच.आई. में भारत के पड़ोसी देशों में से अधिकतर की रैंकिंग बेहतर है। इनमें चीन सबसे आगे है, जो 29वें स्थान पर है। उसके बाद नेपाल 72वें, म्यांमार 77वें, श्रीलंका 84वें, बांग्लादेश 88वें, पाकिस्तान 106 और अफगानिस्तान 107वें स्थान पर है वही उत्तर कोरिया 93वें और इराक 78वें स्थान पर है। इस बार जी.एच.आई. रैंकिंग के चार मानदंड हैं-अल्पपोषण, बच्चों की मृत्यु दर, वृद्धि में रुकावट आई.एफ.पी.आर.आई. ने कहा कि भारत में पांच साल से कम उम्र के हर पांचवें बच्चे का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से बहुत कम है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1989 में बनाए गए अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान को नरम कर देने के खिलाफ 'भारतबंद' के रूप में दलितों की नाराजगी फूटी है जिसमें हुई हिंसा में एक दर्जन से ज्यादा लोगों को जानें गंवानी पड़ी हैं।

आम लोग आंध्र प्रदेश में रोहित बेमुला की बहुचर्चित आत्महत्या के साथ गुजरात के बहुचर्चित ऊना कांड को अभी भूले भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवक को अपनी बारात के रास्ते के लिए गुहार लगानी पड़ी है। अपने गांव के सवर्णों की इस जिद के खिलाफ कि जो रास्ता दलितों की बारातों के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी बारात उसी से जानी चाहिए।

गुजरात में पिछले साल मूछे रखने पर दलितों पर जानलेवा हमले हुए और अभी हाल में भावगनर में एक दलित युवक को इसलिए मार दिया गया कि उसने घुड़सवारी का शौक पूरा करने के लिए घोड़ा खरीदा और तमाम धमकियों के बावजूद उस पर बैठकर घूमता रहा ।

दुर्भाग्य से इधर हम लगातार देख रहे हैं कि छात्र हो, किसान, नियुक्तियों में धांधली से त्रस्त बेरोज़गार, नौजवान, परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलित परीक्षार्थी या दलित, जो भी समुदाय अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतरता और सरकार को उसके कर्तव्य याद दिलाता है, उसके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जैसे इस निजाम में किसी को भी अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे देश का लोकतंत्र प्रश्नांकित होता है।

साल के शुरु (एक जनवरी) होते ही महाराष्ट्र और पुणे भीमा-कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई की 200वीं सालगिरह पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा दलितों पर हमला किया गया। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई तो कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद दलित नेता प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई में महाराष्ट्र बंद कराया गया था, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और देशभर में इसकी आलोचना होने लगी। मामला गरमाता देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा, जिसके बाद दलित नेताओं ने आंदोलन को वापस लिया।

दलितों पर अत्याचार यहीं नहीं था, 11 जुलाई, 2016 में गुजरात के ऊना में गौरक्षक समिति के सदस्यों ने मृत गाय की चमड़ी निकालने की वजह से कुछ दलित युवकों को पीटा था, जिसका विडियो भी खूब वायरल हुआ। इतना ही नहीं इस घटना से नाराज दलित युवकों ने उठाने से मना कर दिया। इसके बाद दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने आंदोलन किया जहां उन्हें मुस्लिमों का भी साथ मिला।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. कर रहे दलित छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी, 2016 को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद कहा गया कि कॉलेज प्रशासन की कड़ी कार्रवाई की वजह से वेमुला ने आत्महत्या की। इसके बाद देशभर में एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ दलितों ने हल्ला बोला और प्रदर्शन किया। दलितों के गुस्से को देखते हुए केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।

मोदी सरकार के कार्यकाल में ही फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में एक दलित परिवार को जिंदा जला दिया गया, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। सुनपेड़ गांव में करीब 20 फीसदी दलित आबादी है और 60 फीसदी सवर्ण रहते हैं। इस घटना के बाद कहा जा रहा था कि सवर्ण परिवार के लड़के ने दलित परिवार को पुरानी रंजिश के चलते जिंदा जला दिया। इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा, जिसमें सरकार ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।

एक तरफ तो बी.जे.पी. के तथाकथित राष्ट्रवादी भक्त मोदी राज में अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, और कहां भारत के अंदर ही सवर्णों और दलितों के बीच इस दौरान खाई और बढ़ गई प्रतीत हो रही है। बीते चार वर्षों के दौरान एक के बाद एक दलित उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं घटी, जिसने मोदी सरकार के 'सबका साथ-सबका विकास' वाले दावे की पोल खोल कर रख दी।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के ताजा आंकड़ों को ही सच मानें तो पिछले चार वर्ष में दलित विरोधी हिंसा के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। 2006 में दलितों के विरुद्ध अपराधों के कुल 27,070 मामले सामने आए थे, जो 2011 में बढ़कर 33,719 हो गए। साल 2014 में अनुसूचित जाति के साथ अपराधों के 40,401 मामले, 2015 में 38,670 मामले व 2016 में 40,801 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान हिंदुस्तान में हर 15 मिनट में किसी न किसी दलित के साथ कोई न कोई आपराधिक घटना घटी। एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों से जो चौंकाने वाली बात निकलकर आई है, वह यह है कि बीते चार वर्षों के दौरान देश के जिन राज्यों में दलितों का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ, उन राज्यों में या तो बी.जे.पी. की सरकार है या बी.जे.पी. के गठबंधन वाली सरकार। बात करें दलित उत्पीड़न में सबसे आगे रहे राज्यों की तो मध्य प्रदेश दलित उत्पीड़न में सबसे आगे रहा। 2014 में एम.पी. में दलित उत्पीड़न के 3,294 मामले दर्ज हुए, जिनकी संख्या 2015 में बढ़कर 3,546 व 2016 में 4,922 तक जा पहुंची। देश में दलितों पर हुए आपराधिक मामलों में से 12.1 फीसदी मामले अकेले एम.पी. में घटे।

दलितों पर अत्याचार के मामले में बी.जे.पी. शासित राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि यहां उत्पीड़न के मामलों में कमी जरूर देखने को मिली है। राजस्थान में 2014 में दलित उत्पीड़न के 6,735 मामले, 2015 में 5,911 मामले व 2016 में 5,136 मामले दर्ज हुए।

इसके बाद दलित उत्पीड़न के मामले में तीसरे नंबर पर रहा बिहार, जहां बी.जे.पी. व ज.द.यू. की साझेदारी की गवर्नमेंट है। बिहार में 2016 में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के 5,701 मामले दर्ज हुए।

सबसे हैरान करने वाला रहा चौथे नंबर पर गुजरात का रहना। 2014 के लोक सभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य को देश के सामने मॉडल स्टेट की तरह पेश किया, वहां दलितों की स्थिति चिंताजनक है। एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 2014 में दलित उत्पीड़न के 1,094 मामले, 2015 में 1,010 मामले व 2016 में 1,322 मामले दर्ज किए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2016 में अनुसूचित जाति पर हमलों का राष्ट्रीय औसत जहां 20.4 प्रतिशत था वहीं गुजरात का भाग 32.5 प्रतिशत रहा।

साल 2016 में अनुसूचित जाति पर हमलों के मामले में यू.पी. (10,426) शीर्ष पर रहा। यहां दलित स्त्रियों के साथ बलात्कार के 1065 मामले दर्ज हुए, जिसमें से अकेले लखनऊ में 88 घटनाएं घटी हैं। उसमें भी 43 घटनाएं स्त्रियों से दुष्कर्म की रही।

दलित समुदाय की बी.जे.पी. के प्रति व्यापक नाराजगी के माहौल को भांपते हुए मोदी सरकार ने दलितों को रिझाने के उद्देश्य से दलितों के घर भोजन करने का बाकायदा एक अभियान शुरू किया। दलितों को रिझाने के लिए भारत ने ग्राम स्वराज अभियान का सहारा लिया। 14 अप्रैल से 5 मई तक चले इस अभियान में भाजपा सरकार के मंत्री और नेता दलितों की नब्ज टटोलने दूर-दराज के गांव पहुंचे, रात में चौपाल लगाई, लेकिन लाव-लश्कर के साथ दलितों के घर भोजन करने की कवायद ने विवादों को ही जन्म दिया।

अब चाहे बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री एस.एस.अहलूवालिया का बाहर से खाना मंगाकर दलित के घर खाने का मामला हो, चाहे यू.पी. सरकार के ही गन्ना विकास मंत्री, सुरेश राणा द्वारा दलित परिवार के यहां हलवाईयों के हाथ का बना पालक पनीर, मखनी दाल, छोला, रायता, तंदूर, कॉफी, रसगुल्ला और मिनरल वाटर का लुत्फ उठाना।

खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि कोई भी इस देश से आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका प्रचार तंत्र लगातार आरक्षण के खिलाफ जन-मानस बनाने में लगा दिख रहा है। अब हाल की ही एक घटना को ले लें, जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक निर्माणाधीन पुल की तीन बीमें गिरने से दर्जन भर के करीब लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के संदेश प्रसारित हुए कि 'जिस देश में आधे इंजीनियर आरक्षण से बनते हों, उस देश में निर्माणाधीन पुल के गिरने पर क्या आश्चर्य।'

बीते चार वर्षों के दौरान कुछ ऐसे वाक्ये हुए, जिनसे ऐसा लगने लगा कि अब यह सामाजिक रुढ़ि से आगे बढ़कर सरकारी उत्पीड़न का रूप ले चुका है, क्योंकि अधिकतर दलित उत्पीड़न के मामलों में प्रशासनिक अमले की संवेदनहीनता निकलकर सामने आई है।

अब चाहे वह उत्तर प्रदेश के कासगंज में दलित दूल्हे की बारात को सवणों की बस्ती से निकलने की इजाजत न देने का फैसला हो या मध्य प्रदेश के उज्जैन में दलितों को बारात की तीन दिन पहले से सूचना देने का निर्देश। देश के विभिन्न हिस्सों से दलित दूल्हे या दलितों की बारात के साथ सवणों की बदसलूकी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं।

मोदी सरकार के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर तब सर्वाधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा, जब उसके ही कई दलित मंत्री पार्टी के खिलाफ उठ खड़े हुए। इटावा से भाजपा के दलित सांसद अशोक दोहरे ने आरोप लगाया कि एस.सी.-एस.टी. एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है।

राबर्टसगंज से सांसद छोटे लाल खरवार, नगीना से सांसद यशवंत सिंह भी भाजपा सरकार के कामकाज पर उंगली उठा चुके हैं। 2014 में यू.पी. की सभी सुरक्षित लोक सभा सीटों पर मिली जीत और 2017 के विधानसभा चुनाव में 80 फीसदी से अधिक सुरक्षित सीटें जीतने वाली भाजपा को अपने ही दलित सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

2016 की रिपोर्ट से एक बात पुनः उभर कर आई है कि भाजपा शासित राज्य दलित उत्पीड़न के मामले में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे हैं। लगभग यही स्थिति वर्ष 2015 में भी थी। वर्तमान में भाजपा शासित राज्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा तथा झारखण्ड हैं जिनमें दलित उत्पीड़न के अपराध दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक हैं। यह स्थिति मोदी जी के दलितों के बारे में दिखाई गयी सहानुभूति तथा उनके दलित प्रेम की पोल खोलती है। इनके अलावा कुछ अन्य राज्य जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, जिन में दलित उत्पीड़न के मामले राष्ट्रीय दर (प्रति एक लाख दलित आबादी पर) से ज्यादा है।

दलितों पर वर्ष 2016 में घटित अपराध की दृष्टि से भाजपा शासित राज्यों की स्थिति देखी जाये तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जिसमें 4,922 अपराध घटित हुए तथा अपराध की दर 43.4 रही जो कि राष्ट्रीय दर 20.3 से दोगुनी है। इसी प्रकार राजस्थान दलित अपराध में देश में दूसरे नंबर पर है, जहाँ 5,134 अपराध तथा उसकी दर 42.0 रही जो कि राष्ट्रीय दर 20.3 से दोगुनी है। इसमें गोवा तीसरे स्थान पर है, जहाँ अपराध दर 36.7 है। इसमें गुजरात 5वें स्थान पर है जहाँ अपराध दर 32.2 है जो कि राष्ट्रीय 20.3 से लगभग डेढ़ गुना है। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर अपराध राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हैं।

उक्त अवधि में देश में दलितों की हत्या के 786 अपराध हुए तथा प्रति लाख दर 0.4 रही। इसमें गुजरात के 32 मामलों में 35 दलितों की हत्याएं हुईं और 0.8 की दर के कारण पूरे देश में प्रथम स्थान रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश 81, हरियाणा 34 तथा उत्तर प्रदेश 271 मामलों में 274

हत्याएं एवं 0.7 की दर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, राजस्थान 66 मामलों में 67 हत्याएं तथा 0.5 की दर के साथ पांचवें स्थान पर रहा। इससे स्पष्ट है कि हत्या के मामले में भाजपा शासित राज्यों की स्थिति बहुत बुरी है।

उक्त अवधि में पूरे देश में 732 अपराध घटित हुए तथा अपराध की प्रति लाख दर 0.4 रही। इस अपराध में राजस्थान 106 और गुजरात 35 तथा अपराध की दर 0.9 जो कि राष्ट्रीय दर की दोगुनी से भी अधिक है, के साथ प्रथम स्थान पर रहे। महाराष्ट्र में 60 मामले जिसमें 71 व्यक्ति प्रभावित हुए तथा दर 0.5 रही। यह भी राष्ट्रीय दर से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर भाजपा शासित राज्यों में दलित सुरक्षित नहीं हैं।

गंभीर चोट के अपराध के अंतर्गत पूरे देश में 1070 मामले हुए जिनमें 1,148 व्यक्ति घायल हुए तथा राष्ट्रीय औसत दर 0.5 रही। इस अपराध की दर गुजरात में 1.6, बिहार में 1.5, ओडिशा में 1.3, केरल में 1.0, मध्य प्रदेश में 0.8 रही जो कि राष्ट्रीय दर से काफी अधिक है।

उपरोक्त अवधि में पूरे देश में दलित महिलाओं के शील भंग के प्रयास के 3,172 अपराध तथा राष्ट्रीय अपराध दर 1.6 रही। इस अपराध की दर मध्य प्रदेश में 6.0, आंध्र प्रदेश में 3.6, महाराष्ट्र में 2.7, हरियाणा में 2.0 तथा गुजरात में 1.8 रही जो कि राष्ट्रीय औसत दर 1.6 से काफी अधिक है।

शील भंग के इस अपराध के अंतर्गत 2016 में कुल 1,268 अपराध हुए तथा राष्ट्रीय दर 0.6 रही। इस अपराध की दर मध्य प्रदेश में 3.6, छत्तीसगढ़ में 1.1, महाराष्ट्र में 1.3, राजस्थान में 0.8, हरियाणा में 0.7, तथा गुजरात में 0.6, रही जो कि राष्ट्रीय दर 0.6 से काफी अधिक है।

बलात्कार के अपराध के अंतर्गत पूरे देश में 2,536 मामले हुए जिनमें 2,540 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार हुईं तथा अपराध की राष्ट्रीय दर 1.3 रही। इस अपराध की दर केरल में 0.7, मध्य प्रदेश में 3.9, छत्तीसगढ़ में 2.9, राजस्थान में 2.7, हरियाणा में 1.9, गुजरात

तथा महाराष्ट्र में 1.7 रही जो कि राष्ट्रीय दर 1.3 से बहुत अधिक है। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर भाजपा शासित राज्यों में दलित महिलाएं असुरक्षित हैं। वास्तव में दलित महिलाओं पर बलात्कार को दलितों का मनोबल गिराने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट के अंतर्गत अपराध की इस श्रेणी के अंतर्गत पूरे देश में 35,676 अपराध घटित हुए जिनमें 36,855 व्यक्ति पीड़ित हुए तथा अपराध की राष्ट्रीय दर 18.0 प्रति एक लाख व्यक्ति रही। इस अपराध की दर मध्य प्रदेश में 43.4, राजस्थान में 41.1, बिहार में 32.9, गुजरात में 28.4, ओडिशा में 25.0, केरल में 23.7, उत्तर प्रदेश में 22.6 रही जो कि राष्ट्रीय दर 18.0 से बहुत अधिक है।

भारत का हर चौथा भिखारी मुस्लिम है। यहां की आबादी में मुसलमान 14.23 फीसदी हैं जबकि भिखारियों की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 24.9 प्रतिशत बनती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह बात निकल कर आई है। इससे पहले 30 नवम्बर, 2006 को जस्टिस राजिन्दर सच्चर आयोग की 403 पेज की रिपोर्ट लोक सभा में रखी गई तो पता चला था कि भारत में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो चुकी है।

अगर आप गृह मंत्रालय से उन नामों की लिस्ट मंगाएं जिन्होंने 1947 से अब तक पैसे लेकर पाकिस्तान को सरकारी फाइलें बेची हैं तो आप अपना बयान वापस ले लेंगे, क्योंकि उनमें 95 प्रतिशत लोग मुसलमान नहीं हैं। क्या मोदी सरकार में एक मुसलमान के सामने जिंदा बचे रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है? मई, 2014 में केंद्र की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तारूढ़ होने के बाद से बार-बार यह आरोप लगता रहा है कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता की स्थिति और बिगड़ गई है। कहा जा रहा है कि कथित हिंदू राष्ट्रवादी समूह भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के साथ धमकी देने, उत्पीड़न और हिंसा की तमाम घटनाओं में शामिल है। धर्मांतरण कानून, गौ-हत्या, बीफ आदि ऐसे तमाम मुद्दे रहे हैं जिन पर ऐसे संगठनों ने अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी प्रताड़ना का शिकार बनाया है।

ऐसे समूहों से निपटने के लिए ठोस कानून की कमी और कथित राजकीय संरक्षण ने पिछले कुछ समय में ऐसा माहौल बनाया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे खराब बात यह है कि इन समूहों के पास धर्म से प्रेरित अपराध से बचने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का समाज बहुत ही धार्मिक है। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों के रहने के हिसाब से यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह कहते रहे हैं कि उनके शासन में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा दिया है। लेकिन, अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम की साल 2016 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मुस्लिम समुदाय ने उत्पीड़न और दहशत के मामलों में वृद्धि का अनुभव किया है। उन्हें नफरत फैलाने वाले कई अभियानों का सामना करना पड़ा है जिनकी शुरुआत हिंदू राष्ट्रवादी समूहों और स्थानीय व राज्य के नेताओं द्वारा की जाती है।

रिपोर्ट में कहा गया गया है कि इसमें बड़े पैमाने पर मीडिया का कुप्रचार भी होता है जिसमें मुसलमानों पर आतंकवादी होने, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने, हिंदू औरतों का जबरदस्ती अपहरण, धर्म परिवर्तन करने, उनसे शादी करने और हिंदुओं का अपमान करने के लिए गाय का कत्ल करने का आरोप लगाया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उनकी मस्जिदों पर निगरानी रखी जाती है। युवा लड़कों व आदमियों को आतंकवाद से निपटने के नाम पर धड़ल्ले से गिरफ्तार किया जाता है।

रिपोर्ट में मुसलमानों के साथ प्रताड़ना की कुछ बड़ी घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। उदाहरण के तौर पर जनवरी, 2015 में एक युवा हिंदू के अपहरण और हत्या होने के बाद 5,000 से अधिक लोगों की भीड़ ने अजीजपुर, बिहार के मुस्लिम बहुल गांव पर हमला किया। इसके बाद तीन मुसलमानों को जिंदा जला दिया और लगभग 25 घरों में आग लगा दी गई।

इसी तरह गुजरात में सितंबर, 2014 में पुलिस ने हिंसा के बाद जिसमें अधिकतर गंभीर रूप से घायल मुसलमान थे, लगभग 150 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। कथित तौर पर हिंसा की शुरुआत तब हुई जब हिंदुत्व के कुछ ठेकेदारों ने इंटरनेट पर हिंदू देवी मां अंबा और भगवान राम की तस्वीरों को मक्का और काबा के ऊपर लगाकर पोस्ट कर दिया।

दिसंबर 2014 में हिंदुत्ववादी समूहों ने तथाकथित 'घर वापसी' कार्यक्रम के तहत हजारों ईसाई और मुसलमान परिवारों को हिंदू धर्म में वापस लाने की घोषणा की। इसके अलावा, भाजपा और आर.एस.एस. के सदस्यों द्वारा यह दावा करना कि मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हिंदू बहुमत को कम करने का प्रयास है, धार्मिक तनाव को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे भाजपा नेताओं द्वारा मुस्लिम जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की बात कही।

सितंबर, 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी के पास बिसाहड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक को घर में बीफ रखने के आरोप में पीट-पीट कर मार डाला गया था। जब अभियुक्तों में से एक की बीमारी से जेल में मौत हो गई तो उसके शव को तिरंगे में लपेट कर उसे शहीद का दर्जा दिया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश भाजपा के तमाम नेताओं द्वारा इसे लेकर तनाव फैलाने वाले बयान दिए गए और आने वाले विधान सभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बहुसंख्यक समुदाय के ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश बी.जे.पी. यूनिट के उपाध्यक्ष श्रीचंद शर्मा ने कहा-'हिंदू समुदाय के लोग गाय की पूजा करते हैं। ऐसे में कोई गाय की हत्या करेगा तो क्या लोगों का खून नहीं खौलेगा।' दादरी से भाजपा के पूर्व विधायक नवाब सिंह नागर ने कहा-'यदि गाय की हत्या हुई थी और खाया गया है तो मुस्लिमों की गलती है।'

जम्मू के उधमपुर में 9 अक्टूबर, 2015 को गौ-हत्या की अफवाह पर भीड़ ने एक ट्रक पर पेट्रोल बम फेंक दिया। इस घटना में दो ट्रक वाले गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि अनंतनाग के रहने वाले 20 साल के ज़ाहिद अहमद ने दम तोड़ दिया था।

जनवरी, 2016 में मध्य प्रदेश के खिड़किया रेलवे स्टेशन पर कथित गौ-रक्षकों ने गोमांस रखने का आरोप लगाकर एक मुस्लिम दंपत्ति को बुरी तरह पीटा था। 27 जुलाई, 2016 को मध्य प्रदेश के मंदसौर में दो महिलाओं की रेलवे स्टेशन पर गोमांस होने के कारण पिटाई होती है। ये दोनों महिलाएं मुस्लिम थीं। इसी तरह राजस्थान के अलवर में इस साल अप्रैल में कथित गौ-रक्षकों की पिटाई से पशु व्यापारी पहलू खान की मौत हो गई थी, जबकि पिटाई के दौरान पशु व्यापारियों ने कागजात भी दिखाए और कहा कि वे गौ-तस्कर नहीं हैं। वे गायों को जयपुर के मेले से खरीदकर लाए हैं। वहीं, राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कठेरिया ने उन कथित गौ-रक्षकों का बचाव भी किया। उन्होंने कहा, 'दोनों तरफ से गलती हुई है। लोग जानते हैं कि गौ-तस्करी गैर-कानूनी है फिर भी वह इसे करते हैं। गौ-भक्त तो सिर्फ ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं जो ऐसे अपराधों में लिप्त होते हैं।'

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में इस साल 21 अप्रैल को गौ-रक्षकों ने एक परिवार के लोगों की लोहे की रॉड से पिटाई कर दी थी। इस दौरान नौ साल की बच्ची बुरी तरह जखमी हो गई थी। झारखण्ड के जमशेदपुर के पास इस महीने की 18 तारीख को भीड़ ने शोभापुर में नईम, शेख सज्जू, शेख सिराज और शेख हलीम को बच्चा चोर होने के संदेह में पीट-पीटकर मार डाला।

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, 'एक मुस्लिम के लिए तीन साल बहुत ही असुरक्षा के रहे हैं। अब सिर्फ बीफ का शक होने पर किसी मुसलमान को पीटकर मार दिया जाता है और सरकार इसके दोषियों को सही तरीके से सज़ा नहीं दिला पाती है। ऐसे में देश के मुसलमानों में असुरक्षा की भावना घर कर जाएगी।' बनारस में धागे की रंगाई का काम करने वाले ताहिर आलम कहते हैं, 'ऐसा पहली बार हुआ है जब बनारस जैसे शहर में रहते हुए मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं कौन-कब मेरे घर में घुसकर पूछताछ करने लगे। 55 साल की उम्र में यह अंदाजा नहीं था कि मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा।

वे आगे कहते हैं, 'बनारस भले मंदिरों का शहर है, लेकिन यहां हिंदू-मुसलमान जिस तरह से एक साथ रहते हैं, वह एक मिसाल है। लेकिन उस मिसाल पर अब मैं चोट लगते देख रहा हूँ। मौजूदा सरकार ने गंगा-जमुनी तहज़ीब पर कुठाराघात किया है।' कुछ ऐसी ही राय उत्तर प्रदेश के मऊ में परचून की दुकान चलाने वाले मुमताज अंसारी की है। वे कहते हैं, 'जो हिंदू भाई ईद के दिन का इंतजार करते थे कि वे दावत पर आएंगे और अच्छे-अच्छे पकवान खाएंगे। अब वे हिंदू भाई पिछले दो साल से बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि अगर बाजार में दिख जाते हैं तो वे शक की निगाह से देखते हैं कि कहीं मेरे झोले में बीफ तो नहीं ! 60 पार कर चुका हूँ, लेकिन इस तरह के दिन देखना अब बहुत तकलीफ देता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 2015 में भारत में सांप्रदायिक हिंसा में 2014 के मुकाबले 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 में सांप्रदायिक हिंसा की 644 घटनाएं हुई थीं। अगर हम 2015 के आंकड़ें देखें तो गृह मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 में पूरे देश में 751 सांप्रदायिक हिंसा के मामले में सामने आए जिनमें 97 लोग मारे गए, वहीं 2,264 लोग घायल हुए थे।

हालांकि साल 2016 में इसमें कमी आई। गृह मंत्रालय के अनुसार, 2016 में पूरे देश में 703 सांप्रदायिक हिंसा के मामले हुए जिनमें 86 लोगों की जान गई, जबकि 2,321 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

एक जोड़ने वाली पॉलिटिक्स होती है और एक तोड़ने वाली पॉलिटिक्स। तोड़ने वाली पॉलिटिक्स करने से प्रसिद्धि पाना आसान है। बीफ विवाद, गौ-हत्या, धर्म परिवर्तन जैसे मामले उठाकर सत्तारूढ़ भाजपा पिछले तीन सालों से इसे ही बढ़ावा दे रही है। दूसरी ओर पिछले सालों के दौरान सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं जिनसे अल्पसंख्यकों को छोड़ दें, बहुसंख्यकों को फायदा नहीं हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

अजीम प्रेमजी की सालाना आमदनी 18.5 बिलियन डॉलर, शाहरुख खान की 600, आमिर की 180 और सलमान खान की 200 मिलियन डॉलर है, भारतीय जी.डी.पी. में इन चारों की आमदनी का ही योगदान एक फीसदी से अधिक बनता है।

आम भारतीय मुसलमान प्रतिदिन औसतन सिर्फ 32.7 रुपये ही खर्च कर पाता है जबकि उसके सिख भाई की प्रतिदिन खर्च क्षमता 55.3 रुपये है और हिंदू भाई की 37.5 रुपये प्रतिदिन। आंकड़ों की इस बाजीगरी से भारतीय मुसलमानों का क्या असली चेहरा सामने आ पा रहा है। कोई भी मुसलमान इससे शायद ही इत्तेफाक करे। आतंकवाद का एक हिडेन टैग उस पर चस्पा किया जा चुका है। मुसलमान आज की तारीख में शायद सबसे ज्यादा मानसिक यंत्रणा सहने वाला जीव बन चुका है।

मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी पर हुए हमले की न्यायिक जांच हो। दिनांक 2 मई, 2018 को हुए हमले में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ-साथ इसमें संलिप्त पुलिसकर्मियों पर भी निलंबन की कार्रवाई की जाए। ए.एम.यू. के करीब 300 से ज्यादा निर्दोष छात्रों पर से केस को हटाया जाए। किशनगंज (खैरात) के दलित

आदिवासियों को वर्षों से बहला-फुसलाकर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में रोस्टर मामले पर टाल-मटोल रवैया रहा है । दिनांक 18.07.2018 को यू.जी.सी. द्वारा एक पत्र जारी कर उच्च शिक्षा में नियुक्ति प्रक्रिया को रोकना तथा इससे पहले के विज्ञापित पदों के लिए विश्वविद्यालयों को आरक्षण रोस्टर के बारे में कोई साफ दिशा-निर्देश नहीं दिए गए । कहां-कहां स्थायी नियुक्तियां हुई हैं, उसमें सरकार की योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए । अगर सरकार मानती है कि आरक्षण खत्म हो गया है, तब इसके बारे में इसी सत्र में विधेयक लाकर कानून बनाया जाए । बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए । मिथला, कोसी एवं सीमांचल के क्षेत्र को विशेष पैकेज दिया जाए । मगध को विशेष पैकेज दिया जाना ।

***श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) :** मैं विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। मुझे हैरानी इस बात की है कि ये अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया गया है? क्या विपक्ष को देश की तरक्की तथा देशवासियों की खुशहाली से कोई लेना-देना नहीं? शायद विपक्ष के नज़रिये में ही कुछ खोट है वरना तो आज उन्हें अविश्वास के जगह पर विश्वास का प्रस्ताव लाना चाहिए था। मैं अपने विपक्ष के मित्रों के लिए ग़ालिब की जुबान में कहना चाहूँगी कि:

"मुझे देखने से पहले साफ़ कर, अपनी आँखों की पुतलियाँ ग़ालिब,

कहीं ढक ना दे मेरी अच्छाइयों को भी नज़रों की ये ऐब तेरी"

आज मुझे विपक्ष के सोचने के तरीके पर अविश्वास हो रहा है। अवश्य ही आपकी नज़रों में कोई ऐब आ गया है। अपनी नज़रें एक बार साफ़ कर यदि आप मोदी सरकार के अब तक के कार्यों पर गौर करें तो सिर्फ़ उपलब्धियाँ ही उपलब्धियाँ दिखाई देंगी। पर, सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत भी चाहिए। अच्छाई को अंगीकार करने के लिए ताकत भी होनी चाहिए। आज मोदी सरकार की चहुंमुखी विकास की नीतियों से जब पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, ऐसे में किस बात पर अविश्वास?

क्या ये अविश्वास है उन नीतियों के विरुद्ध जो किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार ने लागू किए हैं? किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, लेकिन उन्हें कभी भी अपने उत्पाद की सही कीमत नहीं मिली। किसानों में हताशा और निराशा थी इसे प्रधानमंत्री जी ने समझा और सरकार ने किसानों को उनकी फसल उत्पादन के लागत मूल्य से डेढ़ गुना अधिक दाम देने का ऐतिहासिक फ़ैसला लिया। इस वादे के तहत केंद्रीय सरकार ने रबी और खरीफ़ फसलों के नए समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है तथा न सिर्फ़ सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के दायरे में लाया गया है बल्कि अभूतपूर्व खरीदारी भी की जा रही है।

* Speech was laid on the Table.

साथ ही, अब तक की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना लाकर 4 करोड़ 5 लाख किसानों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।

हमने किसानों से उनकी आय को दोगुना करने का वादा किया था। हम उस वादे को पूरा करने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कोई संदेह नहीं कि हम 2022 तक इस लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे। आजाद भारत के इतिहास में न्यूनतम समर्थन मूल्य में इतनी बड़ी वृद्धि कभी नहीं की गई तथा किसानों के हित के लिए इतना बड़ा फैसला किसी ने नहीं लिया था। अब तक केंद्रों में बैठी सरकारें किसान हितों के नाम पर सिर्फ घड़ियाली आँसू बहाती रही थी। अतः, किसानों के हित का ये फैसला उनके गले नहीं उतर रहा। यह अविश्वास प्रस्ताव किसानों और उनको मिलने वाली ऐतिहासिक खुशी और उनकी प्रगति के विरोध में है।

ये अविश्वास है मोदी सरकार की उन आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जिनकी बदौलत भारत आज विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत आर्थिक विकास में उस फ्रांस से आगे निकल गया है, जिसकी जी.डी.पी. से हमारी जी.डी.पी. 10 वर्ष पहले तक आधा हुआ करता थी। 10 वर्ष में हमने अपनी अर्थव्यवस्था दोगुनी कर ली है। विकास दर में चीन को पीछे छोड़ कर आज हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं तथा अनुमान है कि शीघ्र ही ब्रिटेन को पछाड़कर हम विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। याद कीजिए, अभी 5 वर्ष पूर्व तक भारत "Fragile Five" अर्थव्यवस्था में गिना जाता था।

आज जी.एस.टी. जैसी कर प्रणाली लागू करके न सिर्फ हमने कर व्यवस्था को सरल किया बल्कि सिर्फ 1 वर्ष में 48 लाख नए उद्यमों को पंजीकृत करवाया ताकि व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता आए। आज महीने का जी.एस.टी. कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार पहुँच चुका है। आज भारत "Ease of doing business" ranking में जबर्दस्त उछाल लेकर 100वें पायदान पर आ खड़ा हुआ है। ये है मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों की ताकत। यही वजह है कि हमारे

विपक्षी मित्र आज घबराए से हैं । आज देश जानना चाहता है कि क्या विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव इन नीतियों से होने वाले आर्थिक विकास के विरुद्ध नहीं लाया गया?

क्या विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव महिलाओं के सम्मान एवं हकों की लड़ाई के लिए मोदी सरकार के अभूतपूर्व प्रयत्नों के खिलाफ नहीं है? मोदी सरकार ने बालिकाओं एवं महिलाओं के मुद्दों पर प्रशंसनीय कार्य किए हैं । समाज में लिंगानुपात को संतुलित करने, बालक और बालिकाओं में होने वाले भेदभाव को रोकने एवं बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" नामक अनोखे कार्यक्रम की शुरुआत करना, "सुकन्या समृद्धि योजना" के माध्यम से, जिसके तहत आज समूचे देश में 1 करोड़ 26 लाख से भी अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, प्रत्येक बालिका की समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना, 'निर्भया' फंड के साथ-साथ किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता देने वाली "One Stop Centre Scheme" लागू करना जिसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है, अथवा, "महिला शक्ति केंद्र योजना" जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम करना, आदि ये कुछ ऐसी योजनाएँ हैं जिन्होंने महिलाओं के बीच मोदी सरकार की सारख बढ़ाई है । लेकिन यहाँ मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगी "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना" का जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली 3.80 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए ।

अभी तक की सरकारों ने एल.पी.जी. सिलेंडरों को शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों तक ही सीमित रखा था, और उनमें भी मुख्य रूप से उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के परिवार ही लाभान्वित होते थे । यह सर्वमान्य तथ्य है कि गरीबों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के कारण ज्यादातर महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने कहा है कि भारत में खाना पकाने के लिए अपशिष्ट ईंधन के उपयोग के कारण

एक साल में करीब पाँच लाख लोग उससे होने वाले प्रदूषण से अपनी जान गँवा देते हैं। अतः मोदी जी के निर्देश में पहली बार केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मिलकर पूरे देश के गरीब परिवारों की करोड़ों महिलाओं के लिए इस महत्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजना का खाका बनाया जिसे प्रधानमंत्री ने मई 2016 में उद्घाटित किया। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके बुनियादी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने, कठिनाईयों को कम करने और खाना पकाने में व्यय समय की भी बचत करने वाली विश्व की अनोखी योजना है। अब इसके तहत गैस कनेक्शन के वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है।

मुस्लिम महिलाओं की बराबरी, सम्मान एवं हक की लड़ाई में मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का साथ देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप तीन तलाक जैसी प्रथा को समाप्त करने के लिए लोक सभा में अधिनियम प्रस्तुत कर उसे पास करवाया। क्या यह है हमारे विपक्ष के मित्रों के अविश्वास का कारण? क्या उनका अविश्वास प्रस्ताव महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ चलाया जा रहा एक कुत्सित प्रयास नहीं है? आज मोदी सरकार की इतनी उपलब्धियाँ हैं कि उन्हें गिनाने में सदन का सारा वक्त समाप्त हो जाएगा पर उपलब्धियाँ खत्म नहीं होंगी। क्या यह अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं उपलब्धियों के खिलाफ घबरा कर उठाया गया कदम नहीं है?

क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव उस वित्तीय समावेशन के खिलाफ नहीं है, जिसके तहत पिछले 4 वर्षों में 431 योजनाओं के लाभार्थियों को 3,65,996 करोड़ रुपए की सब्सिडी डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे बैंक में भेजकर 80 हजार करोड़ से ज्यादा की बचत की गई।

क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव Next Generation infrastructure तैयार करने वाली "भारतमाला" जैसी उन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के विरुद्ध नहीं जिनमें लाखों करोड़ के निवेश से सीमा सड़कों के विकास की समग्र योजना तैयार की जा रही है? क्या इनका यह प्रस्ताव पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क का विकास कर देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने के प्रयास का विरोध नहीं है? क्या यह

प्रस्ताव समूचे देश में राजमार्गों, लम्बे-लम्बे पुलों, लम्बी सुरंगों एवं ग्रामीण सड़कों के विकास में हो रहे क्रांतिकारी बदलावों को रोकने के लिए एक असफल प्रयास नहीं है?

क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव "प्रधानमंत्री आवास योजना" जैसे निम्न आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराने वाली सस्ती ऋण योजनाओं का तथा 2022 तक सभी भारतीयों को आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों का विरोध नहीं है? क्या ये इस बात से नहीं डरे हुए हैं कि हमने पिछले 4 वर्षों में कैसे 1 करोड़ से ऊपर मकान बनवाए हैं? क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव इन योजनाओं को विफल करने का समेकित षड्यंत्र नहीं है?

क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव "आयुष्मान भारत" के तहत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रयासों का विरोध नहीं है, जिसके अंतर्गत लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल है?

क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव "पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के तहत हर गाँव में बिजली पहुँचाने की हमारी उपलब्धि से होने वाले इनके भय को नहीं दर्शाता? क्या यह देश के प्रत्येक घर में बिजली पहुँचाने की हमारी महत्वाकांक्षा का विरोध नहीं है?

क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के "मुद्रा योजना" के तहत आसान ऋणों का वितरण कर रोजगार उत्पन्न करने के हमारे महत्वाकांक्षी कदम का विरोध नहीं है, जिसके तहत हमने 12 करोड़ छोटे उद्यमियों के बीच 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिलवाए हैं? यह संख्या इटली और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। हमारे विपक्षी मित्र तो ऐसा कभी कुछ सोच ही नहीं पाएँ। क्या यह अविश्वास प्रस्ताव उनकी इन्हीं हताशा का परिणाम नहीं है?

क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव भारत की विश्व में बढ़ रही साख एवं महत्व के विरुद्ध हताशा का परिचायक नहीं है? आज "योग" जैसे भारत के सांस्कृतिक विरासत अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन

चुके हैं तथा यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल हो चुके हैं। हमारे विपक्षी मित्रों को शायद यह स्वीकार्य नहीं है। अतः वे हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं।

क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के "स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत" जैसे अभूतपूर्व स्वच्छता मिशन का विरोध नहीं जहाँ गाँव-गाँव, घर-घर शौचालय बनवाकर नागरिकों के बीच स्वच्छता का क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जा रहा है?

क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार एवं काले धन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई तथा बैंकों के विरुद्ध होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने वाले कानूनों से होने वाली असहजता को नहीं दर्शाता? क्या विपक्ष नोटबंदी एवं उसके बाद किए गए जाँच-हड़ताल एवं सरकार द्वारा उठाए गए अन-गिनत कदमों से विचलित नहीं है तथा यह अविश्वास प्रस्ताव उसी की परिणति नहीं है?

इनका अविश्वास प्रस्ताव अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों, गरीबों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित योजनाओं की सफलता से उपजे हताशा एवं कुंठा का द्योतक है। यह अविश्वास प्रस्ताव है प्रगति के विरुद्ध, खुशहाली के विरुद्ध, आर्थिक उन्नति के विरुद्ध, सामाजिक समरसता के विरुद्ध, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध, गरीबों के हक की योजनाओं के विरुद्ध, देश की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख के विरुद्ध, एन.डी.ए. सरकार की बढ़ती ताकत के विरुद्ध तथा ये प्रस्ताव है नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के विरुद्ध।

हमारे विपक्ष में बैठे साथियों के मन में उपजा ये अविश्वास और कुछ नहीं बल्कि देश की अभूतपूर्व तरक्की और देशवासियों की खुशहाली के विरुद्ध उपजा अविश्वास है क्योंकि वे ऐसा भारत नहीं चाहते।

वे ऐसा भारत नहीं चाहते जहाँ पारदर्शिता हो, जहाँ शुचिता हो, जहाँ रोजगार हो, जहाँ स्वच्छता हो, जहाँ स्वास्थ्य हो, जहाँ किसानों के लिए समृद्धि हो, जहाँ गरीबों के लिए खुशहाली

हो, जहाँ महिलाओं के लिए सम्मान हो, जहाँ अल्पसंख्यकों के लिए अवसर हो, जहाँ सबके लिए "सबका साथ-सबका विकास" के सिद्धांत के तहत जीने के समान अवसर हों। वे ऐसा भारत नहीं चाहते जहाँ विकास हो, जहाँ विश्वास हो, इसीलिए वे अविश्वास की बात करते हैं। इसलिए वे Intolerance की बात करते हैं। तुलसी दास जी ने कहा है:- **"जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी"** हमारा चिंतन सबको जोड़ने का है, सबका समान विकास का है, इसलिए हम "सबका साथ-सबका विकास" की बात करते हैं। पर उनका चिंतन तो हमेशा से तोड़ने का रहा है। देश को जातियों, उपजातियों, अगड़ों और पिछड़ों में तोड़ने की बात करते हैं हम 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, वे प्रतिशतों की बातें करते हैं, हम सिद्धांतों की बातें करते हैं तो वे समीकरणों की बातें करते हैं।

हम 100 प्रतिशत की बात करते हैं, वे 16+14 (राजद) प्रतिशत या 20+9 प्रतिशत (सपा) 20+20 प्रतिशत (बसपा) या 27+18 प्रतिशत (ममता) की बातें करते हैं। उनका डर है कि अगर कहीं 100 प्रतिशत जुड़ गया तो इनकी "फूट डालो और राज करो" की राजनीति खत्म हो जाएगी, जैसा कि 2014 में हुआ या फिर 2017 में हुआ।

अतः आपके लिए तो टुकड़े-टुकड़े की राजनीति का महत्व है। समाज के टुकड़े-टुकड़े करो और सबसे बड़े टुकड़े का सहारा लेकर राज करो। आपको वही समाज पसंद है, आपको "टुकड़े-टुकड़े" वाली राजनीति पसंद है। अतः आप लेकर आएँ हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव। आप हमें हटाकर वहीं 34% और 40% और 45% का समाज लाना चाहते हैं। ये है आपके विश्वास प्रस्ताव की असली हकीकत। आप 100% को टालरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये है आपके इंटॉलेरेंस की सही वजह।

अविश्वास आपका जीवन दर्शन बन चुका है। ऐसा क्यों है? सिर्फ विरोध आपकी पहचान बन चुकी है। "मोदी हटाओ" आपकी राजनीति बन चुकी है। इसकी वजह क्या है?

"कुछ अजीब सा रिश्ता है मेरे और उसके दरम्याना

ना नफ़रत की वजह मिल रही है, ना मुहब्बत का सिला।"

अतः, मैं इनको परामर्श देना चाहूँगी कि आप अंधकार से प्रकाश में आएँ, अविश्वास से विश्वास में आएँ, खुद को देश के चहुमुखी विकास की मुख्य धारा से जोड़े तथा हमारे प्रति इंटोलेरेंस छोड़कर टोलेरेंस की भावना लाएँ। जिस दिन आप अपने मन में टोलेरेंस की भावना ले आएँगे, देश से इंटोलेरेंस खुद ही समाप्त हो जाएगा।

साथ ही, हम इन्हें ये भी सलाह देंगे कि अपने दिल से हमें हटाने का ख्याल निकाल दे क्योंकि हम तो यहाँ बैठ गए तो बैठ गए।

दाग़ देहलवी के इस शेर से अपनी बात खत्म करना चाहूँगी:

" और होंगे तेरी महफिल से उठने वाले,

हज़रत-ए-दाग़ जहाँ बैठ गए बैठ गए"

मोदी जी तो देश के विकास को गति देने बैठे हैं, सो बैठे रहेंगे। और तब तक बैठे रहेंगे, जब तक जनता चाहेगी क्योंकि हमें तो जनता ने यहाँ बैठाया है, आपने नहीं।

अतः, मैं सभी सदस्यों से अपील करती हूँ कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास मत के विरुद्ध वोट डालकर इस प्रस्ताव को पराजित करें तथा शेष बचे हुए कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को पूरा कराने हेतु उनका हाथ मजबूत करें।

* **SHRI R. RADHAKRISHNAN (PUDUCHERRY):** The No Confidence motion brought by TDP is to stress the need for Special Category Status for Andhra Pradesh, a few members have already resigned on the same issue.

The Central Government has stated that no state can be provided Special Category based on the recommendation of NITI Aayog. If the Central Government decides to bring any Bill to provide financial assistance to Andhra Pradesh our party will support it.

The Central Government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi has taken numerous measures for the economic and social development of the country, especially Puducherry.

Our party opposes the No Confidence motion.

* Speech was laid on the Table.

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): अध्यक्ष जी, जिस धैर्य के साथ आपने सदन का संचालन किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण शक्ति का परिचायक है। भले टीडीपी के माध्यम से प्रस्ताव आया हो, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बातें कही हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने प्रस्ताव का विरोध करते हुए बात कही है। मैं भी आप सभी से आग्रह करूँगा कि हम सब इस प्रस्ताव को खारिज करें और हम सब तीस साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत के साथ बनी हुई सरकार को, जिसने तेज गति से काम किया है, उस पर फिर से एक बार विश्वास प्रकट करें। वैसे मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छा मौका है कि हमें अपनी बात कहने का मौका तो मिल ही रहा है, लेकिन देश को यह भी चेहरा देखने को मिला है कि कैसी नकारात्मकता है, कैसा विकास के प्रति विरोध का भाव है।

कैसे नकारात्मक राजनीति ने कुछ लोगों को घेरकर रखा हुआ है और उन सबका चेहरा निखरकर, सज-धजकर बाहर आया है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों? न संख्या है, न सदन में बहुमत है, फिर भी इस प्रस्ताव को सदन में क्यों लाया गया? सरकार को गिराने का इतना ही उतावलापन था, तो मैं हैरान था, सोच रहा था कि इसको 48 घंटे रोक दिया जाए। इस पर जल्दी चर्चा की जरूरत नहीं है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी, तो क्या आसमान फट जाएगा, भूकम्प आ जाएगा क्या? अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दी जाती, तो फिर यह क्यों लाए? इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको टालने की जो कोशिश हो रही थी, वह भी इस बात को बताती है कि उनकी कठिनाई क्या है।

न मांझी, न रहबर, न हक में हवाएँ,

है कश्ती भी जर्जर, यह कैसा सफ़र है?

मैं जो भाषा सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूँ कि यह कोई अज्ञानतावश हुआ है और न ही यह झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींचकर ले जा रहा है। मोदी हटाओ,

...(व्यवधान) मैं हैरान हूँ, आज सुबह तो चर्चा प्रारम्भ ही हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय-पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पहुँचने के लिए जिनका उत्साह है, कहते हैं, उठो! उठो! लेकिन, यहाँ से न कोई उठा सकता है, न बैठा सकता है, केवल सवा सौ करोड़ देशवासी ही यहाँ पर बैठा सकते हैं और सवा सौ करोड़ देशवासी ही यहाँ से उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पर भरोसा होना चाहिए। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है?

यह अहंकार ही है, जो कहता है कि हम खड़े होंगे, तो प्रधान मंत्री 15 मिनट तक भी खड़े नहीं हो पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं खड़ा भी हूँ और हमने चार साल तक जो काम किये हैं, उस पर अड़ा भी हूँ। हमारी सोच उनसे अलग है। हमने सीखा है-

सार-सार को गहि रहे,
थोथा देड़ उड़ाया

खैर, मैं सार ग्रहण करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आज मुझे मिला नहीं। डंके की चोट पर अहंकार यह कहलाता है कि वर्ष 2019 में पावर में नहीं आने देंगे। जो लोगों में विश्वास नहीं करते और खुद को ही भाग्य विधाता मानते हैं, उनके मुँह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भाग्य विधाता होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा होना जरूरी है। अगर वर्ष 2019 में कांग्रेस सब से बड़ा दल बनती है, तो मैं प्रधान मंत्री बनूंगा, लेकिन दूसरों की जो ढेर सारी ख्वाहिशें हैं, उनका क्या होगा, इस बारे में कंप्यूजन है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया जी, यह सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। यह तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। मैं ही प्रधान मंत्री बनूंगा, के सपने पर और दल भी थोड़ी मोहर लगा दें, इसके लिए ट्रायल चल रहा है। ...(व्यवधान) इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनबे को जो जमाने की कोशिश की है, वह कहीं बिखर न जाए, इसकी चिंता पड़ी है। एक मोदी को हटाने के लिए, जिसे कभी देखने का संबंध नहीं है, मिलने का संबंध नहीं है, ऐसी धुरियों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। मेरी कांग्रेस के साथियों को सलाह है कि जब भी आपको अपने संभवित साथियों की परीक्षा लेनी हो, तो आप जरूर लीजिए, लेकिन कम से कम अविश्वास के प्रस्ताव का बहाना तो

न बनाइए। जितना अविश्वास आप सरकार पर करते हैं, कम से कम उतना विश्वास अपने संभावित साथियों पर तो कीजिए।

अध्यक्ष महोदया जी, हम यहां इसलिए हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है। हम यहां इसलिए हैं, क्योंकि सवा सौ करोड़ देशवासियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। ... (व्यवधान) अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए देश के मन पर, देशवासियों द्वारा दिए आशीर्वाद पर कम से कम अविश्वास न करें। ... (व्यवधान) बिना तुष्टिकरण किए, बिना वोट बैंक की राजनीति किए सबका साथ, सबका विकास मंत्र पर हम काम करते रहे हैं। ... (व्यवधान)

21 24 hrs

At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष: नरसिम्हम जी, आप अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Thota Narasimhan, you will have to listen.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Anurag Singh Thakur, please go to your seat.

... (Interruptions)

श्री नरेन्द्र मोदी : माननीय अध्यक्षा जी, पहले भी 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Thota Narasimhan, this is not proper. You have to go to your seat.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Ramesh Bidhuri, please go to your seat.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाइए। मैं देख रही हूँ, रिक्वैस्ट कर रही हूँ। आप यहां क्यों खड़े हैं?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Ram Mohan Naidu, this is not fair. You will have to listen. Please listen quietly. रिप्लाई तो आपको सुनना पड़ेगा। Please go to your seat.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please go to your seat.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग तो शांति से बैठ जाइए।

... (Interruptions)

श्री नरेन्द्र मोदी : अध्यक्ष महोदया जी, सबका साथ, सबका विकास के इस मंत्र को लेकर काम करने वाली हमारी सरकार है। ...(व्यवधान) 18 हजार गांवों में जो बिजली पहुंची है, यह काम पहले की सरकारें भी कर सकती थीं। अध्यक्ष महोदया, इन 18 हजार गांवों में से 15 हजार गांव पूर्वी भारत के हैं और उन 15 हजार में से भी 5 हजार गांव पूरी तरह से नॉर्थ-ईस्ट के हैं।... (व्यवधान) आप कल्पना कर सकते हैं कि इन इलाकों में कौन रहता है? हमारे आदिवासी, हमारे गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और जंगलों में जिंदगी गुजारने वालों का बहुत बड़ा तबका रहता है।... (व्यवधान) ये क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इनके वोट के गणित में फिट नहीं होता था। उनका इस आबादी पर विश्वास नहीं था। उसी के कारण नॉर्थ-ईस्ट को अलग-थलग कर दिया गया।... (व्यवधान) हमने सिर्फ इन गांवों में बिजली ही पहुंचायी है ऐसा नहीं है, हमने कनेक्टिविटी के हर मार्ग पर तेज गति से काम किया।... (व्यवधान)

गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए नहीं खोले। जब उनकी सरकारें थीं, वे इतने साल बैठे थे, वे भी गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल सकते थे। लगभग 32 करोड़ जन-धन खाते खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है और आज

80 हजार करोड़ रुपये इन गरीबों ने बचत करके इन जन-धन एकाउंट्स में जमा किए हैं। माताओं-बहनों के लिए, उनके सम्मान के लिए आठ करोड़ शौचालय बनाने का काम इस सरकार ने किया है। ये पहले की सरकारें भी कर सकती थीं।

उज्ज्वला योजना से साढ़े चार करोड़ गरीब माताओं-बहनों को आज धुआं मुक्त जिंदगी और बेहतर स्वास्थ्य का काम - यह विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये वे लोग थे, जो नौ सिलेंडर या बारह सिलेंडर इसी की चर्चा में खोए हुए थे, उनके अविश्वास के बीच वे जनता को भटका रहे थे। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार बीते दो वर्षों में पांच करोड़ देशवासी भीषण गरीबी से बाहर आए हैं। बीस करोड़ गरीबों को मात्र 90 पैसे प्रतिदिन और एक रुपया महीना के प्रीमियम पर बीमा का सुरक्षा कवच भी मिला। आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये की बीमारी में मदद करने का एश्योरेंस इस सरकार ने दिया है। इनको इन बातों पर भी विश्वास नहीं है।

हम किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। उस पर भी इनको विश्वास नहीं है। हम बीज से लेकर बाजार तक सम्पूर्ण व्यवस्था के अंदर सुधार कर रहे हैं, सीमलैस व्यवस्थाएं बना रहे हैं। इस पर भी उनको विश्वास नहीं है। 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करके वर्षों से अटकी हुई 99 सिंचाई योजनाओं को, कुल परियोजनाओं को पूर्ण करने का काम चल रहा है। कुछ योजनाएं पूर्णता पर पहुंच चुकी हैं, कुछ का लोकार्पण हो चुका है। लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। हमने 15 करोड़ किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड पहुंचाया, आधुनिक खेती की तरफ किसानों को ले गए, लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है।

महोदया, उन्होंने यूरिया में थोड़ी नीम कोटिंग करके छोड़ दिया, परंतु शत-प्रतिशत किए बिना उसका लाभ नहीं मिल सकता है। हमने शत-प्रतिशत नीम कोटिंग का काम किया, जिसका लाभ देश के किसानों को हुआ है। यूरिया की जो कमी महसूस होती थी, वह बंद हुई है, लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। हमने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को

विश्वास दिलाने का काम किया, हमने न सिर्फ प्रीमियम कम किया, बल्कि इंश्योरेंस का दायरा भी बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर 2016-2017 में किसानों ने करीब 1300 करोड़ रुपये बीमा के प्रीमियम के रूप में दिए, जबकि उन्हें सहायता के रूप में 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्लेम राशि दी गई है। यानी किसानों से जितना लिया गया, उससे तीन गुना ज्यादा की क्लेम राशि उनको हमने पहुंचा दी, लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदया, एल.ई.डी. बल्ब के बारे में जरा यह बताएं तो सही कि क्या कारण है कि उनके काल खंड में एल.ई.डी. बल्ब साढ़े तीन सौ, चार सौ और साढ़े चार सौ रुपये में बिकता था? आज वह एल.ई.डी. बल्ब 40-45 रुपये पर पहुंच गया। सौ करोड़, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, सौ करोड़ एल.ई.डी. बल्ब आज बिक चुके हैं।

इतना ही नहीं 500 से ज्यादा अर्बन बॉडीज़ में 62 लाख से ज्यादा एलईडी बल्ब्स स्ट्रीट लाइट्स में लग चुके हैं और उनके कारण नगर पालिकाओं के खर्च में भी बचत हुई है। उनके समय में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दो थीं। आज मोबाइल फोन बनाने वाली 120 कंपनियां हैं, लेकिन उनका विश्वास काम नहीं कर रहा है। युवाओं के स्वरोजगार के लिए पहले पढ़े-लिखे नौजवानों को सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता था और वह रोजी-रोटी के लिए भटकता था। हमने मुद्रा योजना के तहत 13 करोड़ नौजवानों को लोन देने का काम किया है। इतना ही नहीं, वक्त बदल चुका है, आज दस हजार से ज्यादा स्टार्ट-अप हमारे देश के नौजवान चला रहे हैं और देश को इनोवेटिव इण्डिया की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। एक समय था, जब हम डिजिटल लेन-देन की बात करने लगे तो उसी समय बड़े-बड़े विद्वान लोग कहने लगे कि हमारा देश तो अनपढ़ है, डिजिटल ट्रांस्जैक्शन कैसे कर सकता है? हमारे देश के गरीबों तक यह कैसे पहुंच सकता है? अध्यक्ष महोदया, जो लोग इस प्रकार से देश की जनता की ताकत को कम आंकते थे, उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। अकेले भीम एप और मोबाइल फोन से, एक महीने में 41 हजार करोड़ रुपये का ट्रांस्जैक्शन हमारे देश के नागरिक आज कर रहे हैं। लेकिन उनका देश की जनता

पर विश्वास नहीं है। उनका कहना था कि ये अनपढ़ हैं, यह नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे। यह इनकी इसी मानसिकता का परिणाम है।

2143 hrs

At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members went back to their seats.

अध्यक्ष महोदया, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में 42 अंक का सुधार हुआ है। इनको अब उस पर भी शक होने लगा है। ये उन संस्थाओं पर भी अविश्वास करने लगे हैं। ग्लोबल कम्पीटिटिव इन्डैक्स में 31 अंकों का सुधार हुआ है। उसमें भी इनको शक हो रहा है। इनोवेशन इन्डैक्स में 24 अंकों का सुधार हुआ है। हमारी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को सुधार कर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम कर रही है। मेक इन इण्डिया हो या जीएसटी हो, इन पर भी इनका विश्वास नहीं है। भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की इकॉनमिक ग्रोथ को मज़बूती दी है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में भारत छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। यह जयकारा सरकार में बैठे हुए लोगों का नहीं है, बल्कि सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों के पुरुषार्थ का है। इसके लिए तो गौरव करना सीखो। लेकिन वे भी गौरव करना नहीं जानते हैं। पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने की दिशा में आज देश तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। हमने काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसके कारण कैसे-कैसे लोगों को परेशानी हो रही है। उनके वे घाव अभी भी भर नहीं रहे हैं। यह तो आपके व्यवहार से हमें पता चलता है। हमने टैक्नोलॉजी का उपयोग किया और टैक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी खजाने से निकले हुए रुपये जो कहीं और चले जाते थे, उसमें 90 हजार करोड़ रुपये बचाने का काम टैक्नोलॉजी के माध्यम से हमने किया है। वह पैसा गलत हाथों में जाता था, किस प्रकार की व्यवस्थाओं से चलता था, यह देश भली भाँति जानता है। ढाई लाख से ज्यादा शैल कंपनियों को हमने ताले लगा दिए, और भी करीब दो-सवा दो लाख कंपनियां आज भी नज़र में हैं एवं कभी भी उन पर ताला लगने की संभावना है। क्योंकि इनको पनपाया किसने? कौन सी ताकतें थीं, जो

उनको बढ़ावा देती थी और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने खेल खेले जा रहे थे? यह सबको पता है।

बेनामी सम्पत्ति का कानून सदन ने पारित किया, लेकिन 20 साल तक उसे नोटिफाई नहीं किया गया। क्यों, किसको बचाना चाहते थे? हमने आकर इस काम को भी किया और मुझे खुशी है कि अब तक चार-साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति इस बेनामी सम्पत्ति कानून के तहत जब्त कर दी गई है। देश को विश्वास है, दुनिया को विश्वास है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को विश्वास है, लेकिन जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, वे हम पर विश्वास कैसे कर सकेंगे। यह सब ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है।

“धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्”

यानी चातक पक्षी के मुँह में बारिश की बूँद सीधे नहीं गिरती तो इसमें बादल का क्या दोष।

महोदया, कांग्रेस को खुद पर अविश्वास है। ये अविश्वास से घिरे हुए हैं। अविश्वास ही उनकी पूरी कार्यशैली, उनके सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। उनको विश्वास नहीं है। स्वच्छ भारत पर भी विश्वास नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी विश्वास नहीं, देश के मुख्य न्यायाधीश पर भी विश्वास नहीं, रिजर्व बैंक पर भी विश्वास नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े देने वाली संस्थाओं पर भी उनको विश्वास नहीं है। देश के बाहर पासपोर्ट की ताकत क्या बढ़ रही है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरवगान कैसे हो रहा है, उस पर भी उनको विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। यह अविश्वास क्यों बढ़ गया? जब कुछ मुट्ठी भर लोग अपना ही विशेषाधिकार मानते थे, अपना ही विशेष अधिकार मानकर जो बैठे थे, जब यह जनाधिकार में परिवर्तित होने लगा तो जरा वहाँ पर बुखार चढ़ने लगा, परेशानी बढ़ने लगी। जब प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की परम्पराओं को बंद किया गया तो उनको परेशानी होना स्वाभाविक था। जब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक था। जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बैचेनी बढ़ गई, यह भी

साफ है। जब कोर्ट, कचहरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। मैं हैरान हूँ, यहाँ ऐसे विषयों को स्पर्श किया गया, आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही हैं। मैं भी भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, मैं सवा सौ करोड़ देशवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको इतनी शक्ति दें कि वर्ष 2024 में आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव ले आयें। मेरी आपको शुभकामनायें हैं।

यहाँ पर डोकलाम की चर्चा की गई। मैं मानता हूँ कि जिस विषय की जानकारी नहीं है, कभी-कभी उस पर बोलने से बात बड़ी उलटी पड़ जाती है। उसमें व्यक्ति का नुकसान कम है, देश का नुकसान हो जाता है। इसलिए ऐसे विषयों पर बोलने से पहले थोड़ा संभालना चाहिए। हमें एक घटनाक्रम याद रहना चाहिए। जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एकजुट होकर के डोकलाम के विषय को लेकर प्रवृत्तिशील थी, अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रही थी।

जो आज डोकलाम की बातें करते हैं, तब वे चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। बाद में 'कभी ना तो कभी हों' जैसे यह फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था। कोई कहता था कि वे मिले हैं, कोई कहता था कि नहीं मिले हैं। क्यों भाई, ऐसा सस्पेंस क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो साफ मना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत से मिले ही नहीं हैं। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस को यह मानने को मजबूर होना पड़ा कि हां, मुलाकात तो हुई थी। क्या देश के विषयों में कोई गम्भीरता नहीं होती है? क्या हर जगह पर बचकाना हरकतें करते रहेंगे?

यहां पर राफेल विवाद को छेड़ा गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जा सकता है। अब बार-बार चीख-चीख कर देश को गुमराह करने का काम किया जाता है। इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ही क्या इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं? यह देश उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह कितना दुःखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोपों पर दोनों देशों को बयान जारी करना पड़ा और दोनों देशों को खंडन करना पड़ा। क्या हम ऐसी बचकाना हरकतें करते रहेंगे? क्या कोई जिम्मेदारी है या

नहीं? जो लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे हैं, बिना हाथ-पैर के, बिना कोई सबूत के बस चीखते रहो, चिल्लाते रहो। यह सत्य का गला घोटने की कोशिश है। देश की जनता इसे भली-भाँति जानती है। हर बार जनता ने आपको जवाब दिया है। अब सुधरने का मौका है, सुधरने की कोशिश कीजिए। राजनीति का यह स्तर देशहित में नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, देशवासियों को यह आश्चस्त करना चाहता हूँ कि यह समझौता दो देशों के बीच हुआ है। यह कोई व्यापारिक पार्टियों के साथ नहीं हुआ है। यह दो जिम्मेदार सरकारों के बीच हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। मेरी प्रार्थना भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर इन बचकाना बयानों से बचा जाए। यह मेरा आग्रह भी है। नामदार के आग्रह में मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ क्योंकि हमने देखा है कि एक ऐसी प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष के लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया गया। क्या ऐसा कभी होता है? क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिन्दुस्तान का हर सिपाही, जो सीमा पर होगा या निवृत्त होगा, उसे आज इतनी गहरी चोट पहुंची होगी, जिसकी कल्पना हम सदन में बैठकर नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर-मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों के पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन, क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोलें? आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोलें, यह देश कभी माफ नहीं कर सकेगा। आपको गालियां देनी हो तो मोदी मौजूद है। आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है, लेकिन देश के जवान, जो मर-मिटने के लिए निकले हैं, उनको गालियां देना बंद कीजिए।

सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोलते हैं, इस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम निरंतर चलता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा यह अविश्वास कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस ने देश में अस्थिरता फैलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक व्यवस्था का

दुरुपयोग किया। हमने अखबार में पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति के तुरंत बाद बयान दिया गया, कौन कहता है हमारे पास नंबर नहीं है, यह अहंकार देखिए। मैं इस सदन को वर्ष 1999 को याद कराना चाहता हूँ, राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर दावा किया गया था कि हमारे पास तो 272 की संख्या है और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं और अटल जी की सरकार को सिर्फ एक वोट से गिरा दिया गया, लेकिन खुद जो 272 का दावा किया था, वह खोखला निकला और 13 महीनों में देश को चुनाव के अंदर जाना पड़ा। देश पर चुनाव थोपे गए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, आज फिर एक स्थिर जनादेश को अस्थिर करने के लिए खेल खेला जा रहा है। राजनीति अस्थिरता के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, यह कांग्रेस की फितरत रही है। वर्ष 1979 में किसान नेता, माटी के लाल चौधरी चरण सिंह जी को पहले समर्थन का भ्रम दिया गया और फिर वापिस ले लिया। एक किसान, एक कामगार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? चंद्रशेखर जी का भी उसी तरह मॉडस ऑपरेन्डी वही था। पहले सहयोग की रस्सी फेंको और फिर धोखे से उसे वापिस खींचो। यही खेल चलता रहा। यही फार्मूला वर्ष 1997 में फिर अपनाया गया, पहले आदरणीय देवगौड़ा जी को अपमानित किया गया और फिर इंद्र कुमार गुजराल जी की बारी आई...(व्यवधान) क्या देवगौड़ा जी हों, क्या मुलायम सिंह यादव जी हों, कौन भूल सकता है कि कांग्रेस ने लोगों के साथ क्या किया। जमीन से उठे, अपने श्रम से लोगों के हृदय में जगह बनाने वाले जन नेता के रूप में उभरे हुए उन नेताओं तथा दलों को कांग्रेस ने छला है और बार-बार देश को अस्थिरता में धकेलने का पाप किया है। कैसे कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए दो-दो बार विश्वास को खरीदने का प्रयास किया। वोट के बदले नोट, यह खेल कौन नहीं जानता...(व्यवधान)

आज यहाँ एक बात और कही गई, यहाँ पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आँख में मेरी आँख भी नहीं डाल सकते...(व्यवधान)

22 00 hrs

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह सही है। हम कौन होते हैं, जो आपकी आंख में आंख डाल सकें? गरीब मां का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया हुआ, आप तो नामदार हैं नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं है। हम नहीं डाल सकते हैं। इतिहास गवाह है, सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। मोरारजी भाई देसाई गवाह हैं, उन्होंने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया। जयप्रकाश नारायण गवाह हैं, उन्होंने आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने आंख में आंख डालने की कोशिश की उनके साथ क्या किया गया। ... (व्यवधान) चंद्रशेखर जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया। ... (व्यवधान) प्रणब मुखर्जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया। ... (व्यवधान) इतना ही नहीं हमारे शरद पवार जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था। ... (व्यवधान) मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। आंख में आंख डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मारकर निकाला जाता है, एक परिवार का इतिहास, इस देश में कोई अंजान नहीं है। हम तो कामदार हैं, भला हम नामदार की आंख में आंख कैसे डाल सकते हैं? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने, आज इसे टीवी पर पूरा देश देख रहा है कि कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, यह आंखों का खेला माननीय अध्यक्ष महोदया, आंख में आंख डाल करके सत्य को कुचला गया है। सत्य को बार-बार कुचला गया है, बार-बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कि कांग्रेस ही थी, जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए? मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी तो कांग्रेस का इतिहास है। अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी, तब पेट्रोलियमों को जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। ... (व्यवधान) आपको यह भी

मालूम नहीं है। आज यहां यह भी कहा गया ... (व्यवधान) मैं आपका विषय लेने वाला हूं। जयदेव जी, मैं आपकी बात लेने वाला हूं। ... (व्यवधान) आपका विषय आएगा। ... (व्यवधान) जरा बारी-बारी से आने दो। ... (व्यवधान) किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं, आप चिंता मत कीजिए। ... (व्यवधान) हर किसी का सम्मान करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। ... (व्यवधान)

आज यहां यह भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं, भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं हैं, ठेकेदार नहीं हैं। न हम सौदागर हैं, न ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं। हम देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं।

देश में 115 आकांक्षी जिले हैं, हम उनके विकास में सपनों के भागीदार हैं। हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनतकश मजदूरों के भागीदार हैं। हम भागीदार हैं और भागीदार रहेंगे। उनके दुखों को बांटना, यह हमारी भागीदारी और जिम्मेवारी है, इसे हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं हैं, हम सौदागर नहीं हैं। हम चौकीदार भी हैं, भागीदार भी हैं। हमें इस बात पर गर्व है। कांग्रेस का एक ही मंत्र है - या तो हम रहेंगे, अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्थिरता रहेगी, अफवाहों का साम्राज्य रहेगा, आप पूरा कालखंड देख लीजिए। वहां भी भुक्तभोगी बैठे हुए हैं, सबके साथ क्या हुआ, सभी को मालूम है। अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ...* फैलाया जाता है। अब अफवाह फैलाने के लिए देश में टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों पर अत्याचार रोकने वाला कानून खत्म कर दिया गया है। देश को हिंसा की आग में झोंकने का षडयंत्र किया जाता है।

अध्यक्ष महोदया जी, ये लोग दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों और गरीबों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके राजनीति करते रहे हैं। कामगारों और किसानों की दुखों की चिंता किए बिना,

* Not recorded

उनकी समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने की बजाय चुनाव जीतने के शार्टकट रास्ता ढूँढने का प्रयास इस देश में हुआ है। उसी का कारण है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका सशक्तीकरण से वंचित रह गया। बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा और उनके पहनावे, उनकी राजनीति का मजाक उड़ाने वाले लोग आज बाबा साहब के गीत गाने लगे हैं।

महोदया, धारा 356 का बार-बार दुरुपयोग करने वाले लोग हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की बातें करते हैं। जो मुख्य मंत्री पसंद नहीं आता था, उसको हटाना, अस्थिरता पैदा करना, यह खेल देश आजाद होने के तुरंत बाद शुरू कर दिया गया, कभी भी मौका नहीं छोड़ा गया। इसी नीति का परिणाम वर्ष 1980, 1991, 1998 और 1999 देश को समय से पहले चुनाव के अंदर घसीटा गया, चुनाव में जाना पड़ा। एक परिवार के सपने और आकांक्षा के सामने जो भी आया, उसके साथ यही बर्ताव किया गया। चाहे देश के लोकतंत्र को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। यह स्वाभाविक है, जिनकी ऐसी मानसिकता है, जिनके अंदर इतना अहंकार है, वह हम लोगों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमारा यहां बैठना कैसे गवारा हो सकता है, यह हम भलीभांति समझते हैं, इसलिए हमें नापसंद करना बहुत स्वाभाविक है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी जमीन से कट चुकी है। वे तो डूबे हैं उनके साथ जाने वाले भी डूबेंगे। हम भी डूबे हैं सनम तुम भी डूबो। इनका भी यही हाल होने वाला है। मैं अर्थ और अनर्थ में हमेशा उलझे हुए और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानने वाले और जिन्हें विद्वता का अहंकार है, अर्थ और अनर्थ में हमेशा उलझे हुए एक व्यक्ति ने बात बताई थी, मैं उन्हीं के शब्दों को क्वोट करना चाहता हूँ।

“कांग्रेस पार्टी अलग-अलग राज्यों में क्यों और कैसे कमजोर हो गई? मैं एक ऐसे राज्य से आता हूँ, जहां इस पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो गया है। क्यों कांग्रेस इस बात का समझ नहीं पाई कि सत्ता अब उच्च वर्ग, साधन सम्पन्न वर्गों से गांव-देहात के लोगों, इंटरमीडिएट कास्ट्स और यहां तक कि ऐसी जातियों, जो कथित सोशल ऑर्डर में सबसे नीचे हैं, गरीब, बेरोजगार, जिनके पास सम्पत्ति नहीं है, जिनकी

कोई आमदनी नहीं है, जिनकी आवाज आज तक सुनी नहीं गई, उन तक पहुंची है। जैसे-जैसे पावर नीचे की तरफ चलती गई, जैसा कि लोकतंत्र में होना चाहिए, वैसे-वैसे अनेक राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव खत्म होता गया।”

यह एक कोटेबल कोट है। यह 11 अप्रैल, 1997 का है। जब देवगौड़ा जी की सरकार का विश्वास प्रस्ताव चल रहा था, उस समय अर्थ और अनर्थ में उलझे हुए, आपके विद्वान महारथी, श्रीमान चिदम्बरम जी का यह वाक्य है। कुछ विद्वान लोगों की बातें वहां शायद समझ में नहीं आई होंगी।

18 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने तीन राज्यों का गठन किया था – उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़। कोई खींचतान नहीं, न कोई झगड़ा हुआ, मिल-बैठकर, जो जहां से निकले, उनके साथ बैठकर रास्ते निकाले और तीनों राज्य बहुत तेजी से शान्ति से प्रगति कर रहे हैं और देश के विकास में हिस्सेदारी कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ पाने के लिए, आन्ध्र प्रदेश के लोगों को विश्वास में लिए बिना, राज्य सभा के दरवाजों को बन्द करके, जोर और जुल्म के बीच, हाउस ऑर्डर में नहीं था, तब भी आपने आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन किया।... (व्यवधान) यह बात सही है। जैदेव जी ने बताया और यह बात सही है कि उस समय मैंने कहा था – ‘तेलुगू हमारी मां है। तेलुगू की स्परिट को टूटने नहीं देना चाहिए। उन्होंने बच्चे को बचा लिया और मां को मार दिया है। हम सबका दायित्व है कि तेलुगू स्परिट को बचा लिया जाए।’ ये शब्द मेरे उस समय थे और आज भी मैं ऐसा मानता हूँ। ... (व्यवधान) वर्ष 2014 में आपका क्या हाल हुआ? आपको लगता था कि एक जाएगा तो जाएगा, लेकिन दूसरा मिल जाएगा। लेकिन जनता इतनी समझदार थी कि न यह मिला, न वह मिला और आप अपने पीछे यह मुसीबत छोड़कर चले गए। यह आपके लिए नया नहीं है। आपने भारत-पाकिस्तान का विभाजन किया, हम आज भी मुसीबतें झेल रहे हैं। आपने इनका विभाजन भी ऐसे ही किया है। आपने उनको विश्वास दिलाया होता तो शायद यह मुसीबत न आती, लेकिन कुछ नहीं सोचा। ... (व्यवधान) मुझे बराबर

याद है, चन्द्रबाबू नायडू का और तेलंगाना के सीएम केसीआर का पहले साल बंटवारे को लेकर तनाव रहता था, झगड़े होते थे। गवर्नर को बैठना पड़ता था, होम मिनिस्टर को बैठना पड़ता था, कभी मुझे बैठना पड़ता था। उस समय टीडीपी की पूरी ताकत तेलंगाना के खिलाफ लगी थी। उसी में लड़ते रहते थे। हम उनको शान्त करने की बहुत कोशिश करते थे, संभालने की कोशिश करते थे। टीआरएस ने मेच्योरिटी दिखाई, वे अपने आप विकास में लग गए। उधर क्या हाल हुआ, आप जानते हैं। संसाधनों का विवाद आज भी चल रहा है। आप लोगों ने ऐसा बंटवारा किया कि संसाधनों का विवाद आज भी चल रहा है।

एनडीए की सरकार ने सुनिश्चित किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास में कोई कमी नहीं आएगी और हम पूरी तरह उसमें कमीटेड हैं। हम ने जो कदम उठाए, मुझे कुछ मीडिया रिपोर्टें याद हैं, मुझे मीडिया रिपोर्ट याद आ रही है। इसी सदन के टीडीपी के एक माननीय सदस्य ने ब्यान दिया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से कहीं ज्यादा, बेहतर स्पेशल कैटेगरी है। यह लोगों ने दिया था। मैं वित्त आयोग की सिफारिश को फिर से दोहराना चाहता हूँ। इस सिफारिश के तहत आयोग ने स्पेशल और जनरल कैटेगरी राज्यों के भेद को समाप्त कर दिया। ... (व्यवधान) आयोग ने एक नई कैटेगरी नॉर्थ-ईस्टर्न को और हिल स्टेट की बना दी। इस प्रक्रिया में आयोग ने इस बात का ध्यान रखा है कि अन्य राज्यों को आर्थिक नुकसान न हो। एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों की आशा-आकांक्षाओं का सम्मान करती है। ... (व्यवधान) आप पूरी बात सुनिए, आपकी काम की बात आ रही है। ... (व्यवधान) एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों की आशा और आकांक्षाओं का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार 14वें वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों से बंधी हुई है। इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नया स्पेशल असिस्टेंस पैकेज बनाया गया, जिससे राज्य को उतनी वित्तीय सहायता मिले, जितनी उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मिलने से प्राप्त होती है। इस निर्णय को 8 सितम्बर, 2016 को लागू किया गया। 4 नवम्बर, 2016 को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने स्वयं इस पैकेज को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। एनडीए सरकार आंध्र रिऑर्गनाइजेशन एक्ट और स्पेशल असिस्टेंस पैकेज पर

किए हुए हर कमिटमेंट को पूरा करना चाहती थी, लेकिन टीडीपी ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यू-टर्न किया और माननीय अध्यक्ष महोदया जी, जब टीडीपी ने एनडीए छोड़ने के लिए तय किया तो मैंने चंद्रबाबू को फोन किया था। यह जानकारी आपके लिए नई होगी। ... (व्यवधान)

22 18 hrs

At this stage Dr. Ravindra Babu and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

यह आपके काम की जानकारी है।... (व्यवधान) टीडीपी एनडीए से निकले, चंद्रबाबू से फोन पर मेरी बात हुई और मैंने चन्द्रबाबू से कहा था कि बाबू, आप वाईएसआर कांग्रेस के जाल में फंस रहे हो। आप वाईएसआर कांग्रेस के चक्र में फंस रहे हो। मैंने कहा कि आप वहां की स्पर्धा में... (व्यवधान) आप किसी हालत में बच नहीं पाएंगे। ... (व्यवधान) यह मैंने एक दिन उनको कहा था। ... (व्यवधान) मैं वह देख रहा हूँ। झगड़ा उनका वहां का है और उपयोग सदन का किया जा रहा है।... (व्यवधान) आंध्र प्रदेश की जनता भी इस घनघोर अवसरवादिता को देख रही है। ... (व्यवधान) चुनाव नजदीक आते गए और प्रशंसा आलोचना में बदल गई।... (व्यवधान) कोई भी विशेष इंसेंटिव या पैकेज देते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। ... (व्यवधान) इसी सदन में तीन साल पहले श्रीमान वीरप्पा मोइली जी ने कहा था।

“How you can create this kind of an inequality between one State and the other State? It is a major issue. After all, you are an arbitrator.”

यह बात मोइली जी ने कही थी और मैं आज इस सदन के माध्यम से आंध्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे राजधानी का काम हो, चाहे किसानों की भलाई का काम हो, केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार आंध्र की जनता के कल्याण के काम में कभी पीछे नहीं रहेगी और उनकी जो मदद कर सकते हैं, करते रहेंगे। आंध्र का भला हो और उसी में देश का भला हो, यह हमारी सोच है। हम विकास के काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रयास, हमारा काम करने का

तरीका समस्याओं को सुलझाने का है। 'वन रैंक वन पेंशन' को दशकों तक लटकाने वाले कौन थे? जीएसटी का विषय इतने वर्षों तक किसने लटका कर रखा था? आज यहां बताया गया कि गुजरात के मुख्य मंत्री ने इसे रोका था। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं और उस समय के जो कर्ताधर्ता थे, उन्हें भी मालूम है। मेरी मुख्य मंत्री के नाते भेजी गई चिट्ठियां भी मौजूद हैं। मैंने भारत सरकार को कहा था कि जीएसटी में राज्यों के कंसर्न को एड्रेस किए बिना आप जीएसटी को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। राज्यों ने जो-जो मुद्दे उठाए हैं, आप राज्यों के साथ बैठकर उन मुद्दों का समाधान कीजिए, लेकिन उनका अहंकार इतना था कि वे राज्यों की एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं आज यह रहस्य भी खोलता हूं कि बीजेपी के सिवाय अन्य दलों के मुख्य मंत्री भी, जिनमें कांग्रेस के मुख्य मंत्री भी थे, वे मुझे मीटिंग्स में मिलते थे और कहते थे कि हम तो बोल नहीं पाएंगे, मोदी जी आप बोलिए। इससे हमारे राज्य का भी कुछ भला हो जाएगा। मैंने आवाज उठाई थी। जब मैं प्रधान मंत्री बना, तब मेरा मुख्य मंत्री का अनुभव काम आया। उस अनुभव के कारण सभी राज्यों के कंसर्न को एड्रेस करने का काम किया। सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लाने में हम सफल हुए। अगर आपका अहंकार न होता, आपने राज्यों की समस्याओं को समझा होता, तो जीएसटी पांच साल पहले आ जाता, लेकिन आपके काम का तरीका लटकाने का रहा है।

काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा था। उस विषय को कौन लटका कर बैठा था? उसे आप लोगों ने लटकाया था। बेनामी सम्पत्ति कानून किसने लटका कर रखा था?

अध्यक्षा जी, एनडीए सरकार द्वारा खरीफ के समय में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की लागत 150 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसे किसने रोका था? आपके पास यह रिपोर्ट वर्ष 2006 से पड़ी थी और आप वर्ष 2014 तक सरकार में थे। आठ साल तक आपको रिपोर्ट याद नहीं आई। हमने निर्णय किया था कि हम किसानों को एमएसपी डेढ़ गुना करके देंगे और हमने करके दिखाया। जब यूपीए सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति का ऐलान किया, उसमें पचास प्रतिशत वाली बात तो खा गई, उसे गायब कर दिया गया। उसके आगे

भी सात साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एमएसपी के लिए सिर्फ बातें करते रहे और जनता को, किसानों को गलत विश्वास देते रहे।

अध्यक्षा जी, मैं आज एक बात और बताना चाहता हूँ। देश के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्हें इसे सुनना नहीं है, यह उनके काम आने वाली नहीं है, लेकिन देश के लिए जरूरी है। हम वर्ष 2014 में सत्ता में आए। तब कई लोगों ने हमें कहा था कि इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर लाया जाए। यह बात हमारे मन में भी थी कि व्हाइट पेपर लाएंगे, लेकिन जब शुरू में हम सारी जानकारी प्राप्त करने लगे, तब एक के बाद एक ऐसी जानकारी आई कि हम चौंक गए कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है।

इसलिए मैं आज एनपीए की कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या परिस्थितियाँ पैदा की गईं? वर्ष 2008 में इस कहानी की शुरुआत हुई और वर्ष 2009 में चुनाव था। कांग्रेस को लगने लगा था कि अब एक साल बचा है, जितने बैंकों को खाली कर सकते हो, करो। जब एक बार इसकी आदत लग गयी, तो बैंकों की अंडरग्राउंड लूट वर्ष 2009 के बाद वर्ष 2014 तक चलती रही। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक बैंकों को लूटने का खेल चलता रहा।

एक आँकड़ा इस सदन के लोगों को भी चौंका देगा। आजादी के साठ वर्षों के बाद हमारे देश के बैंकों ने लोन के रूप में जो धनराशि दी थी, वह 18 लाख करोड़ रुपये थी। 60 वर्षों में 18 लाख करोड़ रुपये थी। लेकिन, वर्ष 2008 से वर्ष 2014 के बीच, मात्र छह साल में यह राशि 18 लाख करोड़ रुपये से 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। साठ साल में 18 लाख करोड़ रुपये ओर छह साल में 52 लाख करोड़ तक पहुँचाई गई। 60 वर्षों में जो हुआ था, उसको इन छह वर्षों में डबल कर दिया गया। यह कैसे हुआ?

दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग तो बहुत देर से आई। लेकिन, कांग्रेस के ऐसे बुद्धिमान लोग हैं कि दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग आने से पहले भारत में फोन बैंकिंग शुरू हुई। टेलीफोन बैंकिंग शुरू हुई। टेलीफोन बैंकिंग का यह कमाल था कि छह साल में 18 लाख करोड़ रुपये से 52 लाख करोड़ रुपये अपने चहेते लोगों के लिए बैंकों से खज़ाना लुटा दिया गया। उसका क्या तरीका था? कागज

वगैरह कुछ नहीं देखना था, केवल टेलीफोन आता था कि लोन दे दो। लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन दे दो, उसके बाद कोई और लोन दे दो। जो गया सो गया, पैसे जमा कराने के लिए नए लोन देते जाओ। यही कुचक्र चलता गया और देश तथा देश के बैंक एनपीए के विशाल जंजाल में फंस गए। एनपीए का जंजाल एक प्रकार से भारत की बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक लैंड माइन की तरह बिछाया गया था। हमने पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जाँच शुरू की। एनपीए की सही स्थिति क्या है, इसके लिए मैकेनिज्म शुरू किया गया। इस मामले में, हमने इतनी बारीकी से जाँच की कि एनपीए का जाल गहराता गया, निरंतर गहराता गया।

एनपीए बढ़ने का एक और कारण यह है कि यूपीए सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिये, जिसके कारण कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट में बेतहाशा वृद्धि हुई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी को कम करके इतना ज्यादा बढ़ाया गया कि हमारे कच्चे तेल के आयात के समतुल्य हो गया। इन सारे इम्पोर्ट्स की फाइनेंसिंग बैंकों द्वारा लोन लेकर की गयी। देश में कैपिटल गुड्स के उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बैंकों की लेंडिंग के बिना, प्रोजेक्ट एसेसमेंट के बिना, क्लीयरेंस दे दी गयी। यहाँ तक कि बहुत-से प्रोजेक्ट्स में तो इक्विटी के बदले भी बैंकों ने लोन दिया।

अब एक तरफ तो इन कैपिटल गुड्स के आयात और प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए कस्टम ड्यूटी और सरकार के टैक्स में कमी की गई। वहीं दूसरी तरफ सरकारी क्लियरेंस देने के लिए कुछ नए टैक्स बनाए गए, जिन टैक्स का पैसा सरकार के खाते में नहीं जाता था। इस टैक्स के कारण सारे प्रोजेक्ट्स के क्लियरेंस में देरी हुई। बैंकों के लोन फंसे रहे और एन.पी.ए. बढ़ता रहा। आज विपक्ष के मित्र जब बार-बार एन.पी.ए. की स्थिति पर बयान देते हैं, तो सरकार को बाध्य होकर देश की जनता के सामने इस सदन के माध्यम से कुछ तथ्य फिर से रखने की जरूरत पड़ी है।

एक तरफ हमारी सरकार ने बैंकों की बुक्स में इन सभी एन.पी.ए. को ईमानदारी के साथ दिखाने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी तरफ हमने बैंकों में सुधार के लिए बहुत सारे नीतिगत निर्णय लिए, जो देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में मदद पहुंचाएंगे। 50 करोड़ रुपये से

ज्यादा के सभी एन.पी.ए. अकाउंट्स की समीक्षा की गई है। इनमें विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड्स की संभावना का आकलन किया जा रहा है। बैंकों में स्ट्रेसड एसेट्स के मैनेजमेंट के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की गई है। दो लाख दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए दी जा रही है।

हमारी सरकार ने इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाए हैं। इसके द्वारा टॉप 12 डिफॉल्टर्स, जो कि कुल एन.पी.ए. के 25 प्रतिशत के बराबर हैं, के केस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा लिए जा चुके हैं। इन 12 बड़े केसों में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये की राशि फंसी हुई है। सिर्फ एक साल में इनमें से तीन बड़े मामलों में हमारी सरकार ने लगभग 55 प्रतिशत की रिकवरी पाई है। वहीं अगर इन 12 बड़े मामलों की बात करें, तो उनमें से लगभग 45 प्रतिशत की रिकवरी की जा चुकी है। ऐसे लोगों के लिए ही कल लोक सभा ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल पास किया है। बैंकों का कर्ज न चुकाने वालों के लिए अब देश के कानून से बचना और मुश्किल हो गया है। इससे एन.पी.ए. पर नियंत्रण करने में भी मदद मिलेगी। अगर वर्ष 2014 में एन.डी.ए. सरकार न बनती और जिस तरीके से कांग्रेस सरकार देश चला रही थी, अगर वही व्यवस्था चलती रहती तो देश आज बहुत बड़े संकट में होता।

मैं इस सदन के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूँ कि पहले की सरकार देश में स्पेशल फॉरेन करेन्सी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी एफ.सी.एन.आर. का लगभग 32 मिलियन डॉलर का कर्ज छोड़कर गई थी। इस कर्ज को भी आज भारत पूरी तरह वापस कर चुका है। यह काम हमने कर दिया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में ग्राम स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हमने 15 अगस्त तक 65 हजार गांवों में सभी लोगों के पास बैंक खाता हो, गैस कनेक्शन हो, हर घर में बिजली हो, सभी का टीकाकरण हुआ हो, सभी को बीमा सुरक्षा कवच मिला हो और हर घर में एल.ई.डी. बल्ब हो, के लिए कार्य किया है। ये

गांव उन 115 जिलों में हैं, जिनको गलत नीतियों ने पिछड़ेपन का अविश्वास दिया और हमने उनको आकांक्षा का नया विश्वास दिया।

न्यू इंडिया की व्यवस्थाएं स्मार्ट भी हैं, सेंसेटिव भी हैं। स्कूलों में लैब्स के ठिकाने नहीं थे, हमने अटल टिकरिंग लैब, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया अभियानों से प्रतिभागी और पहचान बढ़ा दिया... (व्यवधान) महिलाओं के लिए जीवन के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गईं। मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में पहली बार दो महिला मंत्री बैठती हैं और वे निर्णय में भागीदार होती हैं। महिलाएं फाइटर पायलट के तौर पर इंडक्ट की गई हैं... (व्यवधान) तीन तलाक झेल रही मुस्लिम बहनों के साथ सरकार मजबूती के साथ खड़ी है... (व्यवधान) बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जन-आंदोलन बन चुका है। अनेक जिलों में बेटियों के जन्म में बढ़ोतरी हुई है और बेटियों पर अत्याचार करने वालों के लिए फांसी तक का प्रावधान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और अत्याचार को इजाजत नहीं दी जा सकती है... (व्यवधान) ऐसी घटनाओं में किसी एक भारतीय का भी निधन दुःखद है। मानवता की मूल भावना के खिलाफ है... (व्यवधान) जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से राज्य सरकारों को फिर से आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसी हिंसा करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए... (व्यवधान) हमें 21वीं सदी के देश के सपनों को पूरा करना है। भारत माला से हाईवे का जाल पूरे देश में बिछाया जा रहा है... (व्यवधान) सागर माला से पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट-लेड-डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। टायर-2 और टायर-3 सिटी में हवाई कनेक्टिविटी पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के शहरों में मेट्रो का व्यापक विस्तार हो, इस पर काम चल रहा है... (व्यवधान) इस देश की हर पंचायत तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए तेज गति से काम हुआ है। देश इसका साक्षी है। गांव से लेकर बड़े शहरों तक गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बड़े बदलाव ला रही है... (व्यवधान) पहले की सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार की गति कहीं ज्यादा तेज है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की हो, नये शिक्षा संस्थान हों, एनआईटी,

आईआईएम हो, मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि हो - कर्मचारी वही है, ब्यूरोक्रेसी हो, फाइलों का तौर-तरीका वही है, लेकिन उसके बावजूद भी यह पॉलिटिकल विल है कि जिसके कारण देश के सामर्थ्य में नई ऊर्जा भरकर हम आगे बढ़ रहे हैं...(व्यवधान) इस देश में रोजगार को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। फिर एक बार सत्य को कुचलने का प्रयास, आधारहीन बातें, बिना जानकारी के गप्प चलाना - अच्छा होता, उस पर बारीकी से ध्यान देते तो देश के नौजवानों को निराश करके राजनीति करने का पाप नहीं करते...(व्यवधान) सरकार ने सिस्टम में उपलब्ध रोजगार से संबंधित अलग-अलग आंकड़ों को देश के समक्ष हर महीने प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। संगठित क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर में रोजगार वृद्धि को मापने का एक तरीका इम्प्लाइ प्रोविडेंट फण्ड है यानी ईपीएफ में कर्मचारियों का अंशदान। सितम्बर, 2017 से लेकर मई, 2018 के नौ महीनों में लगभग 45 लाख नये सबस्क्राइबर ईपीएफ से जुड़े हैं...(व्यवधान) इनमें से 77 परसेंट 28 वर्ष से कम उम्र के हैं। फॉर्मल सिस्टम में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में पिछले दो महीने में 5 लाख 68 हजार से ज्यादा लोग जुड़े हैं...(व्यवधान)

इस तरह ई.पी.एफ. और एन.पी.एस. के दो आंकड़ों को मिलाकर ही पिछले नौ महीनों में फॉर्मल सेक्टर में पचास लाख से ज्यादा लोग रोजगार में जुड़े हैं। यह संख्या पूरे वर्ष के लिए 70 लाख से भी ज्यादा होगी। इन 70 लाख कर्मियों के ई.एस.आई.सी. के आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि इनमें अभी आधार लिंकिंग का काम चल रहा है।

इसके अतिरिक्त देश में कितनी ही प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जिनमें युवा प्रोफेशनल डिग्री लेकर अपने आपको रजिस्टर्ड करते हैं और अपना काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर डाक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कास्ट एकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इनमें एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया है और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट की स्टडी कह रही है, उन्होंने जो आंकड़े रखे हैं, उनका कहना है कि 2016-17 में लगभग 17 हजार नये चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सिस्टम में जुड़े हैं। इनमें से पांच हजार से ज्यादा लोगों ने नई कंपनियां शुरू की हैं। अगर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्था में 20 लोगों को रोजगार मिलता है तो इन संस्थाओं में एक लाख

से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर्स, डेंटल सर्जन और आयुष डाक्टर - हमारे देश में 80 हजार से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर्स, डेंटल सर्जन और आयुष के डाक्टर शिक्षित होकर प्रति वर्ष कालेज से निकलते हैं। इनमें से अगर साठ प्रतिशत भी खुद की प्रैक्टिस करें तो प्रति डाक्टर पांच लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और यह संख्या दो लाख चालीस हजार होगी। लॉयर्स - 2017 में लगभग 80 हजार अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर बने। इनमें से अगर साठ प्रतिशत लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की होगी और दो-तीन लोगों को रोजगार दिया होगा तो लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार उन वकीलों के माध्यम से मिला है। इन तीन प्रोफेशन में ही 2017 में छः लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं।

अब अगर इनफॉर्मल सैक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सैक्टर में काफी लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले वर्ष ट्रांसपोर्ट सैक्टर में 7 लाख 60 हजार कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री हुई। 7 लाख 60 हजार कमर्शियल गाड़ियों में से अगर 25 प्रतिशत गाड़ियों की बिक्री पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए मानें तो 5 लाख 70 हजार गाड़ियां सामान दुलाई के लिए सड़क पर उतरीं और नई भी उतरीं। ऐसी एक गाड़ी पर अगर दो लोगों को भी रोजगार मिलता है तो रोजगार पाने वालों की संख्या 11 लाख 40 हजार होती है।

उसी तरह अगर हम पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री को देखें तो यह संख्या 25 लाख 40 हजार की थी। इनमें से अगर बीस प्रतिशत गाड़ियां पुरानी गाड़ियों को बदलने की मानी जाएं तो लगभग बीस लाख नई गाड़ियां सड़कों पर उतरीं। इन नई गाड़ियों में अगर केवल 25 प्रतिशत गाड़ियां भी ऐसी मानी जाएं, जो एक ड्राइवर को रोजगार देती है तो वह पांच लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

उसी तरह से पिछले साल, हमारे यहां दो लाख 55 हजार ऑटोज की बिक्री हुई है। ... (व्यवधान) इनमें से दस प्रतिशत की बिक्री अगर पुराने ऑटो को बदलने की मानी जाए तो लगभग दो लाख तीस हजार नए ऑटोज पिछले वर्ष सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि ऑटो दो शिफ्टों में चलते हैं। ... (व्यवधान) दो ऑटो से तीन लोगों को रोजगार मिलता है। ... (व्यवधान) ऐसे में तीन

लाख चालीस हजार लोगों को नए ऑटो के जरिए रोजगार मिला है...(व्यवधान) अकेले ट्रांसपोर्ट सैक्टर को इन तीन तरीकों से पिछले एक वर्ष में 20 लाख लोगों को नए अवसर मिले हैं ... (व्यवधान) ईपीएफ, एनपीएस, प्रॉफेशनल ट्रांसपोर्ट सैक्टर को अगर हम जोड़कर देखें तो एक करोड़ से ज्यादा लोगों को अकेले पिछले वर्ष रोजगार मिला है। ... (व्यवधान) यह एक इण्डिपेंडेंट संस्था का सर्वे कह रहा है। ... (व्यवधान) मैं उस इण्डिपेंडेंट संस्था को कोट कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) यह मैं सरकारी आंकड़े नहीं बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया कर के बिना तथ्यों के सत्य को कुचलने का प्रयास न किया जाए। ... (व्यवधान) देश को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए। ... (व्यवधान) आज देश एक अहम पड़ाव पर है ... (व्यवधान)। आने वाले पांच वर्ष सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं, जिसमें 85 प्रतिशत नौजवान देश की नीयत तय करने वाले हैं। ... (व्यवधान) न्यू इण्डिया, देश की नई आशा और आकांक्षाओं का आधार बनेगा। ... (व्यवधान) जहां संभावनाओं, अवसरों, स्थिरता, और इनका अनंत विश्वास होगा। ... (व्यवधान) जहां समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र के प्रति कोई अविश्वास नहीं होगा, कोई भेद-भाव नहीं होगा। ... (व्यवधान) इस महत्वपूर्ण समय में बदलते हुए वैश्विक परिवेश में हम सभी को साथ मिल कर चलने की आवश्यकता है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया है, मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। ... (व्यवधान) मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए एनडीए सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। ... (व्यवधान) हिन्दुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर हम आए हैं। ... (व्यवधान) मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को सन् 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण दे कर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन से आग्रह करता हूँ। ... (व्यवधान)

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

धन्यवाद।

HON. SPEAKER: He will get time only when they go back to their seats.

... (*Interruptions*)

22 49 hrs

At this stage, Dr. Ravindra Babu and some other hon. Members went back to their seats.

HON. SPEAKER: Shri Kesinani, you want to reply. You will get two or three minutes. Then, they will have to go back to their seats. Otherwise, you will not get time to reply.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, they will have to go back to their seats. Not like this. I will not allow like this. You don't want to say anything. Let them go back to their seats. Then only you can speak.

... (*Interruptions*)

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): I want at least half an hour. I have the right to reply. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know that. But you will get only five minutes.

... (*Interruptions*)

SHRI KESINENI SRINIVAS : I have to reply to all the false data, false words that our Prime Minister has expressed on the floor of this House. So, I want at least 30 minutes.

HON. SPEAKER: You will get five minutes and not 30 minutes. It is not given like that.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you want, you will get five minutes. You can say something.

... (*Interruptions*)

SHRI KESINENI SRINIVAS : Madam, Prime Minister sahib spoke for two hours. He gave a great *Bhashan*. As usual, it was a great ...* and everything was great. I have to reply to that. He has wonderfully dramatized the whole thing. I have to reply to that. It is my privilege.

HON. SPEAKER: I am allowing you. You can.

SHRI KESINENI SRINIVAS : Thank you Madam Speaker. I also thank everyone who have supported our Motion today against the Government. I also appreciate Prime Minister Sahib. As usual, he has a wonderful oratory skill. It was also a great action. I thought for one and a half hours, I was watching a...* What an action! I have no doubt and I think my colleagues also agree with me that he would have been the best actor in this world. There is no doubt about it. ... (*Interruptions*)

* Not recorded

HON. SPEAKER: You do not have to say anything about him. This is not the way. What is this?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want to reply? : हर बात का मखौल थोड़े ही होता है।

...(व्यवधान)

SHRI KESINENI SRINIVAS : You keep the House in order. I am ready to speak. I am ready to give a reply. Please call the House in order. Keep the House in order.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you not want to speak anything?

SHRI KESINENI SRINIVAS : I want to speak. I want the House to be in order. How can I speak when there is so much noise from that side?... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know it. Your Members were also shouting like this. If you want to speak, please speak, otherwise, I shall put the Motion to vote.

... (*Interruptions*)

SHRI KESINENI SRINIVAS : ... * (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you not want to say anything?

... (*Interruptions*)

SHRI KESINENI SRINIVAS : Even before 2014, people of the country have been betrayed like this, have been cheated like this. A lot of promises, false promises were made but there was no delivery. What a great *Bhashan* it was! In the afternoon, our Home Minister Sahib made a reference to the times of the

* Not recorded

Ramayana, the Mahabharata and everything. He referred to Chola, Chalukya, Pandya, Mauryas, but there was no mention of our Andhra Pradesh, about the fulfilment of promises given to us... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You cannot have a speech like this. If you want to ask any question or if there is any query, that only you can ask. It is not like this.

... (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : महोदया, इन्हें मॉफी माँगनी चाहिए... (ब्यवधान)

SHRI KESINENI SRINIVAS : You were also a witness at that time. You were also a Member of the last Lok Sabha. ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, whatever Shri Kesineni Srinivas imputed ... * should be expunged. He can only ask for a clarification ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will see the record and I will expunge it.

... (*Interruptions*)

SHRI KESINENI SRINIVAS : Madam, you were also a witness as you were a Member in the last Lok Sabha. Unethical and unscientific bifurcation of Andhra Pradesh took place in this House. The Party which is at this side today was at that side at that time. I appreciate my colleague, Mr. Haribabu, who is also the Ex-President of BJP, Andhra Pradesh. He has very frankly accepted that they

* Not recorded

are also responsible for the bifurcation of Andhra Pradesh. Both Congress Party and BJP are responsible for the bifurcation.

Madam, when Division takes place, the doors of the House get closed. But when the Andhra Pradesh Reorganisation Act was passed in this House, the TVs were 'band', the doors were closed and three Members from our Party were present in this House, Mr. Konakalla Narayana Rao, Mr. Sivaprasad and Mr. Kristappa had been beaten by the then Members of this House. Mr. Konakalla collapsed in the same House and was airlifted to Mumbai for heart treatment. That was the agony through which the people of Andhra Pradesh had to go at the time of bifurcation of Andhra Pradesh. The House was not having the simple majority. Fourteen Members out of twenty-five Members from Andhra Pradesh had been suspended.

HON. SPEAKER: Just say what you want to say.

SHRI KESINENI SRINIVAS : Madam, I am telling you about the base of the bifurcation. Modi Sahab just now said, "माँ का खून किया, बच्चे को बचा दिया" but what Modi Sahab and his 'Sarkar' are doing, बच्चे को माफ करके उसका अभी खून करते हैं। अभी वह क्राई करता है। मोदी साहब अभी कहते हैं कि तेलुगु हमारी माँ है। Yes, Telugu is your mother. I accept it. I told you that you are a great orator, you are a great... * . I accept that.

* Not recorded

HON. SPEAKER: If you have any substantial point, please say that. You do not have any substantial point. I am sorry.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put the motion moved by Shri Kesineni Srinivas to the vote of the House.

The question is:

“That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers.”

SHRI KESINENI SRINIVAS : Madam, I want Division.

HON. SPEAKER: Let the Lobbies be cleared.

23 00 hrs

HON. SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

Secretary-General to read the instructions.

SECRETARY GENERAL: Kind attention of the Hon'ble Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System: -

1. Before a Division starts, every Hon'ble Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. When the Hon'ble Speaker says "Now Division", the Secretary-General will activate the voting button whereupon "RED BULBS" above display boards on both sides of Hon'ble Speaker's Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.
3. For Voting, Hon'ble Members may please press the following two buttons simultaneously "ONLY" after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the GONG.

Red "VOTE" button in front of every Hon'ble Member on the Head phone plate

and

any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat'

Ayes : Green Colour

Noes : Red Colour

Abstain : Yellow Colour

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another GONG, is heard and the Red BULBS above plasma display are "OFF".

5. Hon'ble Members may please note that their votes will not be registered:
 - (i) If buttons are kept pressed before the first GONG.
 - (ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till second GONG.
6. Hon'ble Members can actually "SEE" their vote on display boards installed on either side of Hon'ble Speaker's Chair and on the LED screens fixed on parapet on either side of the public gallery.
7. In case vote is not registered, they may call for voting through slips.

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers."

The Lok Sabha divided:

DIVISION**AYES****23.11hrs**

Abdullah, Dr. Farooq

Adhikari, Shri Deepak (Dev)

Adhikari, Shri Dibyendu

Adhikari, Shri Sisir Kumar

Ahmed, Shrimati Sajda

Ajmal, Shri Badruddin

* Ali, Shri Idris

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Babu, Dr. Ravindra

Baite, Shri Thangso

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Begum, Shrimati. Tabassum

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Bhuria, Shri Kanti Lal

* Voted through slip

Biju, Dr. P. K.

Biswas, Shri Radheshyam

Bose, Prof. Sugata

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chaudhury, Shri Jitendra

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

*Chowdhury, Shri A. H. Khan

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De (Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

*Devegowda, Shri H.D.

Dhruvanarayana, Shri R.

^eEngti, Shri Biren Singh

Faizal, Mohammed

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dharam Vira

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Sonia

* Voted through slip

^e Corrected through slip for Ayes

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

* Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

Innocent, Shri

Jakhar, Shri Sunil Kumar

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jayadevan, Shri C. N.

Karunakaran, Shri P.

Khalsa, Shri Harinder Singh

Khan, Shri Md. Badaruddoza

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kristappa, Shri N.

Kukade, Shri Madhukarrao Yashwantrao

Kumar, Shri Shailesh

* Voted through slip

Kunhalikutty, Shri P.K.

Mahadik, Shri Dhananjay

Mahato, Dr. Mriganka

Mandal, Dr. Tapas

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Mohan, Shri M. Murli

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Naik, Shri B.V.

* Narasimham, Shri Thota

Nishad, Shri Praveen Kumar

Noor, Shrimati Mausam

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

* Patel, Shri Nagendra Pratap Singh

Paul, Shri Tapas

Poddar, Shrimati Aparupa

* Voted through slip

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao, Shri M. Venkateswara

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

* Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Ray, Shri Partha Pratim

Reddy, Shri J.C. Divakar

Reddy, Shri S. P.Y.

Renuka, Shrimati Butta

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Roy, Shrimati Satabdi

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

Salim, Shri Mohammad

Sampath, Dr. A.

* Voted through slip.

Sanghamita, Dr. Mamta

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shanavas, Shri M.I.

Shankarrao, Shri Mohite Patil Vijaysinh

* Sharma, Dr. Raghu

Shetty, Shri Raju

Singh, Shri Ravneet

Sivaprasad, Shri Naramalli

Soren, Shri Shibu

Srinivas, Shri Kesineni

Sriram, Shri Malyadri

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tirkey, Shri Dasrath

* Voted through slip

Trivedi, Shri Dinesh

Varma, Shrimati Dev

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Dr Karan Singh

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

NOES

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Alam, Shri Sarfraz

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Baker, Shri George

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

* Baruah, Shri Pradan

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

* Voted through slip

Bhagat, Shri Sudarshan
Bhamre, Dr. Subhash Ramrao
Bharathi Mohan, Shri R.K.
Bharti, Sushri Uma
Bhatt, Shrimati Ranjanben
Bhole, Shri Devendra Singh
Bidhuri, Shri Ramesh
Birla, Shri Om
Bohra, Shri Ramcharan
*Brahmpura, Shri Ranjit Singh
Chakravarty, Shrimati Bijoya
Chand, Shri Nihal
Chandel, Kunwar Pushpendra Singh
Chandrakasi, Shri M.
Chandumajra, Shri Prem Singh
Chaudhary, Shri C. R.
Chaudhary, Shri Haribhai
Chaudhary, Shri P.P.
Chaudhary, Shri Pankaj
Chaudhary, Shri Ram Tahal
Chauhan, Shri Devusinh

* Voted through slip

Chauhan, Shri P. P.
Chavan, Shri Harishchandra
Chavda, Shri Vinod Lakhmashi
Chhewang, Shri Thupstan
Chhotelal, Shri
Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara
Choubey, Shri Ashwini Kumar
Choudhary, Col. Sonaram
Choudhary, Shri Babulal
Choudhary, Shri Birendra Kumar
Chouhan, Shri Nand Kumar
Chudasama, Shri Rajeshbhai
Danve, Shri Raosaheb Patil
Dattatreya, Shri Bandaru
Deka, Shri Ramen
Devi, Shrimati Rama
Devi, Shrimati Veena
Dharambir, Shri
Dhotre, Shri Sanjay
Dhurve, Shrimati Jyoti
Diwakar, Shri Rajesh Kumar
Dohre, Shri Ashok Kumar
Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra D.

Geetha, Shrimati Kothapalli

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gupta, Shri Sudheer

Gurjar, Shri Krishanpal

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hay, Prof. Richard

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjana

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dinesh

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul
Kataria, Shri Rattan Lal
Kateel, Shri Nalin Kumar
Katheria, Dr. Ramshankar
Kaushik, Shri Ramesh Chander
Khadse, Shrimati Rakshatai
Khanduri AVSM (Retd.), Maj. Gen. B.C.
Kher, Shrimati Kirron
Khuba, Shri Bhagwanth
Kishore, Shri Jugal
Kishore, Shri Kaushal
Koli, Shri Bahadur Singh
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Kulaste, Shri Faggan Singh
Kumar, Dr. Arun
Kumar, Dr. Virendra
Kumar, Kunwar Sarvesh
Kumar, Shri Ashwini
Kumar, Shri Dharmendra
Kumar, Shri K. Ashok
Kumar, Shri Kaushalendra
Kumar, Shri P.
Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shanta
Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai
Kushawaha, Shri Ravinder
Kushwaha, Shri Upendra
Lakhanpal, Shri Raghav
Lekhi, Shrimati Meenakashi
Maadam, Shrimati Poonamben
Mahajan, Shrimati Poonam
Maharaj, Dr. Swami Sakshiji
Mahato, Dr. Banshilal
Mahato, Shri Bidyut Baran
Mahendran, Shri C.
Malviya, Prof. Chintamani
Manjhi, Shri Hari
Marabi, Shri Kamal Bhan Singh
Maragatham, Shrimati K.
Marutharajaa, Shri R. P.
Meena, Shri Arjun Lal
Meena, Shri Harish
Meghwal, Shri Arjun Ram
Mishra, Shri Anoop
Mishra, Shri Bhairon Prasad
Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan
Mishra, Shri Kalraj
Modi, Shri Narendra
Mohan, Shri P.C.
Munda, Shri Karia
Munde, Dr. Pritam Gopinath
Nagar, Shri Rodmal
Nagarajan, Shri P.
Naik, Shri Shripad Yesso
Natterjee, Shri J.J.T.
Nete, Shri Ashok Mahadeorao
Ninama, Shri Manshankar
Nishad, Shri Ajay
Nishad, Shri Ram Charitra
Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal
Oram, Shri Jual
Paatle, Shrimati Kamla
Pal, Shri Jagdambika
Pandey, Dr. Mahendra Nath
Pandey, Shri Hari Om
Pandey, Shri Rajesh
Pandey, Shri Ravindra Kumar
Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

* Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

* Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Phule, Sadhvi Savitri Bai

* Voted through slip.

Prabakaran, Shri K. R. P.
Prasad, Dr. Bhagirath
Pratap, Shri Krishan
Radhakrishnan, Shri Pon
Radhakrishnan, Shri R.
Radhakrishnan, Shri T.
Rai, Shri Nityanand
Rai, Shri Prem Das
Raj, Dr. Udit
Raj, Shrimati Krishna
Raajhaa, Shri A. Anwhar
Rajbhar, Shri Harinarayan
Rajendran, Shri S.
Rajoria, Dr. Manoj
Rajput, Shri Mukesh
Raju, Shri Gokaraju Ganga
Ram, Shri Janak
Ram, Shri Vishnu Dayal
Ramachandran, Shri K. N.
Rathod, Shri D.S.
Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan
Rathore, Shri Hariom Singh
Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh
Rawat, Shrimati Priyanka Singh
Ray, Shri Bishnu Pada
Ray, Shri Ravindra Kumar
Rijju, Shri Kiren
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Sahu, Shri Chandulal
Sahu, Shri Lakhan Lal
Sai, Shri Vishnu Dev
Saini, Shri Rajkumar
Sampla, Shri Vijay
Sangma, Shri C.K.
Sanjar, Shri Alok
Sarmah, Shri Ram Prasad
Sarswati, Shri Sumedhanand
Sathyabama, Shrimati V.
Sawaikar, Adv. Narendra Keshav
Senguttuvan, Shri B.
Senthilnathan, Shri P. R.
Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi
Sharma, Dr. Mahesh
Sharma, Shri Ram Kumar
Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

* Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

* Voted through slip

Singh, Shri Ganesh
Singh, Shri Giriraj
Singh, Shri Gyan
Singh, Shri Kirti Vardhan
Singh, Shri Lallu
Singh, Shri Nagendra
Singh, Shri Pashupati Nath
Singh, Shri R. K.
Singh, Shri Radha Mohan
Singh, Shri Rajnath
Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer
Singh, Shri Rakesh
Singh, Shri Rama Kishore
Singh, Shri Satyapal
Singh, Shri Sunil Kumar
Singh, Shri Sushil Kumar
Singh, Shri Uday Pratap
Singh, Shri Virendra
Sinha, Shri Jayant
Sinha, Shri Manoj
Sinha, Shri Shatrughan
Solanki, Dr. Kirit P.
Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sundaram, Shri P. R.

Supriyo, Shri Babul

* Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shrimati Savitri

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tokheho, Shri

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

* Voted through slip

Utawal, Shri Manohar

Vaghela, Shri L. K.

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

HON. SPEAKER: Subject to correction^{*}, the result of the Division is:

Ayes: 126

Noes: 325

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: Now, the lobbies may be opened.

The House stands adjourned to meet on Monday, the 23rd July, 2018 at
11 a.m.

23 12 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, July 23, 2018 / Shravana 1, 1940 (Saka).*

*

The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

Ayes: 126+ S/Shri Thota Narasimham, Rayapati Sambasiva Rao, Nagendra Pratap Singh Patel, Idris Ali. H.D. Devegowda, Biren Singh Engti, A.H. Khan Chowdhury, Dr. Raghu Sharma and Shri Gaurav Gogoi =135

Noes: 325+ Shrimati Sushma Swaraj, Shri Bharat Singh, Dr. K.C. Patel, S/Shri Pradan Baruah, Ranjit Singh Brahmipura, R. Parthipan = 331-Shri Biren Singh Engti = 330

Abstain: 000